एकादश माला खंड 15, अंक 3

शुक्रवार, 25 जुलाई, 1997

3 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 25 जुलाई, 1997/ 3 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
8	24	(ग)	(ङ)
68	13	(क) का लोप कीजिए	
69	9	(ख) का लोप कीजिए	
73	4	संघ राज्य क्षेत्र	27. संघ राज्य क्षेत्र
75	17	वित्त मंत्रालय के	वित्त मंत्रालय में
165	नीचे से 8-9	(क) से (ङ)	(क) से (ग) और (ङ)
253	नीचे से 5	(ख)	(ग)
253	नीचे से 4	(ग)	(घ)
315	17	पत्र	पात्र
324	16	पु:स्थापित	पुर: स्थापित

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)

अंक 3, शुक्रवार, 25 जुलाई, 1997/3 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60	27-43
अतारांकित प्रश्न संख्या 445 से 674	43-265
सभा पटल पर रखे गये पत्र	265-268, 293-294
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	268
कार्यवाही सारांश	
रेल संबंधी स्थायी समिति	268
आठवां प्रतिवेदन	
याचिका का प्रस्तुतीकरण	268-269
सभा का कार्य	269-271
प्रसारण विधेयक, 1997 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—समय बढ़ाये जाने के संबंध में प्रस्ताव	271
कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव	271-272
विधेयक-पुर:स्थापित	
(एक) सरकारी निवास स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) विधेयक	
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	272-273
(दो) कपास ओटाई और दबाई कारखाना निरसन विधेयक	275
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सरकारी निवास स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश	
—डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु	274-275
नियम 184 के अंतर्गत चर्चा	275-316
बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति	
श्री तारिक अनवर	275-279

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी 279-286

प्रो॰ अजित कुमार मेहता 288-292

श्री अनंत गंगाराम गीते 292-293, 294-297

श्री राजीव प्रताप रूडी 297-307

श्री पिनाकी मिश्र 307-315

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 316-318

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री बनवारी लाल पुरोहित 316

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक 318-330

(एक) वन (संरक्षण) विधेयक (धारा 2 में संशोधन)

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा 318-319

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 217 में संशोधन)

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा 319

(तीन) अनिवार्य बन्ध्यीकरण विधेयक

श्री रामेश्वर पाटीदार 319

(चार) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार)

संशोधन विधेयक (अनुसूची में संशोधन) 320

(पांच) मिर्च उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक

श्री आर॰ साम्बासिवा राव 320

(छः) तम्बाकू उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक

श्री आर॰ साम्बासिवा राव 320-321

(सात) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक

श्री बसुदेव आचार्य 321

(आठ) उत्तराखंड राज्य विधेयक

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 321

(नौ) विदर्भ राज्य विधेयक

श्री बनवारी लाल पुरोहित 322-323

(दस) उत्तरांचल राज्य विधेयक

श्री बची सिंह रावत 324

विषय	कॉलम
(ग्यारह) वनांचल राज्य विधेयक	
श्री आर० एल० पी० वर्मा	324
(बारह) महाराष्ट्र पुनर्गठन विधेयक	
श्री दत्ता मेघे	325
(तेरह) भारतीय सरकारी क्षेत्र उद्यम विकास बैंक विधेयक	
श्री जार्ज फर्नांडीज	325
(चौदह) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक	
(धारा 1 में .संशोधन आदि)	
श्री जार्ज फर्नांडीज	326
(पन्द्रह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
(नयी धारा 8 ख का अंत:स्थापन)	
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	326
(सोलह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा 376 में संशोधन)	
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	327
(सत्रह) मंत्रियों, संसद सदस्यों और लोक सेवकों की आस्तियों की जांच संबंधी विधेयक	
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	327
(अठारह) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण	
(संशोधन विधेयक) (नई धारा 4 का अंत:स्थापन)	
श्री आर० साम्बासिवा राव	328
(उन्नीस) विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय निषेध विधेयक,	
श्री आर० साम्बासिवा राव	328
(बीस) मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक	
श्री जी० ए० चरण रेड्डी	228-329
(इक्कीस) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विशाखापत्तनम) में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक	
डॉ० एम० जगन्नाथ	329
(बाइस) महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक	
श्री चित्त बसु	329-330

विषय	कॉलम
(तेइस) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक	
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	330
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापिस लिया गया	350
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)	331-350
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री आई० डी० स्वामी	331-334
श्री गिरधारी लाल भार्गव	334-335
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	335-338
श्री बृज भूषण तिवारी	339-341
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	341-343
श्री रमाकांत डी० खलप	343-347
श्री भगवान शंकर रावत	347-350
भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक	350-367
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पृथ्वीराज दा० चह्वाण	351-355
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	355
प्रो० रासा सिंह रावत	355-360
श्री रमेश चेन्नित्तला	360-362
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	362-364
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	364-367
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
नागालैण्ड शांति वार्ता	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	368

लोक सभा

शुक्रवार, 25 जुलाई, 1997/3 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री एन. एस. वी. चित्यन (डिंडीगुल) : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सुबह दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी का नाम शामिल नहीं किया गया। जिन्होंने इस अभिभाषण को तैयार किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के पश्चात् कुछ भी पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

डॉ. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अवश्य ही निलंबित कर देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। आप इसे प्रश्न काल के पश्चात् उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : इसे पहले ही ठीक कर दिया गया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना

+

*41. **श्री चिंतामन जानगा** :

श्री वी. वी. राघवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू होने के बाद कितने व्यक्तियों ने अपने बेहिसाब धन की घोषणा की है; और

(ख) इस योजना के शुरू होने के पश्चात् अब तक इसके अंतर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(ग) यह योजना काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से विगत में शुरू की गई इसी प्रकार की अन्य योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आय की स्वैच्छिक प्रकटन योजना दिनांक 1.7.1997 से लागू है और यह दिनांक 31.12.1997 तक प्रवृत्त रहेगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक अत्यधिक गोपनीयता है जिसे घोषणाकर्ताओं के संबंध में बनाए रखा जाना है। इस योजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि इस गोपनीयता को बनाए रखने में विभाग की क्षमता पर संभावित घोषणाकर्ताओं का कितना विश्वास है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना में यह व्यवस्था है कि घोषणाएं केवल आयकर आयुक्तों के समक्ष ही दायर की जाएंगी। इसी कारण से घोषणाकर्ताओं की संख्या अथवा प्रकट की गई धनराशियों आदि के बारे में आयुक्तों से केन्द्रीयकृत रूप से कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि की समाप्ति पर ही स्थिति का पता लगाया जाए।

(ग) मौजूदा योजना और पूर्ववर्ती योजनाओं के बीच मुख्य भिन्नताएं निम्नानुसार हैं :

(i) कर की दर

मौजूदा योजना के अंतर्गत कर, एक समान दर से प्रभारित किया जाता है जबकि अधिकांश पूर्ववर्ती योजनाओं में कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई क्रमबद्ध दरों पर प्रभारित किया जाता था।

(ii) धन का प्रकटन

मौजूदा योजना के अंतर्गत धन का प्रकटन अनुमत्य नहीं है। यह योजना आय के प्रकटन के लिए है।

(iii) कर की अदायगी

मौजूदा योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से प्रकटित की गई आय के संबंध में देय कर को घोषणा दायर करने से पूर्व अदा करना होता है। यदि घोषणा दायर करने से पूर्व कर की अदायगी नहीं की जाती है तो घोषणाकर्ता को घोषणा दायर करने की तारीख से तीन महीनों के भीतर कर (ब्याज सहित) अदा करना होगा। यदि घोषणाकर्ता इन

तीन महीनों की समाप्ति से पूर्व कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो उक्त घोषणा को रद्द समझा जाएगा। अधिकांश पूर्ववर्ती योजनाओं में कर की अदायगी किश्तों में दी जा सकती थी।

(iv) अर्थदंड और अभियोजन से उन्मुक्ति

मौजूदा योजना अन्य बातों के साथ-साथ घोषणाकर्ता को विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अर्थदंड और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करती है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संबंध में दी गई उन्मुक्ति काफी हद तक विदेशी मुद्रा में प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991 के तहत दी गई उन्मुक्ति के समान ही है।

(v) तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में आय का प्रकटन

मौजूदा योजना का लाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में, जिसमें तलाशी की कार्यवाही शुरू की गई है, अथवा पहले के किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में उपलब्ध नहीं है। उक्त योजना का लाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें सर्वेक्षण किया गया है, की आय के संबंध में भी उपलब्ध नहीं है। आय तथा धन की स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1976 के अंतर्गत तलाशी के मामलों में भी कुछ लाभ शर्तों के अधीन उपलब्ध थे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी सब ऑनरेबल मेम्बर्स बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामन वानगा : हमारे देश में काले धन की एक समानांतर अर्थव्यस्था चल रही है। स्वतंत्रता के बाद काला धन बाहर लाने के लिए सरकार ने कई बार प्रयास किये हैं। सरकार ने इसके पहले भी काला धन बाहर लाने के लिए आठ बार कई योजनाएं शुरू की थीं, यह नौंवी बार प्रयास किया गया है। 1985 की स्कीम को छोड़कर बाकी स्कीम्स में सरकार को जितना यश मिलना चाहिए था, उतना प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि काला धन कहां से पैदा होता है ? काले धन की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए इस दिशा में अभी तक अधिक पहल नहीं की गई है। क्या सरकार काले धन के निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोशिश करेगी और करेगी तो क्या कोशिश करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, काला धन अनेक तरीकों से अर्जित किया जाता है। लेकिन सबसे आम तरीका है कि लोग आयकर से बचने के लिए आय की घोषणा नहीं करते हैं और जब आय की घोषणा नहीं की जाती है तो इसे काला धन कहा जाता है। जिन कारणों से काला धन अर्जित किया जाता है, वे सर्वविदित हैं। समय-समय पर इस संबंध में अध्ययन किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि संपत्ति सौदे में लगनी वाली अधिक स्टाम्प ड्यूटी के कारण लोगों से किए गए सौदों का वास्तविक मूल्य छिपाते हैं।

मेरा विचार है कि विगत में कर की ऊंची दरें काले धन के अर्जन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, देश में कई प्रकार के गैर कानूनी कार्य होते हैं जैसे तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यापार तथा वेश्यावृत्ति आदि। चूंकि ये गैर कानूनी कार्य काले धन से किए जाते हैं तथा इनसे अर्जित धन की घोषणा नहीं की जाती है। अतएव, यह काला धन ही है तथा यह सच है कि विगत में इसके लिए कई प्रयास किए गए थे।

लेकिन ये सारे प्रयास कई कारणों से सफल नहीं रहे। जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के सुझाव पर इस बार हम फिर एक और प्रयास करने जा रहे हैं। हम इस ओर पूर्ण ध्यान दें। अब जबकि आयकर की सीमा घटाकर 30% कर दी गई है तथा घोषणा योजना भी एक आम योजना है तथा इसमें कर की दर वही है हम इसी रुझान को बदलने का प्रयास करें। लेकिन यह आसान नहीं है। यह केवल योजना शुरू कर देने मात्र से ही नहीं हो जायेगा। ऐसा अन्य प्रावधानों को कड़ा बनाए जाने अर्थात आयकर अधिनियम की धारा के अध्याय चौदह ख को कड़ा बनाये जाने तथा धारा 139 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषणा संबंधी नई योजना तथा अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने से होगा। कर संबंधी कई पूर्वानुमानित उपाय किए गए हैं। हमने उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। मेरा यह विचार है कि हमारे पास काले धन से निबटने के लिए उपायों का एक पैकेज है। मुझे आशा है कि वे सफल होंगे।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वानगा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जो जवाब दिया गया है उसमें मंत्री महोदय ने लिखा है—

[अनुवाद]

"....घोषणा केवल आयकर आयुक्तों को दी जाएगी।"

[हिन्दी]

डिक्लेरेशन करने के बाद कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स को इसको स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है और बाद में सर्टिफाई होने के बाद वह प्रमाणपत्र जारी करता है। लेकिन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इसकी समय सीमा निर्धारित करने के बारे में सोचेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : आयकर आयुक्तों को कर की अदायगी के 15 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।

श्री वी० वी० राघवन : महोदय, अनुमानतः छिपा धन 40,000 से 1,00,000 करोड़ रुपये तक है। इस बिना लेखे-जोखे वाले धन से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। अधिकांश गैर-बैंकिंग वित्तीय

कंपनियां इस पैसे का उपयोग करती हैं। अचल संपत्ति के मालिक इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। क्या हमारी प्रवर्त्तन एजेंसियों को इस अवैध-कारोबार की जानकारी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि स्वैच्छिक आय घोषणा योजना से उन्हें कितनी आशा है? यदि वह पूरी नहीं हुई तो दिसम्बर 1997 के बाद बिना लेखे-जोखे वाले काले धन को पकड़ने के लिए वे क्या कार्यवाही करने का बिचार रखते हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं यह प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्य का आभार प्रकट करता हूं। मैंने यह स्पष्ट किया था कि आयकर विभाग की सामान्य कार्यवाही में इस अवधि के दौरान 31 दिसम्बर, 1997 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सामान्य कार्यवाही उसी प्रकार चलती रहेगी। तथापि हमने, काफी गहन चर्चा तथा विचार-विमर्श के बाद, उन व्यक्तियों से निबटने के लिए इस छः महीने तथा उसके बाद के लिए रणनीति तैयार की है जिनके पास बिना लेखे-जोखे का पैसा है। महोदय, मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं इस छः महीने की अवधि के दौरान अपनाई जाने वाली पूरी रणनीति स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता हूं।

लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि मैं 31 दिसम्बर, 1997 के बाद क्या करूंगा, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में कानून स्पष्ट है। मेरे अनुरोध पर इस सभा द्वारा कुछ माह पूर्व अध्याय चौदह ख में संशोधन किया गया था उसके अनुसार जांच तथा सामान जब्त करने संबंधी प्रावधान काफी कड़े हो गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बिना लेखे-जोखे का धन पाया गया और यदि ऐसा किसी खोज जब्ती या जांच के दौरान पाया गया, तो उस राशि पर ब्याज सहित 60 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। कर अपवंचन की राशि के 300 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा। मैंने इसमें वही अंतर किया है। प्रत्येक मामले में, मुकदमा चलाया जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री वी. वी. राघवन : इस स्वैच्छिक आय घोषणा योजना से क्या आशा की गई है।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने कहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने बजट में किसी राशि के लिए कोई श्रेय नहीं लिया है। इसकी कोई सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : उपाध्यक्ष जी, अभी एक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। प्रश्न यह था कि अब तक कितने लोगों ने वालेंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम के अंतर्गत काले धन की घोषणा की है और कितना काला धन इकट्ठा हो चुका है। उनका कहना है कि वे इस स्कीम की कॉन्फीडैन्शैलिटी मेन्टेन करना चाहते हैं, इसलिए यह जानकारी नहीं दे रहे हैं, फीगर्स नहीं दे रहे हैं। यह जानकारी सिर्फ इन्कम टैक्स कमिश्नर के पास है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार वे कौन से कारण हैं कि आज तक जितने लोगों के काले धन की घोषणा की और जितना धन इकट्ठा हुआ, वह जानकारी इन्कम टैक्स कमिश्नर के पास हो सकती है लेकिन एक माननीय सदस्य या इस हाउस में उसे डिस्क्लोज़ करने से उस स्कीम की गोपनीयता पर असर पड़ सकता है ? अगर कोई उनसे पूछे कि किन-किन व्यक्तियों ने काले धन की घोषणा की है, उनके नाम बताए जाएं, तब बात समझ में आ सकती है, क्योंकि नाम डिस्क्लोज़ करने से, उनमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके बारे में दूसरी राय हो। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सदन में जो सवाल पूछा गया है, उसके संबंध में इतनी जानकारी देने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

इसी से जुड़ा मैं एक दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग वालेंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम के अंतर्गत अपने असैट्स या काला धन डिक्लेयर कर रहे हैं, यदि वे किसी स्कैंडल में फंसे हों, क्रिमिनल केस में फंसे हों, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी हो, जिनके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहे हों, क्या ऐसे लोगों को भी आप इस स्कीम के अंतर्गत अपने असैट्स डिक्लेयर करने की परमीशन देंगे या परमीशन देने से पहले, उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उन पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस संसद द्वारा बनाया गया कानून बिल्कुल स्पष्ट है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अनेक अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है तो उसे उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम; फेरा, स्वापक तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा कोफेपोसा शामिल हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ इन अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के बावजूद वह ऐसी घोषणा करता तो ऐसा कर वह स्वयं के लिए संकट आमंत्रित करेगा। हम कार्यवाही में इसका सबूत के रूप में उपयोग करेंगे। मैं नहीं समझता कि यह कोई मुद्दा है।

दूसरे प्रश्न के बारे में कितने घोषणाकर्ता हैं तथा कितनी राशि घोषित की गई है, यह जानकारी इस सभा को इस योजना के पूरा होने पर बताई जाएगी। मैं यह सूचना बताने में हिचकिचा नहीं रहा हूं। लेकिन यह योजना सफल होगी और मैं विश्वासपूर्वक आशा करता हूं कि आप इस सदन में हमें सफल होते देखना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : इस बारे में नगर-वार तथा तिथि-वार अखबारों में समाचार प्रकाशित हो चुके हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उस पर आ रहा हूं। यह योजना तभी सफल होगी जब हम इसकी गोपनीयता बनाए रखें तथा इस संबंध में विश्वास जागृत करें। जो श्री शरद पवार ने कहा है वह सच है, एक समाचार-पत्र शायद 7 जुलाई के समाचार-पत्र में सूची अथवा घोषणा में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर हम समस्त जानकारी देंगे। लेकिन यह योजना समाप्त होने पर देंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : मैं समझता हूं कि अगर मंत्री जी यह इन्फार्मेशन दे देते हैं तो प्रेस में ऐसा कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज खबरें इसी ढंग से छपती रहेंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन. एस. वी. चित्थन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वर्षों में भी, सरकार ने यह योजना शुरू की थी। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि कितनी धनराशि की घोषणा की गई थी तथा इस योजना के माध्यम से कितना कर प्राप्त किया गया था ?

श्री पी. चिदम्बरम : ये योजनाएं विगत में भी बनाई गई हैं। इनमें से प्रत्येक योजना के माध्यम से बहुत कम धनराशि एकत्र की गई थी। सबसे अच्छी योजना द्वारा भी केवल 1000 करोड़ रुपये या उससे कुछ कम की घोषणा हो पाई। अन्य सभी योजनाओं के अंतर्गत कम राशि की घोषणा की गई थी। मैं माननीय सदस्य को योजनावार जानकारी दे दूंगा। इनमें कम राशि थी।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूं कि भारत सरकार के काले धन को सफेद करने संबंधी योजना के अंतर्गत, इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने की कोई योजना बनाई है—क्या यह बात सच है ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि अभी तक इस योजना के अंतर्गत जितनी धनराशि एकत्रित हुई है, क्या वह एडवर्टाइजमेंट के खर्च से कम है ? इसी से जुड़ा एक प्रश्न मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि अगर ऐसी कोई योजना बनी है तो उसके लिए किन-किन सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को कान्ट्रैक्ट दिए गए थे और इस स्कीम के लिए सरकार ने कितना खर्च करना निर्धारित किया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह सच है कि सरकार इस योजना का प्रचार कर रही है। योजना का प्रचार करने का उद्देश्य है कि यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इसका उद्देश्य है कि लोगों को घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाये। अत: इसके प्रचार पर महीनों खर्च किया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना कहां तक सफल होती है। यदि योजना बड़े पैमाने पर सफल होती है तब हम प्रचार में होने वाले खर्च में कटौती कर देंगे ? यदि योजना धीरे-धीरे लोकप्रिय होती है, हम कुछ और खर्च करेंगे। मैं माननीय सदस्या को यह कैसे बता सकता हूं कि हम कितना खर्च करेंगे ? लेकिन मेरा विश्वास कीजिए हम खर्च करने की तुलना में कई गुणा ज्यादा एकत्र कर लेंगे। आप इसके लिए निश्चित रहिए। वर्ष के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कितनी राशि एकत्र की।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या कोई राशि निर्धारित की गई है या नहीं।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहां तक राजस्व एकत्र करने का प्रश्न है, लागत केवल एक प्रतिशत या उससे भी कम होती है। यदि वे यह कहते हैं कि "कई गुणा ज्यादा" तो यह योजना असफल हो जाएगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सदन का यह फैसला है कि किसी भी प्रश्न पर पांच सप्लीमैंट्री से ज्यादा नहीं पूछी जा सकेंगी। इस प्रश्न पर सात हो चुकी हैं। यदि और सप्लीमैंट्री इसी प्रश्न पर पूछी जाएंगी तो बाकी प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं।

[अनुवाद]

निर्यात में गिरावट

+

***42. श्री आई. डी. स्वामी :**

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 और अप्रैल 1997 के दौरान भारत के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात में इस गिरावट को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार निर्यात क्षेत्र से संबंधित अंतर्-मंत्रालयीय समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त निर्यात संवर्धन बोर्ड गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात संवर्धन बोर्ड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1997-98 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान 33106 मिलियन यू. एस. डॉलर का निर्यात होने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष की संगत अवधि के 31830 मिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात की तुलना में डॉलर के रूप में 4.12% की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-मई, 1997 के दौरान, भारत के निर्यात के 5401.41 मिलियन यू. एस. डॉलर होने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष की संगत अवधि के स्तर की तुलना में 1.98% कम है।

(ख) निर्यात-निष्पादन, अन्य बातों के साथ-साथ, नीतिगत ढांचा और

प्रक्रियाएं घरेलू अवस्थापना की स्थिति, निर्यात उत्पादों की निर्यात-प्रतिस्पर्द्धात्मकता इत्यादि के अतिरिक्त बाजार की परिस्थितियों एवं व्यापार की टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारणों पर निर्भर करती है। वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात में आई गिरावट को इनके संदर्भ में देखना होगा - वर्ष 1996 में विश्व व्यापार में 4% की वृद्धि की पर्याप्त गिरावट थी जबकि वर्ष 1995 में 19% वृद्धि थी, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों कम/ऋणात्मक वृद्धि होना, भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले कमरे की सजावट के सामान की मांग में प्रतिमान परिवर्तन होना, रत्न एवं आभूषण, चर्म क्षेत्र, आदि को प्रभावित करने वाले क्षेत्र विशेष के मुद्दे होना और अवस्थापना संबंधी अड़चनें होना। ऐसा लगता है कि अप्रैल, 1997 के दौरान ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल ने भी निर्यात लदान के आवागमन और उसके परिणामस्वरूप निर्यात वृद्धि पर कुप्रभाव डाला है।

(ग) और (घ) निर्यात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्यात क्षेत्र में पर्याप्त रूप से अधिक वृद्धि को सुविधाजनक बनाने तथा निर्यात उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक अंत: विभागीय समन्वय लाने के लिए निर्यात विकास बोर्ड (ई॰ डी॰ वी॰) की स्थापना करने की जोरदार दलील दी गई। ई॰ डी॰ वी॰ की स्थापना के बारे में सकारात्मक रुख के परिणामस्वरूप वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ङ) निर्यात आशावादिता में सुधार करने और प्रोत्साहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाए किए गए हैं। वर्ष 1997-98 के बजट में निर्यात लाभों पर आयकर छूट के रूप में 80 एच॰ एच॰ सी॰ के प्रावधान को पुन: बहाल किया गया है। वर्ष 1997-2000 की नई एक्जिम नीति में नीतियों और प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरलीकृत किया गया एवं पिछली एक्जिम नीति की उपलब्धियों को सुदृढ़ किया गया। परेशानी मुक्त व्यापार वातावरण प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने अधिक वृद्धि के लिए निर्यात संवर्धन उपायों के संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के साथ अलग-अलग विचार-विमर्श किया। इसके लिए वाणिज्य मंडलों एवं फिओं जैसे शीर्ष निकायों के साथ अलग से बैठकें की गईं। निर्यातों में सुधार करने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपायों पर ध्यान देने के लिए वित्त, वस्त्र, भूतल परिवहन मंत्रालयों के साथ अंत: मंत्रालयी विचार-विमर्श किए गए। निर्यात ऋण पर ब्याज को एक प्रतिशत अंक तक कम कर दिया गया है। अंत: मंत्रालयी मुद्दों को हल करने एवं निर्यात प्रयासों को राष्ट्रीय प्राथमिकता थ्रस्ट देने के लिए ई॰ डी॰ वी॰ की स्थापना का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री आई॰ डी॰ स्वामी (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह तो माना है कि एक्सपोर्ट डैफीसिट हुआ है और एक्सपोर्ट में कमी हुई है तथा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के कुछ उपाय भी किए गए हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ट्रेड डैफीसिट कितना है और दूसरे आपने यह भी माना है कि 1997-98 में 80 एच॰ एस॰ सी॰ के प्रॉविजन्स के टर्म्स में इन्कमटैक्स एग्जम्पशन को दोबारा रेस्टोर किया है, तो क्या यह सारा एरर इन करैक्शन के मैथड पर चल रहा है या प्लानिंग पर चल रहा है ? तीसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कारण थे कि यह एग्जम्पशन विदड्रा किया गया था और अब फिर यह एग्जम्पशन दोबारा दिया गया है, तो क्या इससे इन महीनों में एक्सपोर्ट को फायदा पहुंचा है, यदि हां, तो कितना?

[अनुवाद]

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : महोदय, गत वर्ष व्यापार में हुआ कुल घाटा लगभग पांच अरब डॉलर था। लाभ के संबंध में माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों में से एक कदम आय कर में छूट है जिसका लाभ निर्यातकों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे उपाय भी किए गए हैं। लेकिन आप यह आशा नहीं कर सकते हैं कि इनके परिणाम रातों-रात सामने आएं।

हमें व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य कई कारकों पर भी विचार करना होगा। जैसा कि सभी जानते हैं, वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि दर घटकर चार प्रतिशत रह गई जबकि वर्ष 1995 में यह 19 प्रतिशत थी। कुछ उद्योगों को विशिष्ट क्षेत्र संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। चमड़ा उद्योग को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रत्न आभूषण संबंधी क्षेत्र भी कुछ समस्याओं का सामना कर रही हैं। इसी प्रकार, चावल, गेहूं और चीनी जैसे हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात भी कम हो गया है। अत: इसके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। इसीलिए मैंने यह कहा है कि हमने जो विभिन्न उपाए किए हैं उनके परिणाम बहुत शीघ्र ही सामने आएंगे।

श्री आई॰ डी॰ स्वामी : मेरा पहला प्रश्न यह था कि इस छूट को वापस क्यों लिया गया। इसके क्या कारण थे ? इस छूट को वापस लेने के पीछे सरकार की क्या योजना थी ? सरकार ने उस समय क्या सोचा था। कोई सरकार इस ढंग से कार्य नहीं करती है कि पहले गलती करे और फिर उसे सुधारे। यदि छूट वापस ली गई थी तो वह केवल एक अथवा दो वर्ष के लिए थी। आपने दोबारा उस छूट को बहाल किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसे वापस लेने के क्या कारण थे। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

वर्ष 1993-94 में नई उदारीकरण योजना को लागू करने के बाद, वर्ष 1994-95 में वृद्धि दर 20 प्रतिशत थी। लेकिन अब यह दर 4.5 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।...*(व्यवधान)* अपितु ऋणात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति लक्षित होनी है। इसके कारण क्या हैं ?

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : विभिन्न कारणों की वजह से बजट में कई उपाय, जिन्हें पहले कर लिया जाना चाहिए था, उन्हें अब किया गया है। अनेक लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद भी उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों में से यह भी एक कदम है और मेरे विचार में इसका दूसरे उपायों से कोई संबंध नहीं है।

माननीय सदस्य ने वृद्धि दर के बारे में यह कहा है कि पहले यह 20 प्रतिशत थी जो अच्छी-खासी थी, लेकिन इसे अब क्या हो गया है। जहां तक वृद्धि दर का संबंध है पहले की अपेक्षा उसकी गति अधिक हो गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिथिलता आ गई है।

हमारी वृद्धि दर को प्रभावित करने वाला एक तत्व यह भी है। लेकिन इसके बावजूद, हम अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो। इन कुछेक मदों के साथ, जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है। हमारी मदों के विशेष क्षेत्र प्रभावित होंगे।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हमारे द्वारा उठाए गए कदमों जैसे कि उदारीकरण नीति की सराहना करेंगे। हम अपारम्परिक देशों में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए अन्य विभिन्न देशों में अवसरों की खोज कर रहे हैं। हम अपारम्परिक उत्पादों का निर्यात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपने निर्यात को बढ़ा सकेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में वृद्धि दर यह स्थिति प्रदर्शित करती है। विश्व निर्यात के संदर्भ में हमारा निर्यात 0.5 प्रतिशत है। यदि विश्व व्यापार की वृद्धि दर हमारी वृद्धि दर से अधिक है तब हम अंशत: उनसे पीछे हैं अत: वास्तविक स्थिति यही है। इसीलिए निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा चलाया जा रहा अभियान जारी रहना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि उद्योगपतियों के विचारानुसार हमने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा कर अपने आयात का उदारीकरण किया है। उस समय यह तर्क दिया गया था कि हम आयात शुल्क को घटा रहे हैं ताकि हम कुछ वस्तुओं का आयात सस्ती लागत पर कर सकें और हमारे निर्यात में वृद्धि हो, हमारा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, लेकिन यह इस संबंध में दिए गए तर्कों में से एक तर्क था।

अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सीमा-शुल्क में कटौती करने की वजह से बढ़े आयात से निर्यात में वृद्धि हुई है। क्या हम आयात का लाभ निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाने के सक्षम हुए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : महोदय, कुछेक वस्तुओं के मामले में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आयात शुल्क में कटौती करने से, हमारा निर्यात बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक और साफ्टवेयर वस्तुओं के निर्यात के मामले में क्या हुआ है। गत दो वर्षों के दौरान हमारी वृद्धि दर 60 प्रतिशत तक बढ़ी है। अब यह 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। अत: इस क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आयात को बढ़ाने से निर्यात में वृद्धि हुई है ? केवल एक क्षेत्र की बात न करें।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप इस ओर देखें यथा हमारे कृषि उत्पादन का निर्यात कम हुआ है अत: कुल मिलाकर हमारी विकास वृद्धि दर भी प्रभावित हुई है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें वृद्धि दर की गति तीव्र हुई है। निश्चित रूप से आयात शुल्क में कटौती करने के कारण वास्तव में निर्यात वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिली है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं यह चाहता हूं कि सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए मात्र विचार-विमर्श करने की बजाए कोई ठोस कदम उठाए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में अवश्य ही कोई प्रयास करेगी।

क्या यह सच है कि जबसे हमने विश्व व्यापार संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तब से व्यापारिक ब्लॉक बन गए हैं और इन व्यापारिक ब्लाकों से हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है। विश्व व्यापार संगठन में भाग लेने के पीछे हमारा उद्देश्य बिना किसी बाधा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करना था। लेकिन क्या व्यापारिक ब्लॉक हमारे मार्ग में बाधा बन रहे हैं।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : माननीय सदस्य को इसका एक पहलू देखना होगा। हमारे रुपए के मूल्य में अब वृद्धि हुई है; अब इसमें गिरावट का दौर समाप्त हो गया है। यदि आप पिछले कुछ वर्षों की ओर नजर दौड़ाएं तो रुपए के मूल्य में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि हमें विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि विभिन्न देश हमारे देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगा रहे हैं, हमें भी इस प्रकार के शुल्क लगाने चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के कई सुरक्षोपायों का प्रावधान किया है। यदि इस बारे में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो हमारे पास न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प है और उनके पास भी यही विकल्प है। अत: इस प्रकार से बचाव हो सकेगा।

श्री सुधीर गिरि : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को विकसित देशों विशेष रूप से यूरोप संघ के देशों द्वारा सूती वस्त्रों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी है; यदि हां, तो क्या इस मामले को विश्व व्यापार संगठन के उपयुक्त मंच के साथ उठाया गया है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सही है। सूती वस्त्रों के मामले में यूरोपीय संघ ने एन्टी डम्पिंग उपायों को अपनाया है। उन्होंने इस श्रेणी में अनब्लीच्ड् सूती वस्त्रों को शामिल किया है। हम विकल्पों की जांच कर रहे हैं। जिसमें विश्व व्यापार संगठन के पास जाना भी शामिल है। हम इस मामले में सफल होने की आशा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सिंथेटिक तंतुओं को शामिल किया है। हमारा मामला मजबूत है और हम अवश्य ही सफल होंगे।

[हिन्दी]

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपका पिछले दिनों निर्यात घटा है और आयात बढ़ा है ?

दूसरा भाग यह है कि निर्यात संवर्धन परिषद् जिसने निर्यात संवर्धन के लिए आपको बार-बार सुझाव दिए थे, उसकी सिफारिशें न मानते हुए अब एक नए बोर्ड के गठन की बात कही जा रही है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और निर्यात संवर्धन परिषद् की सिफारिशों को अस्वीकार करने में सरकार को कौन-सी दिक्कतें थीं ?

[अनुवाद]

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : जी नहीं, हम निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। निर्यात संवर्धन बोर्ड में हम केवल मंत्रिमंडल सचिव को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर रहे हैं ताकि अंत: मंत्रालय मामलों से संबंधित कोई समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके।

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : तब आप क्या निर्यात संवर्धन परिषद को ताक पर रख रहे हैं ?

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : महोदय, निर्यात संवर्धन परिषद् भिन्न है। यह निर्यातकों के लिए है। वे आएंगे और अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। हम भी उन मुद्दों पर विचार करेंगे और उनका यथासंभव समाधान करने की कोशिश करेंगे। सरकार और निर्यातक इस संबंध में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस नए बोर्ड में, हमने मंत्रिमंडल सचिव को अध्यक्ष बनाया है ताकि अंत: मंत्रालय समस्याओं का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके।

श्री सी॰ नरसिम्हन : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस देश में कार्यरत निर्यात घरानों की संख्या कितनी है ? गत वर्ष के दौरान कितने रुपए का निर्यात किया गया ?

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : महोदय, मेरे पास इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में आंकड़े एकत्र करूंगा और उन्हें उपलब्ध कराऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री आई॰ डी॰ स्वामी ने मंत्री जी से एक सवाल पूछा था कि आयकर की छूट वापिस क्यों ले ली गई और फिर क्यों वह छूट दे दी गई। इसका उत्तर नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि पहले चंदा मांगा गया हो और न मिला हो तो छूट वापिस ले ली गई हो, फिर और चंदा मिल गया हो तो छूट वापिस दे दी गई हो। ऐसा मेरा प्रश्न है और मुझे इसका उत्तर चाहिए। यह मेरा शक है। मैं प्रश्न में से प्रश्न पूछ रहा हूं और पूरे प्रश्न का मतलब भी यही है कि प्रश्न में से प्रश्न पूछा जाए। आपका यह उत्तर है कि लोगों ने कहा तो वापिस ले लिया और लोगों ने कहा तो हमने फिर वह छूट दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में चंदे का मामला हो, काले धन का मामला हो कि जब निर्यातकों से चंदा मांगा, उन्होंने नहीं दिया तो आयकर की छूट वापिस ले ली और जब उन्होंने चंदा दे दिया तो फिर उनको छूट दे दी गई। इसलिए क्या ऐसा है ?

[अनुवाद]

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : महोदय, मैं इस बात से आश्चर्यचकित नहीं हूं कि माननीय सदस्य ने इस पर कतिपय टिप्पणियां की हैं। बजट सदैव एक प्रावधान ही है और इसी आधार पर हम किसी किस्म के अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। कई व्यक्तियों ने अभ्यावेदनों को प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्य भी अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदनों को प्राप्त करने के बाद, हम कुछ प्रावधान रखते हैं। यह एक निरंतर चल रही प्रक्रिया है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूं कि यह पहले की भांति बनने वाला है। बस मुझे यही कहना है।

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, उदारीकरण के बाद कई वस्तुओं को सरकारी क्षेत्र से छीनकर निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। निर्यात विकास के आधार पर आयात के लिए बहुत-सी वस्तुओं को दे दिया गया है। वर्तमान नीति के अनुसार, भारतीय सरकारी क्षेत्र के व्यापार संगठनों के जरिए बहुत-सी वस्तुओं के लिए चैनल बना दिये गये हैं। क्या सरकार निर्यातकों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनका पथ निर्देश करना चाहेगी ताकि इसके आधार पर उन्हें आयात करने के लिए अनुमति दी जा सके ? क्या सरकार ऐसा करना चाहेगी ?

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : महोदय, मुझे माननीय सदस्य का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। हम भी मामले की जांच कर रहे हैं। यह अभ्यावेदन एक अलग किस्म का है। हम इन सब बातों का हल निकालने वाले हैं और तभी हम उचित कार्यवाही कर पाएंगे।

अखबारी कागज और ग्रेफाइट पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क

\+

***43. श्री भक्त चरण दास :**

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, आस्ट्रिया, बेल्जियम और चीन से आने वाले अखबारी कागज और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर "एन्टी-डम्पिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे परिस्थितियां कौन-सी हैं जिनसे मजबूर होकर सरकार ने यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया है;

(घ) प्रति टन शुल्क दर कितनी होगी और इससे कितनी आय

प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस शुल्क के लगाने से इन देशों को भारत द्वारा किया जाने वाला निर्यात प्रभावित होगा; और,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ताकि भारत के व्यापार संबंध प्रभावित न हों ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए प्रतिपाटन जांच के नियमों के अंतर्गत नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जांच कर रहे हैं जिसका स्वरूप अर्ध-न्यायिक है। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित कर दिया है जिसमें अनन्तिम प्रति-पाटन शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है तथा यू. एस. ए., कनाडा एवं रूस से अखबारी कागज के आयात एवं यू. एस. ए., आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम तथा चीन जनवादी गणराज्य से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड के आयात के विरुद्ध जांच चल रही है।

(ङ) से (च) कानूनों के अनुसार प्रति-पाटन जांच की जाती है और ऐसे शुल्कों की सिफारिश की जाती है जो कि गाट करार के अनुरूप हैं। ऐसी जांच के बाद गाट करार के अनुरूप प्रतिपाटन शुल्क लगाने से भारत के व्यापार संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री भक्त चरण दास : श्रीमान उप-सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों के (ग) और (घ) भागों का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अखबारी कागज और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर लगाये गये शुल्क की क्या दर है।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : यह एक अर्ध-न्यायिक प्रणाली है जो विभिन्न पार्टियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर कार्य करती है। वे इसकी जांच करेंगे और वे कई बातों का हल निकाल लेंगे। जहां तक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की बात है, जर्मनी से किए गए आयात पर कम दरों पर शुल्कों की सिफारिश की गई है। जिसका अर्थ है कि इस शुल्क की दर 9000/- रुपये प्रति मीट्रिक टन से लेकर 20,933 रु. प्रति मीट्रिक टन रहेगी। यही दर फ्रांस से आयात करने पर 29,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। इटली से आयात करने पर यही दर लगभग 21,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। यही दर आस्ट्रिया से आयात करने पर लगभग 27,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। स्पेन से करने पर यही दर लगभग 17,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन के लगभग है और यही दर बेल्जियम से आयात करने पर 16,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। यह डम्प करने की प्रणाली पर आधारित है। जिसके अंतर्गत श्रेणीवार और निर्यातवार शुल्कों की सिफारिश की गई है।

श्री भक्त चरण दास : प्रश्न के (ङ) और (च) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने यह कहा है कि डम्प-विरोधी जांच-पड़तालें की जाती हैं और उन कानूनों के अनुसार शुल्कों की सिफारिश की जाती है जो गेट (जी. ए. टी. टी.) समझौते के अनुरूप है। गेट समझौते के अनुरूप जांच-पड़तालों के बाद डम्प-विरोधी शुल्कों को लगाने से भारत के व्यापार संबंधों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सत्य है कि गेट समझौते पर हस्ताक्षर करके हमने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के सामने घुटने टेक दिये हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या विद्युत संचालकों के रूप में इस्पात उद्योगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोडों का स्वदेशी विक्रय मूल्य आयातित इलेक्ट्रोडों के मूल्य की तुलना में ज्यादा है। यदि कोई भारतीय विनिर्माता अपेक्षित श्रेणी का उत्पादन नहीं करते हैं, तो वो कौन-सी परिस्थितियां हैं जो उन्हें शुल्क लगाने के लिए बाध्य करती हैं।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : इन वस्तुओं पर जैसा कि पहले बता चुका हूं तभी विचार किया जाता है। जब यह देख लिया जाये कि कौन-से देश निर्यात कर रहे हैं, किस स्थानीय मूल्य पर बेच रहे हैं और भारत को कितने मूल्य पर बेच रहे हैं। इसी को डम्प-विरोधी कहते हैं। यही कारण है कि अपने उद्योग की रक्षा करने के लिए हमें क्षति की गुंजाइश और शुल्कों के स्तर की गणना करनी होती है। केवल इसी आधार पर हम ये आंकड़े तैयार करते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : अखबारी कागज को मुक्त सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में लाने से, भारतीय स्वदेशी अखबारी कागज इकाइयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान न्यूज़ प्रिंट लि. जो कभी मुनाफा कमा रहा था अब वह कनाडा, अमेरिका आदि जैसे देशों से अखबारी कागज़ के डम्प होने से बंद होने की कगार पर है। इससे पहले, आयात के लिए एक फार्मूला अपनाया गया था और वह 2 : 1 था। अर्थात् प्रत्येक दो टन स्वदेशी अखबारी कागज लेने पर, केवल एक टन ही आयात करने की अनुमति है। यह वह फार्मूला है जो पहले विद्यमान था, लेकिन अब यह बदल गया है। इसके कारण लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद पड़े हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में, एन. ई. पी. ए. बंद हो गया है। असम में एन. ए. जी. ए. यू. जी. बंद पड़ा है। मैसूर पेपर मिल और अन्य इकाइयां भी बंद पड़ी हैं। लगभग वो सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जो अखबारी कागज का निर्माण कर रहे थे। इस नीति के कारण अब बंद कर दिए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को इस पर दस प्रतिशत शुल्क लगाने के लिए बधाई देता हूं। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली है। डम्प करने से जो वर्तमान इकाइयां लाभप्रद ढंग से काम कर रही हैं। अब वे भी बंद हो जायेंगी। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या अखबारी कागज को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के चंगुल से मुक्त कर दिया जायेगा और क्या 2 : 1 अनुपात फार्मूला को अपनाया जायेगा।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। स्थानीय खरीद के विरुद्ध आयातों के संबंध में 1:2 के फार्मूले को पिछली सरकार ने शुरू किया था और वर्तमान सरकार

द्वारा इसे शुरू नहीं किया गया है। अखबारी कागज के निर्माताओं से प्राप्त हो रहे अभ्यावेदन के संबंध में मैं यही कहूंगा कि उन्हीं के परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं के संबंध में डम्प-विरोधी प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने अलग-अलग उपाय खोज निकाले हैं और तीन देशों का पता भी लगा लिया है। ये तीन देश अमरीका, कनाडा और रूस हैं और इस देश में डम्प कर रहे हैं और हम 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई भी करेंगे तब सभी लोग अपने अभ्यावेदन के साथ आ सकते हैं। इसके बाद ही, वे अपने अंतिम निष्कर्षों को बतायेंगे।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने देश के उद्योगों की रक्षा के लिए हम जो आयात कर रहे हैं, उस पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाने की बात कही है। उन्होंने न्यूज़प्रिंट के बारे में भी बताया कि इस पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाने के लिए 7 अगस्त तक फैसला हो जाएगा। कई महीनों से यह चर्चा चल रही है। इस संबंध में अनेक रिप्रेजेंटेशंस वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर के पास आए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक न्यूज़प्रिंट की मिल कई महीनों से बंद है और उसमें काम करने वाले लोग बेकार हैं। सारे देश में न्यूज़प्रिंट की कई मिलें बंद पड़ी हैं। अभी तीन दिन पहले नेपाल के बारे में वहां के वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन भी आया था। डेजीग्नेटेड अथॉरिटी ने जो रिकमंड किया है, उसके बारे में सरकार क्यों देर कर रही है ? जो रिकमंडेशंस दी गई हैं एंटी डम्पिंग ड्यूटी के बारे में, उसमें देरी का क्या कारण हैं ? बाकी पर तो आपने लगा दी है, लेकिन इस बारे में आप क्यों नहीं जल्दी से निर्णय लेते ?

[अनुवाद]

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बता ही दिया है कि डम्प-विरोधी कार्य-प्रणाली को शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय उद्योग को हानि हो रही है और निर्दिष्ट प्राधिकरण को अखबारी कागज़ों के मुद्रकों और निर्माताओं की अंतिम रूप से सुनवाई करनी है। हम 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई करने जा रहे हैं और इसके बाद हम अंतिम रूप से निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : एक तरफ डब्ल्यू. टी. ओ. के अंतर्गत भारत सरकार भी हस्ताक्षर कर रही है, उसके अनुसार भारत को विश्व में खुले बाजार की नीति का अनुसरण करना पड़ेगा और विभिन्न वस्तुओं का आयात-निर्यात खुला रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ रही है और इतने बड़े बाजार को देखकर विश्व के सम्पन्न देशों की यहां पर आंखें लगी हुई हैं। आपने कुछ पर तो एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है और बाकी को आयात मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के निर्यात हित सुरक्षित रहें, कृषि पर आधारित जो उत्पाद हैं और हमारे घरेलू उद्योगों के अंदर बनने वाली चीजों के हित सुरक्षित रहें, उसके बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्योंकि उन्होंने शिकायत भी की है कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है। उस संदर्भ में भारत सरकार किस दिशा-निर्देश को मानते हुए अग्रसर हो रही है ?

[अनुवाद]

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : जिस बात का जिक्र माननीय सदस्य ने विश्व व्यापार संगठन के बारे में किया है, उसके बारे में हमारे पास दोनों रास्ते हैं। हम उन कई वस्तुओं के आधार पर आयातों की अनुमति दे रहे हैं। जिन्हें उपलब्ध कराया जाना है। इसके साथ-साथ, यह हमारे उद्योग को प्रभावित भी न करने पाए। डम्प-विरोधी कार्यप्रणाली इसी प्रकार भारतीय उद्योग को बचायेगी। जब भी डम्प करना आरंभ होता है, हमें अपने भारतीय उद्योग को बचाना चाहिए। यही कारण है कि अपने कृषि उत्पादों और कई अन्य वस्तुओं का मोल-भाव करते समय हम प्रत्येक मंत्रालय के साथ इस पर विचार-विमर्श करते हैं और हम प्रत्येक मंत्रालय के दृष्टिकोण पर भी विचार करते हैं। हम प्रत्येक मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किये बिना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम इन सब वस्तुओं के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं और डम्प-विरोधी प्रक्रिया भी इसी का एक हिस्सा है। हम अपने उद्योग को बचाना चाहते हैं।

श्री पी. सी. चाक्को : मंत्रालय द्वारा अत्यधिक छान-बीन करते हुए और बहुत धीमी गति से संचालित डम्प-विरोधी प्रक्रिया प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रही है। जब तक वाणिज्य मंत्रालय डम्प-विरोधी कदम उठायेगा और उपाय तलाश करेगा, तब तक भारतीय उद्योग पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जायेगा। मुझे याद है इस सभा में श्री पी. चिदम्बरम ने कहा था कि हम एक असमान विश्व का सामना कर रहे हैं।

इस देश में अखबारी कागज़ का आयात लागत से भी कम मूल्य पर किया जा रहा है। इस देश में सभी अखबारी कागज़ के कारखाने बंद किये जा रहे हैं। विश्व व्यापार संघ के नियम और नियमों के विपरीत, अन्य देश विशेषकर यूरोपीय देश भारतीय उत्पादों विशेषकर भारतीय सूत पर डम्प-विरोधी उपायों को थोप रहे हैं। हम क्या कदम उठा रहे हैं? पूरी सभा इस बात से चिंतित है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो, आप क्या पूछना चाहते हो ?

श्री पी. सी. चाक्को : मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि हमारे कदम धीरे-धीरे क्यों उठ रहे हैं। इससे स्थानीय उद्योग की रक्षा नहीं हो रही है। क्या मंत्री जी इस सभा को इस बात का आश्वासन देंगे कि विश्व के एकाधिकार द्वारा किये गये अतिक्रमण से भारतीय उद्योग को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने हेतु वाणिज्य मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।

डॉ. बोला बुल्ली रमैया : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। अब हमने इन सब मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए पर्याप्त संस्थया में कर्मचारियों से युक्त डम्प-विरोधी निदेशालय बनाने का प्रस्ताव किया है। मेरे विचार से इसे लगभग स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री पी. सी. चाक्को : छः महीनों में भी, आप अखबारी कागज

के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं।

डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया : यही बात मैंने कही है। हमने अब एक डम्प-विरोधी निदेशालय बनाने का प्रस्ताव किया है जो इन मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिएं लोगों की संख्या में वृद्धि करने में सक्षम होगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

***44. श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बढ़ते ऋण के बोझ के कारण रुग्ण होने की स्थिति में पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी की वित्तीय देयताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी की रुग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई॰ को॰ लि॰) की 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार वित्तीय देनदारी नीचे दर्शायी गई है :

	देनदारी	31.3.1996 की स्थिति के अनुसार (करोड़ रुपए में)
1.	प्रदत्त पूंजी	1039.00
2.	आरक्षित	9.32
3.	(i) संरक्षित ऋण	60.20
	(ii) असंरक्षित ऋण	1706.64
4.	चालू देनदारी	1337.96
	जोड़	4153.12

(ग) ई॰ को॰ लि॰ के रुग्ण होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(i) कोयले के उत्पादन करने वाले 11 क्षेत्र हैं जो कि ई॰ को॰ लि॰ के कुल उत्पादन का 38.94% कोयले का उत्पादन करते हैं, किंतु इनमें कंपनी की 68.83% श्रमशक्ति नियोजित है। ई॰ को॰ लि॰ का लगभग 80% औसतन वार्षिक घाटा इन 11 क्षेत्रों के कारण होता है।

(ii) ई॰ को॰ लि॰ में क्षमता उपयोगिता प्रति व्यक्ति उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादकता) कोल इंडिया लि॰ की अन्य सहायक कंपनियों की तुलना में बहुत कम है।

(iii) देश में भूमिगत खानों की सामान्यत: ओपनकास्ट खानों की तुलना में बहुत कम उत्पादकता है। ई॰ को॰ लि॰ में कुल उत्पादन का भूमिगत खानों का अनुपात बहुत ऊंचा है। ई॰ को॰ लि॰ की भूमिगत खानों में रेत भराई की आवश्यकता होने से उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है। अधिकांश भूमिगत खानें बहुत पुरानी हैं और इनमें से बड़ी संख्या में खानों में उत्खनन कार्य श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है।

(iv) ई॰ को॰ लि॰ की काफी भूमिगत खानों में भू-खनन संबंधी समस्याएं हैं जैसे कि ढलवां तथा बहुत-सीमें, आग का होना और पुरानी खानों का जलमग्न होना।

(v) खान का आकार उत्पादन की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता हैं अधिकांशत: विभिन्न भू-खनन समस्याओं के होने के कारण, कुछ स्थानों का पुनर्गठन किए जाने के बाद भी, ई॰ को॰ लि॰ के खानों का औसत आकार छोटा है।

(घ) वर्ष 1996 में सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से बकाया सामान्य ब्याज की 31.3.1992 तक देय 891.75 करोड़ रुपये की राशि और इस पर 1.4.1995 से 31.3.1996 तक 138.48 करोड़ रुपये की दंडनीय ब्याज की राशि का अधित्याग कराने का निर्णय लिया गया। ई॰ को॰ लि॰ को इस निर्णय से 389 करोड़ रुपये की राशि का लाभ हुआ। मार्च, 1996 में सरकार ने कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया। मार्च, 1997 में सरकार द्वारा हार्ड कोक, साफ्ट कोक तथा "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित कर दिया गया है। 1995-96 में ई॰ को॰ लि॰ द्वारा विनियंत्रित किए गए ग्रेडों के संदर्भ में कोल इंडिया लि॰ द्वारा किए गए संशोधन के कारण 360 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की गई। 1996-97 में विनियंत्रित किए जाने के कारण ई॰को॰लि॰ की कोई अतिरिक्त आय का पता कंपनी के 1996-97 के लेखों की लेखा परीक्षा किए जाने के बाद ही चल सकेगा।

पूर्व में किए गए उपायों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा ई॰को॰लि॰ का पुनरुद्धार किए जाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है:—

(i) श्रमशक्ति का चरणबद्ध रूप से युक्तिकरण, जो कि प्राकृतिक क्षति तथा अतिरिक्त श्रमशक्ति का पुन:नियोजन करके किया जायेगा।

(ii) ई॰ को॰ लि॰ में ऋण को लगभग 994 करोड़ रुपये की सीमा तक इक्विटी में परिवर्तित किया जायेगा ताकि कंपनी काफी मात्रा

में सकारात्मक निवल संपत्ति को अर्जित कर सके।

(iii) उत्पादन को भूमिगत खानों में चरणबद्ध रूप से लांगवाल को सुदृढ़ करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करके, बड़ी ओपनकास्ट खानों में हॉल-सड़कों का निर्माण करके, शुष्क मौसम के दौरान ऊपरी कछारी भूमि का अग्रिम रूप में स्ट्रिपिंग करके, वर्कशाप स्पोर्ट में वृद्धि करके अधिकतम किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। कारण यह कि कुछ कारण तो छिपाए गए हैं और कुछ कारण निराधार हैं। जैसे कहा गया है कि ई॰ सी॰ एल॰ के 12 क्षेत्रों में उत्पादन होता है और कुल 11 ही क्षेत्रों में श्रमशक्ति 68.83% नियोजित है और उत्पादन 38.94% है। केवल इन 11 क्षेत्रों में ई॰ सी॰ एल॰ को घाटा 80% है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ई॰ सी॰ एल॰ में नई खदानें चालू करने की काफी संभावनाएं हैं। यदि इन संभावनाओं के अनुरूप नई खदानें चालू की गई रहतीं, तो 68% के करीब मजदूरों का जो नियोजन इन 11 क्षेत्रों में हुआ है, उनको दूसरे खदानों में भेजा जा सकता था और उत्पादकता बढ़ सकती थी। लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, 1991 तक सबसे बड़ी बाधा नए खदानों को चालू करने में ओवर-हैड बर्डन की है। ओवर-हैड बर्डन को दूर करने के लिए, समस्या का समाधान निकालने के लिए, ठेकेदारी प्रथा 1991 तक चालू थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। जब इस प्रथा को बंद कर दिया गया है, तो ई॰ सी॰ एल॰ को चाहिए था कि नए खदानों को चालू करने के लिए सीमित उपाय करती, जिससे ओवर-हैड की समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए ई॰ सी॰ एल॰ ने कोई रुचि नहीं ली और जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह प्रगति नहीं हुई। इसलिए यह कहना कि जरूरत से ज्यादा मजदूरों की संख्या है, यह उचित नहीं है, बे-बुनियाद है। जैसा मैंने कहा कि कुछ कारण छिपाए गए हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिए।

श्री रामबहादुर सिंह : महोदय, सवाल पूछ रहा हूं। गैर कानूनी खदानें ई॰ सी॰ एल॰, में धड़ल्ले से चल-चल रही हैं। यहां कोयले की चोरी होती है और फिजूलखर्ची है, घपला होता है। इसकी चर्चा नहीं की गई है। मुझे विश्वास है कि अगर इस फिजूलखर्ची पर बंदिश लगाई जाए, कोयले की चोरी रोकी जाए, गैर कानूनी खदानों को बंद किया जाए, स्पेयर-पार्ट्स पर बंदिश लगाई जाए, तो यह सक्षम हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जिन बिंदुओं को मैंने उठाया है, क्या उन बिंदुओं पर वे गंभीरता से विचार करेंगे और गैर कानूनी खदानों को बंद करने के उपाय करेंगे ?

श्रीमती कान्ति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि नए खदान खोले जाते, मैनपावर को डाइवर्ट किया जाता, चोरी को रोका जाता, तो फाइनेंशियल हालत अच्छी होती।

मैं कहना चाहती हूं कि हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं। जैसे हमने 1997-98 में एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें कि क्षेत्रवार अधिकतम उत्पादन, एस॰ डी॰ एल॰/एल॰ एच॰ डी॰ के उत्पादन में सुधार लाए जाने हेतु विशेष अभियान। यंत्रीकृत लोंगवाल फेसेज के उत्पादन में सुधार लाए जाने हेतु विशेष बल दिया जाना। कोयला उत्पादन को कम करने के साथ-साथ राजमहल ओ॰ का॰ प॰ से ऊपरी मलबा हटाने पर बल देना, चूंकि एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ कोयले की वचनबद्ध मात्रा उठाने में असफल रही है। अधिक संख्या में ओपनकास्ट खानों में हॉल रोडों का निर्माण। शुष्क मौसम में ऊपरी कछारी भूमि का अग्रिम स्ट्रीपिंग। एस॰ डी॰ एल॰/एल॰ एच॰ डी॰ तथा डैम के पुनर्वास हेतु वर्कशाप सपोर्ट की वृद्धि। वी॰ आर॰ एस॰ के माध्यम से श्रमशक्ति को कम करना। पूंजी गहन परियोजनाओं का अस्थगन। अक्षम तथा आर्थिक रूप से अव्यवहार्य खानों को बंद करना। लागत नियंत्रण तथा अतिरिक्त राजस्व उत्पादन। ई॰ सी॰ एल॰ हेतु पृथक मजदूरी समझौता, अन्यथा इसके प्रभाव को कार्यक्षमता में सुधार लाए जाने संबंधी किसी भी संगत उपायों से कम नहीं किया जा सकता है। आपने जो सजेशंस दिए हैं उसके अनुसार हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चौधरी : महोदय, भूतपूर्व मंत्री सरकारी दीर्घा से मुखातिब हैं। वह भूल गए हैं कि वह अब मंत्री नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि गैर कानूनी खदानों को रोकने के लिए कोई उपाय है। इन्होंने कोयले का उत्पादन बढ़ाने की बात कही लेकिन उत्पादन होता रहे और उस चोरी से करोड़ों का कोयला देश में नहीं, विदेश में भेजा जाता रहा, इसके लिए आपने कौन-से उपाय किए हैं ? आपने कोई सीमा-कालबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है कि कैसे इस चोरी को, घपले को रोका जाएगा? गैर कानूनी खदानों को केसे रोका जाएगा ?

श्रीमती कांति सिंह : सभापति महोदय, मैंने ई॰ सी॰ एल॰ में जाकर वहां के मैनेजमेंट के लोगों से और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, दोनों लोगों को बैठा कर बात की है कि हम लोग किस तरह से इस चोरी को रोकें। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और हमारे मैनेजमेंट के लोगों ने काफी हद तक चोरी पर काबू पाया है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के कारणों का उल्लेख उत्तर में किया गया है। उत्तर के भाग (क) (ii) में यह उल्लेख किया गया है "कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों की तुलना में ई॰ सी॰ एल॰ में क्षमता उपायोग और प्रतिव्यक्ति उत्पादकता (आउटपुट तथा मैनशिफ्ट) बहुत कम है।"

मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिव्यक्ति कितना उत्पादन निर्धारित किया जाना चाहिए ? सरकार द्वारा प्रतिव्यक्ति कितना उत्पादन किए जाने पर

विचार किया जा रहा है ?

इस संबंध में उत्तर के अंतिम पृष्ठ पर प्राकृतिक क्षति और अतिरिक्त श्रमशक्ति का पुन: नियोजन करने श्रमशक्ति को चरणबद्ध रूप से युक्ति संगत बनाने का उल्लेख किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि यह श्रमशक्ति कब से फालतू हो गई है। उनके फालतू होने के क्या कारण हैं और उन्हें किसने नियोजित किया था ?

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मैनपावर की इतनी अधिकता क्यों हो गई। मैं कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीयकरण के समय, जब 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय ही इतनी ज्यादा मैनपावर थी जिसकी वजह से हम लोगों ने उसे बढ़ाने का काम नहीं किया है बल्कि उसे दिनों-दिन घटाने का काम किया है।

नयी नियुक्ति फिलहाल अभी नहीं हुई है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने यह पूछा था कि

[अनुवाद]

अपेक्षित उत्पादन कितना था और उपलब्धियां क्या रही ? मेरा प्रश्न यह था। मेरा यह भी प्रश्न था कि श्रमशक्ति क्यों फालतू हो गई ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में सप्लीमेंटरी बनता नहीं है। आप अलग से नोटिस दे दीजिए, जवाब आ जाएगा।

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी भी लाइबिलटीज 13.96 करोड़ रुपये की है और जो व्यय आपने किया है और जो इंट्रैस्ट है वह भी करोड़ों में है, तब भी घाटा चल रहा है। आप मजदूरों को निकाल नहीं सकते हैं। हमारा कहना इतना है कि जो माइन्स लाभ में हैं और जो ओपन माइन्स होती हैं, वहां पर मजदूरों को आप भेज दें। जो कंपनीज लाभ में हैं और यही काम करती हैं, फालतू मजदूरों को आप वहां भेज दें, या ओपन माइन्स जहां हैं वहां भेज दें। मेरे क्षेत्र में उमरई क्षेत्र है। मैंने कई बार मंत्री महोदय को कहा कि वहां ओपन माइन्स हैं लेकिन वहां काम शुरू नहीं हो रहा है। इसलिए जहां खर्चा कम आता है और माइन्स ओपन हैं वहां इन एम्पलाइज को भेजें। जहां करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है, ऐसी कंपनियों की मदद करें और जो ऐसे लोग हैं उन्हें ओपन माइन्स देने के लिए मंत्री महोदय क्या करने वाले हैं ?

श्रीमती कान्ति सिंह :. उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसे हम कर रहे हैं। बहुत सारी मैन-पावर हम दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी स्टेट के ट्रेड-यूनियन वाले जोर देते हैं कि बाहरी श्रम-शक्ति को दूसरे स्टेट में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम मैन-पावर को दूसरे स्टेट में स्थानांतरित करें और साथ ही जो हमारी मैन-पावर है.....

श्री दत्ता मेघे : ट्रेड-यूनियनों को समझाइये।

श्रीमती कांति सिंह : हम पूरी तरह से समझाने में प्रयासरत हैं और जितनी श्रम-शक्ति है उसको हम दूसरे नये तरीकों से भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रो॰ रीता वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी बार-बार यह कह रही हैं कि यह जो बहुत ज्यादा संख्या मजदूरों की है यह एक लीगेसी है जो कि नेशनलाइजेशन के समय से कंपनी को मिली है। इस संबंध में मैं यह कहूंगी कि मंत्री जी बहुत भोली हैं अगर वे इस बात पर विश्वास करती हैं। अगर वे थोड़ा-सा भी छानबीन करें तो उन्हें पता चलेगा कि आपके पहले के मंत्री लोगों ने बैक-डोर से कितने लोगों की बहाली की है। उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि वे जिन लोगों की बहाली करते हैं वे सैलरी ई॰ सी॰ एल॰ से उठाते हैं जबकि उनकी पोस्टिंग कहीं और होती है। आप पता कर लीजिएगा कि ऐसे कितने लोगों की अलग-अलग कंपनियों में बहाली हुई है। मेरे पास इस बात का कच्चा-चिट्ठा मौजूद है। एक तरफ आप कहती हैं कि मजदूरों की बहुतायत है और दूसरी तरफ बैक-डोर से बहाली होती है। इस तरह से तो आपकी समस्या सुलझेगी नहीं। बार-बार हम कहते हैं कि अगर घाटा कम करना है तो गैर-कानूनी माइनिंग पर कंट्रोल कीजिए। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ई॰ सी॰ एल॰ में बड़ी धूम-धाम से एक गैर-कानूनी माइन्स का उद्घाटन किया गया है, जिसका वाम-मोर्चा के एक मंत्री जी उद्घाटन करने गये थे। अगर मंत्री जी गैर-कानूनी माइन्स का उद्घाटन करेंगे तो मुझे बताइये कि कैसे घाटे पर कंट्रोल होगा। मुझे इस बात की पक्की जानकारी है।

श्री दत्ता मेघे : मैडम, उन मंत्री जी का नाम बता दें।

प्रो॰ रीता वर्मा : सुभाष करके कुछ नाम है।

श्रीमती कांति सिंह : जो जानकारी माननीय सदस्या ने दी है उसकी मैं जांच करूंगी और उन्हें सूचित करूंगी ।

श्री बसुदेव आचार्य : रीता जी ने जो बताया है वह ठीक नहीं है।

प्रो॰ रीता वर्मा : यह बिल्कुल ठीक बात है। मैं गलत बात नहीं बोलती हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम गैर-कानूनी माइनिंग के विरोधी हैं और प्राइवेट माइनिंग के भी हम लोग विरोधी हैं।

इसलिए सोमवार से तमाम कोयला उद्योग में तीन दिन की हड़ताल होने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : इससे और घाटा होगा।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : तमाम ट्रेड यूनियन्स आई॰ एन॰ टी॰ यू॰ सी॰ से लेकर सीटू कोल माइनिंग के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल करने जा रही है।...*(व्यवधान)* उसमें आपकी भी यूनियन है।...*(व्यवधान)* ईस्टर्न कोलफील्ड हमारे देश में सबसे पुरानी कोयला खनन कंपनी है। इसके घाटे का कारण इसके द्वारा जरूरत से ज्यादा खनन नहीं है। ईस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या 1,67,000 है। यह भी सच है कि चालू वर्ष की पहली तिमाही में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, क्वश्चन पूछिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप धीरज क्यों खो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप फैक्ट्स की जानकारी न देकर क्वैश्चन पूछिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस वर्ष की पहली तिमाही में सभी अनुषंगी कंपनियों में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का विकास अधिक रहा है। मेरा प्रश्न यह है, इस कंपनी, जो अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन कर रही है, क्योंकि भूमिगत कोयला सबसे अधिक किस्म का है, के घाटे को कम करने और इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या मंत्रालय ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपना प्रश्न समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : वह पूरी जानकारी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन कनक्लूड करिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सवाल तो कर रहा हूं लेकिन टोका-टाकी इतनी हो रही है कि मैं सवाल कैसे करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर का टाइम खत्म होने जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा सवाल है कि इस कंपनी को वायबल बनाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? इसके लॉस को घटाने के लिए, कम करने के लिए और इसे प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं ? हमारी स्टेट में जो दो जिले पुरुलिया और बांकुरा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्वश्चन सुन लिया है। अब उन्हें जवाब देने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के दो जिलों पुरुलिया और बांकुरा, जिनमें कोयले का प्रचुर भण्डार है, में विशेषरूप से दामोदर नदी के दाएं किनारे पर नई परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर हेतु कुछ समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ई॰ सी॰ आई॰ एल॰ के इलाके से भली-भांति परिचित हैं, इसलिए वह उसके हर पहलू को जानते हैं। जिस तरह का उन्होंने सवाल किया है, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूं कि इसमें सुधार लाने के लिए हमने एक्शन प्लान बनाया है। माननीय सदस्य ने पुरुलिया और बांकुरा की बात की। वहां भी हम खोलने जा रहे हैं। जैसा कि इस बारे में पहले कहा गया था। विशेष बातों के संबंध में मैं माननीय सदस्य से बात कर लूंगी। इसके अलावा वह जो भी सूचना चाहेंगे, मैं उन्हें दे दूंगी।. ..*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने अगले सदस्य को बोलने के लिए पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक एक्शन प्लान ई॰ सी॰ एल॰ की तरक्की के लिए बनाया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि ई॰ सी॰ एल॰ में प्रतिवर्ष मैनपॉवर में कमी आई है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोत्तरी हुई है, इसके बावजूद भी घाटा बढ़ रहा है ? क्या मंत्री जी बताएंगी कि कितना प्रोडक्शन होने से कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगी ?

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस पर हम उनको जानकारी दे देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बीड़ी उद्योग

***45. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर बिहार में बीड़ी उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं तथा बीड़ी का वार्षिक उत्पादन कितना है एवं इसमें से कितनी मात्रा में बीड़ी का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने बीड़ी उद्योग को बढ़ावा देने, बीड़ी कामगारों की मंजूरी में वृद्धि करने तथा उनके स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कोई योजना बनाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस देश में बीड़ी उत्पादन के कार्य में लगे कुल कारीगरों की अनुमानित सं॰ 43,53,520 है। 1996-97 के लिए उपकर उगाही के आंकड़ों पर आधारित इस देश में बीड़ी का उत्पादन अनुमानतः 41,780 करोड़ नग है। बिहार में बीड़ी कामगारों की अनुमानित संख्या 3,91,500 है तथा उक्त अवधि में बीड़ी का उत्पादन 1956 करोड़ नग है। 1995-96 के दौरान मूल्य की दृष्टि से देश से बीड़ी का निर्यात 16.11 करोड़ रू॰ का रहा है।

(ख) और (ग) लघु उद्योग को दी जाने वाली सुविधाएं तथा प्रोत्साहन बीड़ी उद्योग के विकास के लिए भी उपलब्ध है। बीड़ी कामगारों की कार्य संबंधी परिस्थितियों/कल्याण/स्वास्थ्य से संबंधी व्यवस्थाएं निम्नलिखित केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा अधिशासित हैं :

1. सरकार ने बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए और उनके काम संबंधी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की परिस्थितियां) अधिनियम, 1966 लागू किया।

2. वेतन अदायगी अधिनियम, अन्य संगत औद्योगिक कर्मचारी अधिनियम तथा श्रमिक कानून के प्रावधान बीड़ी कामगारों पर भी लागू किये गये हैं। राज्य सरकारें इस अधिनियम प्रावधान के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के न्यूनतम वेतन में समय-समय पर संशोधन करती रहती है।

3. 1976 के बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम तथा बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के तहत श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के लिए एक "कल्याण निधि" का सृजन किया गया है। श्रम मंत्रालय बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, आवास तथा मनोरंजन के क्षेत्र में अनेक कल्याण योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

विधान परिषद्

***46. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में विधान परिषदों को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ दल विधान परिषदों को पुनः आरंभ किए जाने का न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि उन राज्यों में भी विधान परिषदों को समाप्त करने का सुझाव दे रहे हैं, जहां ये अस्तित्व में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी खलप) : (क), (ख) और (घ) सरकार ने, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में विधान परिषदों को पुनः प्रवर्तन में लाने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ग) जी, हां।

निवेशकों को बीमा सुरक्षा

***47. श्रीमती शारदा टाडीपारथी** :

श्री विजय पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 1000 करोड़ रू॰ के सी॰ आर॰ बी॰ घोटाले का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निवेशको के हितों की सुरक्षा हेतु कोई विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक;

(ङ) क्या निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या उपाए किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ (सी॰ आर॰ बी॰ सी॰ एम॰ एल॰) के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नलिखित थे : किराया खरीद, पट्टे पर देना, वाणिज्यिक

बैंकिंग, बट्टे पर बिल भुनाई और ऋण व अग्रिम प्रदान करना। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि॰ की ओर से सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्किट्स लि॰ द्वारा जमाराशियों का भुगतान करने में चूक किए जाने के बारे में शिकायत आर॰ बी॰ आई॰ को दिसम्बर 1996 में प्राप्त हुई थी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰ ने भी एक ग्रुप कंपनी द्वारा खोले गए साखपत्र की सुपुर्दगी के बारे में मार्च 1997 में सूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सी॰ आर॰ बी॰ सी॰ एम॰ एल॰ ने अपने अतिदेय खातों में से ब्याज समादेश, जमाराशि भुगतान और दलाली समादेश का भुगतान करने के लिए धोखेबाजी से भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मुख्य शाखा (एम॰ एम॰ बी॰) के अपने खाते में से 58 करोड़ रुपए से अधिक राशि निकलवाई। आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा नवम्बर, 1996 और जनवरी, 1997 के बीच किए गए निरीक्षणों के निष्कर्षों और विशेषरूप से भारतीय स्टेट बैंक के बारे में एस॰ बी॰ आई॰ की पश्चातवर्ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आर॰ बी॰ आई॰ ने अप्रैल, 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एम॰ बी॰ (1) और (2) के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए जिसमें कंपनी को आगे और कोई जमाराशियां प्राप्त न करने के और आर॰ बी॰ आई॰ की पूर्वानुमति के बिना स्वत्वाधिकार अंतरण न करने के आदेश दिए। आर॰ बी॰ आई॰ ने 21.5.1997 को आर॰ बी॰ आई॰ अधिनियम की धारा 15 एम॰ सी॰ के अंतर्गत एक परिसमापन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक अनन्तिम परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक ने कंपनी की परिसंपत्तियों और आस्तियों का निर्धारण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) जमाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰) को विनियमित करने के लिए संसद ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अधिनियमित हैं-पंजीकरण के लिए आदेशात्मक अपेक्षाएं, न्यूनतम निवल स्वामित्व निधियां, चल परिसंपत्तियों का रख-रखाव लाभ का कुछ अनुपात अनिवार्य रूप से अंतरित करना और कंपनी लॉ बोर्ड को जमाराशि का पुनः भुगतान करने के मामलों की जांच के लिए प्राधिकृत करना। इन उपायों से एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ के नकदीकरण और शोधक्षमता बनाए रखने में सतत् सुविधा होगी और ऐसी आशा की जाती है कि इससे एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ द्वारा जैसे-जैसे आवश्यकता पड़े, जमाकर्ताओं की देयताओं को पूरा करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी।

(ङ) से (छ) एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ के लिए एक अर्थक्षम जमा बीमा योजना बनाने के लिए लिए इस क्षेत्र का समेकन करने और उनके पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त ढांचा बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी भेदभाव के समर्थन पा रहे एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ में अधिक जोखिम की संभावना वालों को भी समग्र जमाराशि बीमा प्रदान करने को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सितम्बर 1996 में एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ के पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करने की जांच के लिए भारत रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल की शर्तों में से एक यह है कि एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा योजना प्रारंभ करने की व्यावहारिकता की भी जांच करे।

बंगलादेश के साथ व्यापार

*48. **श्री बाजू बन रियान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पैकेज कार्यक्रमों के रूप में बंगलादेश के साथ व्यापार सुविधा प्रदान करने हेतु निर्यात संबंधी नीति तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उक्त नीति तैयार करने के लिए शुक्ला आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उक्त नीति कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) भारत सरकार ने 1997-2002 के लिए निर्यात-आयात नीति की घोषणा की है जो 31.3.2002 तक वैध होगी जिसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है कि निर्यात घरानों, स्टार व्यापार घरानों आदि को पूर्वोत्तर राज्यों से कुल व्यापार के 1% पर विशेष आयात लाइसेंस दिया जाएगा।

हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के संदर्भ में बंगलादेश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई विशेष नीति नहीं है, तो भी अंतर्देशीय जल पारगमन तथा व्यापार प्रोतोकोल के तहत व्यापार के लिए अतिरिक्त मार्गों का परिचालन, यात्रा के समय कुछ देर रुकने के लिए अतिरिक्त पत्तन के रूप में चिटागोंग का मामला बंगलादेश को 6 अंकीय स्तर की 572 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतें आदि जैसी पहल से भारत-बंगलादेश व्यापार के लिए कुछेक लाभ होंगे।

(ग) शुक्ल समिति की सिफारिशों में ये शामिल हैं :

1. अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों के लिए एक परिवहन अधिकतम उपयोग अध्ययन तथा बंगलादेश, म्यांमार तथा भूटान के साथ पारगमन/पोतांतरण व्यवस्था।

2. बंगलादेश, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण पूर्व चीन के विशेष संदर्भ में समस्त पूर्वोत्तर सीमा तथा अंतर्देशीय व्यापार मामले की समीक्षा करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय कृतिक बल की स्थापना करना तथा पूर्वोत्तर में विनिर्माण संबंधी संभावनाओं से संबद्ध व्यापार अवसरों, अपेक्षित अवस्थापना तथा संचार संबंध, बैंकिंग तथा भांडागारण सुविधाओं, आवश्यक सीमाशुल्क और सुरक्षा प्रबंध तथा जनशक्ति की आवश्यकता की रिपोर्ट देना।

3. पूर्वोत्तर के संबंध में भारत-बंगलादेश व्यापार संभावना के संबंध में पारगमन मार्गों की समीक्षा करना।

4. पूर्वोत्तर के लिए प्रवेश पत्तन के रूप में चिटागोंग पत्तन के उपयोग सहित व्यापार और पारगमन के दोनों देशों की लागत और लाभों

का अध्ययन (अथवा बंगलादेश के साथ संयुक्त अध्ययन) शुरू करना।

(घ) विभिन्न सिफारिशों की जांच की जा रही है और इस समय कोई भी समयबद्ध कार्यान्वयन योजना समयपूर्व होगी।

विनिवेश आयोग

***49. श्री अजमीरा चन्दूलाल :**

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय विनिवेश आयोग से पीछा छुड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस सलाहकार निकाय को अपने क्षेत्राधिकार में लेने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और वित्त मंत्रालय इस बात से किस हद तक सहमत है;

(घ) विनिवेश आयोग द्वारा अब तक कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) अब तक कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं;

(च) सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे कुल कितने उपक्रम हैं जिनके संबंध में विनिवेश आयोग ने विनिवेश की सिफारिश की है; और

(छ) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कितना विनिवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, नहीं। विनिवेश आयोग के परित्याग का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आयोग को वित्त मंत्रालय के साथ जोड़ने का सुझाव दिया गया था। बहरहाल, उद्योग मंत्रालय विनिवेश आयोग के प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

(घ) से (च) आयोग को सरकारी क्षेत्र के 50 उद्यम सौंपे गए हैं। अब तक इसने तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के 15 उपक्रम शामिल हैं। इसने सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों में भिन्न-भिन्न सीमा में विनिवेश/रणनीतिगत महत्वपूर्ण बिक्री/पुनर्गठन की अनुशंसा की है। इसने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में कुछ सामान्य अनुशंसाएं भी की हैं। अनुशंसाओं का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह सरकार के अपेक्षित निर्णयों पर निर्भर करता है। विनिवेश संबंधी प्रमुख अनुशंसाओं के संबंध में निर्णय किए जा चुके हैं, जिससे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिए लक्षित संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी।

(छ) अब तक इस वर्ष में कोई वास्तविक विनिवेश नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कपड़ा और जूट मिलों का आधुनिकीकरण

***50. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिल आधुनिकीकरण योजना और जूट मिल आधुनिकीकरण निधि के अंतर्गत वर्ष 1996 और 1997 के दौरान (आज तक) कपड़ा और जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए मिलवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या आधुनिकीकरण के पश्चात् उक्त मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मिलों के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप मिलवार कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार कितनी कपड़ा/जूट मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ङ) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना को अगस्त, 1991 में बंद कर दिया गया था। पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना के संबंध में इसको 31.3.1995 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है। तथापि, वस्त्र और पटसन उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन द्वारा आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसका अभीष्ट उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाना है ताकि उसे निर्यात बाजार सहित अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के ब्यौरे तय किये जा रहे हैं।

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

***51. श्री राम कृपाल यादव :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (एपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) ने गत वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के बाजार की खोज की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इन देशों को कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए सिले-सिलाए परिधानों का कुल मूल्य निम्नानुसार है :

	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में
1994-95	4433.83
1995-96	4453.31
1996-97	4762.10

(ख) कुछ प्रमुख आंयातक देशों को सिले-सिलाए परिधानों के देश-वार निर्यात निम्नानुसार हैं :

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

	1994-95	1995-97	1996-97
यूरोपीय यूनियन	2042.4	1970.2	1899.9
यू॰ एस॰ ए॰	1257.9	1200.3	1352.8
सी॰ आई॰ एस॰	188.8	243.0	272.4
यू॰ ए॰ ई	132.9	144.8	186.4
कनाडा	135.7	160.4	164.5
जापान	149.3	153.2	119.9
स्विट्जरलैण्ड	106.1	110.5	101.5
ऑस्ट्रेलिया	57.3	71.2	90.2

(ग) और (घ) अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने पिछले वर्ष क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के साथ-साथ संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रतिनिधि मंडलों को भेजने जैसे विशेष निर्यात संवर्द्धन कार्यकलापों का आयोजन करके विभिन्न बाजारों का पता लगाया है। परिषद् द्वारा पिछले वर्ष जिन देशों में विशेष निर्यात संवर्द्धन कार्यकलापों का आयोजन करके परिधानों के किए गए निर्यात निम्न अनुसार हैं :

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

	1996-97
ऑस्ट्रेलिया	90.2
न्यूजीलैंड	21.9
ब्राज़ील	27.1
वेनेज्युएला	4.86
चिली	27.2
दक्षिण अफ्रीका	32.5
जापान	119.9

[अनुवाद]

सरकारी ऋण

***52. श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वित्त** मंत्री ऋण जाल के बारे में 22 नवंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद द्वारा सरकारी ऋणों पर रोक लगाने के मकसद से संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के प्रावधानों को लागू करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सुविज्ञ बहस शुरू करने के लिए इस विषय पर एक "परिचर्चा पत्र" परिचालित करने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ली जाने वाली उधारों की सीमा निर्धारण की व्यवहार्यता एवं उपयोगिता पर इस बहस के परिणाम के आधार पर विचार किया जा सकता है।

सिक्के, नोट और प्रतिभूति कागज (सिक्योरिटी पेपर)

***53. श्री बलाई चन्द्र राय :**

श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्कों, छोटे मूल्य वर्ग के नोटों तथा खरीद-फरोख्त के लिए प्रतिभूति कागजों (सिक्योरिटी पेपर) की बढ़ती कमी और इस वजह से पिछले एक वर्ष से आम जनता को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस स्थिति की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय चल रही परियोजनाओं, उनके कार्यान्वयन की स्थिति और विचाराधीन नई प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में करेंसी नोटों, सिक्कों और निम्न मूल्यवर्ग के स्टाम्प पेपरों की आम कमी है। यह नोट प्रेसों प्रतिभूति छपाई मुद्रणालयों/टकसालों की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण है।

(ख) से (घ) करेंसी नोटों/सिक्कों और स्टाम्प पेपरों की आपूर्ति में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे (i) नासिक और देवास में दो वर्तमान नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण; (ii) भारत रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में दो और नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना (एक कर्नाटक में मैसूर में और एक अन्य पश्चिम बंगाल में सालबोनी में); (iii) कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई में स्थित भारत सरकार की टकसालों का आधुनिकीकरण; (iv) 1/- रुपए, 2/-रुपए और 5/- रुपए का पूर्णत: सिक्कारण तथा इस अतिरिक्त क्षमता का उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए उपयोग; (v) एक बारगी उपाय के रूप में 3600 मिलियन अदद की सीमा तक छपे हुए नोटों का कुल अंकित मूल्य (1,00,000 करोड़ रुपए) और 1000 मिलियन अदद सिक्कों (कुल अंकित मूल्य 130 करोड़ रुपए का आयात; (vi) स्टाम्प पेपरों की छपाई क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक और प्रतिभूति छपाई कारखाना, हैदराबाद की उत्पादन गतिविधियों का पुनर्गठन और (vii) गैर न्यायिक स्टाम्पों की छपाई के लिए एक नई ग्राफ मशीन की अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई।

(ङ) जारी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	पूरा होने की अनुमानित तारीख	वार्षिक उत्पादन क्षमता	
				विद्यमान आधुनिकीकरण के बाद
				(मिलियन अदद में)
करेंसी नोट प्रेस, नासिक का आधुनिकीकरण	372.33 करोड़ रुपए	दिसम्बर, 1998	4000	5400
बैंक नोट प्रेस, देवास का आधुनिकीकरण	163.69 करोड़ रुपए	सितम्बर, 1997	1875	2904
निम्नलिखित स्थानों पर टकसालों का आधुनिकीकरण				
कलकत्ता	104.56 करोड़ रुपए	दिसम्बर, 1997	750	1000
मुंबई	114.23 करोड़ रुपए	मार्च, 1998	750	1000
हैदराबाद	130.01 करोड़ रुपए	दिसम्बर, 1997	400	700
भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना	1500 करोड़ रुपए	दिसम्बर, 1999	—	9950
गैर-न्यायिक स्टाम्प प्रिंटिंग क्षमता का पुनर्गठन	शून्य	दिसम्बर, 1998	—	400

[हिन्दी]

आयकर कानून को सरल बनाना

***54. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयकर कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम, 1961 को सरल और युक्तिसंगत बनाने तथा नए प्रत्यक्ष कर कानून को पुन: तैयार करने की दृष्टि से सरकार ने अगस्त, 1996 में

एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1997 में सरकार को प्रस्तुत की थी और उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर एक प्रारूप विधेयक तैयार किया जा रहा है।

(ग) उक्त नए विधेयक को इस वर्ष के अंत में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश द्विपक्षीय व्यापार

***55. डॉ॰ अरूण कुमार शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन क्षेत्रों में भारत-बंगलादेश व्यापार संबंध स्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत बंगलादेश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना तथा आगामी वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय वस्तुओं के पारगमन के लिए चटगांव पत्तन के खोलने के बारे में बंगलादेश सरकार के साथ कोई समझौता किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय वस्तुओं के लिए इस पत्तन को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (च) भारत और बंगलादेश का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच व्यापार करार के उपबंधों के तहत किया जाता है। भारत से बंगलादेश को इस समय निर्यात की जा रही प्रमुख मदों में ये शामिल है : सूती यार्न, फैब्रिक्स तथा मेडअप्स, परिवहन उपकरण मशीनें व औजार, चावल (बासमती को छोड़कर), प्राइमरी तथा अर्द्ध-निर्मित लोहा व इस्पात, अयस्क तथा खनिज, रबड़ के उत्पाद, इलैक्ट्रानिकी वस्तुएं, औषध तथा भेषजीय और परिस्कृत रसायन। बंगलादेश से आयात की गई प्रमुख मदों में ये शामिल हैं : उर्वरक (विनिर्मित), कच्चा पटसन, अकार्बनिक रसायन तथा चमड़ा।

सरकार ने बंगलादेश के साथ व्यापार में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारत-बंगलादेश व्यापार करार में एक दूसरे के लिए परममित्र राष्ट्र (एम॰ एफ॰ एन॰) की हैसियत दी गई है। सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के तहत भारत ने अब तक बंगलादेश को 572 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की हैं जिनमें ये शामिल हैं : ऑटोमोबाइल बैटरीज़, कॉस्मेटिक्स व टॉयलेटरीज़ रंजक पेंट तथा वारनीश, टेबलवेयर, किचनवेयन आदि तथा बंगलादेश से नारियल के तेल, मिर्च, खली, चमड़ा तथा औजार आदि जैसे उत्पादों के लिए 209 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतें प्राप्त हुई हैं। साप्टा करार के अंतर्गत बड़ी संख्या में उत्पादों पर प्रतिबंधात्मक सीमाएं तथा 2001 ई॰ तक सार्क क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र की प्रस्तावित स्थापना से भारत-बंगलादेश द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने में और सहायता मिलेगी।

बंगलादेश के माध्यम से पारगमन संबंधी सुविधाओं का प्रश्न बंगलादेश सरकार के साथ कई बार उठाया गया है। इस समय, भारत के पास अंतर्देशीय जल पारगमन तथा व्यापार संबंधी प्रोटोकोल के अनुसार केवल अंतर्देशीय मार्ग हैं। बंगलादेश अब तक भारतीय वस्तुओं के आवागमन के लिए चिटगोंग के उपयोग सहित और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

***56. श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न कोयला खानों से कोयला की चोरी के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) क्या विभिन्न खानों में 12 से 13 हजार नियमित खान श्रमिकों को खनन कार्य पर लगाने के बजाय कोल माफियाओं की मिली-भगत से निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए खनन कार्य ठेके पर कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह आदेश देने का है कि इसमें श्रम संगठनों की भूमिका, राजनीतिज्ञों द्वारा दिये जा रहे संरक्षण तथा कोल इंडिया के अधिकारियों तथा कोल माफिया के बीच सांठगांठ की जांच करें;

(घ) यदि हां, तो सी॰ बी॰ आई॰ जांच के आदेश कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयले की हो रही चोरी के ब्यौरे का पता लगाना संभव नहीं है, चूंकि ऐसे क्रियाकलाप गुप्त रूप में किए जाते हैं। किंतु, सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा राज्य की कानून और व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए छापों के अंतर्गत बरामद किए गए कोयले की कीमत प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ रू॰ की है।

(ख) जी, नहीं। कंपनी के नियमित कामगारों को काम पर न लगाकर ठेकेदार के कामगारों को नियोजित नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

बैंकों में धोखाधड़ी

***57. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री बैंकों में घोटाले के बारे में 20 दिसम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के सतर्कता तंत्र का संगठनात्मक ढांचा क्या है और बैंक के सतर्कता विभाग द्वारा 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार, बेईमानी और बैंक अधिकारियों के पास उनके आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई;

(ख) ऐसे मामलों में कितने अधिकारी ग्रेड-वार संलिप्त पाए गए;

(ग) 1995 और 1996 में भ्रष्टाचार, बेइमानी और धोखाधड़ी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या बैंक के सतर्कता अनुभाग द्वारा स्वत: ही उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का संदेह है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपने नियंत्रणाधीन सतर्कता अनुभाग के कार्यकरण तथा शक्तियों के संबंध में कोई समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) (क) भारतीय स्टेट बैंक में शीर्ष स्तर पर सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक के रैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी॰ वी॰ ओ॰) द्वारा की जाती है। उसकी सहायता के लिए दो उप महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक के रैंक के अन्य अधिकारी होते हैं। स्थानीय कार्यालयों में, सतर्कता विभाग की अध्यक्षता उप महाप्रबंधक द्वारा की जाती है और संबंधित मंडल के अधिकारियों से संबंध रखने वाले सतर्कता मामलों में प्रारंभिक कार्रवाई के बाद मामला केन्द्रीय कार्यालयों को सौंप दिया जाता है।

वर्ष 1995-96 के दौरान 658 मामलों में सतर्कता के दृष्टिकोण से जांच की गई थी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी, निर्धारित प्रक्रियाओं का अतिक्रमण करके अग्रिम राशियों की अनियमित मंजूरी, कर्मचारियों द्वारा लिये गये आर्थिक लाभ तथा बैंक को हानि पहुंचाते हुए बाहर के व्यक्तियों को जानबूझकर आर्थिक लाभ की अनुमति देना शामिल है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान 648 अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और ग्रेड-वार स्थिति निम्नलिखित है :

कनिष्ठ प्रबंधक ग्रेड	182
मध्य प्रबंधक ग्रेड	349
वरिष्ठ प्रबंधक ग्रेड	89
शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	28
योग	648

(ग) वर्ष 1995-96 और 96-97 के दौरान 1421 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसी अवधि के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी की गई थी और 1314 अधिकारियों पर विभिन्न दंड लगाए गये थे।

(घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में सतर्कता विभाग, प्रणाली से बेईमान एवं भ्रष्ट व्यक्तियों को हटाने के लिए गहन निगरानी बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करता है। इन उपायों में ऐसे अधिकारियों की सम्मत सूची रखना जिन पर बेईमान होने का संदेह हो, अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आस्तियों एवं दायित्वों के विवरण-पत्रों की छानबीन करना तथा जहां कहीं अनियमितता का पता लगे वहां मौके पर जाकर लेखा-परीक्षा, निरीक्षण एवं जांच करना शामिल है।

(च) और (छ) भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सतर्कता विभाग के कार्य संचालन की हर छ: माह के अंतराल में पुनरीक्षा की जाती है। बैंक द्वारा समय-समय पर अनुशासनात्मक प्राधिकारियों की शक्तियों की भी पुनरीक्षा की जाती है। बैंक लंबित सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों की भी समय-समय पर पुनरीक्षा करता है। लंबित सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों की, मुख्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली मंडल प्रबंध समिति द्वारा तथा शीर्ष स्तर पर बैंक के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा भी पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

लांगवाल खनन परियोजनाएं

***58. प्रो॰ रीता वर्मा :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की "लांगवाल" खनन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उनकी क्षमता के अनुसार कोयले का उत्पादन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थापित की जाने वाली नई "लांगवाल" खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में 10 लांगवाल पावर सपोर्ट फेस, जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.90 मिलियन टन (16,356 टी॰ पी॰ डी॰) की है, उक्त कोल इंडिया लिमिटेड (को॰ इ॰ लि॰) की चार परियोजनाओं में कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) यह तथ्य सही है कि लांगवाल पावर सपोर्ट फेसों

का कार्य-निष्पादन उस तरह का नहीं रहा है, जैसा कि मूल रूप में अनुमान लगाया गया था। लांगवाल फेसों के कम कार्य-निष्पादन के लिए निम्नलिखित घटक जिम्मेदार हैं :

(i) जब कोल इंडिया लि॰ की परियोजनाओं में लांगवाल प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई थी, उक्त आयातित लांगवाल पावर सपोर्ट उपकरण मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम के स्रोतों से, खरीद की गई थी और इनकी स्थापना की गई थी। किसी नई प्रौद्योगिकी के अंतरण को समाहित किए जाने में समयावधि लगती है। नई प्रौद्योगिकी का समावेश किए जाने तथा प्रक्रिया को सीखने संबंधी घटक से लांगवाल फेसों का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ।

(ii) भूखनन परिस्थितियों की जटिलता, जिनमें लघु दोष तथा अंतर्निहित दाह्यता विद्यमान है, जो कि भारत कोकिंग कोल लि॰ में है, उक्त के द्वारा लांगवाल के फेसों के कम कार्य-निष्पादन में योगदान दिया है।

(iii) आधुनिक उपकरण जैसे लांगवाल पावर सपोर्ट फेसों की प्रभावी रूप से उपयोगिता प्राप्त किए जाने के लिए समय पर कलपुर्जों की आपूर्ति किया जाना बहुत आवश्यक है। पूर्व में आयात संबंध प्रतिबंधों, डी॰ जी॰ टी॰ डी॰ का अनुमोदन प्राप्त करने, विदेशी विनियमन को जारी किए जाने, आदि के कारण अन्य देशों से कलपुर्जों का आयात किये जाने में विलंब हुआ है।

(iv) लांगवाल उपकरण के लिए अपेक्षित कलपुर्जों की आपूर्ति किए जाने हेतु सुयोग्य देशीय स्रोत को विकसित किए जाने की कार्रवाई इच्छित स्तर तक नहीं पहुंची है। देशीयकरण मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे जैस्प तथा एम॰ ए॰ एम॰ सी॰ को सौंपा गया है। उनकी लांगवाल फेस उपकरण के कलपुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के मामले में अपनी कठिनाइयां थीं।

(v) पूर्व में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ तथा भारत कोकिंग कोल लि॰ में विद्युत की बहुत समस्या होने से इन उपकरणों का कार्यचालन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिससे कार्यचालन के प्रारंभिक चरण में अपर्याप्त कार्य-निष्पादन हुआ और इससे आत्मविश्वास को विकसित किए जाने पर भी प्रभाव पड़ा।

(iv) अतिरिक्त श्रमशक्ति उपलब्ध होने से विद्यमान श्रमशक्ति को पावर सपोर्ट फेसों पर कार्यरत किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिए जाने के बाद विद्यमान श्रमशक्ति को प्रयोग में लाया गया। प्रौद्योगिकी अंतरण को आत्मसात किया जाना एक बहुत कठिन तथा समयावधि लगने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) 1997-98 के दौरान लांगवाल पावर सपोर्ट फेसों को कोल इंडिया लि॰ की निम्नलिखित परियोजनाओं में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :

कंपनी	परियोजना	लांगवाल फेस की क्षमता (टी॰ पी॰ डी॰)	
(i)	ई॰ को॰ लि॰	सतग्राम भूमिगत	2000
(ii)	सा॰ ई॰ को॰ लि॰	राजेन्द्र भूमिगत	2350
(iii)	सा॰ ई॰ को॰ लि॰	बलरामपुर भूमिगत	1950

*टन प्रति दिन

[अनुवाद]

तारापुर पैनल

***59. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री चित्त बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर पैनल ने 1999-2000 तक पूंजी लेखे में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैनल की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पैनल की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) वृहत् आर्थिक स्थितियों के आधार पर, समिति का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि पूंजी लेखा परिवर्तनीयता की ओर कदम बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त समय है। तथापि समिति की यह मान्यता है कि प्रारंभिक स्थितियों में कुछ कमजोरियां अंतर्निहित हैं तथा भारतीय संदर्भ में इन पूर्वस्थितियों पर कुछ समयावधि के बाद भी काबू पाया जा सकता है। पूर्व शर्तों के निर्धारण को एक बारगी संकेतकों के रूप में देखे जाने की बजाए प्रक्रियाओं के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। अतः, समिति ने सिफारिश की कि पूंजी लेखा परिवर्तनीयता के कार्यान्वयन का वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक तीन वर्ष की अवधि में विस्तार किया जाए।

(ग) से (ङ) समिति की सिफारिशों की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है और सिफारिशों की स्वीकृति/क्रियान्वयन के बारे में निर्णय रिपोर्ट की जांच की प्रक्रिया पूरे होते ही ले लिया जाएगा।

क्षेत्रीय गैर-सरकारी बैंक

*60. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय गैर-सरकारी बैंक शुरू करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है तथा क्या सरकार के इस प्रस्ताव का बैंक कर्मचारियों और विभिन्न बैंक यूनियनों द्वारा किए जा रहे विरोध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) संभवत:, माननीय सदस्य का आशय गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना किए जाने से है। ग्रामीण बचतों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थक्षम आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक संस्थागत तंत्र का प्रावधान करने के उद्देश्य से, गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के बैंको की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋणों की उपलब्धता का अंतराल पूरा होने तथा संस्थागत ऋण ढांचे में वृद्धि होने की आशा की जाती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना का बैंक कर्मचारियों की कतिपय यूनियनों द्वारा विरोध किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ उनका यह मत है कि ऐसे बैंकों की स्थापना किए जाने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) बैंक कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों की भारतीय रिजर्व बैंक परामर्श से जांच की गई है। मुख्य रूप से, गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना किए जाने का प्रयोजन, स्थानीय लोगों की ऋण संबधी आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा इसका उद्देश्य उनके परिचालन क्षेत्र में सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा, ये जिला स्थित बैंक हैं और इनका पूंजी विन्यास कम है तथा उनके परिचालन ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। शाखा नेटवर्क और कुल कारोबार की संभावनाओं के संदर्भ में उनकी तुलना सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ नहीं की जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की अनुमति, अन्य बातों के साथ-साथ जिलों की अर्थक्षमता, प्रवर्तकों की सुदृढ़ता/सामर्थ्य और बेहतर पूर्व कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रदान की जाएगी। स्थानीय क्षेत्र के बैंक ग्रामीण ऋण संवितरण ढांचे को सुधारने में सहकारी एवं अन्य ग्रामीण ऋण एजेंसियों के प्रयत्नों की सहायता करेंगे।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

445. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच० एम० टी०) को निगरानी सूची में रखे जाने की धमकी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की धमकी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले को अमेरिकी सरकार के साथ उठाए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच० एम० टी०) को निगरानी सूची में रखे जाने की कोई धमकी दिए जाने की इसे कोई जानकारी नहीं है।

एफ० आई० पी० बी० के अंतर्गत लंबित विद्युत परियोजनाएं

446. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 35 प्रमुख विद्युत परियोजनाएं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास समीक्षा के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं;

(ग) इस बोर्ड द्वारा अब तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं; और

(घ) बोर्ड द्वारा शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) अब तक विद्युत क्षेत्र में 72 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) 17.7.1997 की स्थिति के अनुसार, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के समक्ष विद्युत क्षेत्र से संबंधित 6 प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं। प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार और उनकी अनुशंसा किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत गुजरात की कुछ कंपनियों के मामले

447. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कुछ कंपनियों को झूठे तथा गुमराहपूर्ण विज्ञापनों के आरोप में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में अन्वेषणों, जांचों या प्रतिपूर्ति-मामलों से संबंधित सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है। अतः गुजरात की उन कंपनियों के बारे में मांगी गई सूचना, जिनकी झूठे तथा गुमराहपूर्ण विज्ञापनों के आरोपों के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष जांच चल रही है, तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ आयोग में हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, अहमदाबाद, से मधुर फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद, के विरुद्ध अभिकथित झूठे और गुमराहपूर्ण विज्ञापनों से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग के द्वारा मामले की सुनवाई 22.7.97 को की गई थी तथा आवेदन पर व्यादेश के विचार के लिए इसे 4.9.97 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है तथा उपर्युक्त मामले में एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा।

[अनुवाद]

गरीबों को कानूनी सहायता

448. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) इस व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा जरूरतमंद गरीब लोगों को समय पर सहायता मिले यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को जारी किया गया सहायता अनुदान निम्नानुसार है :

क्रम॰ सं॰	वित्तीय वर्ष	जारी की गई सहायता अनुदान
1.	1994-95	1,15,000
2.	1995-96	1,15,000
3.	1996-97	4,70,000

(ख) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण युक्तिपरक विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधिक सहायता बोर्डों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को सहायता अनुदान मंजूर करता है।

आधारभूत कोष

449. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए बुनियादी कोष शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपयों का योगदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार औद्योगिक आधार पर प्रसाद के संदर्भ में बेहतर परिणाम देने के लिए इस प्रकार के कोष के सृजन को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के कोष स्थापित करने के लिए कहा गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अब तक उद्योग मंत्रालय में इस प्रकार को कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, पलक्कड

450. श्री ए॰ सम्पत : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड यूनिट राजस्थान में मूल यूनिट के विपरीत एक लाभ प्राप्त करने वाली यूनिट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पलक्कड यूनिट की कर्मचारी यूनियन ने जर्मनी में चल रही मूल यूनिट से कंपनी के विभाजन और 1982 से पलक्कड यूनिट के कर्मचारियों को रोके गए लाभ को निर्मुक्त करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड यूनिट के कर्मचारियों द्वारा की गई मांग स्वीकार करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड चार विनिर्माणी इकाइयों से युक्त एक एकल कंपनी है जिसमें से पालघाट एक इकाई है। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को हानियां होती रही हैं। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पालघाट इकाई एक लाभ-केन्द्र के रूप में लाभ अर्जित कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसका निष्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपये में)
1994-95	3.79
1995-96	0.28
1996-97	2.50

(ग) और (घ) पालघाट कर्मचारी संघ पालघाट इकाई को इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से अलग करने के लिए जोर दे रहा है और मजदूरी-संशोधन की मांग कर रहा है।

(ङ) और (च) चूंकि इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को रुग्ण घोषित कर दिया गया है और इसका समग्र रूप से पुनरुद्धार बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के समक्ष है, अत: पालघाट इकाई के संबंध में अलग से निर्णय नहीं लिये जा सकते।

[हिन्दी]

पशुओं का निर्यात

451. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से पशुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पशुओं का किन-किन देशों से निर्यात किया जा रहा है, नाम क्या-क्या हैं;

(ग) पशुओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) विदेशों में इन पशुओं को किस प्रयोग में लाया जाता है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) भैंसे, बकरियां, भेड़, मेमना और घोड़े की उन्नत नस्ल का निर्यात बहरीन, बंगलादेश, फ्रांस, नेपाल, श्री लंका और संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जीवित पशुओं की कीमत निम्नानुसार है :

कीमत-लाख रुपए में

वर्ष	निर्यात
1994-95	22.4
1995-96	49.6
1996-97 (अप्रैल-अक्टूबर)	4.1

(घ) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत, कठियावारी, मारवाड़ी और मनीपुरी नस्ल के पशु, ऊंट और घोड़ों के निर्यात की अनुमति विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किए निर्यात लाइसेंस के अधीन दी गई है। घोड़ों की उन्नत नस्ल के निर्यात की अनुमति प्रजनन प्रयोजनों/विदेशों में घुड़दौड़ के आयोजन में भागीदारी के उद्देश्य से दी गई है। भैंसों के निर्यात की अनुमति प्रजनन और दूध दोनों उद्देश्य से दी गई है। जहां तक बकरियों और भेड़ के निर्यात का संबंध है, इसके स्वतंत्र निर्यात की अनुमति सभी गंतव्य स्थलों के लिए उस समय प्रभावी किसी कानून के अधीन दी गई है।

भारी उद्योग

452. श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर गुजरात में विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से सरकार अथवा निजी क्षेत्र में भारी उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के लिए कितनी बजट राशि निर्धारित की गई है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उदारीकरण अवधि में अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है तथा इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अगस्त, 1991 से 30 जून, 1997 तक 374 आशय पत्र जारी किये गये तथा गुजरात में उद्योग लगाने के लिये 4483 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल किये गये हैं। तथापि निवेश करने के आशय से यह पता नहीं चलता है कि क्या विश्व बैंक से कोई सहायता ली जायेगी अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

453. श्री विजय गोयल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात में वस्त्र उद्योग के सामने आ रही प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया है तथा पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हांगकांग के चीन को हस्तांरण किये जाने के पश्चात् भारतीय कपड़े के निर्यात पर किस हद तक विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा नए नियमों तथा समृद्ध राष्ट्रों द्वारा आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों की चुनौती का सामना किस प्रकार करने का प्रस्ताव है तथा वस्त्र उद्योग को निर्यात बढ़ाने के लिए उसकी किस प्रकार सहायता

करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार वस्त्र निर्यात उद्योग के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है तथा समस्याओं का हल निकालने के लिए सभी संभव कदम उठाती रही है।

(ग) इस समय हांगकांग को चीन को हस्तांतरित करने के बाद हमारे वस्त्र उत्पादों को निर्यात पर संभवतः प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

(घ) समृद्ध राष्ट्रों द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंधों तथा नए नियमों की चुनौती का सामना आपसी विचार-विमर्श अथवा विश्व व्यापार संगठन के संगठनों के द्वारा किया जाता है। तथापि, परिधानों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठा रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को उत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत मालों के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

बिहार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

454. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1997 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "आर॰ बी॰ आई॰ अनअवेयर ऑफ इल्लीगली आपरेटिंग एन॰ बी॰ एफ॰ सीज॰ इन बिहार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करने की सरकार की घोषित नीति में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के हाल क संशोधनों से पहले, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को, कारोबार प्रारंभ करने/चलाने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूर्वानुमोदन/पंजीकरण कराने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में हाल में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी भी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ का कारोबार प्रारंभ करने/चालू रखने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करे। तथापि, किसी विद्यमान गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ होने पर, छः महीने के भीतर अर्थात् 8 जुलाई, 1997 तक भारतीय रिजर्व बैंक को पंजीकरण हेतु आवेदन करना था। ऐसी कंपनियां ऐसे समय तक एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ का कारोबार कर सकती हैं, जब तक कि पंजीकरण के लिए दिए गए उसके आवेदन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर देने संबंधी सूचना उसे प्राप्त नहीं हो जाती। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बिहार में नियमित 480 कंपनियों ने निर्धारित अवधि तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। वे कंपनियां, जो बिना पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लगातार कारोबार कर रही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58 (3) (4क) के अंतर्गत दण्ड की पात्र हैं जिसमें कम से कम एक वर्ष से पांच वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है जो एक लाख रुपए से कम और पांच लाख से अधिक नहीं होगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

455. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार मंत्रालय के अधीन विभागों/उपक्रमों में की गई नियुक्तियों की पदवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पद-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद खाली पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो पद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन आरक्षित पदों को भरेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) सभी आरक्षित पदों को कब तक भर दिया जाएगा और इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आयकर पर ब्याज

456. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए कटौती करते समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आयकर पर ब्याज लेने के लिए फरवरी, 1997 में कोई आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कुछ सरकारी विभागों में कर्मचारियों के वेतन से आयकर पर ब्याज की राशि को वापिस किये जाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे कोई उदाहरण राजस्व विभाग के ध्यान में नहीं आए हैं।

कोलगेट पामोलिव लिमिटेड

457. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या वित्त मंत्री कोलगेट पामोलिव लिमिटेड के बारे में 20 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3634 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त उत्तर के अनुबंध में उल्लिखित मामलों के निपटान में क्या प्रगति हुई है;

(ख) विलम्बकारी तरीकों को दूर करके मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन मामलों के निपटान के विलम्ब को कम करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (सतपाल महाराज) : (क) और (ख) दिनांक 20.12.1995 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3634 के भाग (क) तथा (ख) के दिए गए उत्तर के अनुलग्नक में सूचीबद्ध मै॰ कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड, मै॰ हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा मै॰ पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में वर्ष 1993, 1994 व 1995 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास अन्वेषणों/जांचों के मामलों की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उपर्युक्त मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है और इसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में निर्धारित प्रक्रिया, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता को अपनाना होता है। जांचों के निपटाने में लगने वाला समय अभिवचनों की प्रकृति, जांच किए जाने वाले गवाहों, दस्तावेजों, के प्राप्त करने तथा साबित करने आदि पर निर्भर करता है। अत: मामले आयोग के समक्ष न्यायाधीन हैं और उन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अंतर्गत आगे की आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।

(ग) सरकार ने, मामलों के शीघ्र निपटान की दृष्टि से आयोग को इसकी सदस्य संख्या इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त, तीन से बढ़ाकर पांच करके प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ किया है।

विवरण

कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लि॰, हिन्दुस्तान लीवर लि॰, तथा पॉन्ड्स इंडिया लि॰ के बारे में वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 में वर्षवार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास अन्वेषणों/जांचों के मामलों का विवरण।

वर्ष	क्र॰सं॰	जांच सं॰	प्रतिवादी का नाम	आरोप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1993	1.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 18/93	हिन्दुस्तान लीवर लि॰ बम्बई	प्रतिस्पर्धा/प्रतियोगियों को हटाने हेतु शैम्पू को सुगंधित पैकेटों में अनुचित दामों पर बेचना।	मामला साक्ष्य हेतु 29.7.97 के लिए सूचीबद्ध है।
	2.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 45/93	—यथोपरि—	एच॰ एल॰ एल॰ का टोम्को के साथ विलय/समामेलन	मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
	3.	एम॰ टी॰ पी॰ ई॰ 1/93	—यथोपरि—	एच॰ एल॰ एल॰ का टोम्को के साथ विलय/समामेलन	—यथोपरि—
1994	1.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 22/94	—यथोपरि—	अपने उत्पादों को सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट जैसे डीलरों को बेचने के लिए	उत्तरों की पर्याप्तता पर विचार करने हेतु सुनवाई की अगली तारीख 21.10.97 है।

1	2	3	4	5	6
				विभेदकारी विक्रय अभिवृद्धि प्रणालियों से संबंधित अवरोधक व्यापार प्रथा में लिप्त होना।	
	2.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 23/94	कोलगेट पामोलिव इंडिया लि॰ बम्बई	—यथोपरि—	मामला साक्ष्य हेतु 1.10.97 के लिए सूचीबद्ध है।
	3.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 24/94	पोन्ड्स इंडिया लि॰ बम्बई	—यथोपरि—	उत्तरों की पर्याप्तता पर विचार करने हेतु सुनवाई की अगली तारीख 21.10.97 है।
	4.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 89/94	हिन्दुस्तान लीवर लि॰ बम्बई	हिन्दुस्तान लीवर लि॰ का टोम्को के साथ विलयन/समामेलन	मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के विचाराधीन है।
	5	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 98/94	—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—
1995	1.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 178/95	हिन्दुस्तान लीवर लि॰, बम्बई	स्टाकिस्टों को विभेदकारी आपूर्ति	जांच का नोटिस जारी कर दिया गया और विचार करने हेतु 2.9.97 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
	2.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 247/95	—यथोपरि—	ओ॰ के॰ सोप के अनुचित मूल्य	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अपेक्षित हैं।
	3.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 295/95	कोलगेट पामोलिव इंडिया लि॰, बम्बई	व्यक्तिगत देखभाल संबंधी मदों के उत्पादन तथा मूल्यों के मामले में अवरोधक तथा एकाधिकारिक व्यापार प्रथाएं।	जांच का नोटिस जारी कर दिया गया और विचार करने के लिए 14.8.97 के लिए सूचीबद्ध।
	4.	आर॰ टी॰ पी॰ ई॰ 296/95	पोन्ड्स (इंडिया) लि॰, बम्बई	—यथोपरि—	—यथोपरि—
	5.	यू॰ टी॰ पी॰ ई॰ 91/95	कोलगेट पामोलिव इंडिया लि॰, बम्बई	अवमानित विज्ञापन	मामला साक्ष्य हेतु 17.9.97 के लिए सूचीबद्ध है।

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ

458. श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू : क्या **विधि और न्याय** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जसवंत सिंह आयोग ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) क्या मदुरै में इस खंडपीठ की स्थापना में अनावश्यक विलंब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) से (ग) जसवंत सिंह आयोग ने मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना की सिफारिश की है। इसने यह और भी सिफारिश की है कि स्थिति का 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक समझा जाए तो सर्किट न्यायपीठ को स्थायी न्यायपीठ में संस्तुत किया जा सकता है। आयोग ने अवसंरचना, पुस्तकालय, कर्मचारीवृन्द, निधि आदि से संबंधित शर्तें भी विहित की हैं, जिन्हें न्यायपीठ की स्थापना से पूर्व किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने 31.8.95 को अपनी पूर्व न्यायालय की बैठक में मुख्य रूप से अवसंरचना, आदि से संबंधित कतिपय शर्तों को पूरा

करने के संबंध में मदुरै में उच्च न्यायालय सर्किट न्यायपीठ स्थापित करने का संकल्प किया। राज्य सरकार ने शर्तों को पूरा किए जाने के बारे में अभी तक रिपोर्ट नहीं की है।

ऐसा समय बताना साध्य नहीं है कि कब तक न्यायपीठ स्थापित कर दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

459. श्री हाराधन रॉय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाइयों के नाम क्या हैं जिनके आधुनिकीकरण और विविधीकरण आदि सहित पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार संसद सदस्यों, विधायकों, व्यापार संघों और अधिकारी संघों इत्यादि से अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विशेष राज्य सरकारों/व्यक्तियों/संगठनों/व्यापार संघों से प्राप्त आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण इत्यादि से संबंधित अभ्यावेदनों/ज्ञापनों को राज्यवार अथवा संघशासित प्रदेशवार किसी एक अभिकरण द्वारा संकलित नहीं किया जाता। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय स्वत: ही अथवा विभिन्न संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों/सुझावों के आधार पर नवीकरण/आधुनिकीकरण संबंधी उपाय करते हैं।

कालीकट विमानपत्तन के जरिए सोने का आयात

460. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की सोना आयात की रियायत नीति के बाद से हमारे देश में सोने का अधिकतम आयात किस विमानपत्तन से किया गया; और

(ख) कालीकट विमानपत्तन के जरिए इस प्रकार कितना सोना आयात किया गया है तथा इसका मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार द्वारा स्वर्ण आयात नीति में रियायत देने के बाद मुंबई विमानपत्तन के जरिए देश में अधिकतम मात्रा में सोना आयात किया गया है।

(ख) स्वर्ण आयात नीति में पहली जनवरी, 1997 से लागू रियायत के बाद कालीकट विमानपत्तन के जरिए 30.6.1997 तक 2458.18 करोड़ रुपए मूल्य का 51.282 मीट्रिक टन सोना आयात किया गया।

अमेरिका को बासमती चावल निर्यात

461. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बासमती कृन्तक (क्लौन) के खिलाफ अमेरिकी सामग्री वाली फर्म राइस टेक इंक के विरुद्ध पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधि मुकदमा जीता है।

(ख) यदि हां तो मंत्रालय की सूचना के अनुसार मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इससे भारत को बासमती चावल के अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात में कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) मैसर्स राइस टेक इंक, यू॰ एस॰ ए॰ ने चावल के लिए कासमती, टेक्समती, जासमती के ट्रेडमार्क के पंजीयन के लिए मिश्र में एक आवेदन किया था। वे भ्रामक नाम बासमती चावल के समान थे। एपीडा ने इन ब्राण्ड नामों के पंजीयन के विरोध में मिश्र के सक्षम न्यायालय में एक विरोध पक्ष दायर किया था। एथेंस की ट्रेडमार्क प्रशासनिक समिति ने मै॰ राइस टेक इंक, यू॰ एस॰ ए॰ के चावल के ट्रेडमार्क टेक्समती, जासमती एवं कासमती के पंजीयन को अस्वीकार कर दिया।

(ग) बासमती चावल के सामन ट्रेडमार्क के पंजीयन के आवेदन की अनुमति न दिए जाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में "बासमती" की विशिष्ट पहचान के बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एश्योरेंस कंपनियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

462. डॉ॰ रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले दो वर्षों में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कुछ मंडलीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई क्षेत्रों और कर्मचारी संगठनों की ओर से अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई/की जाएगी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा और दिल्ली स्थित कंपनी के निगरानी प्रकोष्ठ में कितने अधिकारियों पर चार्जशीट दायर की है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुछ चार्जशीटें संबंधित अधिकारियों को हाल ही में दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जायेगी जिन्होंने संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने के पश्चात् तत्काल नहीं सौंपी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कुछ मंडलीय कार्यालयों से संबंधित 22 शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा उनकी जांच दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय I और II में नियुक्त सतर्कता अधिकारियों द्वारा की गई थी। की गई जांच के आधार पर 12 मामले रद्द कर दिए गए हैं और शेष 10 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई है।

(ग) दिल्ली में अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई चार्जशीट तैयार नहीं किए गए। लेकिन दिल्ली स्थिति कंपनी के सतर्कता क़क्ष ने अधिकारियों के विरुद्ध 18 आरोप पत्र जारी किए।

(घ) जी, हां।

(ङ) दि॰ 13.2.95 को दिल्ली क्षेत्रीय I की शहरी मंडलीय इकाई में काम करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से आरोप पत्र जारी किया। उक्त आरोप-पत्र संबंधित अधिकारी को दि॰ 27.3.97 को दे दिया गया था।

(च) बीमा कंपनी मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में वस्त्र उद्योग

463. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिल्ली का वस्त्र उद्योग में कौन सा स्थान है;

(ख) दिल्ली में इस समय कितनी यूनिटें हैं जो हथकरघा बिजली करघा, सिंथेटिक यार्न, सिले सिलाए वस्त्रों और हौजरी का उत्पादन कर रही हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) उक्त यूनिटों द्वारा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) देश में संगठित वस्त्र उद्योग में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या तथा उत्पादन क्षमता की दृष्टि से दिल्ली का 18वां स्थान है।

(ख) दिल्ली स्थित हथकरघा और विद्युतकरघा एककों की संख्या निम्न अनुसार है :

		एककों की संख्या
1.	हथकरघा एकक	9000
	(1987-88 की हथकरघा गणना के अनुसार)	
2.	विद्युतकरघा (पंजीकृत)	1102
	(30.9.1996 की स्थिति अनुसार)	
3.	सिंथेटिक यार्न	शून्य

सिले सिलाए परिधान तथा हौजरी एककों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वस्त्र उद्योग का विकास करने के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है आबंटन करकरघा, विद्युतकरघा आदि जैसे क्षेत्र-वार किए जाते हैं।

(घ) भारत सरकार ने देश में निर्मित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो कि दिल्ली में निर्मित वस्त्रों पर भी लागू थे। इन कदमों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहभागिता, प्रमुख बाजारों में, मेलों और प्रदर्शिनियों में सहभागिता करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना तथा यथोचित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन, निर्यात ऋण की बढ़ी उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

एककों को अनअधिसूचित करना

464. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा विगत 12 वर्षों के दौरान अनअधिसूचित एककों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने एककों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है;

(ग) अनअधिसूचित किये जाने की तिथि को इन एककों में कुल कितने कामगार थे; और

(घ) कामगारों को संरक्षण देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु पृथक उच्च न्यायालय

465. श्री बादल चौधरी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिये पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में एक संपूर्ण शक्ति प्राप्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) और (ख) सिद्धांत रूप से यह स्वीकार किया गया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालय होने चाहिए और इस प्रयोजन के लिए संसदीय विधान के लंबित रहने तक, इन राज्यों की राजधानियों में गौहाटी, उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें स्थापित की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) त्रिपुरा सरकार ने 16.5.92 से अगरतला में उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ स्थापित किए जाने के पश्चात् राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

कर्नाटक में बैंकों की शाखाएं

466. श्री विजय संकेश्वर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु बैंकवार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान खोले जाने वाले सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में शाखा नेटवर्क की वृद्धि तथा 1985-90 अवधि के अंत तक ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या (ए० वी० पी० बी० ओ०) में 13000 तक गिरावट को देखते हुए, 1990-95 की अवधि के लिए विगत की तरह प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या कवरेज लक्ष्यों वाले किसी शाखा विस्तार कार्यक्रम को विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत यह निर्णय लेना अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने सेवा क्षेत्रों के अंदर अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। ग्रामीण केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के बैंकों के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है। जहां तक अर्द्ध-शहरी केन्द्रों का संबंध है, शाखाएं खोलने के लिए बैंक के आकार पर निर्भर करते हैं, प्रत्येक बैंक के लिए विशिष्ट कोटा आबंटित किया गया है और प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावों पर विचार करता है। शहरी/महानगरीय केन्द्रों के संबंध में, विभिन्न बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए पता लगाए गए स्थान आबंटित किए गये हैं। ऐसे प्रस्तावों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को अलग-अलग मामले के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक में उन विभिन्न केन्द्रों में, जहां बैंकों को अभी अपनी शाखाएं खोलनी हैं, शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को जारी किए गये प्राधिकारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1997-98 के दौरान अभी तक कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि० की शाखाएं खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

कर्नाटक राज्य में विभिन्न केन्द्रों पर वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए 1.4.95 और 30.6.97 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को जारी प्राधिकरण पत्र/लाइसेंस तथा जिन्हें अभी खोला जाना है

बैंक का नाम	प्राधिकरण पत्र/लाइसेंसों की संख्या
1	2
1. बैंक ऑफ इंडिया	7
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2
3. केनरा बैंक	19
4. कारपोरेशन बैंक	7
5. इंडियन बैंक	2
6. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	4
7. पंजाब नेशनल बैंक	4
8. सिंडिकेट बैंक	1
9. भारतीय स्टेट बैंक	6
10. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	18
11. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2
12. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1
13. विजया बैंक	2
14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8
15. टॉइम्स बैंक लि०	1
16. फेडरल बैंक लि०	1
17. यू० टी० आई० बैंक लि०	1

1		2
18.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰	1
19.	सेंचूरियन बैंक लि॰	1
20.	बैंक ऑफ पंजाब	1
21.	साउथ इंडियन बैंक	1
22.	सांगली बैंक लि॰	1
23.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	4
24.	कर्नाटका बैंक	3
25.	लार्ड कृष्णा बैंक	1
26.	वैश्य बैंक लि॰	1
27.	करुर वैश्य बैंक	2

सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग

467. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्री ने आंध्र प्रदेश में सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग के विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश कहां तक सहमत हुआ है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार आंध्र प्रदेश सहित देश में सिले-सिलाये परिधान उद्योग के विकास के लिए उद्यमिता के संवर्द्धन के लिए अनेक कदम उठा रही है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार राज्य में सिले-सिलाये परिधान उद्योग के संवर्द्धन के लिए विभिन्न योजनाएं जिसमें एक अपैरल पार्क की स्थापना, अपैरल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र के विकास के लिए भूमि का आबंटन, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखा के लिए भूमि का आबंटन आदि शुरू की है।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग का विकास

468. श्री अशोक प्रधान : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हथकरघा वस्त्र उद्योग का विकास करने के पर्याप्त अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी तथा वित्तीय आवश्यकताओं के अवलोकन की नियमित प्रक्रिया है, जो सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की सलाह से किया जाता है, इसमें हथकरघा अभिकरण तथा बुनकर सेवा केन्द्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त व्यवहार्य परियोजना के प्रस्तावों के आधार पर 8वीं योजना अवधि के दौरान बुनकरों के कल्याण तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के लिए 115.55 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव भेजें।

कोयले से तेल

469. श्री सुशील चन्द्र : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयले से तेल बनाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग

470. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने खादी ग्रामोद्योग हैं;

(ख) क्या इन उद्योगों के लिए सरकार के पास कोई निगरानी प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस समय, देश में 30 राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 4500 पंजीकृत संस्थाएं, 30,080 सहकारिताएं, 7,20,000 व्यक्तिगत एकक, 170 विभागीय एकक और 15,180 बिक्री केन्द्र खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन और इसकी बिक्री कार्य में लगे हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग ने कार्यनिष्पादन की निगरानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के॰ वी॰ आई॰ सी॰) और क्रियान्वयन संबंधी अभिकरणों और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ की गई वार्षिक बजट संबंधी वार्ताओं के दौरान की जाती है। सरकार इन उद्योगों के कार्यनिष्पादन की सामयिक समीक्षा राज्य उद्योग मंत्रियों और सचिवों, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और बैंकरों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सम्मेलनों/बैठकों के माध्यम से भी करती है।

मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हड़ताल

471. श्री राम नाईक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी 12 जून, 1997 को हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) सरकार और अन्य अधिकारियों ने इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए और उनके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस प्रकार की हड़तालों से बचने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक के तीन अधिकारियों को उनके द्वारा की गई मैसर्स सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ के खातों से संबंधित कपितय तथाकथित अनियमितताओं के मामले में, निलंबित किए जाने के कारण हड़ताल हुई थी। ये अनियमितताएं बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से सामने आई थी। मैसर्स सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ के खाते में हुई अनियमितताओं में अन्य बातों के साथ-साथ 58 करोड़ रू॰ से अधिक से ब्याज वारंटों, जमाराशि वापसी और ब्रोकरेज वारंटों के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मुख्य शाखा में खोले गए अपने खाते से धोखाधड़ीपूर्ण ढंग से अधिक राशि का आहरण शामिल है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि प्रबंधन और अखिल भारत स्टेट बैंक अधिकारी संघ के बीच 18 जून, 1997 को हुए समझौते के आधार पर हड़ताल समाप्त कर दी गई है। सरकार का यह मत रहा है कि जबकि निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न न हो, साथ ही गलत कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्रतापूर्वक कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

अशोध्य ऋण को माफ करना

472. श्री बी॰ एल॰ शंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान 31.3.97 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई अशोध्य ऋण की राशि तथा माफ की गई राशि कितनी है;

(ख) उन व्यक्तियों/पार्टियों/कंपनियों आदि का ब्यौरा क्या है जिनके ऋणों को अशोध्य ऋण घोषित किया गया है;

(ग) भाग (क) और (ख) के क्या कारण हैं; और

(घ) बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अशोध्य ऋण की प्रणाली की घोषणा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (31.3.97 तक) के दौरान किसी अशोध्य ऋण की घोषणा नहीं की है अथवा बट्टे खाते में नहीं डाला है। तथापि, पिछले दो वर्षों अर्थात 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, उन व्यक्तियों/पार्टियों/कंपनियों आदि, जिनके उधारों को अशोध्य ऋणों के रूप में घोषित किया गया है, के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

(ग) बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को जिन कारणों से बट्टे खाते में डाला जाता है, वे सामान्यतया निम्नानुसार हैं :

(i) ऋण काफी लंबी अवधि से बकाया है।

(ii) वसूली की कोई संभावना नहीं है।

(iii) ऋण की वसूली करने के लिए कोई मूर्त/वसूली योग्य प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं हैं।

(iv) कानूनी कार्रवाई में बहुत अधिक समय लगता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों को बैंकर के रूप में अपनी हैसियत से इन निकायों को ऋण और अग्रिम मंजूर करता है। इन निकायों को दिए गए किसी ऋण को बैंक ने अशोध्य ऋण के रूप में घोषित नहीं किया है या बट्टे खाते नहीं डाला है।

जहां तक बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें यह परामर्श दिया है कि उनके पास ऋण नीति और ऋण वसूली नीति के दस्तावेज तैयार होने चाहिए जो उनके निदेशक बोर्डों द्वारा विधिवत पुनरीक्षित किए गए हों। इस ऋण वूसली नीति में देय राशियों की वसूली का तरीका, कमी का लक्ष्यगत स्तर, अनुज्ञेय माफी/परित्याग के मानदंड, माफी पर विचार करने से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले घटक और बट्टे खाते/माफी के मामलों की मानिटरिंग आदि निर्धारित किए गए हैं। इन सभी उपायों उपायों से अशोध्य ऋणों में कमी करने के सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं।

विवरण

पिछले दो वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं॰	बैंक का नाम	1994-95	1995-96
A.	**स्टेट बैंक समूह**		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	363.72	398.69
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	39.25	24.98
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	27.89	15.85
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	32.93	6.04
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	50.61	5.72
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	19.74	4.93
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	18.95	4.02
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4.17	28.96
B.	**राष्ट्रीयकृत बैंक**		
9.	इलाहाबाद बैंक	55.73	6.71
10.	आन्ध्रा बैंक	38.78	1.95
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	270.27	46.42
12.	बैंक ऑफ इंडिया	260.38	307.08
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	81.12	56.52
14.	केनरा बैंक	200.00	169.49
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	144.12	138.44
16.	कारपोरेशन बैंक	18.64	19.13
17.	देना बैंक	27.34	51.92
18.	इंडियन बैंक	42.51	115.94
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.94	75.01
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.13	0.82
21.	पंजाब नेशनल बैंक	220.77	53.14
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.70	2.86
23.	सिंडिकेट बैंक	24.84	8.03
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	27.86	38.81
25.	यूको बैंक	165.07	110.98
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	119.00	36.51
27.	विजया बैंक	4.19	13.26
		2267.65	1742.21

फल निर्यात पर मालभाड़ा राजसहायता

473. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश से पूरे वर्ष फलों के निर्यात पर मालभाड़ा राजसहायता देने के संबंध में आंध्र प्रदेश के प्रस्ताव से मंजूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य से फलों के निर्यात में सुधार लाने हेतु ए॰ बी॰ ई॰ डी॰ ए॰ जैसी निर्यात संवर्द्धन एजेंसियों की सहायता ली जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य से फलों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मलेशिया तथा थाईलैंड का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में कितनी सफलता हासिल की; और

(ङ) राज्य से 1997-98 के दौरान फलों के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) सरकार कुछ चुनिंदा पुष्पकृषि और बागवानी के उत्पादों और सब्जियों के निर्यात पर पहले ही 1.1.96 से 30.8.97 तक के लिए प्रभावी एक वायुभाड़ा इमदाद योजना की घोषणा कर चुकी है। यह इमदाद आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में होने वाले निर्यात के लिए उपलब्ध है।

(ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आंध्र प्रदेश से बंगानपल्ली और तोतापुरी आमों की अच्छी निर्यात क्षमता वाली मद के रूप में पहचान की है। बंगानपल्ली आमों की कुछ मात्रा का प्रयोग के तौर पर निर्यात भी किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के एक शिष्टमंडल ने एपीडा द्वारा मलेशिया में 14-18 मई, 97 को आयोजित आम संवर्धन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ निर्यातकों को बंगानपल्ली आमों की आपूर्ति के सीधे आर्डर मिले हैं। ऐसे संवर्द्धनात्मक प्रयासों से भविष्य में निर्यात में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ङ) राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, एपीडा ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1997-98 में देश से आम के निर्यात में मात्रात्मक रूप से कुल 12% वृद्धि होगी।

अनुवर्ती विदेशी निवेश

474. श्री प्रताप सिंह सैनी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेशकों को पूंजी निवेश के लिये पहले से स्वीकृत की गई विदेशी धनराशि में और वृद्धि करने

हेतु नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दस बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उपर्युक्त पद्धति के अपनाने से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिनांक 17 जनवरी, 1997 के प्रेस नोट सं. 2 (1997 शृंखला) के अनुबंध-3 भाग (क), (ख) और (ग) में दर्ज उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के दायरे में आने वाले कार्य-कलापों (विद्यमान अथवा नये) के लिए विदेशी निवेशकों को क्रमशः 50% 51% और 74% तक विदेशी इक्विटी में अनुवर्ती वृद्धि करने हेतु किसी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, विद्यमान कंपनी के इक्विटी आधार में विस्तार होने से विदेशी इक्विटी में वृद्धि अवश्यंभावी है और प्रेषित की जाने वाली राशि विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से निपटाये जाते हैं।

उच्च प्राथमिकता क्षेत्र से बाहर के कार्यकलापों के लिए इक्विटी में वृद्धि करने हेतु सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन हेतु और उदारीकरण और अनुबंध-3 के विस्तार का लक्ष्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों को तीव्र करना और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वांछित अंतर्वाह प्राप्त करना है।

एन्टी-डम्पिंग संबंधी मामले

475. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध भारत के और भारत के विरुद्ध जिनके एन्टी-डम्पिंग के मामले हैं तथा मदवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया): (क) भारत में प्रतिपाटन संबंधी जांच में शामिल देशों और उत्पादों के नाम (इनमें वे मामले भी शामिल हैं जहां अंतिम शुल्क लगाए गए, जिन मामलों में अनंतिम शुल्क की सिफारिश की गई तथा जो अनंतिम शुल्क के लिए जांच के अधीन है) निम्नानुसार हैं:

देश	उत्पाद	
1	2	मामलों की संख्या
चीन	पोटाशियम परमैगनेट, 1 सोब्यूटिल बैंजीन, 3, 4, 5, ट्राइमैथोक्सी बेनाल्डीहाइड (तांबा) थियोफाइलिन कैफीन, सोडियम फेर्रोसाइनाइड डैड बर्नट मैगनेसाइट (डी. बी. एम.) 8-हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन, ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स, विटामिन-सी, मैगनेशियम	10
ब्राजील	पी. वी. सी. रेजिन, बिसफिनोल-ए	2
मैक्सिको	पी. वी. सी. रेजिन	1
दक्षिण कोरिया	पी. वी. सी. रेजिन, एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ एक्रीलिक फाइबर तथा पी. टी. ए.	4
इंडोनेशिया	पी. टी. ए.	1
जापान	बिसफिनोल-ए, एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन. बी. आर.), और विटामिन-सी	3
थाइलैंड	एक्रीलिक फाइबर, पी. टी. ए.	2
रूस	बिसफिनोल-ए, लो कार्बन फैर्रो क्रोम (एल. सी. एफ. सी.), और अखबारी कागज	3
कज़ाकिस्तान	लो कार्बन फेर्रो क्रोम (एल. सी. एफ. सी.)	1
संयुक्त राज्य अमरीका	बिसफिनोल-ए, पी. वी. सी. रेजिन, एक्रीलिक फाइबर, अखबारी कागज और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	5

1	2	3
जर्मनी	एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन॰ आर॰ आर॰) तथा ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	2
डेनमार्क	कैटेलिस्ट्स	1
स्पेन	ग्रेफाइड इलैक्ट्रोड्स	1
इटली	ग्रेफाइड इलैक्ट्रोड्स	1
बेल्जियम	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	1
आस्ट्रिया	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	1

(ख) उन देशों के नाम के साथ-साथ उन उत्पादों के नाम जिन पर भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिपाटन जांच चल रही है और प्रतिपाटन शुल्क भी लगाए गए हैं, निम्नानुसार हैं :

देश	उत्पाद	मामलों की संख्या
कनाडा	ग्रेफाइड	1
ब्राजील	सिंगल स्पीड फ्री वीहल्स और बाइसिकल टॉयर्स	2
दक्षिण अफ्रीका	भेषजीय औषधियां	1
इंडोनेशिया	होट रोल्ड कॉयल्स/प्लेट्स	1
संयुक्त राज्य अमरीका	स्टेनलैस स्टील वायर रॉड्स, स्टेनलैस स्टील फ्लैक्स, सल्फर डाईस (नकारात्मक क्षति) और स्टेनलैस स्टील की छड़ें	4
यूरोपीय संघ	पोलीथिलीन/प्रोलीप्रोपीलीन वोवन बोरियां, अनब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक्स, सिंथेटिक फाइबर पॉपस, बैड लिनन, पोटाशियम परमेग्नेट	5

ऑटोमोबाइल का आयात

476. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऑटोमोबाइल्स के आयात की नीति की समीक्षा और इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो नई ऑटोमोबाइल आयात नीति का प्रारूप तैयार करने और उसकी नीति की घोषणा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) निर्यात तथा आयात नीति की समीक्षा एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें समय-समय पर जब भी जरूरी होता है, परिवर्तन किए जाते हैं इस समय मौजूदा ऑटोमोबाइल आयात नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

सिक्कों की काला बाजारी

477. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में सिक्कों की बेरोकटोक काला बाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिक्कों की काला बाजारी रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों की काला बाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :

(i) सुरक्षा अधिकारी एक समय में लगभग 50-60 व्यक्तियों को ही बैंकिंग हालों में प्रवेश करने देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका कार्य समाप्त होते ही वे चले जाएं।

(ii) पहले दो घंटों के दौरान अर्थात् प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक साधारण जनता को छोटे सिक्कों की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) देश के विभिन्न भागों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चुनिंदा शाखाओं से सिक्के वितरित करने के प्रबंध किए गए हैं।

जनता के लिए सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने हेतु भारत सरकार के टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनकी क्षमता 3900 मिलियन अदद के बढ़कर 4700 मिलियन अदद प्रतिवर्ष हो जाएगी। सरकार ने सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में 1/-के 700 मिलियन अदद और 2/-रुपए के 300 मिलियन अदद सिक्के आयात करने का भी निर्णय किया है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई धनराशि

478. श्री एन. एन. कृष्ण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा, नाबार्ड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितना ऋण संवितरित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्यवार निवेश संस्थाओं सहित अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं (ए. आई. एफ. आई.)* द्वारा संवितरित सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं में ये शामिल हैं : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आई. सी. आई. सी. आई.) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, एस. सी. आई. सी. आई. लि. (आई. सी. आई. सी. आई. में विलय हो चुके) जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लि., भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., भारतीय जीवन बीमा निगम लि., भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय साधारण बीमा निगम।

विवरण

ए. आई. एफ. आई. द्वारा राज्यवार संवितरित सहायता (करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	संवितरण 1994-95	1995-96 (अप्रैल-मार्च)	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1802.5	2257.7	2372.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.1	2.5	0.9
3.	असम	89.8	119.7	242.1
4.	बिहार	247.7	223.5	234.4
5.	गोवा	208.1	116.3	105.8
6.	गुजरात	4102.5	4472.0	5723.5
7.	हरियाणा	559.4	858.6	1013.8
8.	हिमाचल प्रदेश	477.9	258.1	335.6
9.	जम्मू व कश्मीर	12.2	22.8	17.8
10.	कर्नाटक	1602.2	2223.0	2418.8
11.	केरल	280.3	343.3	581.4
12.	मध्य प्रदेश	1367.0	1753.1	1667.9
13.	महाराष्ट्र	7354.1	6510.4	7173.5
14.	मणिपुर	0.2	2.3	2.1
15.	मेघालय	4.4	2.0	4.4
16.	मिजोरम	0.1	0.4	0.9
17.	नागालैण्ड	1.4	5.0	9.4
18.	उड़ीसा	308.9	246.5	375.5
19.	पंजाब	648.5	671.8	607.5
20.	राजस्थान	1370.4	1663.6	1391.8
21.	सिक्किम	0.4	2.0	25.5
22.	तमिलनाडु	2565.6	3261.2	3203.2
23.	त्रिपुरा	1.1	3.4	4.7
24.	उत्तर प्रदेश	2040.7	2672.0	2902.4
25.	पश्चिम बंगाल	778.5	1015.8	1133.6

1	2	3	4	5
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1326.6	1107.6	782.1
	संघ राज्य क्षेत्र	256.3	380.2	434.2
	(a) अंडमान व निकोबार	12.0	1.8	5.8
	(b) दमन व द्वीव	52.5	58.1	56.7
	(c) दादरा व नागर हवेली	134.9	238.6	266.5
	(d) चंडीगढ़	20.0	20.3	44.7
	(e) लक्षद्वीप	—	—	—
	(f) पाण्डिचेरी	36.9	61.4	60.5
28.	विविध राज्य/गैर वर्गीकृत क्षेत्र	3247.6	2367.2	2785.0
	योग	30657.4	32562.0	35549.4

चाय का निर्यात

479. श्री आर॰ बी॰ राई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग के चाय के बागानों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चाय किन-किन देशों को निर्यात की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान निर्यात की गई उक्त चाय से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) चाय का निर्यात मुख्यत: मिश्रित रूप से या तो बल्क में या पैकेटों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण के समय चाय की मौलिकता समाप्त हो जाती है और इसलिए उत्पादन के स्रोत के हिसाब से चाय के निर्यात की मात्रा का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि निर्यात मुख्यत: मिश्रित रूप में होता है, लेकिन शुद्ध दार्जिलिंग चाय की कुछ मात्रा का निर्यात अपने मौलिक रूप में भी होता है। डी॰ जी॰ सी॰ एंड एस॰ द्वारा उत्पादन के मूल स्रोत के हिसाब से निर्यातित चाय के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, औद्योगिक स्रोतों के अनुसार, दार्जिलिंग चाय के उत्पादन का लगभग 80% प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है। दार्जिलिंग चाय का निर्यात सामान्यतया जर्मनी, जापान, यू॰ के॰ इत्यादि जैसे देशों को किया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय में अंतर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निष्कर्ष

480. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी "वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' में स्तब्ध कर देने वाले निष्कर्षों की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर अन्य देशों की तुलना में अपनी प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर को आधा कम करने के लिए 70 वर्ष लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) मई 1997 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक के अध्याय IV में "ग्लोब्लाइजेश एण्ड द ऑपॉरच्यूनिटिज फॉर डिवलपिंग कन्ट्रीज" नामक शीर्षक से छपे लेख में सापेक्ष आय पैटर्न तथा समाभिरूपता से संबद्ध प्रभावों पर विचार करने के लिए 12 विकासशील देशों के लिए तुलनात्मक विश्लेषिक सारणी उपयोग में लायी गई थी। उस सारणी की व्याख्यात्मक पाद टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि यदि भारत वर्ष 1995-96 में दर्ज 3 प्रतिशत की सापेक्ष वृद्धि दर बनाए रखता है तो उसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के साथ अपनी प्रति व्यक्ति आय के अंतर को आधा करने में 69 वर्ष (70 के आरंभ से संशोधित करके) लगेंगे। उक्त गणनाएं केवल दृष्टांत देने के उद्देश्य से की गई हैं और कई कारकों के आधार पर इनमें बदलाव आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि दीर्घकालिक वृद्धि दरें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, यथा-(क) कार्यबल का दक्षता स्तर; (ख) निवेश को प्रभावित करने वाले विरूपण का अभाव; (ग) अर्थव्यवस्था के खुलेपन का स्तर; (घ) वृद्ध-आर्थिक स्थायित्व; और (ङ) राजनीतिक तथा नागरिक अशांति से मुक्ति।

(ग) और (घ) सरकार व्यापक सुधार उपायों के माध्यम से वृद्धि दरों में सुधार के लिए प्रयासरत है। इन उपायों से उत्पादन बढ़ने तथा अपेक्षाकृत उच्च मात्रा में उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। यदि दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट के साथ-साथ विगत की तुलना में उच्च वृद्धि दर प्राप्त कर ली जाए तो रिपोर्ट में अंकित समयान्तराल में पर्याप्त रूप से कमी लाई जा सकती है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बिहार

481. श्री राजेश उर्फ पप्पू यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्राप्त आवेदन पत्र और स्वीकृत किये गये आवेदन पत्र की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किये जाने के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत पांच राज्यों और बिहार को स्वीकृत अधिकतम ऋण में क्या तुलनात्मक भिन्नता है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान बिहार राज्य को कितनी धनराशि दी गई और उन बेरोजगारों की संख्या क्या है जिन्हें यह राशि दिये जाने का विचार है;

(च) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग विभाग द्वारा ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् ऋण प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰) के अंतर्गत प्राप्त और मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या और बिहार और अन्य राज्यों को मंजूर किया गया औसत ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे भेदभाव की कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ के अंतर्गत कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। तथापि, वर्ष 1997 के वास्ते बिहार से संबंधित वास्तविक लक्ष्य 25,500 है।

(च) से (ज) भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के नमूना अध्ययन के आधार पर बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा निम्नानुसार सलाह दी गई है :

(i) ऋण मंजूर करते समय किसी सम्पार्श्विक/गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जहां कहीं यह दिया भी गया हो, वहां सम्पार्श्विक/गारंटी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

(ii) ऋण की वास्तविक अपेक्षा के आधार पर कार्यशील पूंजी जारी की जानी चाहिए।

(iii) वापसी अदायगी केवल सावधि ऋण के लिए ही निर्धारित की जानी चाहिए।

(iv) 6-18 महीने के ऋण-स्थगन की अनुमति से संबंधित अनुदेशों को अनुपालन किया जाना चाहिए।

(v) मार्जिन राशि सहित ऋणों का संवितरण किया जाना चाहिए।

(vi) बैंकों के जिला स्तरीय संयोजकों को उचित कार्रवाई के लिए बड़ी अनियमितताओं खासकर, मंजूरी और संवितरण के क्रम में, जिला औसत के 50% से कम पर कार्यनिष्पादित कर रही शाखाओं के संबंध में, जांच करनी चाहिए। जिला संयोजकों को उधारकर्ताओं से सम्पार्श्विक मांगने संबंधी शिकायतों की भी जांच करनी चाहिए।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰) 1996-97

मई 1997 के अंत तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत प्रगति

(राशि : करोड़ रुपए)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त आवेदन	आवेदन मंजूर	औसत ऋण मंजूर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	39628	25465	59858
2.	अरुणाचल प्रदेश	418	387	68447
3.	असम	12517	8307	77100
4.	बिहार	41804	18005	77148
5.	गुजरात	16849	9739	44480
6.	गोआ	715	457	76298
7.	हरियाणा	15234	8005	54145
8.	हिमाचल प्रदेश	3932	2268	55311
9.	जम्मू व कश्मीर	3576	1792	73672
10.	कर्नाटक	26664	15075	56631
11.	केरल	19436	10015	56803
12.	महाराष्ट्र	62797	36708	51890
13.	मणिपुर	2327	1908	75354
14.	मध्य प्रदेश	67114	30836	69200
15.	मेघालय	472	417	77928
16.	मिजोरम	572	217	92525
17.	नागालैण्ड	411	380	65318
18.	उड़ीसा	14103	6841	66049

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	18613	9230	60920
20.	राजस्थान	22223	10435	55009
21.	सिक्किम	216	108	44417
22.	त्रिपुरा	2627	1553	39107
23.	तमिलनाडु	30750	15296	58310
24.	उत्तर प्रदेश	71510	32929	60264
25.	पश्चिम बंगाल	22397	6690	62814
26.	एनसीटी दिल्ली	5430	1176	51995
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90	40	118600
28.	चंडीगढ़	240	147	78633
29.	दादरा व नागर हवेली	215	140	59986
30.	दमन और दीव	44	24	70208
31.	लक्षदीप	72	35	82429
32.	पाण्डिचेरी	676	328	44372
	गैर वर्गीकृत	10293	4673	55020
	अखिल भारत	513965	259626	60782

(आंकड़ा अनन्तिम)

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

482. श्री छीतु भाई गामीत : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख देशों को निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों के मूल्य/प्राप्त आय में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको किए जाने वाले निर्यात मूल्य/प्राप्त आय में कमी हो रही है और यह कमी कब से आ रही है तथा यह कमी कितने प्रतिशत हुई है; और

(ग) ऐसे प्रमुख देश कौन-कौन से हैं जिनमें भारतीय वस्त्रों की अत्यधिक मांग है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) से (ग) बड़े देशों को वस्त्रों के निर्यातकों मूल्य के रूप में गिरावट नहीं आ रही है। हमारे वस्त्र उत्पादों के प्रमुख आयातक ई॰ यू॰, यू॰ एस॰ ए॰, बंगलादेश हांगकांग, यू॰ ए॰ ई॰, जापान आदि हैं।

[हिन्दी]

किर्गिजिस्तान में भारतीय निवेश

483. डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किर्गिजिस्तान सरकार ने अपने देश में पूंजी निवेश के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ग) इस संबंध में निवेश शर्तें और अन्य ब्यौरा क्या-क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) दिनांक 1.6.95 के समझौते के अनुसार भारत सरकार ने भारत से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए किर्गिजिस्तान की सरकार के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। इस ऋण पर 1.6.95 से प्रभावी लाइबोर दर के बराबर ब्याज लागू होगा। समझौते में तीन वर्षों के ऋणस्थगन अवधि और 9 वर्षों में समान अर्द्धवार्षिक किस्तों के जरिए पुनर्भुगतान की व्यवस्था है। इस ऋण-व्यवस्था का अभी तक उपयोग नहीं किया है। हाल ही में किर्गिजिस्तान की सरकार ने एल॰ डी॰ पी॰ ई॰ पैके, टूथ ब्रसों और टूथ पेस्ट के उत्पादन के संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति के प्रयोजन से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार तीन परियोजनाओं की स्वीकृति दी है :

क्रम॰ सं॰	परियोजना	परियोजना लागत
1.	एल॰ डी॰ पी॰ ई॰ पैकेट्स	350,000 डॉलर
2.	टूथ पेस्ट	530,000 डॉलर
3.	टूथ ब्रश	540,000 डॉलर

यह आशा है कि किर्गिजिस्तान सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव से भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण सुविधा के बेहतर उपयोग की संभावना में सुधार होगा।

महाराष्ट्र का समरूप सिविल विधि विधेयक

484. श्री हंसराज अहीर : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वीकृति हेतु महाराष्ट्र से समरूप सिविल विधि विधेयक प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात संयंत्र की स्थापना

485. श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम उड़ीसा में हुबुरी स्थान पर इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ङ) इस संयंत्र के कब कार्य आरंभ कर देने की संभावना है; और

(च) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (च) सरकार ने अन्य प्रोत्साहकों अर्थात् उड़ीसा सरकार, मैकन और कुछ विदेशी निवेशकों के साथ प्रति वर्ष 1.1 मिलियन टन इस्पात की छड़ें, इस्पात बिलेट्स और पिग आयरन के उत्पादन के लिए कलिंगनगर, जयपुर जिला, उड़ीसा में समेकित लोहा एवं इस्पात संयंत्र अर्थात निलांचल इस्पात निगम लि॰ (एन॰ आई॰ एन॰ एल॰) की स्थापना करने में एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ की इक्विटी सहभागिता को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए कुल 2050 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ रू॰ है। इस परियोजना के 2000 ई॰ तक शुरू किए जाने की कार्यक्रम है।

ब्लास्ट फर्नेस को स्थापना स्थल पर आयात करके भेजा गया है तथा वित्तीय संस्थानों ने इस परियोजना का मूल्यांकन कर इसके लिए धनराशि देना स्वीकार किया है। सभी प्रकार की कानूनी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

उड़ीसा में जमाराशि की तुलना में दिए गए ऋण

486. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न बैंकों द्वारा श्रेणी-वार ऋण कितनी राशि के दिए गए; और

(ख) इन बैंकों में उक्त अवधि के दौरान कुल जमा धनराशि की तुलना में कुल दिए गए ऋणों का प्रतिशत कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) द्वारा भेजे गए अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों को पिछले दो वर्षों के दौरान, वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उड़ीसा में दी गई बैंक ऋण की राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

	क्षेत्र	1994-95	1995-96
1.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	273.99	392.53
2.	लघु उद्योग	84.15	119.57
3.	सेवाएं	136.94	253.24
	योग	495.08	765.34

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च, 1995 और मार्च, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 54.1 प्रतिशत और 54.8 प्रतिशत था।

भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई के विरुद्ध शिकायतें

487. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त किए गए हैं जिनमें यह शिकायत की गई थी कि भारतीय स्टेट बैंक के संबद्ध बैंकों के उच्च अधिकारी बैंकों के कुछ दोषी कर्मचारियों/यूनियन नेताओं का बचाव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा इन पत्रों की निष्पक्ष जांच की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों में आसाधारण विलंब से बचने के लिए दोषी कर्मचारियों/यूनियन नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में संबंधित बैंकों को क्या निदेश दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत-चालित मशीनों की खरीद

488. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की मुनीडीह परियोजना के लिए खरीदी गई विद्युत-चालित मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उनकी खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या विद्युत-चालित मशीनें पोलैण्ड से भी खरीदी गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और ये मशीनें कितनी मोटाई के कोयले को काट सकती हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मूनीडीह परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किसी पावर सपोर्ट मशीन की खरीद नहीं की गई है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को दृष्टिगत करते हुए लागू ही नहीं होता है।

सलबोनी करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस

489. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलबोनी करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ने नोटों की छपाई शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या यह अपनी क्षमता से कम काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पहले चरण में 11.12.1996 से मशीनों की एक शृंखला चालू की गई है। जून, 1997 तक इसमें 10/- रुपए मूल्यवर्ग के लगभग 320 मिलियन अदद नोटों का उत्पादन हुआ है। 1 जुलाई, 1997 से मुद्रणालय में दूसरी पाली भी शुरू हो गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अफीम के मूल्य में वृद्धि

490. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसशुदा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित अफीम के मूल्यों में वृद्धि के बारे में अफीम उत्पादकों ने सरकार से कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। सरकार को हर वर्ष अफीम के मूल्य बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ख) इन अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार द्वारा मौजूदा अफीम मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किए जाते हैं। नवीनतम समीक्षा फसल वर्ष 1996-97 के दौरान की गई थी। जब सरकार ने मौजूदा अफीम मूल्य स्लैबों में 100रू. प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने की घोषणा की थी।

असम में बैंक शाखाएं

491. श्री केशव महंत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पश्चात् केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कारपोरेशन बैंक ने आसाम में कहां-कहां और कितनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) क्या असम जातियतावादी छात्र परिषद् की बैंक कर्मचारी समिति असम में बैंक व्यवस्था का विस्तार न किये जाने का विरोध कर रही है, जिससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत-डच परियोजना

492. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने कानपुर, उत्तर प्रदेश की भारत-डच परियोजना पर वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद आपत्ति उठाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आपत्ति के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिशोधना करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

493. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन सहित कुल कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य से कितना कोयला निर्यात किया गया और किन-किन देशों को यह कोयला निर्यात किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में कोयला निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) महाराष्ट्र में कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) के अंतर्गत कार्यरत कोयला खानों की कुल संख्या और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त खानों से हुए उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	1996-97	1995-96	1994-95
खानों की संख्या	49	49	44
उत्पादन (मिलियन टन में)	24.858	22.82	21.07

(अनंतिम)

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से को. इं. लि. द्वारा कोयला निर्यात नहीं किया गया है और भविष्य में भी उक्त राज्य से कोयले के निर्यात की कोई योजना नहीं है।

आयातित अखबारी कागज पर शुल्क

494. श्री सिद्दया कोटा :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय न्यूज़ पेपर सोसायटी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अखबारी कागज पर शुल्क समाप्त करने का आग्रह किया है कि :

1. अखबारी कागज समाचार पत्रों की लागत का एक बड़ा घटक है;

2. शुल्क जानकारी पर कर के रूप में होता है और यह कार्यकुशलता तथा उत्पादकता के कुछेक स्तरों को बनाए रखने के लिए घरेलू अखबारी कागज उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप है।

3. विदेशी संभरकों द्वारा यह सूचित किया गया था कि जुलाई से सितम्बर, 1997 के लिए आयातित अखबारी कागज के मूल्य के संबंध में शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

(च) सरकार अखबारी कागज के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निगरानी रख रही है और जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होगी, तो सरकार सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर शुल्क ढांचे की समीक्षा करेगी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की वित्तीय योजना

495. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की वित्तीय योजना के अंतर्गत लघु क्षेत्रों द्वारा निर्मित स्वदेशी उत्पादों के विपणन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित देशी उत्पादों के विपणन हेतु एक योजना तैयार की है। इस प्रयोजन के लिए, सिडबी ने लघु उद्योग इकाइयों की विपणन संबंधी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ विभाग की स्थापना की है। सिडबी ने लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रत्यक्ष सहायता की एक विशेष योजना आरंभ की है। मई, 1996 में इस योजना के प्रारंभ से, सिडबी ने देश में 21 इकाइयों को कुल 1225.5 लाख रुपए के सावधि ऋण मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी ने प्रदर्शनियां/व्यापार मेले प्रायोजित करने के कार्य में सहभागिता करने, बाजार का अध्ययन करने और लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन के लिए शोरूमों की स्थापना करने में सहायता करने जैसी कई अन्य पहलें भी की हैं।

[हिन्दी]

शेयर बाजार

***496. श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयर बाजार में सुधार न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार शेयर बाजार में सुधार लाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) शेयरों की कीमतों में होने वाली घट-बढ़ को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से कुछ कारक कार्पोरेट क्षेत्र और सामान्यतया अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन से जुड़ी निवेशकों की प्रत्याशाओं, सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में निवेशकों की राय, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में हो रहे घटना-क्रम और सट्टे बाजी की गतिविधियों से संबंधित हैं।

(ख) से (घ) सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टॉक बाजार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों और विनियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से कार्य करें ताकि निवेशकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और स्टॉक बाजार में निवेशकों का विश्वास बनाए रखा जा सके।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक का निदेश

497. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री राम नाईक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आंशिक गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 8 जुलाई, 1997 से पहले पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने संबंधी नये निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तावित अवधि क्या है; और

(ङ) उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 यथा संशोधित 1997 में यह व्यवस्था है कि अवशिष्ट गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (आर० एन० बी० एफ० सी०) सहित प्रत्येक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (एन० बी० एफ० सी०) को इस संशोधन के लागू होने के छः महीने के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। 6 महीने की यह अवधि 8 जुलाई, 1997 को समाप्त हो गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उन्हें 37478 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस अधिनियम में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) उन सभी गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं को, जो 9 जनवरी, 1997 से पहले अस्तित्वमान थीं। लेकिन जिन्होंने 8 जुलाई, 1997 को या उससे पूर्व आर० बी० आई० से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र लेने के लिए आवेदन नहीं किया, 9 जुलाई, 1997 से गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का कारोबार जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी कोई भी कंपनी आर० बी० आई० से पंजीकरण का आवेदन रद्द होने तक अपना कारोबार जारी रख सकती है जिसने 8 जुलाई, 1997 को या उससे पूर्व पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58-ख की उप-धारा 4-क में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना कारोबार जारी रखने की सजा कम-से-कम एक वर्ष की जेल और एक लाख रु० होगी जिसे क्रमशः पांच वर्ष की जेल और 5 लाख रु० तक बढ़ाया जा सकता है।

अप्रासंगिक कानून

498. श्री जयसिंह चौहान :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1997 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'आउटडेटिड लॉज नेट् दि इन्रोसेंट, बट लेट ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मदों में उसके रिपोर्टर के विचार और निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं।

(ग) समाचार मदों के आधार पर कोई सुधारात्मक उपाय किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों को आर्थिक घाटा

499. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत ग्रामीण

बैंकों को कुल कितना आर्थिक घाटा हुआ है; और

(ख) उक्त घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में परिचालन कर रहे सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर० आर० बी०) की कुल संचित हानियां 31 मार्च, 1996 के अनुसार 2176 करोड़ रू० (आंकड़े अनन्तिम) थीं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये गए हैं। इनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. व्यापक पुनर्गठन के लिए 136 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार द्वारा 573 करोड़ रू० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र एवं पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने, लाकर लगाने, ड्राफ्ट जारी करने तथा डाक द्वारा अंतरण करने की अनुमति भी दी गई है। उन्हें चेकों/मांग ड्रॉफ्टों की खरीद/भुगतान के लिए और अधिक विवेकाधिकार दिए गए हैं।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, कुछ शर्तों के अध्यधीन, अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को अपेक्षाकृत बेहतर क्षेत्रों अर्थात वाणिज्यिक केन्द्रों जैसे बाजार क्षेत्रों, ग्रामीण मंडियों, खंड एवं जिला मुख्यालयों आदि में स्थापित करने तथा संबंधित कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पुनः नियोजित करने की अनुमति दी गई है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे लाभदायक स्थिति में आने के लिए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपना सकें।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू० टी० आई०) की सूचीबद्ध तथा अन्य योजनाओं, लाभ कमाने वाली वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमाराशियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों और लाभ कमाने वाली सावर्जनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बाण्ड में और प्रतिष्ठित विश्वसनीय कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों जैसे लाभदायक क्षेत्रों में अपने गैर-एस० एल० आर० बेशी निधियों का निवेश करने हेतु पहुंच उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अनुमति दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित भागीदारी प्रमाणपत्र के जरिए अपने प्रायोजक बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में अपने बेशी गैर-एस० एल० आर० निधियों का एक अंश लगा सकते हैं।

6. वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आय का पता लगाने में आस्ति वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण लेखा मानदंड लागू किए गए हैं। प्रावधान संबंधी मानदंड वर्ष 1996-97 के चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

7. दिनांक 26.8.96 से भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं से प्रभारित की जा सकने वाली ब्याज की दरों को पूरी तरह से अविनियमित कर दिया है।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण परिचालनों को अर्थक्षमता प्रदान करने और उधार देने के दृष्टिकोण में वाणिज्यिक बैंकों के समान एकरूपता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, हाल ही में, यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होने वाले प्राथमिकता क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम उनके बकाया अग्रिमों का 40% होना चाहिए, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में है।

[अनुवाद]

आर्थिक विकास

500. श्री पृथ्वीराज दा० चह्वाण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचनात्मक सुविधाओं में कमी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा उनको सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कोई योजना तथा नीति कार्यक्रमों की शुरुआत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हमारे देश में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु घेरलू और विदेशी निवेशकों को क्या भूमिका सौंपी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सात आधारभूत संरचनात्मक और केन्द्रीय उद्योग अर्थात् बिजली उत्पादन, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, सीमेंट और उर्वरकों, जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आई० आई० पी०) में 31 प्रतिशत का संयुक्त भारांश है, अप्रैल-मार्च, 1995-96 में 7.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-मार्च 1996-97 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। जबकि वर्ष 1996-97 के लिए स्थिर कीमतों पर उपादान लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) में पिछले वर्ष में 7.1 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, विनिर्माण क्षेत्र में 1995-96 में 13.6 प्रतिशत की तुलना में केवल 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1996-97 में विनिर्माण में वृद्धि की गिरावट आंशिक रूप से आधारभूत उद्योगों के खराब निष्पादन के कारण हो सकती है क्योंकि कुछ आधारभूत उद्योग विनिर्माण के लिए सूचकांक में शामिल किए गए हैं और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आम तौर पर कमजोर आधारभूत निष्पादन विनर्माण की वृद्धि में बाधा डालता है।

सरकार की विकास नीति कार्यकुशल आधारभूत संरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है तथा इस तथ्य को मान्यता देती है कि उचित लागत पर यथेष्ठ आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान

और अनुरक्षण सतत् आधार पर तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों में से कुछ को पहले ही कार्यान्वित कर चुकी है।

आधारभूत संरचना क्षेत्र को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने के लिए 1996-97 के बजट में एक आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई॰ डी॰ एफ॰ सी॰) की स्थापना की घोषणा की। तदुपरांत आई॰ डी॰ एफ॰ सी॰ 5000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ 30.1.97 को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित की गई है। अंतर बैंक देयताओं पर नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी॰ आर॰ आर॰) और सांविधिक नकदी अनुपात (एस॰ एस॰ आर॰) को समाप्त कर दिया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ॰ आई॰ आई॰) को ऋण बाजार में भागीदारी करने की अनुमति दी गई है।

सरकार के पास उपलब्ध सीमित स्रोतों पर प्रतिस्पर्द्धी मांगों को देखते हुए, गुणवत्ता शुदा आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए विदेशी निवेश सहित निजी पूंजी के लगाए जाने की आवश्यकता होगी। दिसम्बर, 1996 से सरकार ने प्रमुख आधारभूत उद्योगों में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की सहभागिता के लिए स्व-अनुमोदन की अनुमति प्रदान की है।

करेंसी नोट

501. श्री रूपचंद पाल :

श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू :

श्री अनिल बसु :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

डॉ॰ असीम बाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक मुद्रणालय में करेंसी नोट छापने की वार्षिक क्षमता कितनी है और देश में करेंसी नोटों की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या इन मुद्रणालयों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार करेंसी नोटों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इनका आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी;

(च) क्या सरकार का विचार करेंसी नोटों की भारी कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान करेंसी नोटों की उत्पादन क्षमता तथा आवश्यकता निम्नानुसार थी :

(आंकड़े मिलियन अदद में)

प्रेस का नाम	क्षमता	भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों की आवश्यकता
बैंक नोट प्रेस, देवास	1875	16,200
करेंसी नोट प्रेस, नासिक	4000	

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक दो और नई नोट प्रेस, एक पश्चिम बंगाल में सलबोनी में और दूसरी कर्नाटक में मैसूर में स्थापित कर रहा है। 1999 के अंत तक जब इनमें पूर्ण रूप से कार्य शुरू हो जाएगा तो इनकी उत्पादन क्षमता 9900 मिलियन अदद प्रति वर्ष हो जाएगी।

(ख) और (ग) 1996-97 के दौरान, बैंक नोट प्रेस, देवास में नोटों का उत्पादन 1810 मिलियन अदद था और करेंसी नोट प्रेस, नासिक के उत्पादन 3336 मिलियन अदद थ। सरकार ने पुरानी मशीनों को बदलने हेतु इन प्रेसों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्तमान संकट की स्थिति से निपटने के लिए, एक बारगी उपाय के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक को 100 रु॰ और 500 रु॰ मूल्यवर्ग के, कुल 1,00,000 करोड़ रुपए मूल्य के बैंक नोट आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है। आयातित नोटों की कुल सी॰ आई॰ एफ॰ लागत 95.28 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी।

(च) जी, हां।

(छ) बी॰ एन॰ पी॰/सी॰ एन॰ पी॰ के आधुनिकीकरण का कार्य 536.02 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किया गया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम 1998 के अंत तक पूरा हो जायेगा। आधुनिकीकरण पूरा होने के बाद, बी॰ एन॰ पी॰ की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1875 मिलियन अदद से बढ़कर 2904 मिलियन अदद तथा सी॰ एन॰ पी॰ की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4000 मिलियन अदद से बढ़कर 5400 मिलियन अदद हो जाएगी।

लघु उद्योगों संबंधी आरक्षण नीति

502. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के श्री सबेस्तियन मौरिस की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उप समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद कतिपय निर्णय भी लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णयों का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान लघु उद्योगों की आरक्षण नीति समाप्त करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के श्री सबेस्टियन मौरिस की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण नीति को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि यह पहलू उप समिति के विचारार्थ विषयों का भाग नहीं था। उप समिति के विचारार्थ विषय वित्त, ऋण तथा रुग्णता से संबंधित मामलों तक सीमित थे।

[हिन्दी]

लघु क्षेत्र के लिए विशेष मद

503. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेष मदों के उत्पादन का अधिकार लघु उद्योगों को देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार ने अपनी आरक्षण नीति के तहत लघु उद्योगों को विशेष मदों के उत्पादन के पर्याप्त अधिकार पहले ही दे रखे हैं। इस समय लघु क्षेत्र में अनन्य उत्पादन के लिए 821 मदें आरक्षित हैं। मदों का आरक्षण/अनारक्षण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत सरकार द्वारा गठित आरक्षण संबंधी परामर्शदायी समिति द्वारा इसकी समीक्षा समय-समय पर की जाती हैं। इस समिति की बैठकें नियमित अंतरालों पर की जाती है और यह सरकार की सूची में मदों को जोड़ने तथा हटाने की सिफारिश करती है।

बंगलादेश के माध्यम से तस्करी

504. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के माध्यम से देश में तस्करी की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश सरकार ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां। भारत-बंगलादेश सीमा के जरिए तस्करी के बहुत से मामलों का पता लगाया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अभिग्रहणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	अभिग्रहण का मूल्य (लाख रु. में)
1994-95	3115.63
1995-96	3228.74
1996-97	2782.12

(ग) और (घ) इस मामले पर बंगलादेश सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और दोनों पक्ष तस्करी की रोकथाम करने और इस संबंध में आसूचना आदान-प्रदान करने के कार्य में सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय भारत-बंगलादेश सीमा के आर-पार तस्करी की रोकथाम करने के लिए सतर्क हैं।

[अनुवाद]

स्मार्ट कार्ड

505. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेंसी नोटों की छपाई तथा परिचालन पर दबाव को कम करने व दिन-प्रतिदिन किये जाने वाले धन संबंधी लेन-देन में नोटों को बदलने के लिए स्मार्ट कार्ड की शुरुआत करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम को लाभ और हानि

506. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना व्यय और इसके द्वारा आयोजित किये जाने वाले समारोह पर अनुषंगी व्यय में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि रही है;

(ग) क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों के लिए बोनस बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि बीमा संविदाओं की दीर्घकालीन प्रकृति और मौतों, खर्चों तथा ब्याज उपार्जनों के संबंध में भावी अनुभवों से संबद्ध अनिश्चितताओं के कारण व्यापारिक अथवा विनिर्माणकारी फर्मों आदि की भांति उसके द्वारा वर्ष विशेष के लिए लाभ और हानि के लेखे तैयार नहीं किए जाते। तथापि, विगत के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु दर, खर्चों और ब्याज के विवेकपूर्ण पूर्वानुमानों के आधार पर प्रतिवर्ष "अधिशेष" का बीमांकिक निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 1994-95 और 1995-96 में घोषित अधिशेष निम्नानुसार है :

निम्न तारीखों को किया गया मूल्यांकन	अधिशेष (रुपये)
31.3.1995	3218.87 करोड़
31.3.1996	3433.93 करोड़

वर्ष 1996-97 के लिए अभी तक अधिशेष घोषित नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस की घोषणा वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध मूल्यांकित अधिशेषों के आधार पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए मूल्यांकित अधिशेष का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश को विदेशी सहायता

507. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

मध्यप्रदेश में विदेशी सहायता द्वारा चालू/अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	दाता	परियोजना की सकल लागत	विदेशी सहायता
1	2	3	4	5
	चालू परियोजनाएं			
1.	इंदौर गंदी बस्ती सुधार	यू॰ के॰	34.54 करोड़ रु॰	14.4 मिलियन पौंड
2.	रीवा अस्पताल	ओ॰ पी॰ ई॰ सी॰	57.56 करोड़ रु॰	10 मि॰ अमरीकी डॉलर
3.	मध्य प्रदेश वानिकी	विश्व बैंक	67.3 मि॰ अमरीकी डा॰	58 मि॰ अमरीकी डॉलर
4.	पर्यावरणीय विकास परियोजना*	विश्व बैंक	67 मि॰ अमरीकी डा॰	48 मि॰ अमरीकी डॉलर
5.	मध्य प्रदेश में कृषि महिलाएं	डेनमार्क	6.25 करोड़ रु॰	6.25 करोड़ रु॰
6.	समेकित पशु धन विकास परियोजना बस्तर	डेनमार्क	14.01 करोड़ रु॰	14.01 करोड़ रु॰

1	2	3	4	5
7.	मालवा क्षेत्र में व्यापक जलसंभर विकास परि०	डेनमार्क	13.15 करोड़ रु०	13.15 करोड़ रु०
8.	भोपाल झील संरक्षण	जापान	8300 मि० येन	7055 मि० येन
9.	राजघाट नहरी सिंचाई	जापान	17350 मि० येन	13222 मि० येन
10.	क्षय रोग नियंत्रण परि०*	आई० डी० ए०	749.28 करोड़ रु०	142.4 मि० अम० डालर
11.	प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा परियोजना*	आई० डी० ए०	308.1 मि० अमरीकी डॉ०	240 मि० अमरीकी डॉलर
12.	बांध सुरक्षा परियोजना*	आई० डी० ए०	196.8 मि० अमरीकी डॉ०	130 मि० अमरीकी डॉलर
13.	जल विज्ञान परियोजना*	आई० डी० ए०	162.4 मि० अमरीकी डॉ०	142 मि० अमरीकी डॉ०
अनुमोदित परियोजनाएं जिनके करार पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं				
14.	कान्हा राष्ट्रीय पार्क में स्वयं प्रज्वलित दावानल सतर्कता	फ्रांस	10 मि० फ्रांसीसी फ्रांक	10 मि० फ्रांसीसी फ्रांक
15.	मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन परियोजना	जापान	262 करोड़ रु०	2212 मि० येन
16.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	आई० डी० ए०	203.9 मि० अमरीकी डॉ०	164.2 मि० अमरीकी डॉलर

*बहु-राज्य/केन्द्र द्वारा प्रयोजित परियोजना जहां मध्य प्रदेश एक भागीदार राज्य है। ऋण की राशि समग्र रूप से परियोजना से संबंधित है क्योंकि ऋण का राज्य-वार विवरण अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

508. श्री एस० पी० जायसवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के अनेक संस्थानों ने भारी संख्या में जमाकर्ताओं को धोखा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इन बेईमान संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) अधिनियम, 1934 में हाल में किए गए संशोधन से पहले, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन० बी० एफ० सी०) को कारोबार प्रारंभ करने अथवा जारी रखने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अथवा पूर्वानुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ की डाक-सूची में एन० बी० एफ० सी० की संख्या 1855 थी। तत्कालीन स्वैच्छिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की संख्या सात थी। उत्तर प्रदेश में उन कंपनियों की संख्या, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 451क के उपबंधों के अनुसार अब भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, 1425 हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) 1997 में यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में यह उपबंधित है कि केवल पंजीकृत कंपनियां ही एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ का कारोबार कर सकती हैं। तथापि विद्यमान एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, तब तक कारोबार जारी रख सकती हैं, जब तक कि पंजीकरण के लिए उनका आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह उन कंपनियों को जमाराशियां स्वीकार करने से रोक सकती है, यदि वे सांविधिक प्रावधानों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी निदेश की अनुपालना नहीं करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी यदि आवश्यक हो तो, उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर कर सकता है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान का पकड़ा जाना

509. डॉ॰ बलिराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गत चार महीनों के दौरान विभिन्न स्थानों पर पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) पकड़े गए सामान का मूल्य क्या है;

(ग) क्या जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये वस्तुएं पकड़ी थीं, उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पकड़े गए सामान की सरकार द्वारा किस विधि से नीलामी की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इलायची, लौंग और तेज पत्ते की तस्करी

510. श्री पी॰ सी॰ थॉमस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इलायची, लौंग और तेज पत्ते की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इनमें प्रत्येक वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में तस्करी अथवा अवैध आयात हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने बिना लाइसेंस के ऐसे आयातों के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कोचीन, तूतीकोरिन, मद्रास (चेन्नई), मंगलौर जैसे पत्तनों तथा मुंबई के सभी पत्तनों तथा अन्य भारतीय पत्तनों पर उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक के आयात तथा उनके संबंध में दिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक की मात्रा तथा उसके मूल्य और उसके संबंध में किए गए जुर्माने तथा लगाए गए अन्य अभियोग का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे प्रत्येक अवैध आयात की कितनी मात्रा को नियमित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टाम्प अधिनियम, बिक्रीकर ढांचे को तर्कसंगत बनाना

511. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पूरे देश में स्टॉम्प अधिनियम, बिक्री कर ढांचा तथा मूल्यवर्धित कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाने हेतु विचार-विमर्श के लिए मई, 1997 में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) अंतर्राज्यीय बिक्री के कराधान पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट और स्टॉम्प शुल्क में सुधार करने के संबंध में राज्य वित्त मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिए 4 जुलाई, 1997 को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ग) केन्द्रीय बिक्री कर और स्टाम्प शुल्क में सुधार करने और मूल्य-वर्धित कर प्रणाली को आरंभ करने की अनिवार्यता पर आम सहमति थी।

कोयला भंडारों की जांच

512. श्री विनय कटियार :

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों की खानों के नाम क्या हैं जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान कोयला खानों की जांच के समय कोयले के भण्डारों में कमी पायी गई;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क)

1993-94 से 1995-96 के दौरान कोल इंडिया लि॰ की खानों में किए गए कोयला स्टॉक के सत्यापन के अनुसार + /-5% के अनुज्ञेय अंतराल से अधिक कोयले के स्टॉक की कमी पाई गई है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1996-97 हेतु स्टॉक सत्यापन संबंधी क्रियाकलाप प्रगति पर है।

(ख) जब कमी + /-5% अंतराल से अधिक कोई कमी कोयला स्टॉक में पाई जाती है तो संबद्ध कोयला कंपनी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) स्टॉक में आने वाली कमियों को रोकने के लिए निम्न उपाय, जिसमें कोयला स्टॉक की आवधिक प्रत्यक्ष मापन शामिल हैं, किए जा रहे हैं :

1.

(i) मासिक — यूनिट स्तर के दलों के द्वारा

(ii) तिमाही — क्षेत्र स्तर के दलों के द्वारा

(iii) अर्द्धवार्षिक — सहायक मुख्यालय के स्तर के दलों के द्वारा

(iv) वार्षिक — को॰ इं॰ लि॰ के स्तर के दलों के द्वारा

2. 10% कोलियरियों में जांच संबंधी मापन कार्य सर्वेक्षण दलों द्वारा किया जा रहा है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड के सर्वेक्षण दलों को छोड़कर अन्य सर्वेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3. जहां कहीं भी कोयले के स्टॉक में कमी पाई जाती है, कोयला कंपनियों के द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

4. अचानक जांच निरीक्षण भी किया जाता है।

विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰

क्र॰सं॰	खान का नाम	कमी (टन में)
1	2	3
	1995-96	
1.	मधईपुर	985
2.	पांडेश्वर	5643
3.	साउथ समला	341
4.	एस॰ एस॰ पुर	13580
5.	तीर्थ	743
6.	कौरडीह	2804
7.	रतीबती	1510
8.	चपुई खास	999
9.	मीथापुर	2467
10.	कुनुस्टोरिया	27675
11.	पोईडीह	172
12.	खैराबाद	83
	1994-95	
1.	पांडेश्वर	795
2.	दालुरबंद	601
3.	साउथ समला	45
4.	मधईपुर	15082
5.	दालुरबंद ओकाप	2907
6.	जे॰ पलासथली	3143
7.	गंगारामचक	11036
8.	कुमारडीह "ए"	453
9.	कुमारडीह "बी"	957
10.	सावाबोनी	10790
11.	भगोरा	9088
12.	खन्द्रा	3162
13.	सिदुली	7179
14.	सी॰ एल॰ जाम्बाद	8152
15.	तोअरकेन्दा	9142
16.	मधुसुदनपुर	3949
17.	मधुजोरे	1332
18.	पारसकोले	5828
19.	काजोरा	2918
20.	लाचीपुर	1633
21.	घनश्याम भू॰ ग॰	1934
22.	बलबेद	6938

1	2	3
23.	एन॰ सियरसोल	17750
24.	कुनुस्टोरिया	4697
25.	परासिया 6 और 7	2480
	इन्कलाइन	
26.	चपुईखास	835
27.	अरधोगराम	18236
28.	भनोरा आर॰	1193
29.	भनोरा वेस्ट	12825
30.	कलपाहारी	5281
31.	घुसिक आर॰	3057
32.	मेथानी	3494
33.	नरसामुंडा	2039
34.	परबेलिया	13925
35.	दुबेश्वरी	10369
36.	मोहनपुर	11356
37.	बरमुरी	85927
38.	श्यामपुर "बी"	20704
	1993-94	
1.	पांडेश्वर	1528
2.	दालुरबंद	806
3.	एस/समला	468
4.	मधईपुर	19943
5.	कनकारतला	678
6.	गंगारामचक	16407
7.	सिदुली	20761
8.	हरीपुर	33945
9.	लोअर केन्दा	27189
10.	बेलबेद	2089
11.	एन/सियरसोल	9961

1	2	3
12.	बंसरा भू॰ ग॰	20692
13.	कुनुस्टोरिया	31385
14.	अमरसोता	1658
15.	परासिया 6 और 7	5449
16.	भनोरा आर॰	1947
17.	भनोरा वेस्ट	9966
18.	कालीपहाड़ी	4147
19.	घुसिक आर॰	1010
20.	रानीपुर	511
21.	परबेलिया	3319
22.	दूबेश्वरी	9915
23.	दबोर ओ॰ का॰	20362
24.	डालमिया ओ॰ का॰	58406
25.	मोहनपुर	41070
26.	चकबालवपुर	1515
27.	राजमहल	80454
28.	चितरब	186562
29.	लाखीमाट "ए"	36134
30.	श्यामपुर "बी"	10718
31.	कापालरा	2203
	भारत कोकिंग कोल लि॰	
1.	मूडीडीह	648
2.	नार्थ तिसरा	176,377
3.	साउथ तिसरा	111,505
	1995-96	
1.	मूडीडीह	5521
2.	कनकनी	6066
3.	तेतुलमारी	12409
4.	बस्ताकोला	50186

1	2	3
5.	बेरा	79040
6.	बोबारी	53551
7.	यानहूडीह	1110978
8.	कुजमा	35040
9.	कुया	217075
10.	जी॰ ओ॰ सी॰ पी॰	599722
11.	एन॰ तिसरा	156497
12.	एस॰ तीसरा	260035
13.	जीनासोरा	3487
14.	जयरामपुर	1138
15.	मुरईडीह	112319
16.	जसुनिया ओ॰ का॰ प॰	68306
17.	बलिहारी	7725
18.	भागबंद	24849
19.	हुरलाडीह	653
20.	बसंतीमाटा	6793
	1993-94	
1.	लोहापट्टी	5160
2.	लोयाबाद	20142
3.	कथारा	4397
4.	दामामोरिया ओकाप	924538
5.	एन॰ एल॰ ओ॰ का॰ प॰	45330
	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰	
	1995-96	
1.	सिरका भू॰ ग॰	15595
2.	अरगारा	10016
3.	कथारा	20417
4.	एल धोरेकल्याणी	46425
	1994-95	
1.	भुरकुंडा	44606
2.	लापंगा	136926
3.	सौंवा	86139

1	2	3
4.	ए॰ करनपुर	18139
5.	के॰ करनपुरा	20601
6.	सयाल "डी"	626531
7.	उरीमारी	432920
8.	गिड्डी "ए"	18223
9.	रेलीगारा	216903
10.	सिरका भू॰ ग॰	4481
11.	सिरका ओका	49517
12.	रोहिणी ओका	171686
13.	चुरी	37411
14.	करकाटा	183529
15.	अशोक ओकाप	131678
16.	तेतासीखर ओका	7213
17.	के॰ डेवरखंड	192438
18.	सवांग और पिपराडीह	568465
19.	गोविंदपुर (पी)	323618
20.	कथारा	527357
21.	जारंगडीह	242206
22.	धोरी	335252
23.	एन॰ एस॰ धोरी	296521
24.	अमलो	199066
25.	कल्याणी	296702
26.	टर्मी	233886
27.	धोरी-के	150749
28.	गिरिडीह ओकाप	29737
29.	करबीदाद पी॰ डी॰ टी॰ आर॰ एन॰	238096
30.	कुजु	78732
31.	सीमरा	1810
32.	सुगला	36558

1	2	3
33.	पौंडी	240078
34.	टोपा	92629
35.	पिंद्रा	54526
36.	सारूबेरा	28281
37.	एन॰ आर॰ साइडिंग	27846
38.	चिनपुर साइडिंग	24684
	1993-94	
1.	सिरका भू॰ ग॰	28722
2.	सिरका ओ॰ का॰	76276
	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰	
1995-96	कमी	शून्य
1994-95	कमी	शून्य
	1993-94	
1.	राजनगर आर॰ ओ॰	84513
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	
1995-96	कमी	शून्य
1994-95	कमी	शून्य
	1993-94	
1.	शिवपुरी	3021

एन॰ सी॰ एल॰, एम॰ सी॰ एल॰ और एन॰ ई॰ सी॰

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कोयले के स्टाक की कमी नहीं है।

आयात शुल्क में भेदभाव

513. श्री सुरेश आर॰ जादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों की सरकारों द्वारा आयात शुल्क में भेदभाव के कारण भारतीय अंगूर निर्यातकों को 18% आयात शुल्क देना पड़ता है जबकि चीली तथा इज़राइल के अंगूर उत्पादकों को केवल 3% आयात शुल्क देना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) यूरोपीय संघ (ई॰ यू॰) द्वारा किसी विशिष्ट देश के लिए अलग से लागू की गई कोई शुल्क प्रणाली नहीं है क्योंकि शुल्क "परम मित्र राष्ट्र" (एम॰ एफ॰ एन॰) आधार पर लगाने होते हैं। तथापि, परम मित्र राष्ट्र शुल्क व्यवस्था से अलग यूरोपीय संघ द्वारा अनेक विकासशील देशों को सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी॰ एस॰ पी॰) के तहत रियायती व्यवहार प्रदान किया जाता है। भारत भी लाभभोगियों में से एक है। फसल मौसम, 1997 के दौरान यूरोपीय संघ ने भारतीय अंगूरों पर आयात शुल्क 18% से घटाकर 15% कर दिया है। यूरोपीय संघ जी॰ एस॰ पी॰ योजना के तहत अत्यंत अल्पविकसित देशों और कुछ अन्य देशों के निर्यात जो विशेष समस्याओं का सामना कर रहे हैं, भारत से अधिक रियायतें प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत ने यूरोपीय संघ से अच्छे जी॰ एस॰ पी॰ व्यवहार के लिए अनुरोध किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सी॰ आर॰ बी॰ लेखों का निरीक्षण

514. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1996 के दौरान सी॰ आर॰ बी॰ पूंजी बाजार की लेखा पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया था;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई में सी॰ आर॰ बी॰ ने निगमित कार्यालय का अंतिम निरीक्षण 3 जनवरी, 1997 को पूरा किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में आयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने दिल्ली में सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल लि॰ के पंजीकृत कार्यालय में 13.11.96 और 18.11.96 के बीच और मुंबई कार्यालय में 18.11.96 और 3.1.97 के बीच निरीक्षण किए। 31.3.96 की स्थिति के संदर्भ में जो निरीक्षण किया गया उससे यह पता चला कि कंपनी ने जमाराशियों की अवधि और ब्याज दरों के बारे में आर॰ बी॰ आई॰ के निदेशों का उल्लंघन किया। कंपनी ने अधिकतम स्वीकृत दरों की सीमा से ज्यादा दलाली का भुगतान किया, मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा दी गई अनुमति से अधिक अवधि के लिए एन॰ आर॰ आई॰ जमाराशियां स्वीकार की और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम

(पी॰ एम॰ एस॰) के तहत धन ग्रहण करने में "सेबी" के विनियमों और मार्गदर्शनों का उल्लंघन किया। निरीक्षण से यह भी पता चला कि कंपनी बिल भुनाई की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर पाई।

(घ) और (ङ) सरकार ने विनियामकों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) से कहा है कि वे इन कंपनियों के संबंध में विनियामक कार्रवाई की पूर्ण आंतरिक पुनरीक्षा करें, ताकि सी॰ आर॰ बी॰ ग्रुप कंपनियों के लिए विनियमन लागू करने या चेतावनी संकेतों का प्रत्युत्तर देने में हुई त्रुटि का पता लगाया जा सके और संबंधित कमियों को दूर किया जा सके।

[हिन्दी]

"नवरत्न" सूची में शामिल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

515. श्री नीतीश कुमार :

जस्टिम गुमान मल लोढा :

श्री सुरेश कलमाड़ी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा "नवरत्न" सूची में किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल किया गया है;

(ख) ऐसे उपक्रमों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) "नवरत्न" सूची में शामिल होने से इन उपक्रमों को क्या विशेष फायदे होते हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना उक्त सूची में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य और उपक्रमों को शामिल करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार ने "नवरत्न" की सूची में सरकारी क्षेत्र की जिन 9 कंपनियों को शामिल किया है, उनके नाम (अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार) इस प्रकार हैं :

1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰,
2. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि॰,
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि॰,
4. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰,
5. इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लि॰,
6. नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लि॰,
7. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम,
8. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰, तथा
9. विदेश संचार निगम लिमिटेड।

(ख) और (ग) "नवरत्न" सूची में उद्यमों को शामिल करने हेतु जो मानदण्ड निर्धारित किए गए थे, उनमें उद्यमों के आकार, उनके भौतिक व वित्तीय निष्पादन, उनके कार्यकलापों की किस्म, उनकी भावी संभावनाओं तथा विश्वस्तर पर उभर पाने की उनकी क्षमता शामिल थी। "नवरत्न" सूची में शामिल उद्यमों को मुख्य लाभ यह हुआ कि उन्हें अधिकाधिक स्वायत्तता तथा प्रचालनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु योजनाएं

516. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई ठोस तथा समयबद्ध योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की व्यापक योजनाएं बनाने पर विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सरकार, देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योगों का संवर्धन करती है। खादी ग्रामोद्योग के 1956 में अस्तित्व में आने से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग देश भर में खादी तथा ग्रामोद्योगों का संवर्धन और वित्तीयन कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 60.22 लाख व्यक्तियों के रोजगार के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र पर 9वीं योजना संबंधी कार्यदल ने 9वीं योजना के अंतिम वर्ष तक 46.71 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करने की सिफारिश की है। 9वीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, 9वीं योजना के दौरान खादी ग्रामोद्योग योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लक्ष्य सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग को उपलब्ध कराये जाने वाले योजनागत संसाधनों पर निर्भर करेंगे।

खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रमुख संघटक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

1. खादी उत्पादन में वृद्धि करना,
2. 125 आर॰ पी॰ डी॰ एस॰ ब्लॉक कार्यक्रम,
3. जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम,
4. चमड़ा, हस्तनिर्मित कागज और मधुमक्खी पालन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, और

5. विशेष बल दिये गये क्षेत्रों की विशेष परियोजनाएं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्धार पैटर्न

517. श्री सुधीर गिरि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण देने की प्रणाली वाणिज्यिक बैंकों से किस प्रकार भिन्न है;

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष लाने के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ग) इन प्रस्तावों को रद्द कर देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर छोटे और सीमांतिक किसानों, कृषक मजदूरों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर० आर० बी०) की स्थापना की गई थी। इन लक्ष्यों के समनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा नेटवर्क का मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण परिचालनों का जोर उनके परिचालन क्षेत्र के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यगत समूह के हिताधिकारियों पर रहा है।

तथापि, यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उन उद्देश्यों को पूरा करना है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है तो इसके लिए परिचालनों की दीर्घकालिक अर्थक्षमता जरूरी है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने कई कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज की दरों को अविनियमित करना, ड्राफ्टों/चेकों की खरीद और भुनाई तथा गारंटियां जारी करने जैसी सेवाओं के दायरे और संभावना को बढ़ाना, गैर लक्ष्यगत समूहों का वित्त पोषण करना, जोखिम भारित और गैर जोखिम भारित भागीदारी में भाग लेना और आवास ऋण का प्रावधान करना इत्यादि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 1997 से आरंभ प्राथमिकता क्षेत्र उधारकर्ताओं को दिया जाने वाला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अग्रिम उनके बकाया अग्रिम का 40% होना चाहिए जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के भाग के रूप में सरकार ने तुलन पत्रों के निपटान के लिए चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विकास कार्य योजना की तैयारी और वार्षिक आधार पर विभिन्न प्रयोजक बैंकों के साथ समझौता ज्ञापनों के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विशेष तौर पर निवेश और उधार के अवसरों के क्षेत्र में समान अवसर ("लेवर प्लेईंग फील्ड") प्रदान करने और अर्थक्षम और स्थायी रूप से उन्हें अपने कार्य निष्पादन में समर्थ बनाने के लिए, उपर्युक्त कदम उठाए गए हैं।

जबकि ऋण नीति संबंधी किन्ही विशिष्ट प्रस्तावों का त्याग नहीं किया जा गया है, उधार, शाखा विस्तार और अधिशेष संसाधनों के निवेश पर प्रतिबंधों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर चरणबद्ध ढंग से छूट दी गई है।

ग्वाटेमाला से इलायची की तस्करी

518. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में आया है कि भारत में ग्वाटेमाला से निम्न गुणवत्ता की इलायची की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) प्राप्त आसूचना से भारत में विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा से तीसरे देश के मूल की इलायची की तस्करी होने का पता चलता है। तथापि, ऐसी तस्करी के ब्यौरों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इलायची और अन्य मसालों की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं।

ऋण बट्टे खाते में डालना

519. श्री सत्यपाल जैन :

श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

श्री सुखबीर सिंह बादल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने हेतु प्राप्त ऋण को बट्टे खाते में डालने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने आतंकवाद (वर्ष 1984-85 से वर्ष 1993-94 तक) की अवधि के दौरान राज्य को बकाया विशेष अवधि ऋण अग्रिम की पुनर्अदायगी सहित अतिरिक्त सहायता के लिए कई अनुरोध किये हैं। इस मामले पर अंतिम निर्णय के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

रेशम धागे

520. श्री दत्ता मेघे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रेशम धागे का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या राज्य के पास रेशम धागे का उत्पादन तथा निर्यात करने की प्रबल संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन तथा रेशम धागे के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रेशम यार्न का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :

1. मलबरी अपरिष्कृत रेशम (मि॰ टन में)

वर्ष	मात्रा
1995-96	14
1996-97	12

2. तसर अपरिष्कृत रेशम (टन में)

वर्ष	मात्रा
1995-96	1
1996-97	1

(ख) और (ग) 1995-96, 1996-97 में भारत से रेशम यार्न का निर्यात नगण्य है। निर्यात किये गए रेशम यार्न का मूल्य 846 करोड़ रू॰ तथा 880 करोड़ रू॰ के कुल निर्यात की तुलना में क्रमशः 0.44 करोड़ रू॰ तथा 0.54 करोड़ रू॰ है। अधिकांश रेशम यार्न का निर्यात रेशम अपशिष्ट से बने यार्न का होता है तथा ऐसे यार्न का उत्पादन करने वाली किसी मिल की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में नहीं की गई है।

[अनुवाद]

विधि मंत्रियों का सम्मेलन

521. श्री नामदेव दिवाथे :

श्री संदीपान थोरात :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में राज्य के विधि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो जिस कार्यसूची पर चर्चा की गई तथा उसमें लिए गए बड़े निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए जिस समयबद्ध कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) हाल ही में शुरू किए गए विभिन्न कानूनी सुधार प्रक्रियाओं की स्थिति क्या है तथा महाराष्ट्र सरकार से कौन से सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) जी, हां।

(ख) विधि मंत्रियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त की प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है। बैठक में किए गए मुख्य विनिश्चय निम्नलिखित हैं :

1. विधि आयोग द्वारा अपनी 154वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता का व्यापक तौर पर संशोधन करना;

2. प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में विलंब को दूर करने के लिए और वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन करना;

3. लंबित मामलों को कम करने में सहायता के लिए तिमाही आधार पर लोक अदालतें आयोजित करने के लिए 15 अगस्त, 1997 से एक वर्ष के लिए राज्य-वार अभियान आरंभ करना;

4. न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, एडवोकेट आन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 1993 के निर्णय से पूर्व यथा विद्यमान स्थिति को बहाल करना।

5. अप्रचालित विधियों का पूर्विकता के आधार पर पुनर्विलोकन/निरसन आरंभ करना;

6. सुगमता के लिए इंटरनेट पर केन्द्रीय अधिनियमितां और विनिश्चय किए गए मामलों जैसी विधिक जानकारी उपलब्ध कराना;

7. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और नोटरी अधिनियम, 1952 का संशोधन करना।

(ग) लंबित मामलों को कम करने में सहायता के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तिमाही के आधार पर, लोक अदालतें आयोजित करने के लिए 15 अगस्त, 1997 से आरंभ होने वाले एक वर्ष के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विधि मंत्री सम्मेलन, 1997 का कार्यवृत्त

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन।

3. न्यायालयों में बकाया मामलों में कमी;

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा; और न्यायाधीशों की नियुक्ति।

4. वैकल्पिक विवाद समाधान, नालसा, लोक अदालत, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, अधिवक्ता अधिनियम, नोटरीज अधिनियम और इनसे संबंधित विवाद्यक।

5. अप्रचलित विधियों का निरसन/पुनर्विलोकन, विधिक प्रारूपण में सरल भाषा, आदि, विधिक जानकारी का कम्प्यूटरीकरण।

इंडियन बैंक को घाटा

522. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इंडियन बैंक को कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इंडियन बैंक ने वर्ष 1995-96 (31.3.96 को समाप्त वर्ष) के दौरान 1336.40 करोड़ रुपए की निवल हानि की सूचना दी है। अभी बैंक को 31.3.97 को समाप्त वर्ष के लिए अपने खातों को अंतिम रूप देना है।

(ख) और (ग) क्योंकि वर्ष 1995-96 के दौरान बैंक का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था, अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को निम्नलिखित सुझाव दिये थे :

(i) जमाराशियां जुटाने हेतु निरंतर प्रयास करने के लिए बैंक को विशेष कार्यदल गठित करना चाहिए और अनुप्योज्य आस्तियों (एन॰ पी॰ ए॰) की वसूली हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि उसकी लाभप्रदता में सुधार हो सके।

(ii) मुख्य अनुप्योज्य आस्तियों वाले लेखों की वसूली की प्रगति के संबंध में मासिक स्थिति रिपोर्ट/स्टॉफ जवाबदेही की पुनरीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जानी चाहिए।

(iii) राजकोषीय प्रबंधन/आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिए।

(iv) विदेशी शाखाओं के कार्यकरण की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु इंडियन बैंक ने निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं :

(i) स्थायी जमाराशियों को बढ़ाना।

(ii) वित्तीय आस्तियों और देयताओं के असंतुलन में कमी करना।

(iii) ऋण प्रबंधन में सुधार लाना।

(iv) अनुप्योज्य आस्तियों (एन॰ पी॰ ए॰) की वसूली समझौता प्रस्तावों को अंतिम रूप देने हेतु बैंक ने एक समझौता परामर्शदात्री समिति बनाई है।

(v) आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था में सुधार लाना।

बैंक के कम्प्यूटरीकरण संबंधी आई॰ बी॰ ए॰ का विचार

523. श्री राम सागर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰ बी॰ ए॰ द्वारा 1993 के दौरान यूनियनों के साथ कम्प्यूटरीकरण के करार पर हस्ताक्षर करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि जून, 1996 तक लगभग 2800 शाखाओं का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की प्रगति बहुत कम होने के क्या कारण हैं और अभी तक केवल 1400 शाखाओं का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण हो रहा है; और

(ग) शेष 1400 शाखाओं का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण कब तक किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आई॰ बी॰ ए॰) द्वारा कर्मचारी, फेडरेशन के साथ अक्टूबर, 1993 में हुए उद्योग स्तर समझौते को ध्यान में रखते हुए, सभी बैंकों को चरणबद्ध तरीके से अपनी शाखाओं को पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करना था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च 1997 तक भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 2197 शाखाएं पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी हैं और अधिक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

सामान्य बीमा निगम के अधिकारियों का विदेशी दौरा

524. श्री सौम्य रंजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम के उस चेयरमैन और उसकी चार सहायक कंपनियों के उन चेयरमैनों के नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में गए और उन देशों के नाम क्या हैं, जहां वे गए और देशवार वे वहां कब पहुंचे और वे वहां से कब विदा हुए;

(ख) उनकी यात्राओं का प्रयोजन क्या था और प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) सामान्य बीमा निगम की प्रत्येक सहायक कंपनी के चेयरमैन और निवेशकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मुंबई से दिल्ली किए

गए दौरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी दिल्ली की यात्राओं का प्रयोजन क्या था और प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

त्रिमुघानी घाट, बडेडा में बैंक शाखा

525. श्रीमती सुभावती देवी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिमुहानी घाट, बडेडा, दरभंगा (बिहार) बैंक की शाखा खोले जाने संबंधी भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां अब तक उक्त बैंक की शाखा न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने सूचित किया है कि त्रिमुहानी घाट, बडेडा बैंक रहित ग्रामीण केन्द्र है। विद्यमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत किसी खास केन्द्र पर कोई शाखा खोलने की आवश्यकता को उस बैंक के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है जिसके ग्रामीण ऋण संबंधी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना के अंतर्गत उस केन्द्र/गांव को आबंटित किया गया है। अपने संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण शाखाएं खोलने के बैंक के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत संस्तुत किए जाने और पूर्वानुमोदन के लिए आर० बी० आई० को भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार करता है। आर० बी० आई० ने आगे सूचित किया है कि त्रिमुहानी घाट, बडेडा में शाखा खोलने के लिए उन्हें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी उपक्रमों की उपलब्धियां

526. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाहरी और अन्य दबावों के कारण सरकारी उपक्रमों का महत्व कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्राचल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का सारांश लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1995-96 के खण्ड-1 की सारणी संख्या 1.13 पृष्ठ 19 और 20 में दिया गया है, जिसे संसद में 5,5,1997 को प्रस्तुत किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में सरकारी उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सावधिक कार्य-निष्पादन की समीक्षा, निदेशक मंडलों को शक्तियों का अधिक प्रत्यायोजन तथा उनका व्यावसायीकरण, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से अधिशेष मानवशक्ति में कमी, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूंजी व्यय के लिए वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के अलावा सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों को, जिन्हें नव-रत्न नाम दिया गया है, उन्हें अधिक प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का चुनाव

527. कुमारी उमा भारती :

श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **विधि और न्याय** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार की विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(क) किसी व्यक्ति को, धारा में उल्लिखित कतिपय अपराधों के लिए सिद्धदोष होने पर निरहिंत करती है। यह धारा यह भी उपबंध करती है कि किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया और दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडित कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ऐसी दोप सिद्धि की तारीख से निरहिंत होगा और उसकी उन्मुक्ति से छः वर्ष की अवधि के लिए निरहिंत बना रहेगा। इन उपबंधों की दृष्टि से, इस समय इस संबंध में, निर्वाचन विधियों का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सूत कताई मिल

528. प्रो॰ ओमपाल सिंह निडर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर सूत कताई मिल स्थित हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्य में सूत कताई मिलें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कताई मिलों के सुचारु कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में सूती/मानव निर्मित फाइबर कताई मिलें मुख्य रूप से इलाहाबाद आजमगढ़ रायबरेली, हाथरस, मिर्जापुर, बुलंदशहर, इटावा, मगहर, बिजनौर, अमरोहा (मुरादाबाद), बहेड़ी (जिला-बरेली), मऊ-ऐमा (जिला-इलाहाबाद); महमूदाबाद-सीतापुर, बहादुरगंज, कंपिल (जिला-फर्रुखाबाद, फतेहपुर, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, देहरादून, नैनीताल, साहिबाबाद, मोदीनगर, फैजाबाद बाराबंकी, झांसी, हरदोई, बलिया, जौनपुर, तथा बांदा में हैं। 31.3.97 की स्थिति अनुसार, 64 मिलों की स्थापित क्षमता 1898318 तकुए, 6072 रोटर्स तथा 11567 करघे हैं। बंद पड़ी मिलों को छोड़कर निजी क्षेत्र कताई मिलें अपनी क्षमता का आमतौर पर उपयोग कर रही हैं। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए यथा उपयुक्त, योजनाएं तैयार करने और मंजूर करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन (बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰) बोर्ड स्थापित किया है।

हथकरघा क्षेत्र के लिए धनराशि का आबंटन

529. श्री एन॰ डेनिस :

श्री राजकेशर सिंह :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए अधिक धन आबंटित करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हथकरघा विकास केन्द्रों में आधुनिकीकरण के मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त करघों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल कितना धनराशि जारी की गई;

(ङ) 1996-97 के दौरान हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र को कुल कितना आबंटन किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। हथकरघा क्षेत्र के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान योजना शीर्ष के अंतर्गत 87.55 करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में वर्ष 1997-98 के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) जी, हां। प्रोजेक्ट पैकेज योजना के साथ-साथ करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दिए जाने पर विचार किया है।

(घ) 8वीं योजना अवधि के दौरान योजना स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 263.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ङ) 8वीं योजना के दौरान 1992-93 में हथकरघा वस्त्र उत्पादन 5219 मिलियन वर्ग मीटर से 1996-97 में 7235 में मिलियन वर्ग मीटर की वृद्धि हुई थी जो 38.6% की वृद्धि दर्शाती है।

(च) 9वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी मुद्रा डीलर

530. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना अभिकरणों ने अनेक विदेशी मुद्रा डीलरों के कार्यकरण की देश भर में जांच करने के लिए अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के ऐसे डीलरों की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि वर्ष 1996-97 के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (फेरा) के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघन से संबंधित मामलों में 11 प्राधिकृत डीलरों/पैसा विनियमन करने वालों के विरुद्ध जांच आरंभ की है।

(ग) विदेशी मुद्रा डीलरों के गैर-कानूनी कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार लगातार निगरानी रखती है।

आई॰ ओ॰ बी॰ के विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ जांच

531. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **वित्त** मंत्री "आई॰ ओ॰ बी॰" के विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ जांच के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के दिनांक 21 मार्च, 97 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुसरण न करने और/अथवा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 21 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान, धोखाधड़ियों में उनकी अंतर्ग्रस्तता के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

	1994	1995	1996
दोषी ठहराये गये कर्मचारियों की संख्या	50	33	46
निकाले गए/बर्खास्त किए गए/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	331
बड़ा/छोटा दण्ड दिए गए कर्मचारियों की संख्या	1248	1160	1207

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

832. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कोयला** मंत्री 14 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3314 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्थायी अभिसमय समिति (दीर्घ कालिक) के पास भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की आपूर्ति संबंधी प्रक्रियाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम ने पहले 4 × 210 मे॰ वा॰ क्षमता वाली मिथेन राइट बैंक टी॰ पी॰ एस॰ की स्थापना का प्रस्ताव किया था जिसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के स्रोतों को कोयले की आपूर्ति करने पर सहमति दी गई थी। इस टी॰ पी॰ एस॰ की क्षमता को बढ़ाकर 1000 मे॰ वा॰ (4 × 250 मे॰ वा॰) किया गया है और फरवरी, 1997 में कोयला मंत्रालय से दामोदर घाटी निगम ने इस टी॰ पी॰ एस॰ की दीर्घावधि संयोजन के लिए अनुरोध किया है। स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा अगस्त, 1997 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित बैठक में अन्य विषयों के साथ-साथ दामोदार घाटी निगम के इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय एककों में रिक्त सर्वोच्च पद

533. प्रो॰ अजीत कुमार मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन वित्तीय एककों में सर्वोच्च पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्तमान में भारतीय निर्यात-आयात बैंक और युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद रिक्त हैं।

(ख) और (ग) इन पदों को भरने के संबंध में कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान

534. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन बैंकों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उपाए किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राजस्थान में 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर० आर० बी०) कार्य कर रहे हैं, जिनके मुख्यालय जयपुर, पाली, सीकर, चुरु, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में स्थित हैं।

(ख) आर० आर० बी० के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : बैंकिंग सेवाओं को विशेषकर उन क्षेत्रों तक ले जाना जहां बैंक विद्यमान नहीं हैं, समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बचत जुटाना और उत्पादक क्रियाकलापों को समर्थन देने के लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना, पुनर्वित्त के माध्यम से केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक मार्ग प्रशस्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का प्रबंध करने में आने वाली लागत में कमी लाना।

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रापीण बैंकों में संग्रहीत जमाराशियां, संवितरित ऋण और बकाया ऋणों का विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रू०)

वर्ष	जमाराशियां	संवितरित ऋण	बकाया ऋण
1993-94	555.01	68.06	226.85
1994-95	697.66	106.72	279.09
1995-96	888.98	155.76	350.30

(अद्यतन उपलब्ध)

(ग) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर है और अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचालन का क्षेत्र सीमित होना, कम व्यावसायिक क्षमता, उस समय लागू प्रशासनगत हित-व्यवस्था, उच्च स्टॉफ-लागत, कम उत्पादकता और कमजोर वसूली-निष्पादन घाटे के कारण है।

गत तीन वर्षों के दौरान, आर० आर० बी० को पुन: गतिशीलता प्रदान करने के अंश के रूप में राजस्थान में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने तुलन-पत्र व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा 126.72 करोड़ रुपए की सीमा तक पुन:पूंजीकरण सहायता प्रदान की गई है। (इसमें 50% हिस्सा भारत का है)। आर० आर० बी० को मजबूत बनाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल उपाय हैं—सेवाओं की पहुंच और प्रयोजन को और विस्तृत बनाना, घाटा उठाने वाली शाखाओं को और बेहतर स्थानों पर ले जाना, बैंक विशिष्ट विकास कार्ययोजनाएं तैयार करना और समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) को अंतिम रूप देना, निवेश के लाभकारी मार्गों तक पहुंच विवेकपूर्ण लेखा-जोखा रखने और अनन्तिम मानदंडों को लागू करना और 26.08.96 से ब्याज दरों में विनियमन में ढील देना। इसके अतिरिक्त, आर० आर० बी० के ऋण प्रचालन को अर्थक्षम बनाने और अन्य वाणिज्यिक बैंक समेत इनकी ऋण प्रदान करने के प्रस्तावों में सादृश्य लाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने हाल ही में, यह शर्त रखी है कि आर० आर० बी० 1 अप्रैल, 1997 से अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान उनके बकाया अग्रिमों के 40% के बराबर अग्रिम दे।

कोर क्षेत्र हेतु विदेशी निधियां

535. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोर क्षेत्रों के लिए विदेशी निधियां प्राप्त करने के प्रयास में सक्रिय भूमिका निभा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) निवेश और व्यापार लेन-देन उन्नयन के लिये अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां। महत्वपूर्ण क्षेत्र में व्यापार के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार में अनेक उपाए किए हैं।

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय में है :

1. उच्च वरीयता वाले उद्योगों में विदेशी इक्विटी के 51% तक की स्वत: स्वीकृति।

2. खनन क्रियाकलापों के संबंध में उद्योगों/मदों के तीन संवर्गों में विदेशी इक्विटी के 50% तक की स्वत: स्वीकृति।

3. उद्योगों/मदों के 9 संवर्गों में विदेशी इक्विटी का 74%।

4. ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (जी० डी० आर०)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बोण्ड (एफ० सी० सी० बी०) के द्वारा विश्व बाजार में पहुंच प्रदान करने के मामले में भारतीय निगमों को पर्याप्त लोचशीलता प्रदान की गई है।

5. अवस्थापना क्षेत्र में ऐसे निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से एफ० आई० आई० को गैर-सूची बद्ध कंपनियों में निवेश करने की भी अनुमति दी गई है।

(ग) व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं तथा व्यापार और निवेश को सुकर बनाने के लिए द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। निर्यात संवर्धन परिषदों को नियमित आधार पर प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित करते हैं। निर्यात वृद्धि को ध्यान में रखकर एक्जिम नीति में भी उपयुक्त रूप से सुधार किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि निर्यात

536. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत कृषि निर्यात संवर्द्धन के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यातकों में किसानों की संख्या नगण्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों की रुचि निर्यात में बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) कृषि निर्यातों को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए नीति संबंधी अनेक परिवर्तन किए गए हैं। पूंजीगत वस्तुओं विशेष रूप से ग्रीन हाउस उपकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी के लिए आयात शुल्क कम करने से कृषि निर्यातों को सहायता मिली है। कृषि संबंधी निर्यातों पर से अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। कृषि तथा खाद्य उत्पादों को निषेधात्मक सूची में केवल दो श्रेणियां अर्थात् गोमांस और चर्बी हैं। प्रतिबंधित सूची की मदों में काफी कटौती की गई है और इसमें अब बहुत कम मदें शेष हैं जो लाइसेंसिंग अथवा मात्रात्मक सीमा के अधीन हैं।

निर्यात नीति को निरंतर अद्यतन बनाया जा रहा है तथा इसको और उदार बनाया गया है। हाल ही में किए गए परिवर्तनों में शामिल हैं:

1. चीनी के निर्यात का सरणीयन समाप्त किया गया है।

2. कृषि, एक्वाकल्चर, पशुपालन, फूलोत्पादन, बागान, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, कुक्कुट पालन तथा रेशम उद्योग के लिए सी॰ आई॰ एफ॰ मूल्य 5 करोड़ रु॰ या अधिक के मामले में शून्य शुल्क है जिसका निर्यात दायित्व एफ॰ ओ॰ बी॰ आधार पर सी॰ जी॰ का 6 गुणा सी॰ आई॰ एफ॰ मूल्य अथवा एन॰ एफ॰ ई॰ आधार पर सी॰ जी॰ का 5 गुणा सी॰ आई॰ एफ॰ मूल्य है तथा जिसके निर्यात दायित्व को 6 वर्षों में पूरा करना होता है।

3. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन के 50% तक बेचे जाने की अनुमति देना।

4. विशेष आयात लाइसेंस की हकदारी।

— लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए 2% अतिरिक्त एस॰ आई॰ एल॰ की हकदारी बशर्ते कि इन मदों का निर्यात उस अवधि के दौरान निर्यात का 50% से अधिक हो।

— फलों, सब्जियों, फूलोत्पादों तथा बागान उत्पादों के निर्यात के लिए 1% अतिरिक्त एस॰ आई॰ एल॰ की हकदारी बशर्ते कि इन मदों का निर्यात उस अवधि के दौरान निर्यात के 10% से अधिक हो।

— उत्तर पूर्व में विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए 1% अतिरिक्त एस॰ आई॰ एल॰ की हकदारी बशर्ते कि इन मदों का निर्यात उस अवधि के दौरान 10% से अधिक हो।

(ख) से (ङ) निर्यातक के रूप में पंजीकृत कृषकों के संबंध में कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, निर्यात प्रयासों में किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि सरकार के निर्यात संवर्धन प्रयासों का व्यापक प्रचार किया जाए।

[अनुवाद]

पिछले देयों की वसूली में खराब कार्य-निष्पादन

537. श्री संतोष मोहन देव :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने पिछले देयों जिसका एक बड़ा भाग कार्पोरेटों तथा व्यापारियों पर बकाया है, की समस्या से निपटने के लिए मई, 1997 के दौरान कोई पुनरीक्षा बैठक बुलाई है;

(ख) क्या वित्त मंत्री ने अनुत्पादक परिसम्पत्तियों की वसूली के संबंध में बैंकों के खराब कार्य-निष्पादन का मुद्दा भी उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा बैठक का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यूको बैंक, सेन्ट्रल बैंक और अन्य बैंकों के निदेशकों द्वारा वित्त मंत्री को कोई ऐसा ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनसे ऋण वसूली की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने ऋण वसूली अधिकरणों (डी॰ आर॰ टी॰) के कार्यों और उनके बकाया मामलों (इश्यूज) के बारे में दिनांक 21.5.97 को एक बैठक की थी ताकि बैंकों द्वारा फाइल किए गए दावों से संबंधित देयों की वसूली में शीघ्रता लाई जा सके। देयों की वसूली में अलग-अलग बैंकों का कार्यनिष्पादन इस बैठक का विषय नहीं था।

(घ) जी, नहीं।

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

538. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षकों ने निजी तथा सरकारी क्षेत्र के

बैंकों का निरीक्षण किया तथा इन निरीक्षणों का बैंकवार/शाखावार क्या परिणाम रहा;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) बैंकों के नियमित निरीक्षण/दौरे के बावजूद किन कारणों से उनमें घपले तथा जालसाजी होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देश में 60,000 से अधिक बैंक शाखाएं हैं और लेखा परीक्षा/निरीक्षण की अनुसूची बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्न के उत्तर में सभी बैंक-वार विवरण देना संभव नहीं होगा क्योंकि सूचना बहुत अधिक विस्तृत होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के स्थल पर निरीक्षण से संबंधित वर्तमान नीति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण भी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तथापि, अच्छी कोटि निर्धारण वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण 1 से 1 1/2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। शाखाओं का निरीक्षण चयनात्मक आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा-परीक्षा बैंकों द्वारा स्वयं की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का केन्द्र बिंदु, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/मार्गनिर्देशों की बैंकों द्वारा अनुपालना का मूल्यांकन और इसके साथ ही स्वयं बैंकों के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना है। जहां कहीं आवश्यक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक उसकी जानकारी में आई गंभीर अनियमितताओं के मामले में विशेष संवीक्षा भी करता है।

निरीक्षण रिपोर्टें, विस्तृत दस्तावेज हैं और प्रश्न के उत्तर में सभी तथ्यों का इतिवृत्त देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, स्थूल रूप से पाई गई अनियमितताएं जमाराशियों (जमाराशि प्रमाण-पत्र सहित) आंतरिक नियंत्रण, निवेश, अंतिम समय पर दिखाने के लिए कार्य करने (विंडो ड्रेसिंग), स्टॉक निवेश योजना, ऋण प्रबंधन (मंजूरी पूर्व मूल्यांकन, संवितरणोत्तर अनुवर्ती कार्रवाई, सुरक्षा पहलुओं, विवेकाधीन शक्तियों का उल्लंघन, आदि) विवेकपूर्ण सीमा की अनुपालना न करने चयनात्मक दण्ड के बदले अग्रिम, शेयरों के बदले अग्रिम, ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा/नवीनीकरण, अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने, बिल पोर्टफोलियो, गैर-निधि आधारित सुविधाओं, परिसरों को किराये पर लेने, उधार संघ (कंसर्शियम), आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था (जिसमें अंतरशाखा मिलान, बहियों का मिलान, समायोजन लेखे का समाशोधन सम्मिलित है) प्रावधान करने आदि जैसे ड्रेनों से संबंधित होते हैं।

(ख) निरीक्षण के परिणामों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। निरीक्षण रिपोर्टों पर बैंक की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, बैंक के प्रबंधन (मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसके कार्यकारी दल) को, कमियों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों की पहचान करने के लिए चर्चा हेतु बुलाया जाता है। सम्मत अनुवर्ती कार्य योजना को कार्यान्वित करने में बैंक की प्रगति की निगरानी की जाती है।

(ग) बैंकों में धोखाधड़ियां या तो प्रणालीगत कमियों अथवा निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों की अनुपालना न करने के कारण होती हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता

539. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

डॉ. बल्लभ भाई कथीरिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1997 में गोवा में सिविल प्रक्रिया संहिता पर तीन दिन का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सिविल न्याय के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संशोधनों को कब तक लागू किया जायेगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) केन्द्रीय सरकार और गोवा राज्य सरकार ने ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सिविल न्याय प्रणाली के प्रशासन को ठीक करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के संशोधन के लिए प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इस निमित्त एक विधेयक शीघ्र ही संसद के समक्ष लाया जा सकेगा।

सी. आर. बी. घोटाले के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक

540. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी. आर. बी. कैपिटल मार्केट्स लि., द्वारा किए गए घोटाले से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी उपस्थित थे, में क्या निर्णय लिये गये;

(ख) क्या इस बैठक में उस धनराशि के बारे में कोई आंकलन किया जा सका था जो सी. आर. भसाली को गिरफ्तारी के बाद वसूल की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार द्वारा सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ से संबंधित गतिविधियों की कई बैठकों में समीक्षा की गई है। सरकार ने नियामकों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) से इन कंपनियों से संबंधित नियामक कार्यों की यह देखने के लिए पूर्णरूपेण आंतरिक समीक्षा करने को कहा है कि क्या सी॰ आर॰ बी॰ समूह की कंपनियों पर विनियमों को लागू करने में या चेतावनी संकेतों पर ध्यान देने में कोई चूक हुई है, ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को यह पता लगाने के लिए भी कहा है कि क्या सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ के साथ भुगतान व्यवस्थाओं में चूकों से उत्पन्न पूर्व चेतावनी संकेतों पर कार्यवाई करने में कोई आंतरिक सफलता मिली थी। परिचालन स्तर पर, संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत अनुदेश भी जारी किए हैं, जिनमें कंपनियों को "सम मूल्य पर" भुगतान सुविधाएं प्रदान करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 ड ग के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक परिसमापन याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनन्तिम सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की है, जिसने कंपनी की आस्तियों और देयताओं का निर्धारण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में सरकारी परिसमापक को भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

साधारण बीमा निगम में लंबित मामले

541. श्री पवन दीवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 तक साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों से लंबित दस्तावेजों/दावों की कंपनी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार पालिसी बॉण्डों में यह प्रावधान करने का है कि दस्तावेजों के जारी करने अथवा दावों के निपटान में देरी के मामले में वसूल की गई किश्त की राशि पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर का ब्याज का भुगतान निपटाए गए मामले के संबंध में अथवा जो भी स्थित हो उसके ऊपर किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेज जारी करने अथवा दावों, के भुगतान में देरी के लिए अनुशासनहीन कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार लंबित दस्तावेजों/दावों (कंपनी-वार) की कुल संख्या नीचे दी गई है :

दि॰ 30.6.97 तक की स्थिति के अनुसार लंबित दस्तावेजों/दावों की संख्या (अनन्तिम)

	दस्तावेज	दावे
राष्ट्रीय	4,69,301	1,71,110
न्यू इंडिया	3,94,079	2,33,767
ओरियंटल	5,11,039	2,19,411
यूनाइटिड इंडिया	6,12,214	1,74,999
जोड़	19,86,633	7,99,287

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) साधारण बीमा उद्योग कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनुशासनहीनता तथा अन्य दुर्व्यहार से निटपाने के लिए साधारण बीमा आचरण अनुशासन तथा अपील (सीडीए) नियमावली के तहत सुसंस्थापित प्रक्रिया का पालन करता है।

[अनुवाद]

निविघ्न व्यवसाय के लिए दलाल

542. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1997 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "फार स्मूथ बिजनेस, टर्न टु टाउट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आम जनता के हित में भारतीय रिजर्व बैंक में दलालों के संकट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के बैंकिंग हाल में दलालों/व्यावसायिकों द्वारा कारबार किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) बैंकिंग हाल में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को सदैव सतर्क रहने की हिदायत की गई है।

(ii) बैंकिंग हाल में तैनात प्रबंधक (सुरक्षा) काउंटरों पर सुव्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए थोड़े-थोड़े अंतराल पर हाल में चक्कर लगाते रहते हैं।

(iii) सुरक्षा कर्मचारियों और काउंटरों पर कार्यरत कर्मचारियों को यह हिदायत दी गई है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को कतार में खड़े न होने दें, जिसने एक बार विनिमय के रूप में नोट/सिक्के प्राप्त कर लिए हों।

(iv) बैंक के सुरक्षा कर्मचारी और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पुलिस कार्मिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाल में तैनात किए गए हैं और वे काउंटरों का सुचारु रूप से कार्यकरण सुनिश्चित करते हैं।

(v) कतार में खड़े सभी ग्राहकों को स्टाक की स्थिति के अनुरूप बैंकिंग कारबार का समय समाप्त होने तक काउंटरों पर सिक्के जारी किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिशा-निर्देश की समीक्षा करने हेतु समिति

543. श्री सुंदर लाल पटवा :

श्री जी. ए. चरण रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए विद्यमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यीय समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति को कौन-कौन से मुख्य मुद्दे सौंपे गए हैं;

(ग) समिति की संरचना क्या है;

(घ) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(ङ) क्या इस समिति को गठित करने का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को और कुशल प्रतिस्पर्धी तथा स्वायत्त बनाने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय/सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए वर्तमान मार्ग-निर्देशों की समीक्षा और जो मार्ग-निर्देश अब आवश्यक अथवा तर्क संगत नहीं हैं, उनको हटाने अथवा उनमें संशोधन करने के उद्देश्य से उन्हें रद्द करने, उनका पुनः मसौदा तैयार करने और अथवा उन्हें सरल बनाने के लिए सिफारिश करना।

(ग) सरकारी उद्यम चयन मंडल के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्कोप के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव सरकारी उद्यम विभाग इसमें शामिल हैं।

(घ) तीन माह।

(ङ) मार्ग निर्देशों का यौक्तिकरण तथा सरलीकरण होने से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए परिचालन की अधिक स्वतंत्रता होगी और यह सरकारी क्षेत्र को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी तथा स्वायत्तः बनाने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।

कोयला क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं

544. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों/कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा कितने नए अस्पताल/औषधालय स्थापित करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं तथा संबद्ध संरचनात्मक ढांचों का ब्यौरा संलग्न विवरण—I, II, और III में दिया गया है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. के सहायक कंपनियों में 7 अस्पताल तथा 13 डिस्पेंसरियों की स्थापना का प्रस्ताव है।

विवरण-I

	सुविधाएं	ईकोलि	भाकोकोलि	सेकोलि	वेकोलि	साईकोलि	नाकोलि	मकोलि	नाईको	योग
1.	अस्पताल	13	15	19	10	13	5	2	2	84
2.	बिस्तर	1285	1219	882	711	947	273	90	132	5539
3.	डिस्पेंसियां	132	100	86	45	43	11	9	6	432
4.	एम्बुलेंस	148	117	121	90	83	38	28	8	633
5.	विशेषज्ञ	49	76	30	72	83	30	15	9	364
6.	कुल डॉक्टर	338	376	306	201	293	98	56	25	1693

विवरण-II

	सुविधाएं	ईकोलि	भाकोकोलि	सेकोलि	वेकोलि	साईकोलि	नाकोलि	मकोलि	नाईको
1.	अस्पताल	13	15	19	10	18	2	5	2
2.	बिस्तर	1315	1219	882	711	947	90	354	132
3.	डिस्पेंसरियां	135	100	67	47	45	9	11	6
4.	एम्बुलेंस	151	117	132	92	95	28	38	8
5.	विशेषज्ञ	43	108	86	74	70	12	38	8
6.	महिला चिकित्सा अधिकारी	36	56	75	19	64	14	—	4
7.	जीडीएमओ/वरि॰ एम॰ ओ॰/डिप्टी एम॰ एस॰/एम॰ एस॰	284	281	157	106	226	49	68	18
8.	कुल डॉक्टर	336	376	318	199	296	75	106	23
9.	आदमी/महिला नर्सिंग स्टाफ	282	49/291	273	231	300	71	90	24
10.	एक्स-रे यूनिट								
	(क) 1000 एम॰ ए॰/एम॰ सी॰	—	01	शून्य	—	700 एम्र ए॰-1	01	01	शून्य
	(ख) 500 एम॰ ए॰/एम॰ सी॰	—	06	1	3	02	उ॰ नहीं	—	—
	(ग) 300 एम॰ ए॰/एम॰ सी॰	—	06	15	9	11	3	01	1
	(घ) 300 एम॰ ए॰/एम॰ सी॰ से अधिक नहीं	—	20	7	9	12	4	—	2

विवरण-III

	सुविधाएं	ईकोलि	भाकोकोलि	सेकौलि	साइकोली	वेकोलि	मकोलि	नामोलि	नाईको
1.	अस्पताल	13	13	19	18	10	5	2	2
2.	बिस्तर	1313	1236	391	997	711	354	90	132
3.	डिस्पेंसरियां	135	100	67	47	31	15	9	6
4.	एम्बुलेंस	148	117	132	102	92	38	28	7
5.	विशेषज्ञ	41	68	90	81	81	40	12	0
6.	महिला चिकित्सा अधिकारी	38	53	73	0	22	0	14	0
7.	जीडीएमओ/वरि॰ एम॰ डी॰/डिप्टी एम॰ एम॰ एस॰/एम॰ एस॰	290	368	165	64	117	0	49	0
8.	कुल डॉक्टर	340	368	334	309	220	120	75	22
9.	एन/फी नर्सिंग स्टाफ	303	340	290	317	216	0	71	25
10.	कुल पैरामेडिकल स्टाफ	856	601	888	530	679	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰
11.	एक्स-रे यूनिट	ईकोलि	भाकोकोलि	सेकोलि	साईकोलि	वेकोलि	मकोलि	नाकोलि	नाईको
	1000 एम॰ ए॰	0	1	0	0	0	1	1	1
	700 एम॰ ए॰	0	0	0	0	0	0	0	0
	300 एम॰ ए॰	1	6	1	2	3	0	0	1
	300 एम॰ ए॰	13	7	13	11	11	1	3	1
	300 एम॰ ए॰ से अधिक नहीं	7	20	7	12	3	0	4	0

[हिन्दी]

उद्योगों को ऋण

545. श्री पंकज चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बैंकों द्वारा उद्योगों को उचित दर पर पर्याप्त ऋण नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई योजना तैयार कर रही है जो उद्योगों को बैंकों द्वारा उचित दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने सूचित किया है, 6 जून 1997 तक, चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण में गत वर्ष के 6,253 करोड़ रुपए की तुलना में 1,673 करोड़ रुपए की कमी आई है। तथापि, इस वर्ष जून 1997 तक पी॰ एस॰ यू/कंपनी क्षेत्र के वाणिज्यिक पत्र/बांडों/डिबेंचरों/बिलों/शेयरों और बिल पुनर्भुनाई में 2,392 करोड़ रु॰ की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि गत वर्ष 7 जून, 1996 तक यह 698 करोड़ रुपए थी। अत: चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 जून, 1997 तक वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक की

राशि का कुल प्रवाह 720 करोड़ रुपए बढ़ा है जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान इसमें 5,555 करोड़ रु० की कमी आई है, जो 6,275 करोड़ रुपए का परिवर्तन दर्शाता है।

आर० बी० आई० ने आगे यह सूचित किया है कि ब्याज दरों ने अप्रैल 1997 के मध्य से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, राजकोषीय बिलों, जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक पत्रों समेत सभी परिपक्वताओं पर एक निश्चित और प्रत्यक्ष कमी दर्शाई है। अधिकतर बैंकों की प्राथमिक उधार दरें एक से डेढ़ प्रतिशत तक कम हो गई हैं।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1997 में आर० बी० आई० ने स्थावर क्षेत्र के विकास को सहायता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों ने उधार दरों में कमी की है, पर्याप्त बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाए किए हैं। तदनुसार, बैंक दरें 12.0% से घटकर 11.0% वार्षिक कर दी गई और उसके बाद पुनः 25 जून, 1997 को व्यवसाय बंद होने के बाद से घटाकर 10.0% वार्षिक कर दी गईं।

आर० बी० आई० ने ऋण संवितरण प्रणाली में सुधार लाने और उद्योगों को संसाधनों के प्रवाह के लिए भी उपाय किये थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 50 करोड़ रु० से ज्यादा की ऋण सीमा वाले उधाकर्ताओं के लिए अनिवार्य संघीय सहायता (कंसार्शियम) व्यवस्था की शर्त को वापस लेना और बैंकों के ऋणकर्ताओं की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं।

जापान से सहायता

546. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता की राशि क्या है और यह राशि कब तक प्राप्त हो जाएगी; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) 24 जून, 1997 को पेरिस में हुई भारतीय विकास मंच की बैठक में जापान सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 1997-98 के दौरान ओ० ई० सी० एफ० ऋण सहायता देने का वचन दिया है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	(मिलियन येन) राशि
1	2	3
1.	सिहाद्रि और विजाग ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना	10,629
2.	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक पावर स्टेशन परियोजना-III	14,499
3.	धौलीगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन परियोजना-II	16,316
4.	बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना-II	34,151
5.	टूटीकोरिन पोर्ट ड्रैजिंग परियोजना	7,003
6.	पंजाब वनरोपण परियोजना	6,193
7.	मध्य प्रदेश रेशम-उत्पादन परियोजना	2,212
8.	मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना	3,962
9.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	7,760
10.	लघु उद्योग विकास कार्यक्रम-IV	30,000
	जोड़ :	132,725

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए सहायता की राशि उपर्युक्त (ख) के अनुसार है। ऋण राशि का उपयोग प्रत्येक परियोजना की अवधि पर निर्भर करते हुए किया जाएगा, जो 3 से 7 वर्षों तक भिन्न-भिन्न हो सकती है।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए ऋण करारों पर, ऋण-वार्ताओं के निष्पादन के बाद दिसम्बर, 1997/जनवरी, 1998 में किसी समय हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एन० टी० सी० मिल, तिरुपति

547. श्री के० एस० रायडू : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा स्थापित तिरुपति कॉटन मिल पिछले 6-8 महीने से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रमुख कारण कॉटन की आपूर्ति न होना है;

(ग) यदि हां, तो क्या हाल ही में दस करोड़ रुपए की नवीनतम मशीन स्थापित कर इसका आधुनिकीकरण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या तिरुपति में इस टेक्सटाइल मिल के कार्य न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) से (ङ) तिरुपति कॉटन मिल, रेणिगूंटा एन॰ टी॰ सी॰ (ए॰ पी॰ के॰ के॰ एंड एम॰) की एक इकाई है। राष्ट्रीयकरण के समय से 5.83 करोड़ रू॰ की राशि मिल के आधुनिकीकरण पर खर्च की जा चुकी है। यह मिल अपर्याप्त आधुनिकीकरण तथा कार्यशील पूंजी के अभाव में से घाटे उठा रही है तथा दिसंबर, 1996 से कार्य नहीं कर रही है। तिरुपति कॉटन मिल्स सहित एन॰ टी॰ सी॰ (ए॰ पी॰ के॰ के॰ एंड एम॰) का मामला बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के पास भेजा गया था तथा बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा इसे रुग्ण घोषित कर दिया गया। प्रचालन एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर, बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ ने सरकार से कुछ राहत तथा रियायत की मांग करते हुए प्रारूप पुनर्वासन योजना प्रकाशित किया। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ की अंतिम सुनवाई जो अप्रैल, 1997 में होनी निश्चित थी, को स्थगित कर दिया गया था। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा पुनरुद्धार योजना की मंजूरी मिलने तक, सरकार मिलों के कर्मचारियों की मजदूरियां एवं वेतनों के भुगतान के लिए एन॰ टी॰ सी॰ को निधियां रिलीज कर रही है। एन॰ टी॰ सी॰ द्वारा मिलवार अर्थक्षमता अध्ययन किया गया है जो सरकार के विचाराधीन है।

अनुपादेय आस्तियों का तुलनात्मक अध्ययन

548. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपादेय आस्तियों के प्रभाव का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निम्नलिखित ब्यौरे सहित गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की अनुपादेय आस्तियों की राशि क्या है;

(i) अनुपादेय आस्तियों की धनराशि

(ii) बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम/ऋण के संदर्भ में इसकी प्रतिशतता

(iii) बैंक के लाभ/हानि के संदर्भ में इसकी प्रतिशतता

(iv) वसूलियां, यदि कोई हों;

(घ) इन अनुपादेय आस्तियों के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है;

(ङ) क्या विवेकपूर्ण मानदंडों में विफलता के कारण अनुपादेय आस्तियों में वृद्धि हुई है; और

(च) अनुपादेय आस्तियों को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) के अनुसार उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों से बैंकों की अनिष्पादित आस्तियों (एन॰ पी॰ ए॰) की स्पष्ट पहचान करने में सुविधा हुई है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय विवरणियों में पारदर्शिता लाने में इन्होंने एक उपकरण का कार्य किया। विवेकपूर्ण मानदण्डों में किसी प्रकार की असफलता नहीं रही है जिसके परिणामस्वरूप एन॰ पी॰ ए॰ में वृद्धि हुई है।

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एन॰ पी॰ ए॰ में कमी लाने की दृष्टि से आर॰ बी॰ आई॰ ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. आर॰ बी॰ आई॰ ने बैंकों को सलाह दी है कि वे ऋण वसूली नीति संबंधी दस्तावेज निर्णायक मंडल द्वारा विधिवत समीक्षा करवा कर तैयार करवाए। नीति में देयताओं को वसूली का तरीका, कमी का लक्ष्यगत स्तर, अनुज्ञेय घाटे/छूट आदि के मानदंड दिए जाते हैं।

2. न्यूनतम खर्चों पर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए वार्ता समझौतों के माध्यम से समझौते/बट्टे खातों के माध्यम से एन॰ पी॰ ए॰ में कमी।

3. दो बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समझौता परामर्शदात्री समिति स्थापित करें जो समझौता प्रस्तावों की जांच करे और वस्तुपरक सिफारिशें करें।

4. प्रधान कार्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करना और एन॰ पी॰ ए॰ में कमी लाने के लिए शाखा-वार लक्ष्य नियत करना। वसूली के लिए शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर निगरानी रखी जाए और निदेशक मंडल की तिमाही आधार पर इसकी सूचना देते रहना। आर॰ बी॰ आई॰ एन॰ पी॰ ए॰ में कमी लाने के कार्य पर भी निगरानी रखता है।

5. कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में वसूली अधिकरणों की स्थापना और मुंबई में एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

6. वाद दाखिल खातों के चूककर्ताओं की सूची का समेकन और परिचालन।

7. स्टॉफ का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में विद्यमान प्रणाली के विशिष्ट संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा 300 एन॰ पी॰ ए॰ की समीक्षा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन प्राधिकरण

549. श्री डी. पी. यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आम का अच्छा उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के आम उत्पादकों को विपणन सुविधा के अभाव में भारी नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश हेतु निर्यात संवर्धन प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) वर्तमान मौसम के लिए आम के उत्पादन पर कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकों की मिलीभगत की जांच

550. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त** मंत्री जूता घोटाला में बैंकों की मिली भगत की जांच के बारे में 22 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 533 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जूता घोटाला में फर्मों के साथ मिलीभगत करने वाले बैंकों के नाम सहित उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पुलिस उपायुक्त, मुंबई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि समाज के कमजोर वर्गों अर्थात् कारीगरों/मोची सहकारी संस्थाओं के लिए निर्धारित वित्त के कथित दुरुपयोग की जांच करने के लिए कुछ मुख्य जूता कंपनियों और विभिन्न चमड़ा सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आई. पी. सी.) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने वित्तपोषक बैंकों के प्रति अनियमितताओं का कोई संदर्भ नहीं दिया है।

पुलिस प्राधिकारियों की इच्छानुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1997 में सभी संबंधित वाणिज्यिक बैंकों से कहा कि वे 1980 और उसके बाद के किसी भी सूचीबद्ध मोर्चा सरकार समितियों के साथ हुए, लेन-देनों का विवरण भेजें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से पुन: कहा था कि उनसे यह आशा की जाती है कि वे कारीगरों/मोर्चा संस्थाओं की प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत, ऋण के अंतर्गत, ऋण और अन्य सुविधाओं की मंजूरी/संवितरण करते समय यह सुनिश्चित करें कि आवेदक वास्तविक हैं और उन कार्यकलापों में लगा हुआ है जिसके लिए विशिष्ट योजना बनाई गई है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि कोई भी प्रक्रिया (उधारकर्ता पार्टियों की प्रमाणिकता के सत्यापन सहित) जो ऋणों/अग्रिमों की मंजूरी के लिए निर्धारित है, की केवल इस आधार पर उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उसके लिए गारंटियां प्राप्त कर ली गई थीं। बैंकों से पुन: यह कहा गया है कि उनसे यह आशा की जाती है कि वे प्रभावी संवितरणोपरांत पर्यवेक्षण करें और उधार दी गई निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऋण/अग्रिमों पर निगरानी रखें।

औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गये 20 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

551. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक शिष्टमंडल जिसमें कतिपय संसद सदस्य और सारी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री से मिला था और केन्द्र सरकार को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 20 रुग्ण उपक्रमों संबंधी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जो औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति की समीक्षा की जायेगी तथा प्रत्येक इकाई संबंधी सरकार की कार्य-योजना शीघ्र ही घोषित की जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने अब इन इकाइयों की किसी पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, कुछ संसद सदस्यों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने गत वर्ष (1996) प्रधानमंत्री से भेंट करके उन रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी. एस. यू.) के बारे में ज्ञापन दिया जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के पास भेजे गए हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल की रुग्ण केन्द्रीय यूनिटों के बारे में पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 9.5.1997 का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय को मिल चुका है। तत्पश्चात् 16.5.1997 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस विषय में एक बैठक बुलाई गई थी।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पाकिस्तान व्यापार संबंध

552. श्री गोरधन भाई जावीया :

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रगाढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार, भारत-पाकिस्तान संबंधों में व्यापक सुधार लाना चाहती है। जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ बनाना शामिल है। जून, 97 में भारत और पाकिस्तान के मध्य संपन्न विदेश सचिव स्तर की वार्ता की समाप्ति पर इस्लामाबाद में जारी एक संयुक्त वक्तव्य में आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग को भविष्य में होने वाली वार्ताओं के लिए एक विषय के रूप में अभिज्ञात किया गया जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ बनाना होगा और यह निर्णय लिया गया कि उचित स्तरों पर एक कार्य-दल स्थापित किया जाए जो इस संबंध में अभिज्ञात विभिन्न प्रकार के मुद्दों का निराकरण करेगा। विदेश सचिव स्तर की अगले दौर की वार्ता सितम्बर, 97 में होनी निर्धारित की गई है।

आभूषण नीति

553. श्री नारायण आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1997 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में डिलेम्मा ओवर जेम्स, ज्वेलरी पॉलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मामले की सच्चाई क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन करने हेतु विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार में किसी निर्णयों पर पहुंचने के लिए अंतर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श करना एक सुस्थापित प्रथा है। इस प्रथा के अनुसरण में, राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 1997-2002 के लिए निर्यात-आयात नीति अधिसूचित करने के बाद बहुत सी अधिसूचनाएं और अनुदेश जारी किए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से कुछेक अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है।

निर्यातोन्मुख इकाइयां

554. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात प्रसंस्करण जोनों तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों के माध्यम से हमारे निर्यात का प्रतिशत क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ई॰ पी॰ जैड॰/ई॰ पी॰ यू॰ के कितने मूल्य का निर्यात और आयात हुआ है;

(ग) निर्यात प्रसंस्करण जोनों तथा प्रत्येक जोन के निर्यात के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित नये निर्यात प्रसंस्करण जोनों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) एक विवरण-संलग्न है।

(घ) निधि की उपलब्धता और मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण दोनों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार का देश में, नए जोन स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निर्यात प्रसंस्करण जोनों की स्थापना अब राज्य सरकारों द्वारा या संयुक्त/निजी क्षेत्रों में की जा सकती है।

विवरण

(क) और (ख)

वर्ष	निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई॰ ओ॰ यू॰) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई॰ पी॰ जेड॰) की इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात (करोड़ रुपये में)	निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई॰ ओ॰ यू॰) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई॰ पी॰ जेड॰) की इकाइयों द्वारा किया गया आयात (करोड़ रुपये में)	देश में हुए निर्यातों में, ई॰ ओ॰ यू॰ और ई॰ पी॰ जेड॰ द्वारा किए गए निर्यातों का प्रतिशत
1994-95	7363.11	3077.28	8.90
1995-96	10229.88	5920.95	9.61
1996-97 (अनुमानित)	12527.73	7015.48	10.42

(ग) निर्यात प्रसंस्करण जोनों के नाम और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन से हुए निर्यात :

(करोड़ रुपये में)

जोन	1994-95	1995-96	1996-97 (अनंतिम)
कांडला एफ॰ टी॰ जैड	320.03	325.29	374.15
सांताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक ई॰ पी॰ जैड	1549.46	1876.29	2176.30
नोएडा ई॰ पी॰ जैड	367.00	496.89	586.53
मद्रास ई॰ पी॰ जैड	281.38	391.92	992.42
कोचीन ई॰ पी॰ जैड	102.53	120.31	165.38
फाल्टा ई॰ पी॰ जैड	32.31	24.04	29.15
विजाग ई॰ पी॰ जैड	0.40	0.89	—
कुल	2653.11	3235.63	4323.93

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

555. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार तथा स्थानवार कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) उक्त खानों में कोयले का प्रतिदिन कुल उत्पादन कितना है; और

(ग) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन कोयला खानों से निकाले गए कोयले से अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि॰ (को॰ इं॰ लि॰) और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ (सिं॰ को॰ कं॰ लि॰) में राज्य-वार और कंपनी-वार कोयला खानों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :

कंपनी	बिहार	पं॰ बंगाल	उड़ीसा	म॰ प्र॰	उ॰ प्रदेश	महा-राष्ट्र	असम	मेघालय	आ॰ प्र॰	जोड़
को॰ इं॰ लि॰										
ईकोलि	18	106	—	—	—	—	—	—	—	124
भाकोकोलि	85	3	—	—	—	—	—	—	—	88
सेकोलि	71	—	—	—	—	—	—	—	—	71
नाकोलि	—	—	—	6	4	—	—	—	—	10
वेकोलि	—	—	—	37	—	49	—	—	—	86
साईकोलि	—	—	—	95	—	—	—	—	—	95
मकोलि	—	—	21	—	—	—	—	—	—	21
नाईको/	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7
को॰ इं॰ लि॰										
सिंकोकॉलि	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71
जोड़ :	174	109	21	138	4	49	6	1	71	573

(ख) को॰ इं॰ लि॰ और सिं॰ को॰ कं॰ लि॰ खानों में वर्ष 1996-97 में प्रतिदिन औसत उत्पादन क्रमश: 7 लाख टन और 0.89 लाख टन हुआ है।

(ग) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान को॰ इं॰ लि॰ और सिं॰ को॰ कं॰ लि॰ द्वारा अपनी कोयला खानों से निकाले गए कोयले से अर्जित लाभ और हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी	वर्ष	लाभ/हानि (+) (-) (करोड़ रुपए में)
को॰ इं॰ लि॰	1995-96	(+) 608.04
	1996-97	(+) 1042.10 (अनन्तिम)
सिं॰ को॰ कं॰ लि॰	1995-96	(-) 190.81
	1996.97	(-) 177.21 (अनन्तिम)

[अनुवाद]

कॉफी का निर्यात

556. श्री एल॰ रमना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 17 जून, 1997 के "एशियन एज" में "कॉफी सेक्टर कैन बी वर्ल्ड लीडर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि यहां, तो उक्त समाचार का ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) विश्व बाजार में भारतीय कॉफी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): **(क) और (ख)** जी, हां। "एशियन एज" में प्रकाशित समाचार कॉफी के स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा अखबार को दिए गए साक्षात्कार का एक सार-संक्षेप है, जिसमें परामर्शदाताओं ने पूरे विश्व में इस उद्योग पर व्यापक प्रभाव डालने वाले खरीद के तरीकों में परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में भारत द्वारा कॉफी के उत्पादक देशों के समूह "गौरमेट" में शामिल होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि काफी उत्पादकों को विशेष ब्राण्ड वाली काफी का उत्पादन करना चाहिए। परामर्शदाताओं ने देश के काफी उत्पादकों को यह भी सलाह दी कि वे रोवस्टा किस्म के कॉफी की खेती पर ध्यान केन्द्रित करें। उन्होंने आगे यह सलाह दी कि "गौरमेट" कॉफी जिसमें स्वाद वाला रोस्ट शामिल है, को निकालने और उत्पाद प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड नामों के पंजीकरण से पहले निश्चित रूप से गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन रखा जाना चाहिए। इनके साथ-साथ उन्होंने भारतीय उत्पादकों को चालू सुविधाओं के उन्नयन की सलाह दी है जिससे कि प्रदूषण के स्तर को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके तथा उचित व्यापार प्रोत्साहनों को लागू करने, पूर्ण विनियमन तथा सरकार की ओर से हस्तक्षेप समाप्त करने इत्यादि की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

(ग) भारत में कॉफी बोर्ड उत्पादित और प्रसंस्कृत कॉफी की गुणवत्ता बनाए रखने के विभिन्न पहलुओं के बारे में उत्पादकों और काफी उद्योग को सलाह देने के लिए जिम्मेवार है। कॉफी बोर्ड ने गौरमेट कॉफी की दो किस्में विकसित की हैं जिनके नाम हैं मैसूर नगेट्स और रोबस्टा कॉफी रोयल। बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु गुणवत्ता वाली कॉफी का उत्पादन करने के अपने सतत् प्रयास के रूप में अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेलों/सम्मेलनों में भी भाग ले रहा है। इसके अलावा, विश्व बाजार में भारतीय कॉफी उद्योग के उन्नयन के लिए बोर्ड यू॰ एस॰ ए॰, जापान, जैसे चुनिन्दा देशों के बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। बोर्ड, निर्यातकों के सक्रिय सहयोग से इन देशों में चुनिन्दा खाद्य मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेता है, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करता है। इनमें से प्रत्येक लक्ष्य बाजारों से रोस्टरों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करता है, विदेश में प्रमुख व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देता है, भारतीय काफी के अग्रणी आयातकों के बीच भारतीय कॉफी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पुस्तिका का मुद्रण और वितरण करता है तथा इटली, जर्मनी, जापान, यू॰ एस॰ ए॰ जैसे बाजारों में कॉफी के उपहार मदों का वितरण करता है।

विदेशी निवेश हेतु मार्ग निर्देश

557. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश संबंधी मार्ग निर्देशों को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो नए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा फास्ट ट्रैक रूट के अतिरिक्त, जिसके तहत आर॰ बी॰ आई॰ निर्यात ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर 4 मिलियन यू॰ एस॰ डॉलर तक के विदेशी निवेशों के प्रस्तावों के लिए अनुमोदन जारी करता है। सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्योगों एवं पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश करने के लिए दो नए फास्ट ट्रेक रूट शुरू किए हैं। जहां निवेश 15 मिलियन यू॰ एस॰ डॉलर की अधिकतम सीमा तक एक्सचेंज अर्नर्स फारेन करेंसी (ई॰ ई॰ एफ॰ सी॰) एकाउण्ट से होता है और सरकार की अनुमति से एकत्र किए गए ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट्स (जी॰ डी॰ आर॰) के 50% तक निवेश होता है। शेष ई॰ ई॰ एफ॰ सी॰ लेखाओं में से निवेश करने की अनुमति प्राधिकृत डीलरों द्वारा दी जाएगी। मौजूदा फास्ट ट्रैक के तहत 15 मिलियन डॉलर की सीमा में 4 मिलियन यू॰ एस॰ डॉलर की

सीमा भी शामिल है। दो नए फास्ट ट्रैक रूटों के तहत किए गए निवेश इस दायित्व के अधीन भी नहीं होंगे कि निवेश की गई राशि का 5 वर्ष की अवधि में स्वदेश में रकम भेजकर निष्प्रभावी किया जाये।

गौरी बाजार चीनी मिल का बंद होना

558. लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड के अंतर्गत आने वाला प्रतिष्ठान गौरी बाजार चीनी मिल पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) क्या मिल के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पिछले आठ महीनों से नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मिल के कर्मचारियों को वेतन देने और उक्त मिल को वर्ष 1991-95 के दौरान किसानों द्वारा सप्लाइ किए गए गन्ने का किसानों को भुगतान करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त मिल को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) विद्युत गृह में बड़ी खराबी के कारण वर्ष 1995-96 के गन्ना मौसम पूरा नहीं किया जा सका। 1996-97 मौसम के दौरान, संचालन में घाटों पर विचार करते हुए तभी से संचालन स्थगित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) चीनी मिलों के नवंबर, 1996 तक मजदूरियों एवं वेतनों का भुगतान कर दिया है। कानपुर शुगर वर्क्स लि॰ कंपनी के अन्य एककों से यथासंभव निधियों को अपवर्तन कर कामगारों तथा किसानों की बकाया राशि को चुकाने की कोशिश कर रही है। चूंकि कानपुर शुगर वर्क्स लि॰ सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम नहीं है, इसलिए सरकार वेतनों तथा गन्ना की बकाया राशि के भुगतान के प्रति कोई बजटीय सहायता नहीं देती है तथा मिलों के लिए भी कोई पुनरुद्धार पैकेज तैयार नहीं की है। तथापि, कानपुर शुगर वर्क्स लि॰ फिलहाल बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के विचाराधीन है।

कर से छूट

559. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अक्टूबर, 1994 और उस तारीख से 31 मार्च, 1999 तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में नये स्थापित उद्योगों को पांच वर्ष के लिए आय कर से छूट देने की घोषणा की है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान के 12 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में घोषणा करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक राजस्थान के इन 12 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित न करने के क्या कारण हैं जिनकी वजह से नए स्थापित उद्योगों को पांच वर्ष के लिए आयकर से छूट देने से मना किया जा रहा है; और

(घ) इस संबंध में कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वित्त अधिनियम, 1994-95 में अधिसूचित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के मामले में आरंभिक पांच वर्षों के लिए उस स्थिति में 100% कर अवकाश की व्यवस्था है, यदि उक्त उपक्रम दिनांक 1.10.1994 से 31.3.1999 तक वस्तुओं अथवा चीजों का विनिर्माण अथवा उत्पादन आरंभ करता है अथवा अपने शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) संयंत्र अथवा संयंत्रों को संचालित करता है। इस कर अवकाश की व्यवस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ क के अंतर्गत की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 80-झ क के अंतर्गत 100% कर अवकाश की मंजूरी देने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए वित्त मंत्रालय में दो अध्ययन दलों का गठन किया गया था। इन अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्टें क्रमशः वर्ष 1994 और 1996 में प्रस्तुत की थीं। इन दलों की रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं और देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को अधिसूचित करने के लिए सरकार द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में खादी और कुटीर उद्योग के विकास हेतु योजना

560. श्री मुरलीधर जेना : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खादी और कुटीर उद्योग के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का विवरण क्या है;

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को लगाने के लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) खादी सूती, खादी ऊनी, खादी रेशमी, पोली वस्त्र, कुटीर मिट्टी बर्तन, चूना विनिर्माण, अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज, मधुमक्खी पालन, घानी तेल, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर चमड़ा आदि जैसे चालू खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के अलावा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उड़ीसा में निम्नलिखित नई योजनाओं को बढ़ावा देता है, अर्थात् :

1. खादी मलमल;

2. अनाज तथा दाल औद्योगिक इकाइयों में धान, मशाला, पापड़, चावल आटा का प्रसंस्करण।

3. रेशा प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों में रस्सी केले से वस्तुओं का उत्पादन, टाटपट्टी बुनाई निर्माण, कोरा घास चटाई बुनाई करना;

4. प्राथमिक तथा मध्यम दर्जे की मधुमक्खी पालन इकाइयां।

5. कपड़े धोने के साबुन की इकाइयां और

6. पोर्टेबिल पावर घानी इकाइयां।

(ख) बजटीय सहायता के अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे कि राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मान्यता प्राप्त संस्थानों और राज्य में व्यक्तिगत कारीगरों को कंसोर्टियम बैंक ऋण मुहैया करता है। इसके अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाएं, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, आधुनिक औजार तथा उपकरण भी मुहैया करता है।

(ग) और (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग चालू तथा नई खादी तथा ग्रामोद्योग योजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए वचनबद्ध है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की फालतू भूमि

561. श्री के. सी. कोंड्य्या : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अपनी कुल कितनी फालतू भूमि है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस फालतू भूमि के निपटान हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अनुमति दी थी;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस फालतू भूमि के निपटान हेतु कर्नाटक सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कर्नाटक में इस फालतू भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि के उपयोग हेतु क्या कार्य किये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) कर्नाटक राज्य में एन. टी. सी. मिलों के स्वामित्व में कुल वेशी भूमि 177.82 एकड़ है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने यू. एल. सी. आर. अधिनियम के अंतर्गत एन. टी. सी. मिलों की वेशी भूमि को बेचने के लिए अब तक अनुमति नहीं दी है।

(ग) मामला कर्नाटक सरकार के साथ उठाया गया है।

(घ) एन. टी. सी. मिलों के वेशी भूमि की बिक्री से प्राप्त आय को एन. टी. सी. मिलों के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का विकास

562. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र की सहायता के लिए केन्द्र से एक विशेष पैकेज की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी अथवा कोई सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो चालू और आगामी वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित किये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए समिति ने प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास, आपूर्ति निवेश, नये डिजाइनों के विकास, वाणिज्यिक उत्पादन व विपणन आदि की पुष्टि के लिए विशेष सिफारिशें की हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(घ) उत्तर पूर्वी राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर राशि स्वीकृत की जायेगी।

तेजपात और लौंग का निर्यात

563. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में भारी मात्रा में लौंग और तेजपात का वैध तथा अवैध रूप से आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में यू. पी. ए. एस. अर्थ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लौंग और तेजपात की अधिकाधिक खेती तथा इसके विकास और इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान लौंग तथा तेजपात के आयात का विवरण नीचे दिया गया है :

(मात्रा मी. टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

मद	1993-94		1994-95		1995-96(अ)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अर्क सहित लौंग	3452	7.44	1290	3.38	1892	5.33
अर्क सहित लौंग	967	2.24	1217	3.24	1393	4.12
तेजपात	5891	22.65	650	2.62	1254	5.19

(अ) (अनंतिम)

स्रोत : डी. जी. सी. आई. तथा एस., कलकत्ता

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लौंग तथा तेजपात सहित वृक्षीय मसालों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मसालों के विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान राज्य उद्यान कृषि विभागों के जरिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है :

1. गुणवत्ता रोपण सामंग्री का उत्पीन	14 लाख
2. किसानों के खेतों में वैज्ञानिक आधार पर खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना करना	4500 प्लाट

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष 1997-98 में भी जारी है।

कंपनी अधिनियम में संशोधन

564. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजीकृत निवेशकों की संख्या के आधार पर कंपनियों को भारत में ही किसी स्थान पर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने हेतु बाध्य करके निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 के खंड "2" में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंजीकृत निवेशकों की संख्या के आधार पर वार्षिक आम बैठकों में निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से अन्य स्थान पर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने का सुझाव साध्य प्रतीत होता क्योंकि एक कंपनी के शेयरधारकों की संरचना का क्रम बार-बार बदलता रहता है जिससे शेयरधारक संरचना के ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन की मांग के पात्र होंगे। इस हेतु सांविधिक रिकार्डों तथा शेयरधारकों के नमूना हस्ताक्षर सहित अन्य संदर्भित रिकॉर्डों का वार्षिक आम बैठक के परिवर्तित स्थान पर स्थानांतरण करना भी अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

आदिवासी महिलाओं का पैतृक संपत्ति पर अधिकार

565. श्री ललित उरांव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी समुदाय उच्चतम न्यायालय के हाल के आदिवासी महिलाओं के पैतृक संपत्ति पर अधिकार संबंधी निर्णय का पुरजोर विरोध कर रहा है;

(ख) क्या इसका आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संबद्ध मंत्रालय से एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

566. श्री पी. चण्मुगम :

श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों ने 4 जुलाई, 1997 को कार्य करना बंद कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं;

(ग) हड़ताल के कारण राष्ट्र को कितना नुकसान उठाना पड़ा तथा सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हड़ताल को टालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) मांगों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों ने पेंशन समझौता कार्यान्वित करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों में पेंशन योजना शुरू करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में छठे द्विपक्षीय समझौते/अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन संबंधी महालिक समिति की रिपोर्ट को रद्द करना, बोनस और ग्रेच्युटी संबंधी उच्चतम सीमा हटाना, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक स्थापित न करना तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर जनता से जमाराशि प्राप्त करने पर तत्काल प्रतिबंध लगाना शामिल है।

(ग) हड़ताल के कारण अर्थव्यवस्था को हुए घाटे की ठीक-ठीक राशि बताना संभव नहीं है।

(घ) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि सुलह संबंधी कार्यवाही मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा

की गई थी। ये कार्यवाहियां जारी हैं।

ए॰ जी॰ कार्यालय, केरल

567. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए॰ जी॰ कार्यालय त्रिवेन्द्रम, केरल के कर्मचारियों की हड़ताल के क्या कारण हैं;

(ख) कितने कार्य दिवसों की हानि हुई है; और

(ग) हड़ताल को खत्म करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सभी संवर्गों में व्याप्त गतिरोध को हटाने, अतिरिक्त स्टॉफ की मंजूरी, अस्थगित किए गए पदों की बहाली जैसे मुद्दों पर महालेखाकार कार्यालय, केरल के कर्मचारी 6 मई, 1997 से 27 मई, 1997 तक हड़ताल पर रहे थे। इन मांगों की अपनी अखिल भारतीय जटिलताएं हैं, जिन पर अकेले कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तदनुसार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया था। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए थे तथा 28 मई, 1997 को कर्मचारी ड्यूटी पर वापिस आ गए थे। हड़ताल के दौरान कुल 42,368 कार्य दिवसी की हानि हुई।

बुनाई और डिजाइन की परम्परागत शैलियां

568. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनाई और डिजाइन की अनेक परम्परागत शैलियां विलुप्त हो रही हैं अथवा उनका पतन हो रहा है, और बनारस और उसके आस-पास के क्षेत्रों के बुनकर अपनी परम्परागत कार्य को छोड़ने के लिए बाध्य हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपने व्यवसाय को बरकरार रखने, परम्परागत शैलियों की गुणवत्ता बनाये रखने और नई डिजाइनें तैयार करने के लिए बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) बुनाई और डिजाइन की परम्परागत शैलियां विलुप्त अथवा पतन नहीं हो रही हैं। वर्तमान में, बाजार मांग के अनुसार बनारस तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के बुनकर परम्परागत शैलियों तथा डिजाइनों के वस्त्रों का लगातार उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपने व्यवसाय को बरकरार रखने, परम्परागत शैलियों की गुणवत्ता बनाये रखने और नई डिजाइन तैयार करने के लिए बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं। इनके साथ-साथ हैं :

1. प्रोजेक्ट पैकेज योजना।
2. डिजाइन विकास के लिए स्वतंत्र डिजाइनरों की नियुक्ति।
3. बुनकरों के लिए प्रशिक्षण योजना का विकेन्द्रीकरण।
4. हथकरघा विकास केन्द्रों/उत्कर्ष रंगाई इकाइयों की स्थापना।

शत-प्रतिशत लकड़ी रहित फाइबर बोर्ड पर उत्पादन शुल्क से छूट

569. श्री कमारूल इस्लाम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शत-प्रतिशत लकड़ी रहित फाइबर बोर्ड उद्योग को उत्पादन शुल्क से पूर्णतया छूट देने पर विचार करने के लिये इस उद्योग के संबंध में आंकड़े एकत्र किये हैं ताकि इसके उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके जिससे वन संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1995-96 के दौरान इस उद्योग से प्राप्त उत्पाद शुल्क तथा 1996-97 में लकड़ी के लट्ठों, ईंधन लकड़ी, लकड़ी की छिपरियों आदि के आयात प्राप्त सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) शत-प्रतिशत लकड़ी रहित पर्टिकल और फाइबर बोर्डों पर उत्पाद शुल्क से छूट के मामले की जांच के लिए आवश्यक संगत आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद, छूट के मामले पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त समय में निर्णय ले लिया जाएगा।

(घ) सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है।

दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स

570. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स को 38 करोड़ से अधिक का घाटा होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो इतने भारी नुकसान के क्या कारण हैं;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड के मुनाफे और घाटों पर इसका समग्र प्रभाव क्या होगा; और

(घ) बाधाओं को समाप्त करने तथा दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स

को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) दानकुनी कोयला काम्पलेक्स (डी॰ सी॰ सी॰) एक निम्न तापीय कार्बनीकरण (एल॰ टी॰ सी॰) संयंत्र है। यह पश्चिम बंगाल में वर्तमान में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सा॰ ई॰ को॰ लि॰) जो कि कोल इंडिया लि॰ की एक सहायक कंपनी है, के अंतर्गत है। उक्त के द्वारा 1996-97 के दौरान 31.26 करोड़ रुपए (अनंतिम) का घाटा उठाए जाने की संभावना है। किंतु निश्चित आंकड़े वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तथा लेखों की लेखा परीक्षा किए जाने के बाद ही पता चल सकेंगे।

इस संयंत्र की स्थापित क्षमता अधिकांशतः ग्रेटर कलकत्ता तथा गैस सप्लाई कार्पोरेशन (जी॰ सी॰ जी॰ एस॰ सी॰) के कारण रही, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन एक संयोजित उपभोक्ता है, उक्त कारपोरेशन द्वारा गैस की वचनबद्ध मात्रा प्राप्त नहीं की जा सकी। इस संयंत्र की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला एक अन्य कारण जी॰ सी॰ जी॰ एस॰ सी॰ द्वारा गैस की लाभकारी कीमतों की अदायगी की इच्छा न रखा जाना है। जी॰ सी॰ जी॰ एस॰ सी॰ वर्तमान में 9.50 रुपए प्रति थर्म की दर से अदायगी कर रहा है जबकि इसकी तुलना में मै॰ एलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर द्वारा 16.0 रुपए की दर से अदायगी की जा रही है।

(ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सा॰ ई॰ को॰ लि॰) की एक यूनिट डी॰ सी॰ सी॰ द्वारा उठाए गए घाटे से वर्ष 1996-97 के दौरान सा॰ ई॰ को॰ लि॰ के लाभ पर प्रभाव पड़ेगा। सा॰ ई॰ को॰ लि॰ वर्ष 1996-97 के दौरान 564.54 करोड़ रुपए (अनन्तिम) की राशि का लाभ कमाएगी।

(घ) डी॰ सी॰ सी॰ की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाए जाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है ताकि संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में सुधार किए जाने हेतु जी॰ सी॰ जी॰ एस॰ सी॰ को गैस के उठान में सुधार किया जा सके तथा जी॰ सी॰ जी॰ एस॰ सी॰ को लाभकारी कीमतों की अदायगी किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकें।

(ii) मूल्य आधारित रसायनों जैसे कि क्लोरोसिनोल, क्लोरोफिनॉल आदि का उत्पादन करना।

सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड

571. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के आदेश पर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में कोई अनियमितताएं आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सेबी के अनुसार, सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड के दो निरीक्षण किए गए थे, पहला दिसम्बर, 1994 में तथा दूसरा फरवरी, 1997 में।

(ख) दिसंबर, 1994 में किए गए निरीक्षण तथा जांच के निष्कर्षों के आने के बाद, सेबी ने सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड को निदेश दिया कि वह 30 जून, 1996 तक योजनाएं शुरू नहीं करें। इसके अतिरिक्त, सेबी ने निम्नलिखित कार्रवाई भी की :

(i) सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड से कहा गया कि आगे आदेश होने तक, तक नई योजनाएं शुरू न करें;

(ii) इस म्यूचुअल फंड के अभिरक्षक को निदेश दिया गया है कि वह सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड की ओर से अपनी अभिरक्षा में रखी किसी भी प्रतिभूति का निपटान न करे और इन प्रतिभूतियों की सूची सेबी को प्रस्तुत करे;

(iii) सेबी ने मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए याचिका दायर की जो सी॰ आर॰ बी॰ म्यूचुअल फंड की संपत्ति और परिसंपत्तियों तथा उसकी योजनाओं का कार्यभार संभाले।

(ग) और (घ) सेबी के अनुसार, दिसम्बर, 1994 और फरवरी, 1997 की निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित अनियमितताओं में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) फंड, उसके प्रायोजक तथा उसके सहयोगियों के बीच पर्याप्त दूरी का अभाव।

(ii) म्यूचुअल फंड संबंधी विनियमों का उल्लंघन करते हुए ओवर-ड्रॉफ्ट के रूप में फंड द्वारा अप्रयोगमूलक उधार लेना।

(iii) निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन न करना।

(iv) विनियमों का उल्लंघन करते हुए फंड द्वारा सी॰ आर॰ बी॰ सिक्योरिटीज़ (सहयोगी कंपनी) को ऋण देना।

(v) सी॰ आर॰ बी॰ स्टॉक ब्रोकिंग लि॰ के मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने से पूर्व ही, सी॰ आर॰ बी॰ स्टॉक ब्रोकिंग लि॰ के जरिए लेन-देन करना।

(vi) "मूलधन-प्रति-मूलधन" आधार पर संविदाओं के लिए ब्रोकरेज शुल्क का भुगतान करना।

(vii) अभिरक्षक की गतिविधियों की देख-रेख नहीं करना।

(viii) ग्रुप कंपनियों में पर्याप्त निवेश करना।

(ix) कुछ मामलों में, फंड अधिग्रहीत परिसंपत्तियों को फंड के नाम अंतरित नहीं किया गया है।

(x) ग्रुप कंपनियों को निधि प्रदान करने के लिए अथवा ग्रुप कंपनियों जिनसे प्रतिभूतियों की खरीद की गई, से लाभ कमाने के लिए ग्रुप के भीतर ही लेन-देन किए गए हैं।

(xi) फंड ने सेबी के प्रतिबंध की सूचना निवेशकों को नहीं दी; और

(xii) सी॰ आर॰ बी॰ स्टाक ब्रोकिंग के जरिए ब्रोकिंग कारोबार का सकेंद्रण।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत म्यूचुअल फंडों के लिए विनियामक प्राधिकरण है। म्यूचुअल फंडों की गतिविधियां सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों द्वारा शासित होती हैं। विनियमों के प्रावधान का कोई उल्लंघन होने पर सेबी उपयुक्त कार्रवाई करता है।

आयात पर प्रतिबंध

572. श्री जी॰ वेंकटस्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में विकसित देशों से आयात करने पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने के लिए बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट), 1994 के अनुच्छेद XVIII बी के प्रावधानों और गैट, 1994 के भुगतान संतुलन प्रावधानों संबंधी समझौते के अनुसार भुगतान संतुलन उद्देश्यों के लिए किए गए सभी प्रतिबंधित आयात-उपायों की समीक्षा करने की दृष्टि से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) की भुगतान संतुलन प्रतिबंध संबंधी समिति ने दिसंबर, 1995 में भारत के साथ पूर्ण परामर्श करने के लिए बैठक की। इन परामर्शों में यह तय किया गया कि अक्टूबर, 1996 में पुनः विचार किया जाएगा। इस बीच भारत को वर्ष 1996-97 की निर्यात-आयात नीति की घोषणा करने के तुरंत बाद भुगतान संतुलन के प्रयोजन से कायम रखें गए सभी प्रतिबंधों को अधिसूचित करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इस निर्णय के अनुसार भारत ने भुगतान संतुलन प्रयोजन से लगाए गए शेष प्रतिबंधों की सूचना जुलाई, 1996 में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ को प्रस्तुत की, जिसमें 1992-97 निर्यात-आयात नीति में 25 मार्च, 1996 तक किए गए सभी संशोधन शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुरोध पर अक्टूबर, 1996 में आयोजित होने वाले विचार-विमर्शों को 20-21 जनवरी, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिनमें वह गैट, 1994 के अनुच्छेद XV के अनुसार शामिल होता है। इन परामर्शों में, समिति ने यह बात नोट की कि भारत अनुच्छेद XVIII बी के अंतर्गत अधिसूचित मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त कर रहा है। आई॰ एम॰ एफ॰ भारत के बारे में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भारत के मौजूदा मुद्रा-स्रोत अपर्याप्त नहीं हैं और उसके मुद्रा भंडार में गंभीर गिरावट आने का खतरा नहीं है। भारत को भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में समिति ने विचार-विमर्श करने के बाद समिति भारत के साथ जून, 1997 में फिर से परामर्श करने के लिए तब सहमत हुई, जब भारत को भुगतान संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की एक योजना समिति को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

भारत ने भुगतान संतुलन की सुरक्षा के लिए आयातों पर बनाए रखे गए मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए मई, 1997 में भुगतान संतुलन प्रतिबंधों से संबंधित डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ समिति के सामने एक योजना प्रस्तुत की। भुगतान संतुलन प्रतिबंधों से संबंधित डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ समिति ने भारत के साथ अपना विचार-विमर्श 10-11 जून, 1997 को पुनः शुरू किया। इस बैठक में 1 अप्रैल, 1997 से शुरू करके प्रत्येक 3 वर्ष से तीन चरणों में 9 वर्षों की अवधि में मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने की भारत की योजना पर चर्चा हुई। आई॰ एम॰ एफ॰ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह दर्शाया गया कि इसके आकलन के अनुसार भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी रही और उसने जनवरी, 1997 की बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को दोहराया। भारत ने मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक पहल किए जाने की आवश्यकता की वकालत की। चूंकि इन विचार-विमर्शों में कोई सर्व-सम्मति नहीं बन पाई, इसलिए समिति के अध्यक्ष ने, दोनों पक्षों द्वारा सृजनात्मक प्रस्ताव पेश करने की लोचशीलता और तत्परता को देखते हुए चिंतन की अवधि का प्रस्ताव रखा और तदनुसार बैठक को 30 जून- 1 जुलाई, 1997 तक के लिए स्थगित कर दिया।

दिनांक 30 जून, 1997 को विचार-विमर्श के पुनः शुरू होने पर भारत ने संशोधित योजना प्रस्तुत की जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष के दो चरणों में अधिकांश मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रावधान था और एक वर्ष के तीसरे चरण में केवल अत्यधिक संवेदनशील कुछ ही उत्पाद शामिल किए गए थे जिन पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किया जाना शेष था। किंतु योजना की लंबाई तथा चरणबद्ध समाप्ति की अवधि के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुक्त किए जाने वाले टैरिफ लाइनों की संख्या के बारे में विचारों का मतभेद जारी रहा क्योंकि विकसित देश इस समय-सारणी के प्रारंभिक वर्षों में बहुत ज्यादा मदों को शामिल करने की मांग कर रहे थे। पुनः शुरू किया गया विचार-विमर्श योजना पर बिना किसी आम सहमति के ही 30 जून-1 जुलाई को समाप्त हो गया।

तबसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ई॰ सी॰, न्यूजीलैंड, यू॰ एस॰ ए॰ और स्विट्ज़रलैंड ने डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ में विवादों के निपटारे को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं के समझौते के प्रावधान के अंतर्गत भारत से अलग से औपचारिक विचार-विमर्श की यह आरोप लगाते हुए मांग की है कि भारत द्वारा भुगतान संतुलन की सुरक्षा के लिए आयातों पर मात्रात्मक

प्रतिबंधों को बनाए रखना डब्ल्यू० टी० ओ० के अंतर्गत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है। भारत ने विचार-विमर्श का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। विवाद निपटान प्रावधानों के अंतर्गत भारत को अनुरोध मिलने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के अंदर या आपसी सहमति अवधि में, आपसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने के उद्देश्य से साफ मन से विचार-विमर्श करना होगा। अगर विचार-विमर्श के अनुरोध की प्राप्ति की तिथि के बाद साठ दिनों के अंदर विचार-विमर्श से विवाद का निपटान नहीं हो पाता तो शिकायतकर्ताओं के पास अपनी शिकायतों की जांच के लिए डब्ल्यू० टी० ओ० में एक विवाद निपटान पैनल की स्थापना की मांग करने का विकल्प होगा। अगर परामर्श करने वाली पार्टियां संयुक्त रूप से यह विचार करती है कि विचार-विमर्श से विवाद का निपटान नहीं हो सकता है तो वे 60 दिनों की अवधि के भीतर ही पैनल गठित करने का अनुरोध कर सकती है।

रफ आप्टैलमिक ब्लैंक्स का आयात

573. श्री कोडी कुनील सुरेश : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्त्तन निदेशालय को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और मुंबई के आयातक वास्तविक तथा मूल्य सूची में अंकित कीमत के अंतर को हवाला लेन-देन के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं को हस्तांतरित करके आई० सी० डी० टीकेडी/पटपड़गंज में अत्यधिक कम मूल्य दर्शाने वाली मूल्य-सूची के आधार पर चीन से रफ आप्टैलमिक ब्लैंक्स (आर० ओ० बी०) का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एस० आई० आई० बी०, सीमाशुल्क, नई दिल्ली ने ऐसे कुछ मामलों का पता लगाया है जिसमें मूल्य सूची में 233.28 प्रतिशत कम मूल्य अंकित किया गया है जिससे मार्च, 1996 से मई, 1996 के बीच 7 बी/ई पर ही 55,80,213 रुपए के सीमाशुल्क की वंचना हुई है;

(ग) ऐसे मामलों में संलिप्त आयातकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इतने बड़े हवाला मामले का पता लगने के बाद इसे फेरा और के० अ० ब्यूरो के पास भेजा गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या औचित्य है; और

(च) यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) दिल्ली सीमा शुल्क गृह ने दिल्ली के एक आयातक द्वारा रफ आप्टैलमिक ब्लैंक्स के आयात के संबंध में कम मूल्यांकन करने के आठ मामलों का पता लगाया है जिनमें 57.48 लाख रुपये की राशि का शुल्क अंतर्ग्रस्त है। इन मामलों में से, 4 मामलों का संबंध मार्च, 1996 से मई, 1996 की अवधि से है, जिनमें 34.60 लाख रुपये का शुल्क अंतर्ग्रस्त है। आठ मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन मामलों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया गया है और उक्त निदेशालय द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

विवरण

क्रम० सं०	अग्रिम पत्र सं० और तारीख	घोषित मूल्य	प्रस्तावित मूल्य	शुल्क अंतर	आयातक का नाम
1.	109497 दि० 4.10.96	6,49,636/-	9,68,557/-	1,65,839/	मै० इंडियन आप्टिक्स (प्रा०) लि०, 111 मॉडल बस्ती, नई दिल्ली-5
2.	104437 दि० 6.5.96	4,97,914/-	8,88,346/-	1,95,216/-	—वही—
3.	107668 दि० 21.8.96	7,27,176/-	11,95,343/-	2,43,446/-	—वही—
4.	103994 दि० 20.4.96	7,20,216/-	12,50,828/-	2,65,306/-	—वही—
5.	109120 दि० 23.9.96	7,75,653/	12,44,755/-	2,43,933/-	—वही—
6.	109038 दि० 21.9.96	10,83,220/-	46,60,665/-	16,34,016/-	—वही—
7.	102630 दि० 13.3.96	10,34,478/-	34,42,166/-	12,08,844/-	—वही—
8.	102631 दि० 13.3.96	15,39,506/-	51,21,944/-	17,91,219/-	—वही—
	जोड़			57,47,819/-	

आंध्र प्रदेश में कार एकक

574. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलेशिया की "प्रोटन कार कंपनी" की ओर से आंध्र प्रदेश में संयुक्त उद्यम के रूप में अपनी इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मलेशिया की "प्रोटन कार कंपनी" की ओर से आंध्र प्रदेश अथवा देश में किसी भी अन्य स्थान पर संयुक्त उद्यम एकक स्थापित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिवालियेपन के कारण बैंकों का बंद होना

575. वैद्य दाऊदयाल जोशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवालिया होने के कारण कई बैंकों को पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें दिवालिए के कारण बद कर दिया गया है और प्रत्येक मामले में अंतर्ग्रस्त धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक, जिसका कार्य-निष्पादन सारे भारत में सबसे बेहतर रहा है, भी बैंक में हो रहे दुर्व्यवहार/दुराचार के कारण दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिवालिया होने के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी बैंक को बन्द नहीं किया गया है।

तथापि, चार बैंकों का विलय सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के साथ किया गया है और गत पांच वर्षों के दौरान एक बैंक परिसमापनाधीन रखा गया है। पांच बैंकों का विवरण निम्नानुसार है :

1. न्यू बैंक ऑफ इंडिया (3.8.93 को पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया)।

2. काशी नाथ सेठ बैंक लि॰ (1.1.96 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया)।

3. बैंक ऑफ कराड लि॰ (27.5.92 को परिसमापनाधीन रखा गया)।

4. पंजाब को-आपरेटिव बैंक लि॰ (8.4.97 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय किया गया)।

5. बारी दोआब बैंक लि॰ (8.4.97 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय किया गया)।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार कार्यनिष्पादन के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहचान कमजोर बैंक के रूप में की गई है। बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने पर विचार करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. बैंक के लिए आमूल परिवर्तन संबंधी नीति सुझाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने के॰ एम॰ पी॰ जी॰ पीट मार्विक कंसलटेन्ट्स की नियुक्ति की है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वह आमूल परिवर्तन संबंधी नीति के संदर्भ में वर्ष 1999-2000 तक अपना वित्तीय अनुमान तैयार करें।

3. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में महाप्रबंधकों की स्थाई (कोर) परिवर्तन प्रबंधन समूह गठित किया है जो नीतियां तैयार करेगा और आमूल परिवर्तन संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

4. सेंट्रल बैंक ने मध्यावधि और दीर्घावधि नीतियां तैयार करने पर विचार करते हुए, निवेश पोर्टफोलियो पर लाभ, संगठनात्मक ढांचे का युक्तिकरण और व्यय नियंत्रण में सुधार लाने के लिए दिसंवर 1996 में आई॰ सी॰ आर॰ ए॰ नियुक्त किया है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक के कार्यनिष्पादनों की आवधिक आधार पर जांच कर रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 150.83 करोड़ रु॰ के शुद्ध लाभ की सूचना दी है।

विधि प्रशासन

576. श्री संदीपान थोरात : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विधि प्रशासन के आधुनिकीकरण/इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या उपाय किये हैं/करने का विचार है;

(ख) इस संबंध में, अब तक कितनी प्रगति हुई है, वर्ष 1997-98 के लिए कार्ययोजना क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

में 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान कमी हुई है। ऊनी हाथ से बुने वस्त्रों के निर्यात नीचे दर्शाए गए हैं :

1995-96	1996-97
34.03 करोड़ रू.	30.42 करोड़ रू.

रुपयों के संदर्भ में लगभग 11% की कमी हुई है।

(ग) और (घ) किसी विशिष्ट ऊनी उत्पाद के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट समयबद्ध कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि सरकार ने निम्नलिखित उपायों के माध्यम से ऊनी उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं :

1. उत्पादन आधार का विस्तार तथा बाजार और उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण।

2. ऊनी परिधानों तथा ऊनी फर्निशिंग्स जैसे विविधीकृत ऊनी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना।

3. पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका स्कैंडेनेवियन देशों में नए बाजारों को अभिज्ञात करना।

4. ऊनी तथा एक्रेलिक निटवीयरों के लिए नए उत्पादन आधारों का विस्तार।

[अनुवाद]

त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

581. श्री बाजू बन रियान :

श्री बादल चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को पुनः चालू करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे पुनः चालू कब किया जाएगा;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) की पुन:संरचना के एक भाग के रूप में सरकार ने तुलन पत्र के शोधन के लिए "एकल आधार" (स्टेंड अलोन) पर चयनित आर. आर. बी. को पुनर्पूंजीकरण के लिए बजटीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष के 1996-97 के दौरान, सरकार ने 7.63 करोड़ रुपए की राशि (इसमें भारत सरकार का 50% हिस्सा है) अतिरिक्त इक्विटी के रूप में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को दी है। यह उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा वास्तविक निधियों की आवश्यकता का सही आकलन तभी संभव होगा जब वर्ष 1996-97 से संबंधित लेखा परीक्षित आंकड़े उपलब्ध होंगे।

(ग) और (घ) त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह लगभग 2.29 करोड़ रुपए के विशेष गैर योजना अनुदान की मंजूरी पर विचार करे ताकि वह केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त इक्विटी की राशि के सदृश अपना शेयर (15%) जारी कर सके।

भारतीय स्टेट बैंक, केरल

582. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक के लिए एक पृथक प्रशासनिक सर्किल बनाने के केरल सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) यद्यपि केरल सरकार ने केरल में भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) का पृथक सर्किल बनाने के लिए अनुरोध किया है तथापि, केरल में पृथक सर्किल बनाए जाने का एस. बी. आई. का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आंचलिक कार्यालयों के प्रभारी उप-महाप्रबंधकों की विवेकाधिकार शक्तियां प्रर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई हैं तथा कुछ शाखाओं को स्थानीय मुख्यालय की कार्यकारिणी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन लाया गया है (केरल राज्य में स्थित शाखाएं चेन्नई सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं) इस व्यवस्था में ऋण और सामान्य दोनों प्रकार के मामलों के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा।

तुलन-पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

583. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सभी कंपनियों द्वारा कंपनी के पंजीकार को तुलन-पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तुलन-पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस तरह के मामले वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क)

और (ख) जी, हां। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 और 220 के अंतर्गत कंपनियों के लिए अपनी वार्षिक विवरणियों तथा तुलन-पत्रों के प्रत्येक वर्ष दी गई अवधि के दौरान ही भरा जाना अनिवार्य है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) व्यतिक्रमी कंपनियों तथा व्यतिक्रमी अधिकारियों पर कंपनी अधिनियम की धारा 162 तथा 220 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209क के अंतर्गत किए गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप इन विवरणियों के फाइल करने में जहां लगातार विलंब के मामले नोटिस में आते हैं तो कंपनी अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

विवरण

जिन कंपनियों के वार्षिक विवरणियां/तुलन-पत्र फाइल नहीं किए हैं, की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	वार्षिक विवरणी	तुलन पत्र
1994	100039	103360
1995	146079	147203
1996	187572	183539

टिप्पणी-1 : वर्ष 1994 के आंकड़ों में कंपनी रजिस्ट्रार, जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित सूचना शामिल नहीं है, जहां आग से रिकार्ड नष्ट हो गए थे।

टिप्पणी-2 : उक्त आंकड़ों में वे कंपनियां शामिल हैं, जो बंद पड़ी हैं तथा कोई व्यापार नहीं कर रही हैं।

[हिन्दी]

राज्यों को ऋण

584. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से आज तक लिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से अतिरिक्त ऋण का अनुरोध करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी इन राज्यों में शामिल है;

(घ) यदि हां, तो यह अतिरिक्त ऋण कब तक प्रदान कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राज्यों द्वारा वित्त मंत्रालय से दिनांक 31/03/1997 तक लिए गए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इन राज्यों में शामिल नहीं है।

(ख), (घ) और (ङ) अर्थोपाय की समस्याओं पर काबू पाने/संसाधनों के अंतराल को कम करने के प्रयोजन से आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा राज्यों और राजस्थान राज्य ने ऋणों के लिए अनुरोध किया है। इन राज्यों को वर्ष के दौरान वसूली योग्य अर्थोपाय अग्रिमों और/अथवा राज्यों की हकदारी अनुसार अग्रिमों के द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

राज्यों द्वारा वित्त मंत्रालय से दिनांक 31.3.97 तक लिए गए ऋण को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र॰ सं॰	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10,340.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	229.94
3.	असम	3,644.50
4.	बिहार	9,487.22
5.	गोवा	799.96
6.	गुजरात	9,839,37
7.	हरियाणा	3,517.96
8.	हिमाचल प्रदेश	1,660.25
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2,849.50
10.	कर्नाटक	6,712.51
11.	केरल	4,550.07
12.	मध्य प्रदेश	6,390.73
13.	महाराष्ट्र	15,854.42
14.	मणिपुर	204.76
15.	मेघालय	234.23
16.	मिजोरम	149.69
17.	नागालैण्ड	249.83

1	2	3
18.	उड़ीसा	4,666.23
19.	पंजाब	10,642.41
20.	राजस्थान	6,994.12
21.	सिक्किम	136.50
22.	तमिलनाडु	8,403.85
23.	त्रिपुरा	354.02
24.	उत्तर प्रदेश	21,096.97
25.	पश्चिम बंगाल	13,217.32
		142,227,13

[अनुवाद]

नेताजी पर सिक्के/करेंसी नोट जारी करना

585. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म-दिवस समारोह के अवसर पर सिक्के/करेंसी नोट जारी किए हैं/जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म-शताब्दी के अवसर पर 19.2.1997 को 100/- रुपए, 50/- रुपए और 10/- रुपए के मूल्यवर्ग में स्मारक सिक्के और 2/- रुपए का स्मारक प्रचलन सिक्का जारी किया। सरकारी नीति के अनुसार, केवल महात्मा गांधी के चित्र युक्त करेंसी नोटों का निर्गम ही किया जाता है।

कोयला डिपो

586. श्री बादल चौधरी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में एक केंद्रीयकृत कोयला डिपो की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस डिपो की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नीति के अनुसार स्टॉकयार्ड की स्थापना संबद्ध राज्य सरकारों या उसकी संस्थाओं द्वारा किया जाना है। कोयला कंपनियां राज्य सरकारों द्वारा दिए गए संयोजनों/प्रायोजनों के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाती हैं। अतः अपेक्षित स्टॉक याडों के मूल्यांकन तथा कोयले की आपूर्ति हेतु उपयुक्त प्रायोजन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

587. श्री अशोक प्रधान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थापित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की इन पार्कों में कोई भागीदारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना (ई॰ पी॰ आई॰ पी॰) के तहत, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा, जिला गौत्तमबुद्ध नगर में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह पार्क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20.19 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। ई॰ पी॰ आई॰ पी॰ योजना के तहत परियोजना की कुल पूंजीगत लागत जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है, का 75% तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। लेकिन यह सीमा प्रत्येक पार्क के लिए 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के विकास के लिए 10 करोड़ रु॰ की केन्द्रीय सहायता की कुल राशि उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

राजकोषीय घाटा

588. श्री सुशील चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के केन्द्र सरकार के बजट में कितना राजकोषीय घाटा है;

(ख) यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या यह निर्धारित सीमा से कम है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सीमा को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 1997-98 के लिए बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 65,454 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसका कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जैसा कि 1997-98 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, सरकार अगले बजट मे राजकोषीय घाटे को 4 प्रतिशत के अंदर लाने की आशा रखती है।

[अनुवाद]

राज्य शीर्षस्थ सहकारी बैंकों के नाम बकाया आयकर

589. श्री राम नाईक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने राज्य शीर्षस्थ सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में आरक्षित निधियों में निवेश से अर्जित आय पर आयकर का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1997 अथवा किसी सुविधाजनक गणना तिथि को किस-किस बैंक के नाम कितनी-कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या बैंकों ने ऐसे निवेश पर आयकर न लगाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जमा योजनाओं में जमा की गई धनराशि

590. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनाओं, राष्ट्रीय जमा योजनाओं और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की लघु बचत योजनाओं में प्रतिष्ठावार, जिलावार, जमा की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने वाले वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेशम उत्पादन उद्योग

591. श्री बी. एल. शंकर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 के अनुसार देश में रेशम उत्पादन के विकास हेतु केन्द्र सरकार क्या-क्या योजनाएं चला रही है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य को कितनी धनराशि दी जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों को राज्यों द्वारा अपने संबंधित योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर भी उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड भी सभी चार प्रकार की रेशम के विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इन योजनाओं में अनुसंधान तथा विकास के विस्तार, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा इस क्षेत्र को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क से इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता देने संबंधी योजनाएं तथा क्वालिटी की रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम उत्पादन की आधुनिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकारों के सहयोग/सहायता से विश्व बैंक सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (17 राज्यों में), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्य योजना, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल रेशम उत्पादन विकास परियोजना जैसी विशिष्ट परियोजनाएं भी शुरू की हैं। वर्ष 1997-98 में मल्टी-एंड रीलिंग की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है।

(ख) योजना आयोग, भारत सरकार राज्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए आबंटन करता है। वर्ष 1996-97 के दौरान विश्व बैंक स्विस सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक को 583.79 करोड़ रू. की कुल संशोधित परियोजना लागत की तुलना में 88.65 करोड़ रू. प्रदान किए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार से कोई विशेष कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कर्नाटक में उसके मुख्यालय तथा अन्य एककों के लिए 38.42 करोड़ रू. का प्रावधान उद्दिष्ट किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक में किया जाने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड को भेजी गई योजनाओं पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय खंडपीठ

592. श्री विजय संकेश्वर : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप, हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार का यह मत है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ हुबली-धारवाड़ में स्थापित की जानी चाहिए। तथापि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है। भारत सरकार की नीति यह है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय इस विषय पर सभी कोणों से विचार करें और आम सहमति बनाएं। चूंकि हुबली-धारवाड़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई विनिश्चय करना संभव नहीं है।

सोने और विदेशी मुद्रा की तस्करी

593. श्री रनजीब बिसवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने और विदेशी मुद्रा की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच अब तक कितने मामले जानकारी में आए हैं और पकड़े गए सोने तथा विदेशी मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाएं दिल्ली में अधिक हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की एयर कस्टम यूनिट द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सोने और विदेशी मुद्रा की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ऐसी कोई आसूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह पता चले कि इस देश में सोने और विदेशी करेंसी की तस्करी में वृद्धि हुई है।

(ख) जनवरी से जुलाई 1997 की अवधि में 1844 लाख रुपये मूल्य का 370 किलोग्राम सोना और 2923 लाख रुपये मूल्य की विदेशी करेंसी पकड़ी गई है (आंकड़े अनन्तिम हैं)। पता लगाए गए मामलों की ठीक संख्या की पुष्टि की जा रही है।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों से दिल्ली में तस्करी की घटनाओं में बढ़ोत्तरी का पता नहीं चलता है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए शून्य।

(ङ) और (च) दोषी पाए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जाता है। उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधी व्यक्तियों की नजरबंदी भी की जाती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे का विकास

594. डॉ. अरूण कुमार शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के विकास संबंधी मिजोरम तथा मणिपुर सरकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय व्ययों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये;

(घ) क्या म्यांमार, भूटान, बंगलादेश तथा चीन की सीमा सहित उत्तर पूर्वी भारत के सीमा क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय व्ययों सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) चम्पाई में एक सीमावर्ती नगर क्षेत्र के निर्माण के लिए मिजोरम सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है जो कि इस पर विचार करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है।

भारत म्यांमार सीमा पर चम्पाई रिह सेक्टर का बुनियादी विकास करने के लिए निर्णायक अवस्थापना संतुलन (सी. आई. बी.) योजना के तहत 8.13 करोड़ रु. की स्वीकृति करने का मिजोरम सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

म्यांमार में टामु के सहरा मणिपुर में मोरेह के रास्ते म्यांमार के साथ सीमावर्ती व्यापार को सुकर बनाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। उठाए गए कदमों में शामिल है बैंकिंग सीमा शुल्क आव्रजन तथा अन्य संबंधित व्यापारिक प्रबंध।

इस मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय मोरेह में करेंसी यैस्ट स्थापित करने की वैधता को बारह माह की अवधि तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।

लघु उद्योगों को सिडबी ऋण

595. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योगों को बढ़ावा देने में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की क्या भूमिका है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार सिडबी द्वारा दिए गए ऋण से कितने एककों की स्थापना की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने, उनका वित्त पोषण और

विकास करने तथा समान क्रिया-कलापों, में लगी संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय लघु विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की गई है।

निर्धारित भूमिका को पूरा करने के उद्देश्य से सिडबी ने लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनकी सहायता में विस्तार करने और उनके संवर्धन संबंधी पहलुओं को शुरू करने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा मंजूर वित्तीय सहायता प्राप्त एककों की संख्या और अंतर्ग्रस्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा मंजूर राज्यवार सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

	1994-95		1995-96		1996-97	
पूर्वी क्षेत्र	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
बिहार	108	11.93	1143	57.90	1685	92.93
उड़ीसा	812	40.49	1570	71.75	3093	100.29
सिक्किम	36	0.65	190	3.97	313	2.57
पं. बंगाल	588	165.84	932	176.38	2203	196.47
अंडमान व निकोबार	3	0.08	0	0.00	0	0.00
योग	1542	218.99	3835	310.00	7294	392.26
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
अरुणाचल प्रदेश	9	0.23	92	1.82	99	0.83
असम	156	3.92	1461	18.74	330	10.10
मणिपुर	38	0.19	183	2.33	146	2.12
मेघालय	84	2.14	98	2.12	139	8.64
मिजोरम	3	0.10	39	0.45	81	0.94
नागालैण्ड	4	0.03	104	1.13	87	1.42
त्रिपुरा	120	1.84	209	3.96	258	4.82
योग	414	8.45	2186	30.55	1140	28.87
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	1380	251.10	2120	372.24	1838	452.88
हिमाचल प्रदेश	394	15.05	1747	45.08	1133	36.10
जम्मू व कश्मीर	126	5.41	435	11.47	444	10.88
पंजाब	1169	156.95	3084	241.94	2604	190.08

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	2061	186.04	2918	259.52	2120	190.15
उत्तर प्रदेश	1478	250.91	2660	450.93	3661	445.41
चंडीगढ़	19	3.80	166	13.51	85	9.18
एनसीटी दिल्ली	228	515.22	1252	305.40	963	395.27
योग	6855	1384.48	14382	1700.09	12927	1729.95
पश्चिम क्षेत्र						
गोआ	470	36.35	545	45.05	719	85.33
गुजरात	2612	835.63	3978	728.21	3082	624.52
मध्य प्रदेश	1284	128.90	2731	190.03	3410	169.53
महाराष्ट्र	9486	666.10	10659	1039.73	9201	1144.08
दादरा व	6	1.30	15	5.29	0	6.43
नगर हवेली						
दमन व दीव	31	3.55	15	8.99	11	6.33
योग	13889	1671.83	17943	2025.30	16511	2036.22
दक्षिण क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	3202	201.33	5851	301.75	7405	316.82
कर्नाटक	16569	352.19	15445	574.78	18478	673.26
केरल	8373	163.91	9146	233.09	11747	320.99
तमिलनाडु	5335	592.22	10183	792.97	10081	894.35
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पांडिचेरी	93	6.87	136	8.13	178	12.00
योग	33572	1316.52	40761	1910.72	47890	2217.42
*योग	56272	4600.27	79107	5976.66	85761	6404.71

*एनएसआईसी, एलओसी को ओटीसीईटी परिचालन संस्थाओं को जोखिम पूंजी सहायता, फैक्टरिंग कंपनियों को सहायता, उन्नयन और विकास के अंतर्गत सहायता के लिए ऋण सुविधा को छोड़कर।

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् को विशेष सहायता

596. श्री आर. बी. राई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् ने केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के गठन से लेकर अब तक विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में इसे कितनी राशि आबंटित और जारी की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् ने 60 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान तथा आधारभूत अवसंरचना को शामिल करते हुए विशेष रूप से दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् की विभिन्न विकास स्कीमों के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच॰ ए॰ डी॰ पी॰) के अधीन यथेष्ठ रूप से वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों, जिसमें दार्जिलिंग जिले के ज्यादातर हिस्सों को शामिल किया गया है, को उपलब्ध कराई गई है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक संघटक राज्य का शेयर (हिस्सेदारी) वितरण फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता को अन्य राज्यों के लिए मौजूदा सहायता में वृद्धि किए बिना सिर्फ एक राज्य के ही लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। तथापि, आठवीं योजना के दौरान योजना के प्रत्येक वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार को 4.67 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी के अतिरिक्त दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 28.35 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। यह प्रक्रिया नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है।

दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्या पर योजना आयोग द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है तथा इसलिए उपरोक्त के अलावा वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 के दौरान दार्जिलिंग जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार के लिए 3.117 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार को निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए सर्वेक्षणों और अध्ययन के अंतर्गत दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 13.04 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

(i) दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् द्वारा प्रदूषण के स्रोत की मौजूदा प्रास्थिति तथा सेंचल एवं मिरिक की प्राकृतिक झील प्रणालियों के संवर्द्धन से व्युत्पन अन्य आशंकाओं का वृहद सर्वेक्षण।

(ii) दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं लाभकारी आवश्यकताओं के व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण।

लघु औद्योगिक इकाइयों का बंद होना

597. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो लाख लघु औद्योगिक इकाइयों ने अनिश्चितकाल के लिए अपने कारोबार को बंद करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण

598. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री मुनिलाल :

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में कार्यपालिका को निर्णय लेने का अधिकार देने के लिए किसी संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विधान कब तक लाया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विधान लाये जाने तक वर्तमान नियम लागू रहेंगे;

(ङ) क्या सरकार ने इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय न्यायपीठ के 6.10.1993 के बहुमत के निर्णय के अनुपालन में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन को पुनरीक्षित किया गया था। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा लाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा लाए जाएंगे। 1993 के निर्णय से पहले प्रस्ताव सरकार द्वारा भी लाए जा सकते थे।

(ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की विद्यमान पद्धति में परिवर्तन करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पुरःस्थापित

करने का विनिश्चय किया है। सरकार ने, यह आवश्यक समझा है कि इसे किसी विरोधाभास की सीमा से बाहर रखने की दृष्टि से, संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्टत: और असंदिग्ध रूप से दोहराने और व्याख्या करने के लिए संविधान का संशोधन किया जाए। तदनुसार, संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 मार्च, 1997 में लोक सभा के सदस्यों को परिचालित किया गया था।

(ग) इस प्रक्रम पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रस्तावित संशोधन विधेयक और संसद सदस्यों, विधिक और संवैधानिक विशेषज्ञों और मीडिया से अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है।

[हिन्दी]

भारत व्यापार संगठन को वित्तीय सहायता

599. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा भारत व्यापार संगठन को वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) वर्ष 1997-98 में भारत व्यापार संगठन को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/प्रदान किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस सहायता को कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने अपने सेवा प्रभागों में वृद्धि कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) सरकार ने 1996-97 के दौरान एम॰ डी॰ ए॰ निधियों से आई॰ टी॰ पी॰ ओ॰ को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सरकार के विशेष आदेश से आयोजित किए गए मेलों तथा प्रदर्शनियों पर हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के एवज में 416.38 लाख रुपए का अनुदान दिया है। 416.38 लाख रुपए के कुल अनुदान में से, वर्ष 1996-97 के लिए अनंतिम रूप से जारी 295 लाख रुपए की धनराशि वर्ष 1997-98 की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक समायोजन के अधीन है।

(ख) से (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान आई॰ टी॰ पी॰ ओ॰ की निधियों की आवश्यकता 260.82 लाख रु॰ (अनु॰) आंकी गई है। यह भी पिछले वर्ष जारी निधियों से समायोजन के अधीन है।

(ङ) और (च) आई॰ टी॰ पी॰ ओ॰ नीचे दी गई दरों के अनुसार, विदेश में प्रदर्शित वस्तुओं के विक्रय तथा निपटान पर सेवा शुल्क लगता है :

वस्तुओं का एफ॰ ओ॰ बी॰ मूल्य	सेवा शुल्क की सीमा
1. 2 लाख रु॰ तक	10%
2. 2 लाख रु॰ से अधिक किंतु 10 लाख रु॰ से कम	2 लाख रु॰ तक 10% 2 लाख रु॰ से अधिक व 10 लाख रु॰ से कम पर 5%
3. 10 लाख रु॰ से अधिक	2 लाख रु॰ तक 10% 2 लाख रु॰ से अधिक व 10 लाख रु॰ तक 5%, 10 लाख रु॰ से अधिक पर 2.5%

लघु औद्योगिक इकाइयों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाता है। ऊपर दी गई सेवा शुल्क की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

विद्युत करघा

600. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने विद्युत करघा चल रहे हैं तथा कितने और विद्युत करघों की आवश्यकता है;

(ख) सरकार की उनको प्रोत्साहित करने की योजना क्या है; और

(ग) बिहार में विद्युत करघों की स्थिति क्या है और उनमें सुधार करने हेतु क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र में 30.9.1996 तक स्थापित विद्युत करघों की संख्या 14,01,978 थी।

आवश्यक विद्युत करघों की संख्या का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं

किया गया है। तथापि विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित कपड़े की मात्रा को देखते हुए, अधिक विद्युत करघों के लिए कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस समय क्षमता उपयोग मात्र 50-55 प्रतिशत है।

(ख) सरकार ने विद्युत करघा क्षेत्र के कार्यचालन को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की है जैसे विद्युत करघा सेवा केन्द्रों तथा कम्प्यूटर सहायिता डिजाइन केन्द्रों की स्थापना विद्युत करघा कामगारों के लिए बीमा योजना। इसके अतिरिक्त सरकार का विद्युत करघा बुनकरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी है। विद्युत करघा एककों का आधुनिकीकरण करने तथा उनके निर्यात का संवर्द्धन करने के लिए विद्युत करघा विकास तथा निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना की गई है। नाबार्ड तथा एस॰ आई॰ डी॰ बी॰ आई॰ की पुनर्वित्तपोषण योजना के अंतर्गत विद्युत करघा एककों को वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ग) बिहार राज्य में 30.9.96 तक पंजीकृत हथकरघों की संख्या 2870 थी। सरकार द्वारा विद्युत करघा क्षेत्र को प्रदान की गई सभी सुविधाएं बिहार राज्य में भी उपलब्ध हैं। वस्त्र आयुक्त कार्यालय के अधीन एक विद्युत करघा सेवा केन्द्र गया में पहले ही कार्य कर रहा है तथा भागलपुर में एक और केन्द्र को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने भी विद्युत करघा बुनकरों के लिए बीमा योजना क्रियान्वित की गई है।

[अनुवाद]

खराब चीनी का श्रीलंका से भारत भेजा जाना

601. श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

श्री अजमीरा चन्दूलाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ध्यान दिनांक 3 जून, 1997 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "कस्टममेन विल एनश्योर बैड शुगर इज डम्प्ड इन सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोलम्बिया से श्रीलंका को जहाज द्वारा भेजी गई 1000 टन चीनी को इस वर्ष अप्रैल में कोलम्बो में श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया था क्योंकि यह मानव उपभोग के लायक नहीं थी और इस चीनी से लदे जहाज को मुंबई पत्तन की ओर मोड़ दिया गया ताकि इस चीनी को भारत में बेचा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खराब चीनी भारतीय बाजार में न भेजी जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जलयान एम॰ वी॰ नसाली, जिसमें 27000 चीनी की बोरियां लदीं थीं, ने 19.4.1997 को भारत की राज्य क्षेत्रीय जल सीमा में प्रवेश किया। चूंकि चीनी के खराब होने के बारे में संदेह था, इसलिए मुंबई पत्तन न्यास ने जलयान को गोदी में लंगर डालने की अनुमति नहीं दी। कार्गो के एक हिस्से को समुद्र के बीच में नौकाओं पर उतारा गया था। महाराष्ट्र के खाद्य तथा औषध प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी ने इस चीनी की जांच की गई जिन्होंने उक्त चीनी को मानव उपभोग के योग्य नहीं ठहराया। निकासी की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी/खाद्य तथा औषध प्रशासन अधिकारी यह प्रमाणित करें कि चीनी मानवीय उपभोग अथवा औद्योगिक उपयोग के काबिल है। इस बीच मैसर्स नोहा मैराइन सेवा मुंबई, उनके एजेंटों ने निम्नलिखित पक्षों में से किसी एक पक्ष को निकासी की अनुमति देने के लिए खाद्य तथा औषध प्रशासन मुंबई को एक प्रस्ताव पेश किया:

1. मैसर्स गुजरात शूगर कैंडी वर्क्स, अहमदाबाद को विपणन करने से पहले चीनी का परिशोधन एवं उसे पुन: संसाधित करने के लिए।

2. मैसर्स नीरजर रसायन प्राइवेट लिमिटेड बड़ोदरा को ऑक्सलिक एसिड के विनिर्माण से औद्योगिक उपयोग करने के लिए।

3. मैसर्स आर॰ जे॰ फाउंडरी अहमदाबाद को सी॰ आई॰ कास्टिंग के विनिर्माण में औद्योगिक उपयोग के लिए।

यह मामला खाद्य तथा औषध प्रशासन के विचाराधीन है।

नॉन-मेरिट वस्तुओं पर राजसहायता

602. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान "नॉन-मेरिट वस्तुओं" पर राजसहायता घटाने का है; औ

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 1997-98 के बजट के अनुसार वर्ष 1997-98 (बजट अनुमान) के लिए आर्थिक सहायताओं के लिए कुल प्रावधान 18251 करोड़ रुपए रखा गया है जो 1996-97 में 16694 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। 1988-89 से 1997-98 (बजट अनुमान) के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1988-89 से 1997-98 (बजट अनुमान) के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायताओं के ब्यौरे।

(करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 1988-89	वास्तविक 1989-90	वास्तविक 1990-91	वास्तविक 1991-92	वास्तविक 1992-93	वास्तविक 1993-94	वास्तविक 1994-95	वास्तविक 1995-96	संशोधित 1996-97	बजट 1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. मुख्य आर्थिक सहायता	6787	9032	9581	9793	9414	10764	11527	12128	14233	17130
1. खाद्य	2200	2476	2450	2850	2800	5537	5100	5377	6066	7500
2. स्वदेशी (यूरिया) उर्वरक	3000	3771	3730	3500	4800	3800	4075	4300	4743	5240
3. आयातित (यूरिया) उर्वरक	201	771	659	1300	996	762	1166	1935	1350	1950
4. छोटे और सीमांत किसानों को उर्वरक सहायता	—	—	—	385	—	—	—	—	—	—
5. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	1386	2014	2742	1758	818	665	658	16	400	440
6. किसानों को रियायत सहित विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	—	—	—	—	—	—	528	500	1674	2000
ग. किसानों को ऋण राहत	—	—	1502	1425	1500	500	341	—	—	—
घ. अन्य आर्थिक सहायता	945	1442	1075	1035	1081	1418	1064	1177	2461	1121
7. रेलवे	207	233	283	312	353	412	420	418	466	537
8. मिल निर्मित कपड़ा	27	10	10	15	15	16	—	1	—	—
9. हथकरघा कपड़ा	146	181	185	187	161	174	148	143	98	84
10. चीनी, खाद्य तेलों आदि का आयात/निर्यात	40	—	—	—	—	—	—	100	50	50
11. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	406	881	379	316	113	113	76	34	1257	34
12. उर्वरक संवर्धन के लिए सहायता	—	—	—	—	340	517	—	—	—	—
13. अन्य आर्थिक सहायता	119	137	218	205	99	186	420	481	590	416
जोड़ — आर्थिक सहायता	7732	10474	12158	12253	11995	12682	12932	13305	16694	18251

अनुबंध 3 में शामिल अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का ब्यौरा अनुबंध

कपड़ा कर्मकार पुनर्वास निधि योजना

603. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

श्री शिवराज सिंह :

श्री दिलीप संघानी :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा कर्मकार पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत राहत राशि के भुगतान के लिए दिनांक 1 मई 1991 तक अद्यतेन दिशा-निर्देशों में कतिपय संशोधन किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय अमृतसर द्वारा उपरोक्त योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए पात्र पाए गए हिमाचल वर्सटिड मिल्स लि., नालागढ़ (हि. प्र.) के कर्मकारों की संख्या क्या है;

(ग) इन निर्धन कर्मकारों को उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कर्मकारों हेतु बिना और विलंब के धनराशि निमुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (घ) जी, हां। टी. डब्ल्यू. आर. एफ. योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. कुछ निश्चित शर्तों के अधीन मामला दर मामला आधार पर टी. डब्ल्यू. आर. एफ. योजना आंशिक बंद के मामले में भी लागू की गई है।

2. पात्रता शर्त के अंतर्गत वेतन उच्चतम सीमा को 1600 रू. प्रतिवर्ष से 2500/- रू. प्रतिवर्ष तक बढ़ाया गया है।

वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना को अभी तक केन्द्रीय तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों पर लागू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला भंडार

604. श्री राधा मोहन सिंह :

डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस समय कोयले के पर्याप्त भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय गोदामों में कोयले का कितना भंडार पड़ा है और इसमें कोकिंग कोयले की मात्रा कितनी है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मात्रा में कोकिंग कोयले का उत्पादन होता है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) 1 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (को. इं. लि.) के पास 22.45 मिलियन टन (अनंतिम) विक्रय कोयले का स्टॉक था। इसमें से कोककर कोयले की मात्रा लगभग 4.20 मिलियन टन थी।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान को. इं. लि. की खानों से उत्पादित कोककर कोयले की कुल मात्रा निम्नलिखित है :

(मिलियन टन)

1995-96	1996-97 (अनंतिम)
34.63	34.77

उद्योगों द्वारा निर्यात

605. श्री राम कृपाल यादव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय निर्यात में संगठित क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योगों का हिस्सा कितना है;

(ख) देश में रोजगार और परिसंपत्तियों में वृद्धि करने में उनका अंशदान कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास लिए क्या दीर्घकालिक नीति तैयार की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1995-96 के लिए (नवीनतम उपलब्ध) लघु उद्योगों पर विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, निर्यात विकास प्राधिकरणों, आदि से प्राप्त निर्यात-आंकड़ों के अनुसार 1,06,464.86 करोड़ रू. के कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 36,470.22 करोड़ रू. था, जो कि लगभग 34.25% है।

(ख) 1995-96 के दौरान लघु उद्योग एककों की संख्या लगभग 27.24 लाख थी जिनसे लगभग 153 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा था। देश में इन एककों द्वारा परिसंपत्तियों में वृद्धि के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा किये गये नीतिगत उपायों में शामिल हैं लघु क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान करना, राजकोषीय रियायतें प्रदान करना, मदों के (इस समय इनकी संख्या 821 है) अनन्य रूप से विनिर्माण हेतु आरक्षण और लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों को मूल्य और खरीद

की वरीयता। लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु सरकार द्वारा सहायतित कई योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं, एकीकृत आधारभूत सुविधा विकास योजना के माध्यम से ढांचागत सुविधाओं की सहायता प्रदान करने, आधुनिकीकरण और गुणवत्ता उन्नयन हेतु वर्धित प्रौद्योगिकी सहायता, स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करने के साथ-साथ उद्यमिता विकास संस्थानों में वृद्धि करने, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से स्वरोजगार के तरीके से विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों को मजबूत करने और लघु उद्योग क्षेत्र की सूचना एवं आंकड़े के आधार में वृद्धि करने के लिए है।

[अनुवाद]

सी॰ आर॰ बी॰ घोटाला

606. श्री तरित बरण :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

श्री प्रमोद महाजन :

श्री बसुदेव आचार्य :

प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री मोहन रावले :

श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

श्री ए॰ सम्पत :

श्री सुरेश आर॰ जाधव :

डॉ॰ असीम बाला :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट ने निवेशकों के करोड़ों रुपये ठगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में आर॰ बी॰ आई॰, सेबी, सी॰ बी॰ डी॰ टी॰ और सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक किस सीमा तक अंतर्ग्रस्त हैं और सरकार के ध्यान में आई अन्य अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या यह मामला सी॰ बी॰ आई॰/अन्य एजेंसी के जांचाधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के कब पूरा होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ (सी॰ आर॰ बी॰ सी॰ एम॰ एल॰) के मुख्य कार्य थे—किराया-खरीद, पट्टा वित्त पोषण और मर्चेंट बैंकिंग/ सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ द्वारा जमाराशियों को वापसी अदायगी में चूक के बारे में भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि॰ से भारतीय रिजर्व बैंक को दिसम्बर 96 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰ ने भी एक ग्रुप कम्पनी द्वारा खोले गए शाख पत्र की सुपुर्दगी के बारे में मार्च 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सी॰ आर॰ बी॰ सी॰ एम॰ एल॰ ने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से 58 लाख करोड़ रु॰ की राशि से अधिक के ब्याज वारंट जमाराशि वापसी और ब्रोकरेज वारंटों के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मुख्य शाखा में अपने खाते से जमाराशि से अधिक आहरित किया था। नवम्बर 1996 से जनवरी 1997 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों और बाद के परिणामों, खासकर भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े परिणामों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने धारा 45 एम॰ बी॰ (1) और (2) के अंतर्गत अप्रैल 1997 में निषेधात्मक आदेश जारी किए जिसमें कंपनी को किसी प्रकार की अन्य जमाराशियां स्वीकार करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना किन्हीं आस्तियों का स्वत्त्वाधिकार अंतरण करने से रोक दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.5.1997 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एम॰ सी॰ के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक परिसमापन याचिका का दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक अनन्तिम परिसमापक नियुक्त किया गया है। इस परिसमापक ने कंपनी की आस्तियों और देयताओं के निर्धारण की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) से (ङ) इन घटनाओं को देखते हुए सरकार के विनियामकों, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा है कि सी॰ आर॰ बी॰ समूह की कंपनियों पर विनियमों को लागू करने या चेतावनी संकेतों का उत्तर देने में हुए किसी प्रकार के चूक को देखने के लिए वे इन कंपनियों के संबंध में विनियामक कार्यों की पूर्णरूपेण आंतरिक पुनरीक्षा करें ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि क्या सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्किट्स लि॰ के साथ भुगतान व्यवस्था में चूक से मिलने वाली शुरुवाती चेतावनी संकेतों पर कार्रवाई करने में कोई आंतरिक विफलता थी। कार्यकारी स्तर पर संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी॰ बी॰ आई॰), आर॰ बी॰ आई॰, सेबी और राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व वाले एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें कंपनियों को "सममूल्य" पर भुगतान सुविधा प्रदान करते समय ध्यान में रखी जाने वाली प्रक्रियात्मक सुरक्षा निर्धारित की गई है।

आर॰ बी॰ आई॰ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य अपेक्षा,

न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां, लाभों का आरक्षित निधि में कतिपय समानुपात में अनिवार्य अंतरण और कंपनी लॉ बोर्ड को जमाराशियों की वापसी अदायगी न करने के मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰) के लिए विनियामक तंत्र काफी मजबूत होता है। परिचालनात्मक रूप से आर॰ बी॰ आई॰ ने पहले ही खन्ना समिति की सिफारिशों के आलोक में पर्यवेक्षीतंत्र को मजबूत बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां तक आपराधिक जांचों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का संबंध है, इस समय उनके पूरा किए जाने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित कर पाना संभव नहीं है।

मानव संसाधन विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष

607. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मानव संसाधन विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण, जो मानव संसाधन के क्षेत्र में इसकी सुविधा को सुदृढ़ करने की एक परियोजना है, के संबंध में केरल सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना की कुल लागत 148 करोड़ रू॰ है। यह परियोजना केरल में मौजूदा कार्यबल की कुशलता को बढ़ाती है, जो राज्य में उद्योगों को अर्थव्यवस्था में उदारीकृत परिवेश तथा नई प्रौद्योगिकियों में पहुंच के माध्यम से प्रस्तुत किए गए अवसरों का लाभ उठाने में सहायक होगी तथा केरल में उद्योग के सभी उप-क्षेत्रों का और अधिक प्रभावी रूप से मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करने में सहायक सिद्ध होगी।

परियोजना प्रस्ताव दि॰ 25.6.96 को विश्व बैंक के पास विचार-विमर्श हेतु भेजा गया था। विश्व बैंक की टिप्पणियां केरल सरकार को उसकी प्रतिक्रिया जानने हेतु भेजी गई। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसरण में इस प्रस्ताव को विदेशी सहायता हेतु दि॰ 5.3.97 को ओ॰ डी॰ ए॰ के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। आगे की कार्रवाई यूनाइटिड किंगडम की सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

आयकर का बकाया होना

608. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स अपर्णा स्टूडियो—गुड़गांव, मैसर्स अपर्णा आश्रम-नई दिल्ली और संबद्ध संस्थान, मैसर्स अपर्णा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और मैसर्स धीरेन्द्र योगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पर आयकर बकाया का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) निम्नलिखित कंपनियों की तरफ आयकर की राशि की ब्यौरा निम्नानुसार है :

	कंपनी का नाम	आयकर की बकाया मांग (लाख रू॰ में)
1.	मैसर्स अपर्णा स्टूडियो प्रा॰ लि॰	80.21
2.	मैसर्स अपर्णा आश्रम	4655.34
3.	मैसर्स अपर्णा एविएशन प्रा॰ लि॰	1.77
4.	स्व॰ स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी (व्यष्टि)	45.51

*योग-पुस्तकों की बिक्री से हुई आय को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए व्यष्टिक विवरणी में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) मैसर्स अपर्णा स्टूडियो (प्रा॰) लि॰, की ओर बकाया राशि की वसूली करने के लिए गुड़गांव के निकट सिलोकरा स्थित स्टूडियो तथा के-50, फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली स्थित संपत्ति को आयकर अधिनियम, 1961 की II अनुसूची के नियम 48 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। तथापि, इन संपत्तियों की बिक्री करने के लिए आगे कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि कंपनी के एक निदेशक ने कुर्की का प्रतिवाद किया है।

जहां तक मै॰ अपर्णा आश्रम का संबंध है, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) तथा गुड़गांव (हरियाणा) स्थित उक्त न्यास की संपत्तियों के ब्यौरे, उनकी कुर्की और बिक्री करने के लिए वसूली अधिकारी के पास भेज दिए गए हैं। कर वसूली अधिकारी, जम्मू से भी जम्मू और कश्मीर में स्थित संपत्तियों के संबंध में वसूली संबंधी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कुर्की के माध्यम से 6,58,368 रू॰ के बैंक निक्षेप को वसूल किया गया है। इसी प्रकार, कर वसूली अधिकारी ने 2,95,703 रू॰ की वसूली भी की है।

स्व॰ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के कानूनी वारिसों के मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा तय कर दिया गया है। जहां तक स्व॰ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी (व्यष्टि) की तरफ बकाया मांग का संबंध है, आयकर अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत कानूनी वारिसों को नोटिस तामील करके वसूली संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा अध्ययन और प्रशिक्षण दौरे

609. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के सहायक एकक-वार कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया;

(ख) कितने अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए और प्रशिक्षण के पश्चात् सहायक एकक-वार उन्होंने कितने दिन कार्य किया;

(ग) विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को किस प्रकार के प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पर कितनी राशि खर्च की गई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को प्रशिक्षण व अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया। उक्त का सहायक कंपनीवार विवरण नीचे दर्शाया गया है :

कंपनी	1994-95	1995-96	1996-97
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	10	—	9
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	6	3	5
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	23	4	7
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	—	—	2
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2	12	7
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	—	2	2
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3	5	2
केंद्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि॰	1	9	1
नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	—	—	1
कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय)	—	5	1
जोड़	45	40	37

(ख) 30.6.97 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 5 अधिकारी सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। इस संबंध में ब्यौरा निम्न है :

क्रम सं॰	नाम व पदनाम	कंपनी का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कार्य किए जाने के दिनों की संख्या
1.	श्री जी॰ कुरियन निदेशक (कार्मिक)	ई॰ को॰ लि॰	344 दिन
2.	श्री ए॰ सत्तार, सी॰ जी॰ एम॰	सा॰ ई॰ को॰ लि॰	458 दिन
3.	श्री ए॰ के॰ गुलाटी, सी॰ एम॰ डी॰	भा॰ को॰ को॰ लि॰	576 दिन
4.	श्री सी॰ के॰ वी॰ एन॰ राव निदेशक (तकनीकी)	भा॰ को॰ को॰ लि॰	426 दिन
5.	श्री आर॰ ए॰ पी॰ सिंह निदेशक (पी॰ एंड आई॰ आर॰)	को॰ इं॰ लि॰ मुख्यालय	169 दिन

(ग) इन अधिकारियों को जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया था वह मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है पर्यावरण प्रभावी प्रशिक्षण, ओपनकास्ट खनन और उत्खनन, कोयला खान सुरक्षा, पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबंधन, निवेश मूल्य निर्धारण और प्रबंधन, अग्रवर्ती प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन आदि। किंतु प्रशिक्षण के स्वरूप और अध्ययन दौरे जिसके लिए विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को विदेश भेजा गया था, से संबंधित जानकारी बहुत विस्तृत है। उन्हें एकत्रित करने और प्रस्तुत करने में अंतर्ग्रस्त प्रयास एवं श्रम इस प्रयोजन के लिए सार्थक नहीं होंगे।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष व्यय की गई राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

1994-95	रुपए 36,72,607
1995-96	रुपए 50,86,268
1996-97	रुपए 45,63,020 (अनंतिम)

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के क्षेत्रीय कार्यालय

610. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यालयों द्वारा शुरू होने से लेकर अब तक कार्यालय-वार कितनी शिकायतें निपटाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने पंजीकरण, प्रारंभिक पब्लिक ऑफर दस्तावेजों और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के संबंध में इन क्षेत्रीय कार्यालयों को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सेबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उनकी अवस्थिति नीचे दी गई है :

क्षेत्रीय कार्यालय	अवस्थिति
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय	नई दिल्ली
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय	कलकत्ता
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई

पश्चिमी क्षेत्र के लिए कोई पृथक क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तथापि, मुंबई में स्थित सेबी का मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

(ख) सेबी के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके प्रारंभण से सुलझाई गई शिकायतों की कार्यालयवार संख्या नीचे दी गई है :

क्षेत्र	सुलझाई गई शिकायतों की संख्या
उत्तरी क्षेत्र	18,154
(15, जुलाई, 1997 तक)	
पूर्वी क्षेत्र	5,400
(30 जून, 1997 तक)	
दक्षिणी क्षेत्र	9,941
(30 जून, 1997 तक)	

(ग) और (घ) सेबी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को श्रेणी II से IV के मर्चेन्ट बैंककारों तथा श्रेणी-II के पंजीयकों तथा शेयर अंतरण एजेंटों को पंजीकरण तथा नवीनीकरण प्रदान करने की शक्तियां दी हैं। 20 करोड़ रु. तक के इश्यू आकार के लिए पेशकश दस्तावेजों को सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, में दर्ज कराना होगा। 1 जनवरी, 1997 से क्षेत्रीय कार्यालयों को केवल उन कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालय उनके क्षेत्राधिकार में हैं, के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विदेशी मुद्रा का भंडार

611. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या थी;

(ख) पिछले दो वर्षों के भण्डार की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ग) विदेशी मुद्रा के भण्डार में अचानक वृद्धि होने के क्या प्रभाव होंगे; और

(घ) अर्थव्यस्था में मजबूती लाने के लिए तैयार की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सोने और विशेष आहरण अधिकार (एस. डी. आर.) सहित भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार, मार्च, 1995 के अंत में 25.19 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा मार्च, 1996 के अंत में 21.69 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में मार्च, 1997 के अंत में 26.42 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ग) अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करके विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि, अन्य बातों के समान रहने पर, कीमतों के सामान्य

स्तर पर दबाव का एक सम्भाव्य साधन है। मुद्रा आपूर्ति और कीमतों पर विदेशी मुद्रा भण्डार में हाल की वृद्धि का विस्तारकारी प्रभाव का सामना सख्त मौद्रिक नीति अपनाकर किया गया है। दूसरी ओर विदेशी मुद्रा भण्डार का उच्चतर स्तर भुगतान संतुलन और विनिमय दर को सुदृढ़ करता है तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है।

(घ) अल्प और मध्य कालिक राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति के संयोजन में कीमत स्थिरता के वातावरण में आय और उत्पादनशील रोजगार में तीव्र वृद्धि प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोषीय घाटे में वहनीय स्तर तक कमी लाने के लिए किए गए उपाए, एक व्यापक प्रोत्साहनोन्मुख कर सुधार कार्यक्रम और व्यय सुधार नीति शामिल हैं जो घरेलू बचतों और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने में सहायता करती हैं।

रेशम उद्योग का विकास

612. श्री केशव महंत : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में रेशम उद्योग को विकास हेतु सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) असम में रेशम उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान, विस्तार बुनियादी सुविधाएं एवं प्रशिक्षण सहायता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) वर्ष 1995-96 से राज्य सरकारों के सहयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहतूती, एरी तथा मूगा रेशम उत्पादन के विकास के लिए एक पूर्वोत्तर-कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना में शहतूती तथा गैर-शहतूती संघटक शामिल हैं तथा 3.59 करोड़ रू॰ के समग्र गैर-शहतूती संघटकों की पूर्ति केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की जाती है। 12.89 करोड़ रू॰ के शहतूती संघटक में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का योगदान 6.03 करोड़ रू॰ है। यह परियोजना वर्ष 1995-96 से तीन वर्ष की अवधि में क्रियान्वित की जानी है तथा इसका उद्देश्य 7500 एकड़ क्षेत्र में शहतूती रोपण का तथा 111 एकड़ क्षेत्र में गैर-शहतूती रोपण का विकास करना है। 31.3.1997 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड का पूर्वोत्तर कार्य योजना में 3.08 करोड़ रू॰ का व्यय हुआ है।

कार्य योजना में असम संघटक पर 5.02 करोड़ रू॰ का व्यय निहित है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड 4.56 करोड़ रू॰ का वहन करेगा तथा 0.46 करोड़ रू॰ की शेष राशि का वहन असम सरकार द्वारा किया जाएगा। असम में शहतूती रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम में 2000 एकड़ क्षेत्र में शहतूत का विकास करना जिसमें 4000 किसानों को शामिल करना, 4000 रेशम कीट कीटपालन किट्स की आपूर्ति करना, रीलिंग के लिए सहायता देना, एक अनुसंधान विस्तार केन्द्र, एक परियोजना कार्यालय, पांच तकनीकी सेवा केन्द्रों की स्थापना करना, 4000 किसानों तथा 40 रीलरों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य 20 एकड़ मूल बीज फार्म, 16.4 एकड़ न्यूक्लियस फार्म तथा शहतूती नर्सरी का विकास करना भी है।

कार्यक्रम में असम में गैर-शहतूती क्षेत्र में 945 एकड़ क्षेत्र में मूगा, आय उत्पादनों के दो मूगा बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना, 140 मूगा रेशम रीलरों को प्रशिक्षण देना, चार मूगा सहकारी समितियों को सहायता देना तथा मूगा रेशम रीलिंग मशीनों की पूर्ति करना भी शामिल है। ऐरी कृषि के लिए कार्यक्रम में 222 एकड़ क्षेत्र में एरी खान पादपों को बढ़ाना, एक एरी रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र की स्थापना करना, ऐरी कोटों के विपणन तथा प्रसंस्करण के लिए 5 समितियों को सहायता देना भी शामिल है।

(ख) राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने असम में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी सहायता के लिए निम्नलिखित अवस्थापना संबंधी सुविधाएं स्थापित की हैं :

I. सामान्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत

शहतूती

1. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, जोरहट
2. अनुसंधान विस्तार केन्द्र, मंगलदोई
3. रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय, जोरहट

मूगा

1. केन्द्रीय मूगा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लडोइगढ़ (जोरहट) की स्थापना की जा रही है।
2. क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, बोको
3. मूगा अनुसंधान विस्तार केन्द्र, सिवसागर
4. मूगा कच्चा माल बैंक, सिवसागर (धामूखाना और गुवाहाटी में 2 उप डिपो सहित)

एरी

1. एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मेन्दीपथर, मेघालय (जो असम को भी सेवा प्रदान करता है)
2. अनुसंधान विकास केन्द्र, डिब्रू

तसर

1. मूल बीज हुगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र (ओकतसर) उमरांगसू

II. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत

1. एक शहतूती मूल बीज उत्पादन फॉर्म सह-ग्रेनेज, रबरिया
2. नौ तकनीकी सेवा केन्द्र

3. एक रीलिंग प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण केन्द्र

4. दो कोसा ड्राईंग चेम्बर्स

5. एक कोसा बाजार सह-कोसा परीक्षण तथा श्रेणीकरण एकक।

आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा निजी कंपनियों में निवेश

613. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा 1.4.92 से 31.3.96 के दौरान निजी कंपनियों के खरीदे गए गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का औसत मूल्य क्या है;

(ख) आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा 1.4.92 से 31.3.96 के दौरान निजी व्यक्तियों के माध्यम से या स्वयं के द्वारा निजी कंपनियों के खरीदे गए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का औसत मूल्य क्या है;

(ग) आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा 1.4.92 से 31.3.96 के दौरान खरीदे गये निजी कंपनियों के गैर सूचीबद्ध परिवर्तनीय ऋण पत्रों का औसत मूल्य क्या है;

(घ) आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा 1.4.92 से 31.3.96 के दौरान निजी व्यक्तियों के माध्यम से या स्वयं के द्वारा निजी कंपनियों के खरीदे गए सूचीबद्ध परिवर्तनीय ऋण पत्रों का औसत मूल्य क्या है; और

(ङ) दिनांक 1.4.95 से 31.3.96 के दौरान (क) और (ख) में दी गई कंपनियों से प्राप्त अलग-अलग औसत लाभांश क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।.

खुदरा बिक्री मूल्य पर उत्पाद शुल्क

614. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई उत्पाद शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वित्त अधिनियम 1997 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में एक नई धारा 4क जोड़ी गई है ताकि सरकार खुदरा बिक्री मूल्य के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क माल पर उत्पाद शुल्क वसूल कर सके। जहां कहीं भी निर्धार्य मूल्य और अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के बीच अनुचित रूप से व्यापक अंतर होता है अथवा निरर्धाय मूल्य में धोखा-धड़ी करने अथवा उसे घोषित न करने का प्रयास किया जाता है, तो इस नई धारा के उपबंधों को लागू किया जा सकता है ताकि कम मूल्यांकन के जरिए उत्पादन शुल्क के क्षरण को रोका जा सके। पहली जुलाई, 1997 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के शीर्ष सं॰ 33.03 से 33.05 और 33.07 के अंतर्गत आने वाली सौन्दर्यवर्धक एवं प्रसाधन निर्मितियों के संबंध में इस धारा के उपबंधों को लागू किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे माल के "खुदरा बिक्री मूल्य" की 50% राशि का उत्पाद शुल्क लगाने के लिए निरर्धाय मूल्य के रूप में माना जाएगा।

विद्युत करघों का आधुनिकीकरण

615. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बिजली करघे के आधुनिकीकरण के लिए गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी, नहीं। सरकार को महाराष्ट्र तथा गुजरात से इन राज्यों में विद्युतकरघा के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय अनियमितताओं से निवेशकों को बचाना

616. श्री विजय गोयल :

श्री विजय पटेल :

श्री एल॰ रमना :

श्री उत्तम सिंह पवार :

श्री संदीपान थोरात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में अब तक लगाई गई मुख्य जाल-साजियों/वित्तीय अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है तथा इस घोटाले में शामिल अनुमानित राशि कितनी है;

(ग) जांच की विद्यमान स्थिति क्या है तथा इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों की कार्य प्रणाली की गहराई से पुनरीक्षा की है तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रभावी और व्यापक उपाए किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के वित्तीय कंपनी स्कंध द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण सामान्यत: क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 90 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इस वर्ष के दौरान सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ से संबंधित एक प्रमुख धोखाधड़ी के मामले का पता चला है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी होने तक सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स में अंतर्ग्रस्त सही धनराशि का पता नहीं लगाया जा सकता। जहां कहीं गंभीर अनियमितताएं दिखाई दी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस/निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1997 में अब तक 12 कंपनियों के संबंध में निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

(ग) सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट्स लि॰ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम परिसमापक नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी मामले की जांच कर रही है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री पी॰ आर॰ खन्ना, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) की अध्यक्षता में अप्रैल, 1995 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी पर्यवेक्षण ढांचा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया गया था। इस समिति की सफारिशों के अनुसरण में एक व्यापक निरीक्षण नियम-पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आस्तियों की गुणवत्ता का पता लगाने पर जोर देते हुए बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्थल पर निरीक्षण करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए स्थलेतर निगरानी का कार्य भी शुरू कर दिया है।

न्यायालय में लंबित मामले

617. श्री कचरु भाऊ राउत :

श्री के॰ एल॰ शर्मा :

श्री अशोक प्रधान :

श्री सत्यपाल जैन :

श्री दत्ता मेघे :

श्री गोरधन भाई जावीया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाये गये तथा उनके सम्मुख लंबित दीवानी और फौजदारी मामलों की न्यायालयवार स्थिति क्या है;

(ख) नये मामलों के पंजीकरण में तथा बैक-लाग में न्यायालय-वार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न I से IV में दी गई है।

(ग) सरकार ने, समय-समय पर प्रक्रियात्मक विधियों में संशोधन करने के अतिरिक्त, विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। विधि मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों तथा न्याय प्रशासन से संबद्ध अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन कालिकत: आयोजित किए जाते हैं और ऐसे विचार विनिमय तथा विचार विमर्श से उद्भूत होने वाले निष्कर्षों को कार्यान्वित किया जाता है तथा उनकी प्रगति निकटत: मानीटर की जाती है।

विवरण-I

भारत के उच्चतम न्यायालय में संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामले

वर्ष	संस्थित		निपटाए			लंबित			
	ग्रहण किए जाने वाले मामले	नियमित मामले	योग	ग्रहण किए जाने वाले मामले	नियमित मामले	योग	ग्रहण किए जाने वाले मामले	नियमित मामले	योग
1994	29,271	12,775	42,046	35,853	12,037	47,800	30,967	21,983	52,950
1995	35,689	15,754	51,443	51,547	16,790	68,337	15,109	20,947	36,056
1996	26,778	6,628	33,406	35,227	10,989	46,216	6,660	16,586	23,246

विवरण-II

31 दिसम्बर, 1994 को संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	संस्थित किए गए मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की सं.	लंबित मामलों की सं.
1.	इलाहाबाद	136732	92745	779313
2.	आंध्र प्रदेश	105002	90255	134560
3.	मुम्बई	99084	88000	201476
4.	कलकत्ता	51255	44870	241888
5.	दिल्ली	53981	45850	146613
6.	गौहाटी	17081	12665	29158
7.	गुजरात	40433	40815	96318
8.	हिमाचल प्रदेश	16778	19826	16996
9.	जम्मू-कश्मीर	28887	12542	90507
10.	कर्नाटक	63627	51335	151566
11.	केरल	86148	58839	169530
12.	मध्य प्रदेश	66805	67693	84560
13.	मद्रास	124475	86702	351104
14.	उड़ीसा	31931	26222	47970
15.	पटना	69153	58395	96989
16.	पंजाब और हरियाणा	97684	76609	145180
17.	राजस्थान	53875	44198	145181
18.	सिक्किम	99	127	49
	योग :	1143030	917688	2875858

विवरण-III

31 दिसम्बर, 1995 को संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	संस्थित किए गए मामलों की सं.	निपटाए गए मामलों की सं.	लंबित मामलों की सं.
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद	135529	96328	818512
2.	आंध्र प्रदेश	122188	108100	148648
3.	मुम्बई	94689	79054	217111

1	2	3	4	5
4.	कलकत्ता	59691	47210	254369
5.	दिल्ली	54362	52763	148212
6.	गौहाटी	18828	16615	31371
7.	गुजरात *	9813	14178	91953
8.	हिमाचल प्रदेश	17637	14197	20436
9.	जम्मू-कश्मीर	21700	18507	93700
10.	कर्नाटक	72586	62659	161493
11.	केरल	90466	62973	197023
12.	मध्य प्रदेश	69787	68205	86142
13.	मद्रास	110552	159295	302361
14.	उड़ीसा	33347	29375	51942
15.	पटना	69348	70892	95445
16.	पंजाब और हरियाणा	97218	92313	150035
17.	राजस्थान	49125	45833	95368
18.	सिक्किम	166	145	70
	योग :	1127032	1038642	2964191

* 31.3.1995 को।

विवरण-IV

31 दिसम्बर, 1996 को संस्थित किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं॰	उच्च न्यायालय का नाम	संस्थित किए गए मामलों की सं॰	निपटाए गए मामलों की सं॰	लंबित मामलों की सं॰
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	163920	116977	865455
2.	आंध्र प्रदेश	120997	134024	135621
3.	मुम्बई	91621	74674	234058
4.	कलकत्ता	68424	58481	264312
5.	दिल्ली	57812	52487	153537
6.	गोहाटी	20958	19311	33018

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	139821
8.	हिमाचल प्रदेश	14599	16505	17166
9.	जम्मू-कश्मीर	21567	18853	96414
10.	कर्नाटक	70739	81267	150965
11.	केरल	101492	80692	217823
12.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	75616
13.	मद्रास	105442	97163	310640
14.	उड़ीसा	47666	32788	66820
15.	पटना	76743	78878	93310
16.	पंजाब और हरियाणा	117304	105807	161562
17.	राजस्थान	40123	39975	95496
18.	सिक्किम	216	209	88
	योग :	1119623	1008091	3111722

* 30.9.1996 को।

फोटो पहचान पत्र

618. श्री बीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में, सभी नागरिकों को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1997 तक की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी नागरिकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पहचान पत्रों का शीघ्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (च) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आम उत्पादों का निर्यात

619. श्री विजय पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे के कारण आम उत्पादों का निर्यात रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात पुनः आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कारों का निर्यात

620. श्री नवल किशोर राय :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कारों सहित विभिन्न प्रकार के कितने वाहनों का निर्यात किया गया और उनका कुल निर्यात कितना था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने वाहनों का आयात किया गया;

(ग) उपरोक्त उद्योगों में अनुमानतः कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है;

(घ) क्या इन उद्योगों ने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न वाहनों के कलपुर्जों का आयात किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इनके आयात मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यातित विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या तथा उनकी कुल कीमत निम्नानुसार है :

वाहनों की किस्म	वाहनों की संख्या	कीमत (अप्रैल, 96 से सितम्बर, 96 तक)
वाणिज्यिक वाहन	14276	461 करोड़ रु॰
कारें	37161	
बहु उपयोगिता वाहन	2044	
दुपहिया	125131	
तिपहिया	21973	
कुल	200585	

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान आयातित वाहनों की संख्या संबंधित आंकड़े विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गये हैं।

(ग) आटोमोटिव उद्योग में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

(1) प्रत्यक्ष — 0.2 मिलियन (लगभग)

(2) अप्रत्यक्ष — 10 मिलियन (लगभग)

(घ) और (ङ) अतिरिक्त पुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है और इस प्रकार उनके निर्यात में सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए, इस प्रकार के आंकड़े विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

621. श्रीमती केतकी देवी सिंह :

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनतरण लागत को काफी हद तक कम करने और ग्राहकों को समुचित सुविधाएं प्रदान करने हेतु बैंकों के कार्यकरण में कुशलता बढ़ाने हेतु बैंकों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करते हेतु अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997 के अंत तक कुल कितने बैंकों का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) के अनुसार, भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं की संख्या (सेवा शाखाओं के अलावा), जो दिनांक 31 मार्च, 1997 तक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो चुका है, 2197 है।

[अनुवाद]

साइकिलों का निर्यात

622. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितनी साइकिलों का निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) साइकिलों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रामैया) : (क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक के दौरान साइकिलों के निर्यात की सं॰ तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण नीचे दिया गया है :

(संख्या में मात्रा)

(मूल्य: करोड़ रू० के बराबर विदेशी मुद्रा)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1995-96	10,08,979	140.99
1996-97	उपलब्ध नहीं	128.59 (अंनतिम)

जिन मुख्य देशों को भारत से साइकिलों का निर्यात किया गया :

(मूल्य करोड़ रू० में)

देश	1995-96	1996-97
बंगलादेश	1.86	1.92
डेनमार्क	4.95	3.17
फ्रांस	15.02	1.56
जर्मनी	17.18	11.93
केन्या	8.57	3.29
मलावी	4.21	7.42
माली	1.73	6.49
म्यामार	1.77	0.88
मोजाम्बिक	5.32	7.87
नाइजीरिया	5.83	2.07
पेरू	1.43	1.22
दक्षिण अफ्रीका	1.46	1.87
श्रीलंका	3.31	1.15
तन्जानिया गण०	3.67	2.39
यू० के०	32.13	22.11
यू० एस० ए०	5.49	25.25
जायरे गण०	3.04	1.74
जाम्बिया	1.25	1.38

(ख) निर्यात आयात नीति में प्रदर्शित सुविधाओं/छूट के अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक संस्था इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से बाइसाइकिलों के निर्यात के संबंध में विभिन्न साधन जुटाए जा रहे हैं जैसे आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन के अध्ययन हेतु प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरे प्रायोजित करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कराना आदि।

केबल उद्योग

623. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केबल उद्योग को गंभीर मंदी का सामना करना पड़ रहा है और यह उद्योग समाप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस मंदी के क्या कारण हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सरकार को इस संबंध में केबल विनिर्माताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता

624. श्री भावर चन्द गहलोत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की संख्या कितनी थी;

(ख) इन अभिकर्ताओं को उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि कमीशन के रूप में दी गई;

(ग) क्या सरकार का भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं को देय कमीशन की राशि में वृद्धि करने और उन्हें और सुविधाएं देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जीवन बीमा निगम के एजेंटों की संख्या निम्न प्रकार है :

1.	दि॰ 31.3.1996 को समाप्त वर्ष	:	5,37,117
2.	दि॰ 31.3.1997 को समाप्त वर्ष	:	5,69,675
			(अनन्तिम)

वर्ष 1997-98 के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम के एजेंटों को कमीशन के रूप में अदा की गई राशि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

			(करोड़ रुपये में)
1.	दि॰ 31.3.1996 को समाप्त वर्ष	:	1073.00
2.	दि॰ 31.3.1997 को समाप्त वर्ष	:	1300.00

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम के एजेंटों को कमीशन का भुगतान एजेंट नियमावली, 1972 के अनुसार किया जाता है। एजेंटों को वाहन, दूरभाष, कम्प्यूटर, कार्यालयी उपस्कर, आवास, त्यौहार आदि के लिए अग्रिम के रूप में पहले से ही सुविधाएं दी हुई हैं।

[अनुवाद]

टायरों का आयात

625. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री चित्त बसु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबर टायरों और रिट्रेडेड का आयात करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय टायर निर्माता एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें बताया है कि कारों, ट्रेक्टरों और अन्य वाहनों के लिए नये टायरों के साथ-साथ तथा फिर से लगाये गए टायरों का बेरोकटोक आयात करने के सरकार के निर्णय की पुनरीक्षा की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ कोला चुल्ली रमैया) : (क) और (ख) वर्तमान आयात एवं निर्यात नीति के अंतर्गत नए तथा फिर से तला लगाए गए टायरों के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।

(ग) और (घ) जी, हां। आटोमोबाइल टायर निर्यात एसोसिएशन से ज्ञापन प्राप्त हुआ है तथा ज्ञापन पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

कंपनियों द्वारा सावधि जमा

626. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ चुनी हुई कंपनियों को सावधि जमा के रूप में धन एकत्र करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के चयन के लिए क्या मापदंड तैयार किया गया है;

(ग) अब तक कौन-कौन सी कंपनियों को अनुमति दी गई है; और

(घ) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) निक्षेपों को एकत्र करने वाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 58क के उपबंधों तथा कंपनी (स्वीकार्य तथा सावधि) नियम, 1975 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों, जैसा भी मामला हो, का अनुसरण करना होता है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 58क (9) तथा 58क (10) में किसी कंपनी द्वारा किसी निक्षेप या उसके भाग का, ऐसे निक्षेप के नियम व शर्तों के अनुसार भुगतान न कर पाने की स्थिति में निदेशक की समस्या के समाधान की प्रक्रिया का प्रावधान है।

[हिन्दी]

मुद्रा स्फीति की दर

627. श्री एस. पी. जायसवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सामान्य बजट की घोषणा के बाद सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दरें और मुद्रा स्फीति की दर लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक में प्रत्येक माह कितनी वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 की इसी अवधि में रिकार्ड की गई मुद्रास्फीति की दर क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार, 1982=100) की घाट-बढ़ में यथा परिलक्षित उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि यह दर्शाती है कि वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति जिसमें फरवरी, 1997 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, मई 1997 में घटकर 7.3 प्रतिशत की गई।

(ख) फरवरी 1997 से मई 1997 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मासिक वृद्धि नीचे सूचीबद्ध है :

माह	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पिछले महीने की अपेक्षा वृद्धि का प्रतिशत
फरवरी	0.0
मार्च	0.3
अप्रैल	0.9
मई	−0.6

(ग) फरवरी, 1997 से प्रत्येक माह के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर 1994-95 और 1995-96 की समवर्ती अवधि की दरों सहित नीचे सूचीबद्ध है।

माह	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक मुद्रास्फीतिकारी वृद्धि (प्रतिशत)		
	1997	1996	1995
फरवरी	10.8	8.6	9.8
मार्च	10.0	8.9	9.7
अप्रैल	9.3	9.8	9.7
मई	7.3	9.3	10.3

[अनुवाद]

आजमगढ़ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं

628. डॉ. बलिराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ऋण की कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों में कुल जमा की तुलना में कितना प्रतिशत ऋण वितरित किया गया;

(घ) क्या लाखों रुपए का ऋण फर्जी नामों से दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 64 शाखाएं कार्यरत हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-1996 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संवितरित ऋण की राशि निम्न प्रकार थी :

(लाख रुपए)

वर्ष	राशि
1994-95	1911.59
1995-96	1843.00

(ग) 1994-95 और 1995-96 के वर्षों के दौरान, उक्त क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में बकाया ऋणों की प्रतिशतता निम्नलिखित थी :

(लाख रुपए)

वर्ष (मार्च की स्थिति के अनुसार	बकाया ऋण	जमाराशियां	जमाराशियों की तुलना में ऋणों की प्रतिशतता
1994-95	7624	26919	28.32
1995-96	7845	33404	23.48

(घ) से (च) नाबार्ड ने सूचित किया है कि जाली नामों में उपलब्ध कराये गए ऋणों के संबंध में उनके पास कोई सूचना नहीं है और पिछले दो वर्षों के दौरान नाबार्ड के पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

लघु उद्योग हेतु अलग निदेशालय

629. श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री हरिन पाठक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उचित निर्णय लेने हेतु सभी राज्यों में लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग निदेशालय बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में लघु उद्योगों की गणना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में पिछली गणना कब हुई थी तथा अगली गणना कब होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विभाग से संबंधित स्थाई समिति ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में राज्यों में लघु उद्योग के लिए एक अलग निदेशालय या मंत्रालय की सिफारिश की थी। राज्यों से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में पंजीकृत लघु उद्योगों की तीसरी गणना वर्ष 1990-2001 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पिछली गणना वर्ष 1987-88 को संदर्भ वर्ष मानकर वर्ष 1989-92 के दौरान की गई थी (प्रमुख विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न है)।

विवरण

वर्ष 1989-92 के दौरान किया गया पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों का दूसरी अखिल भारतीय गणना : 1987-88

सरसरी दृष्टि में परिणाम

इकाइयों का वितरण		कार्यशील एककों का वर्गीकरण	
1		2	
फ्रेम (31.3.88)	9,86,861	लघु उद्योग	96.24%
गैर-सांकेतिक	57,041	अनुसांगिक उद्योग	0.52%
बंद	3,04,856	लघु सेवा प्रतिष्ठान	3.24%
कार्यशील एकक जिनके लिए	5,82,368	स्वामित्व	80.48%
आंकड़े इकट्ठे किये गए		हिस्सेदारी	16.84%
		लिमिटेड कंपनी	2.01%
क्षेत्रों में स्थापित			
ग्रामीण	42.17%	केवल विनिर्माणकारी	
शहरी	47.97%	गतिविधियों में लगी हुई	50.19%
महानगरीय	9.86%	केवल प्रसंस्करण गति-	15.23%

1		2	
पिछड़े क्षेत्र	62.19%	विधियों में लगी हुई अ॰ जा॰ उद्यमियों द्वारा संचालित	6.84%
बंद इकाइयां जिनके लिए आंकड़े इकट्ठे किए गए	3,01,390	अ॰ ज॰ जा॰ उद्यमियों द्वारा संचालित	1.70%
		महिला उद्यमियों द्वारा संचालित	7.69%
		कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत	7.53%
समस्याओं के कारण बंद			
वित्तीय	34.73%	बहुत छोटे एकक	95.90%
विपणन	14.42%		
कच्चा माल	5.64%		

महत्वपूर्ण पैरामीटर विवरण	कुल	प्रतिएकक	अनुपात	
			स्थायी परिसंपति में उत्पादन/निवेश	4.62
निर्धारित निवेश (बही मूल्य) (लाख रुपये)	9,29,603	1.60	स्थायी परिसंपति में निवल बर्धित मूल्य	1.10
पी॰ एंड एम॰ में निवेश (मूल कीमत) (लाख रुपये)	5,54,258	0.95	रोजगार/निवेश बर्धित सकल	3.94
कार्यशील पूंजी (लाख रुपये)	7,14,826	1.23		
उत्पादन (लाख रुपये)	42,97,205	7.38	मूल्य/रोजगार (हजार रुपये)	30.14,
रोजगार (संख्या)	36,65,810	6.20	बर्धित कुल मूल्य/ रोजगार (हजार रुपये)	27.99
क्षमता उपयोगिता	50.60%	—		
निर्यात मूल्य (लाख रुपये)	2,49,902		दिया गया वेतन/ रोजगार (हजार रुपये)	6.27
कुल विनिर्मित उत्पाद (संख्या)	7449			
विनिर्मित अग्रणी आरक्षित उत्पाद (संख्या)	843			

चावल का आयात

630. श्री विनय कटियार :

श्री शिवराज सिंह :

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 30 मई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार चालू वर्ष के दौरान चावल का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान चावल का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा;

(घ) इस आयात का देश में चावल के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) चावल की सामान्य/मोटी किस्मों के चावल तथा 50% अथवा इससे अधिक टूटे चावल के मुक्त रूप से आयात की अनुमति चावल की आपूर्ति और इसके स्टॉक में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियों की समीक्षा के बाद सरकार द्वारा 27.5.97 से दे दी गई है।

(ग) और (घ) आयातों की सही मात्रा का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रचालित कीमतों, व्यापार की जा रही विभिन्न किस्मों की मांग और आपूर्ति, गुणवत्ता की भिन्नता तथा व्यापार की अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा।

(ङ) चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित/सेन्ट्रल सैक्टर योजना को कार्यान्वित किया जाना है :

1. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई॰ सी॰ डी॰ पी॰ चावल) अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज तथा स्प्रिकलर सेटों और पावर ट्रीलर्स सहित उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हरी खाद के इस्तेमाल तथा मृदा सुधार को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. उन्नत फसल उत्पादन तकनालॉजी के प्रचार सहित सेंट्रल सैक्टर राइस सीड मिनिकिट-बायोटिक और अबायोटिक प्रतिरोधक शक्ति वाली नई किस्मों के प्रचार के लिए नाम मात्र की लागत पर कृषकों को दी जाती है तथा उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में राज्य/जिला स्तर के कृषि अधिकारियों को भी दी जाती है।

महाराष्ट्र कपड़ा मिलों के कामगारों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

631. श्री सुरेश आर॰ यादव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य वस्त्र निगम तथा टेक्सटाइल कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही मिलों के कामगारों/स्टाफ की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम, लि॰ तथा टेक्सटाइल कार्पोरेशन ऑफ मराठवाड़ा लि॰ के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत ग्रेच्यूटी तथा मुआवजे का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 74.83 करोड़ रू॰ की सहायता देने का अनुरोध किया है। लेकिन केवल केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का क्रियान्वयन करने तथा सुव्यवस्थित कामगारों को पुनर्तैनात करने, उन्हें परामर्श देने/उन्हें पुन: प्रशिक्षित करने के लिए ही राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता दी जाती है।

औद्योगिक घरानों पर देय एन॰ पी॰ ए॰

632. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये हजारों करोड़ रुपये के ऋण को डूबे ऋण और शंकास्पद ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुपादेय परिसंपत्तियों का एक बहुत बड़ा भाग औद्योगिक घरानों को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ये औद्योगिक घराने अपने (पूर्व) शंकास्पद ऋणों को डूबे ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डालने के बावजूद ऋण प्राप्त करने में सफल रहे;

(घ) यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों के दौरान कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा इन औद्योगिक घरानों को ऋण देने में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की विचार है; और

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में डूबे तथा शंकास्पद ऋणों में राशि को न्यूनतम करने के लिए क्या उपाय किये

गये हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक वसूली रिकार्ड के आधार पर अग्रिमों को उपाय (मानक) और अनुपयोज्य (एन॰ पी॰ ए॰) की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। ये अनुपयोज्य अग्रिम आय और आस्ति की वसूली की क्षमता सहित कई क्षेत्रों पर निर्भर करते हुए पुनः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाते हैं :

1. अवमानक

2. संदिग्ध

3. घाटे वाली आस्तियां

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) के वर्तमान आंकड़ा आधार पर औद्योगिक घरानों को दिए गए ऋण से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुपयोज्य अग्रिमों को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. आर॰ बी॰ आई॰ ने बैंकों से कहा है कि उनके पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत पुनरीक्षित ऋण वसूली नीति के दस्तावेज तैयार होने चाहिए। इस नीति में देयराशियों की वसूली का ढंग, कमी के लक्ष्यगत स्तर, अनुमत त्याग/माफी संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

2. न्यूनतम खर्च पर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए समझौता/बट्टे-खाते के माध्यम से, विचार-विमर्श द्वारा निपटान के माध्यम से अनुपयोज्य अग्रिमों में कमी।

3. समझौता प्रस्तावों की संवीक्षा करने और वस्तुनिष्ठ सिफारिशें करने के लिए दो बैंकों को उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निपटान सलाहकार समिति गठित करने की अनुमति दी गई है।

4. मुख्यालय में वसूली कक्ष की स्थापना करना और अनुपयोज्य अग्रिमों में कमी के लिए शाखा वार लक्ष्य नियत करना, मासिक आधार पर मुख्यालय द्वारा वसूली में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी और निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर इस प्रगति से अवगत कराते रहना। आर॰ बी॰ आई॰ भी अनुपयोज्य अग्रिमों की कमी की निगरानी करता है।

5. कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलूर, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में वसूली अधिकरणों और मुंबई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

6. चूककर्ताओं के मुकदमा दायर खातों की सूची का संकलन एवं परिचालन।

7. कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के शीर्ष 300 अनुपयोज्य अग्रिमों की पुनरीक्षा।

आबिद हुसैन समिति

633. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक कार्यान्वित किया गया है;

(ख) क्या लघु उद्योग संघ ने इनके कार्यान्वयन के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार ने लघु उद्यमों पर आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की है :

1. निवेश सीमा को बढ़ाना :

जैसा कि समति ने सिफारिश की थी, सरकार ने लघु उद्योग/सहयोगी इकाइयों के लिए संयंत्र तथा मशीनों पर निवेश सीमा को 60/75 लाख रुपये से 300 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिसूचना प्रारूप 20/21 मार्च, 1997 को संसद के पटल पर रख दिया गया है। संसद की 30 दिन की बैठक समाप्त होने पर यह अधिसूचना जारी की जायेगी।

2. लघु उद्यमों की उधार की आवश्यकताएं :

सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए लघु उद्योग को आबंटित प्राथमिक क्षेत्र उधार लेने के लिए कम से कम 60 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) सरकार को कुछ लघु उद्योग संघों से बारम्बार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

1991 से रुपये की कीमत में कमी को दूर करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निवेश सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लघु उद्योग इकाइयों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर पायें ताकि वह प्रतियोगी बनी रह सके। अनारक्षण मामले पर सरकार ने समिति के संपूर्ण आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश के विपरीत चरणबद्ध रूप आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने समिति की विभिन्न अन्य सिफारिशों की जांच करने तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है।

सिंडीकेट बैंक में हवाला रैकेट

634. श्री राम सागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसंबर, 1996 में "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "रूपीज 95 करोड़ हवाला रैकेट इज अनर्थड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कथित 11 फर्जी फर्में किस प्रकार सिंडीकेट बैंक में झूठे खाते खोलने में सफल हो सके जबकि बैंक खाते खोलने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। सिंडीकेट बैंक सूरत के निरीक्षण से पता चला है कि वर्ष 1991-95 के दौरान जाली आयात कागजातों के आधार पर 11 खातों में से लगभग 95.53 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच आरंभ की है।

(घ) मौजूदा खाता धारक के साक्ष्य से पहला चालू खाता खोला गया। अन्य खाते एक दूसरे के साक्ष्य से खोले गए। खाते 1.1.94 से पहले खोले गए जब जमाकर्ता की फोटो लेने की प्रणाली नहीं थी।

राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता

635. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण/मरम्मत करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है, और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ख) पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 1996-97 में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सड़कों की बहाली तथा पुनर्निर्माण के लिए 26.30 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। चूंकि इस आपदा को भीषणतम श्रेणी की आपदाओं में से एक के रूप में नहीं आंका गया था, इसलिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष ने किसी प्रकार की सहायता का अनुमोदन नहीं किया। हालांकि राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की सिफारिशों के आधार अक्टूबर, *96 तथा 1 जनवरी, 1997 को देय आपदा राहत कोष में केन्द्र के हिस्से के रूप में 19.245 करोड़ की तीसरी एवं चौथी किस्त राज्य सरकार को दिनांक 25.9.96 को अग्रिम तौर पर जारी कर दी गई थी।*

कानूनों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त आयोग

636. श्री चित्त बसु :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने कानूनों, विनियमों और नियमों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की संरचना और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) अभी तक नहीं। सरकार ने आयोग गठित करने का विनिश्चय किया है।

(ख) आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे।

(ग) आयोग के गठन के समय, समय-सीमा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम का विलय

637. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड तथा राज्य व्यापार निगम के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कब तक ऐसा किये जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम के बोर्ड स्तर की रिक्तियां भरे जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) एस॰ टी॰ सी॰/एम॰ एम॰ टी॰ सी॰ में बोर्ड स्तर की रिक्तियों को भरने की *आवश्यक कार्यवाही लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी॰ ई॰ एस॰ बी॰) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से पहले ही शुरू की जा चुकी है।*

[हिन्दी]

पेरू में भारत का व्यापार और निवेश

638. प्रो॰ ओम पाल सिंह "निडर" : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरू में निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां। पेरू के राष्ट्रपति ने एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ मई 1997 में भारत का दौरा किया और नई दिल्ली और मुंबई में व्यावसायियों की बैठकों को संबोधित किया तथा भारतीय उद्यमियों को भारत और पेरू के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए पेरू का दौरान करने के लिए आमंत्रित किया।

(ख) किसी विशिष्ट प्रस्ताव अथवा शर्त पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। तथापि पेरू के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान एक संयुक्त व्यापार परिषद् स्थापित करने के लिए भारतीय पक्ष की ओर से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री (एसोचेम) तथा पेरूवीयन पक्ष की ओर से कॉनफेडरेशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइसेस (कॉनफिएस) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच व्यापार, निवेश, टैक्नालॉजी हस्तांतरण सेवाएं तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में और अधिक सुव्यवस्थित व्यापारिक संबंधनात्मक क्रियाकलाप चलाना है।

(ग) सरकार भारत और पेरू के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावना का स्वागत करती है।

[अनुवाद]

कपास का मूल्य

639. श्री एन॰ डेनिस :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

श्री समीक लाहिरी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास और वस्त्रों के निर्यात के बाद कपास की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या सरकार अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की कमी और कपास के मूल्यों में वृद्धि के कारण कपास मिल मालिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कपास उपलब्ध कराने तथा कपास की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) आठवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान निर्यात की गई अपरिष्कृत कपास तथा सिले-सिलाए परिधानों के रूप में निर्यातित कपास को घटाकर, कपास की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अनन्तिम रूप से 3.06 कि॰ ग्रा॰ होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के कपास मौसम में वस्त्र मिल उद्योग के लिए देश में क्वालिटी की कपास सहित सामान्यत: कपास की उपलब्धता पर्याप्त रही है। फिर भी, चूंकि कपास का मौसम अब समाप्त होने जा रहा है, इसलिए अब क्वालिटी की कपास कुछ कम हो गई है।

कपास वर्ष के दौरान वर्ष 1996-97 में कपास की कीमतें, पिछले दो कपास मौसमों के दौरान प्रचलित कीमतों की तुलना में सामान्यत: कम रही हैं। वस्त्र उद्योग को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से ओ॰ जी॰ एल॰ के अंतर्गत शून्य आयात शुल्क पर कपास का इच्छानुसार आयात करने की छूट प्राप्त है तथापि वर्ष 1995-96 में लगभग 0.5 लाख गांठ मात्र का ही वास्तविक आयात किया गया है।

ऋण अदा न करने वालों की सूची

640. श्री संतोष मोहन देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके बैंकों में ऋण राशि अदा न करने वालों की सूची तैयार करने का आग्रह किया गया है;

(ख) प्रत्येक बैंक में इस प्रकार के ऋण अदा करने वालों की कुल संख्या क्या है तथा इसमें ऋण की कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) कई वर्षों से बकाया पड़े इस ऋण की वसूली के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष मार्च की स्थिति के अनुसार, एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की बकाया राशियों वाले उन उधारकर्ताओं की सूची प्रकाशित करता है, जिनके खिलाफ बैंकों द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले दो वर्षों अर्थात् 1994-95 और 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुपयोज्य अग्रिमों को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) ने निम्नलिखित कदम

उठाए हैं :

1. आर० बी० आई० ने बैंकों से कहा है कि उनके पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत पुनरीक्षित ऋण वसूली नीति के दस्तावेज तैयार होने चाहिए। इस नीति में देयराशियों की वसूली, का ढंग कमी के लक्ष्यगत स्तर अनुमत त्याग/माफी संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

2. न्यूनतम खर्च पर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए समझौता/बट्टे खाते के माध्यम से, विचार विमर्श द्वारा निपटान के माध्यम से अनुपयोज्य अग्रिमों में कमी।

3. समझौता प्रस्तावों की संवीक्षा करने और वस्तुनिष्ठ सिफारिशें करने के लिए दो बैंकों का उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निपटान सलाहकार समिति गठित करने की अनुमति दी गई है।

4. मुख्यालय में वसूली कक्ष की स्थापना करना और अनुपयोज्य अग्रिमों में कमी के लिए शाखावार लक्ष्य नियत करना, मासिक आधार पर मुख्यालय द्वारा वसूली में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी और निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर इस प्रगति से अवगत कराते रहना। आर० बी० आई० भी अनुपयोज्य अग्रिमों की कमी की निगरानी करता है।

5. कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलूर, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में वसूली अधिकरणों और मुंबई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

6. चूककर्ताओं के मुकदमा दायर खातों की सूची का संकलन एवं परिचालन।

7. कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के शीर्ष 300 अनुपयोज्य अग्रिमों की पुनरीक्षा।

विवरण

पिछले दो वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1994-95	1995-96
1	2	3	4
A.	**स्टेट बैंक समूह**		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	363.72	398.69
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	39.25	24.98
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	27.89	15.85
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	32.93	6.04
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	50.61	5.72
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	19.74	4.93
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	18.95	4.02
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4.17	28.96
B.	**राष्ट्रीयकृत बैंक**		
9.	इलाहाबाद बैंक	55.73	6.71
10.	आंध्रा बैंक	38.78	1.95
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	270.27	46.42
12.	बैंक ऑफ इंडिया	260.38	307.08

1	2	3	4
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	81.12	56.52
14.	केनरा बैंक	200.00	169.49
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	144.12	138.44
16.	कारपोरेशन बैंक	18.64	19.13
17.	देना बैंक	27.34	51.92
18.	इंडियन बैंक	42.51	115.94
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.94	75.01
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2.13	0.82
21.	पंजाब नेशनल बैंक	220.77	53.14
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.70	2.86
23.	सिंडिकेट बैंक	24.84	8.03
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	27.86	38.81
25.	यूको बैंक	165.07	110.98
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	119.00	36.51
27.	विजया बैंक	4.19	13.26
		2267.65	1742.21

उत्पाद शुल्क के लंबित मामले

641. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

लेफ्टि. जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों के पास कुल कितने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले लंबित पड़े हैं तथा इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं; और

(ग) उक्त मामलों को अंतिम रूप से न निपटाये जाने के क्या कारण हैं और इन्हें शीघ्र निपटाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अमरीकी निवेश

642. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

श्री लाल कृष्ण लाल शर्मा :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की सलाह पर एक भारतीय शिष्टमंडल अमरीकी निवेशकों से भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश हेतु आग्रह करने के लिए अमरीका गया था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल की संरचना क्या है और शिष्टमंडल द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले परियोजना प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) इस शिष्टमंडल को अपने उद्देश्य में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या अमरीकी व्यापारियों का कोई दल निवेश के संबंध में अध्ययन करने हेतु भारत आया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम समझौता कब तक हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (च) मंत्रिमंडल सचिव के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकारी/व्यापारिक शिष्टमंडल ने जून, 1997 में संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया ताकि संयुक्त राज्य अमरीका के निवेशकों को भारत सरकार द्वारा किए गए उन नवीनतम उपायों से अवगत कराया जा सके जो सड़कों और पत्तनों; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कोयले पर विशेष महत्व देते हुए आधार ढांचा क्षेत्र को निवेशक के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए आधारढांचा क्षेत्र को उदारीकृत करने के लिए किए गए हैं। शिष्टमंडल के आधिकारिक सदस्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. श्री टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रह्मण्यम, मंत्रिमंडल सचिव
2. श्री एन॰ पी॰ बागची, सचिव, कोयला मंत्रालय
3. श्री योगेन्द्र नारायण, सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय
4. डॉ॰ शंकर एन॰ आचार्य, प्रमुख आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
5. श्री श्यामल घोष, सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, (केवल सैन जोस में)
6. श्री प्रदीप बैजल, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
7. डॉ॰ अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
8. श्री धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।

यह शिष्टमंडल विभिन्न प्रकार के ऐसे हित-समूहों से मिलने और विचारों का आदान-प्रदान करने में सफल रहा जिनके द्वारा भविष्य में आधारढांचा क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना है। निवेश का प्रवाह निवेश संबंधी नई व्यवस्थाओं को तय करने में हुई प्रगति के अनुसरण में लंबे समय तक होता रहेगा। तथापि, ऐसी अत:क्रियाओं से दिलचस्पी बढ़ती है। आधारढांचा क्षेत्रों को खोलने के लिए सरकार द्वारा किए गए नवीनतम उपायों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया गया। संयुक्त राज्य अमरीका के निवेशकों द्वारा रखे गए संदेहों का स्पष्टीकरण किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अलग-अलग क्षेत्रों तथा विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित सामान्य स्वरूप की सूचना भी दी गई। संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापारिक दल भारतीय उद्योग के निमंत्रण पर नियमित रूप से भारत का दौरा करते हैं।

सी॰ आर॰ बी॰ में निवेश

643. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी॰ आर॰ बी॰ में विभिन्न कोआपरेटिव बैंकों, अधिसूचित बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश की गई सही धनराशि कितनी है;

(ख) इनमें से कितने निवेशों को संबंधित विनियमन प्राधिकारियों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को-आपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रार आदि द्वारा अनुमोदित किया गया था;

(ग) क्या इस संबंध में एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ इत्यादि द्वारा कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन तथाकथित अनियमितताओं के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंधित प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰ बी॰ आई॰) के अनुसार सी॰ आर॰ बी॰ कैपिटल मार्केट लि॰ में विभिन्न संस्थाओं का बैंक निवेश लगभग 152 करोड़ रुपए था, जिसमें से सहकारी बैंकों का निवेश, दिनांक 31 मार्च, 1997 के अनुसार, लगभग 50 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े अब तक प्राप्त सूचना पर आधारित हैं तथा ये पूर्णत: अनंतिम तथा इनकी आगे पुष्टि होनी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) आर॰ बी॰ आई॰ द्वारा जब कभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰) का निरीक्षण किया जाता है तो संवीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आवश्यक सुधार/त्रुटिपूर्ण कंपनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। आर॰ बी॰ आई॰ अधिनियम में हाल में हुए संशोधन में आर॰ बी॰ आई॰ को, यदि एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ अन्य बातों के साथ-साथ अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत, एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ के समापन के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कंपनी लॉ बोर्ड की भी यह अधिकार प्राप्त है कि एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰ द्वारा भुगतान/जमा का भुगतान/ब्याज का भुगतान न किए जाने पर न्याय निर्णय करे तथा आदेश पारित करे।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्यात/आयात

644. श्री पवन दीवान :

श्री काशीराम राणा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कुल निर्यात-आयात व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया गया;

(ख) 1996-97 के दौरान इन इकाइयों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या निर्यातोन्मुख इकाइयां होने के कारण इन इकाइयों को सरकार से कोई आर्थिक रियायत मिल रही थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों को कुल कितनी धनराशि की रियायत दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा किए गए व्यापार का प्रतिशत शेयर देश के कुल निर्यात-आयात व्यापार का 5.11% आंका गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा 8500 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) और (घ) निर्यातोन्मुखी इकाइयों को निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत सामान, कच्चे माल, संघटक, निर्यात उपभोज्य वस्तुओं में नि:शुल्क आयात/खरीद, केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति तथा पांच वर्ष के लिए आयकर में छूट आदि रियायतें प्रदान की गई हैं। चूंकि इन छूटों का काफी समय से उपयोग किया जा रहा है इसलिए किसी निश्चित समयावधि में रियायतों को राशि को मापना कठिन होगा।

[अनुवाद]

बैंक घोटाले

645. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1993 और मार्च, 1996 के बीच की अवधि के दौरान 28 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 660 करोड़ रुपयों से भी अधिक की धनराशि की धोखाधड़ी की गई;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धोखाधड़ी करने वाले बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक का नाम सबसे ऊपर है;

(घ) उन अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जो इस धोखाधड़ी में संलिप्त हैं;

(ङ) प्रत्येक बैंक में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(च) क्या प्रधानमंत्री ने विभिन्न घोटालों की जांच करने वाले अभिकरणों को इन घोटालों की जांच करने तथा शीघ्रातिशीघ्र स्थिति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निदेश दिये हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या उन्हें इस संबंध में जांच करने वाले अभिकरणों की रिपोर्ट मिल गई है;

(ज) यदि हां, तो घोटालों का ब्यौरा क्या है;

(झ) इन घोटालों में संलिप्त पाये गये कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ञ) सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (मार्च तक) के दौरान पंजाब नेशनल बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशियों की बैंकवार स्थिति में संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न घोटालों की जांच करने वाली किसी भी एजेंसी को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

(झ) और (ञ) धोखाधड़ियों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में तत्काल उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

		1993	1994	1995	1996
(क)	दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	57	50	33	46
(ख)	बड़ा/छोटा दण्ड दिए गए कर्मचारियों की संख्या	874	1248	1160	1207
(ग)	बर्खास्त/सेवामुक्त/ हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	312	360	301	331

विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं॰	बैंक का नाम सरकारी क्षेत्र के बैंक	घोखाधड़ी की संख्या				अंतर्ग्रस्त राशि			
		1993	1994	1995	1996 (मार्च तक)	1993	1994	1995	1996 (मार्च तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	597	616	554	101	773.44	2010.97	789.99	1274.79
		02*			02*	25.08			54.38
2.	स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर	36	21	18	03	536.63	11.06	194.45	9.09
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	28	23	40	01	97.11	63.55	157.59	0.20
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	20	26	09	02	161.93	1169.39	19.63	0.24
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	28	37	38	04	7.51	252.95	22.87	2.79
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	26	30	33	02	222.61	100.05	610.11	4.42
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	07	12	09	02	16.17	17.98	106.26	12.90
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	20	25	22	08	32.49	70.22	126.21	57.75
9.	इलाहाबाद बैंक	33	39	48	14	45.14	2343.58	105.32	121.19
10.	आंध्रा बैंक	66	25	41	07	2130.92	131.00	523.80	4.80
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	139	159	114	23	568.46	2905.71	1151.74	120.49
		12*	15*	10*		35.54	528.63	52.85	
						+ यू॰ शि॰	9844000		
12.	बैंक ऑफ इंडिया.	168	215	156	48	725.19	728.62	496.82	122.30
		16*	11*	04*	01*	4249.29	988.51	8.84	4.65
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	22	50	31	08	404.65	465.11	1891.65	43.73
14.	केनरा बैंक	259	217	167	49	801.13	1402.21	1953.01	43.11
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	85	130	73	38	3234.72	347.46	188.64	19.50
16.	कारपोरेशन बैंक	31	38	23	07	42.24	38.28	86.13	4.16
17.	देना बैंक	20	22	14	06	159.65	1049.62	140.04	18.42
18.	इंडियन बैंक	41	60	37	14	638.24	286.26	83.08	34.23
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75	71	43	10	143.54	356.97	326.92	5.39
20.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	29	—	—	—	69.72	—	—	—
21.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	22	14	12	04	102.97	238.88	630.80	1.94
22.	पंजाब नेशनल बैंक	88	118	56	27	3224.29	2003.36	212.70	191.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	21	17	17	04	654.21	163.26	74.38	14.11
24.	सिंडिकेट बैंक	139	103	109	22	174.10	1371.80	782.43	22.68
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	61	39	59	18	756.54	336.54	251.71	131.53
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	50	43	40	09	11459.66	171.09	41.21	23.80
27.	यूको बैंक	35 4*	58	74	08	183.46 165.27	416.89	374.17	26.84
28.	विजया बैंक	33	32	39	12	190.83	45.93	147.77	2.19
	जोड़	**2213**	**2266**	**1890**	**454**	**32032.43**	**20007.88** **9844000**	**11551.12**	**2372.67**

*भारत से बाहर। यू॰ शि॰ = यूगांडन शिलिंग। (आंकड़े अनंतिम)

आर्थिक विकास

646. श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 1997 के पॉयनियर में "रिफॉर्म्स हैव लॉस्ट स्टेम; ए॰ एल॰ टी॰ इकोनोमिक सर्वे-डाटा जगलरी कैन नॉट कनसिल क्रायसिस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थायी रूप से वास्तविक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) बृहस्पतिवार, 22 मई, 1997 के पॉयनियर, नई दिल्ली संस्करण में "रिफॉर्म्स हैव लॉस्ट स्टीम; ए॰ एल॰ टी॰ इकॉनोमिक सर्वे-"डाटा जगलरी केन नॉट कन्सील क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

आर्थिक समीक्षा 1996-97 में प्रस्तुत सूचना और विश्लेषण सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित है। आर्थिक समीक्षा 25.2.97 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। आर्थिक समीक्षा एकमात्र प्रामाणिक दस्तावेज है जो चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रस्तुत करता है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जुलाई, 1997 के दूसरे सप्ताह में जारी संशोधित अनुमानों, जिनमें कृषि और औद्योगिक उत्पादन के अद्यतन अनुमानों को समाविष्ट किया गया था, के अनुसार स्थिर (1980-81) मूल्यों पर उपादान लागत पर वर्ष 1996-97 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1995-96 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यद्यपि पहले अनुमानित स्तर से समग्र स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो भी सेक्टरवार स्तरों पर वृद्धि दरों में बड़े संशोधन हुए हैं। उदाहरणार्थ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में पहले अनुमानित 3.7 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत का ऊर्ध्वमुखी संशोधन और विनिर्माण में पहले अनुमानित 10.6 प्रतिशत से 8.1 प्रतिशत का अधोमुखी संशोधन हुआ है।

आर्थिक सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। 1997-98 के बजट में कई दिशाओं में सुधार शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पहले शुरू किए गए सुधारों की उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के कई उपाय किए गए हैं।

चावल का निर्यात

647. डॉ॰ कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चावल का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों के कौन-कौन सी श्रेणियों के चावल निर्यात किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोल्ल बुल्ली रमैया): (क) और (ख) बासमती चावल और गैर-बासमती चावल को स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास ठेकों का पंजीकरण कराया जाए। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

मात्रा : लाख एन॰ टी॰ मूल्य : करोड़ रू॰ में

वर्ष	बासमती		गैर बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1994-95	4.42	865.32	4.48	340.47
1995-96	3.73	850.67	45.41	3717.41
1996-97	4.89	1197.75	19.85	1952.83
1997-98 (अप्रैल-97)	0.23	97.18	0.97	107.52
1996-97 (अप्रैल-96)	0.61	130.58	3.11	296.52

(स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता)

चावल के निर्यातों का देश-वार ब्यौरा, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में दिया गया है; जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लूटपाट/डकैतियों के मामले

648. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 1994, 1995, 1996 और चालू वर्ष के दौरान अब तक लूटपाट/डकैतियों के राज्यवार कितने मामलों की सूचना मिली है, तथा इनमें कितनी धनराशि शामिल है;

(ख) उपर्युक्त लूटपाट/डकैतियों के दौरान मारे गए अथवा घायल हुए, बैंक कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों के आश्रितों को पर्याप्त वित्तीय सहायता अथवा रोजगार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर दाताओं को स्थायी खाता संख्या

649. श्री सुलतान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का विचार देश भर में 1997-98 के आयकर दाताओं को खाता सं॰ आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन खातों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय स्थायी खाता संख्या की यह सुविधा उपलब्ध है;

(घ) इस प्रणाली के क्या परिणाम निकले और योजना की अन्य विशेषताएं क्या हैं ?

(ङ) . क्या स्थायी खाता संख्या न लेने वाले निर्धारिती पर कोई दंड लगाया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां। आयकर विभाग की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना के भाग के रूप में, स्थायी खाता संख्या की एक नई शृंखला के अंतर्गत स्थाई खाता संख्या आबंटित की जा रही है। देश के शेष भागों में नई शृंखला के अंतर्गत स्थाई खाता संख्या के आबंटन के कार्य को चालू वित्त वर्ष में आरंभ किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के शहरी क्षेत्रों में विभाग के रजिस्टरों में दर्ज 28.76 लाख कर निर्धारितियों और 21.44 लाख ऐसे कर निर्धारितियों, जिन्होंने वर्ष 1996-97 के दौरान विवरणियां दायर की थीं, में से अभी तक 19.70 लाख कर-निर्धारितियों ने नई शृंखला के अंतर्गत स्थाई खाता संख्या के लिए आवेदन किया है। नई शृंखला के अंतर्गत अभी तक 14.23 लाख कर निर्धारितियों को स्थायी खाता सं॰ आबंटित की गई है।

(ङ) और (च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के उपबंधों, जो स्थाई खाता संख्या प्राप्त करने का अपेक्षा से संबंधित हैं, का अनुपालन न करने पर उतनी राशि का अर्थदंड लगाया जाता है जो 500 रू॰ से कम नहीं होगी परंतु जिसे प्रत्येक चूक करने अथवा विफल रहने पर 10,000रू॰ तक बढ़ाया जा सकता है।

मसालों का निर्यात

650. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 में मसालों के निर्यात में सबसे ऊपर रहने के पश्चात् वर्ष 1996-97 में मिर्च के निर्यात की मात्रा में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान छोटी तथा बड़ी इलायची के निर्यात में भी भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या 1995-96 में मसालों में सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाले मसाले के रूप में मिर्च ने काली मिर्च का स्थान लिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या छोटी इलायची के निर्यात में निराशाजनक गिरावट हुई; और

(ङ) यदि हां, तो इलायची तथा मिर्च के निर्यात में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ङ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान मिर्च, छोटी इलायची तथा बड़ी इलायची के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मूल्य करोड़ रु॰ में

मात्रा: एम॰ टी

	मद	1995-96		1996-97	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(i)	मिर्च	56,073	194.15	51,900	209.64
(ii)	इलायची (छोटी)	500	12.39	240	9.21
(iii)	इलायची (बड़ी)	1,784	12.35	1,450	10.47

1995-96 के दौरान चीन तथा पाकिस्तान में मिर्च के उत्पादन में गिरावट आने के परिणामस्वरूप यू॰ ए॰ ई॰, पाकिस्तान तथा बंगलादेश के द्वारा भारी खरीद के कारण मिर्चों का निर्यात बहुत ही अच्छा रहा। जहां वर्ष 1996-97 के दौरान मसालों में सर्वाधिक निर्यात वाली मद के रूप में काली मिर्च ने लाल मिर्च का स्थान ले लिया है, वहां लाल मिर्च के निर्यात में मूल्य के रूप में 8% की वृद्धि हुई है। छोटी इलायची के निर्यात में गिरावट मुख्यत: गेटेमाला द्वारा कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्द्धा प्रदान करने तथा घरेलू मांग में बढ़ोत्तरी के कारण आई है। बड़ी इलायची के संबंध में गिरावट का कारण यह रहा कि पाकिस्तान द्वारा इसका कम आयात किया गया।

"माडर्नाइज्ड" कंपनी अधिनियम

651. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निगमित कंपनियां तथा शीर्ष वाणिज्य और उद्योग मंडल के अलावा लाखों आम निवेशक, ऋण-पत्र धारक तथा धन ज़मा करने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने कंपनियों की इक्विटी में निवेश किया है या उनमें अपना जमा किया है, की "माडर्नाइज्ड कंपनी अधिनियम" में गहरी रुचि है, जो कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर लाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन हित साधक समूहों को प्रस्तावित कंपनी अधिनियम बनाने के मामले में संबद्ध करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार लोगों की राय जानने के लिए प्रस्तावित विधान को परिचालित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने कंपनी विधेयक, 1997 का कार्य प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.08.1996 को विधि, आर्थिक और कंपनी कार्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के एक कार्य दल का गठन किया। इस दल द्वारा दिनांक 02.05.1997 को कंपनी विधेयक का एक कार्य प्रारूप प्रस्तुत किया गया था जो सार्वजनिक चर्चा के लिये परिचालित किया गया।

सरकार को व्यक्तियों तथा निवेशकों के संघों से एक निवेशक संरक्षण फंड स्थापित करने तथा निवेशकों के हितों से संबंधित अन्य मानदण्डों को निर्धारित करने का प्रस्ताव रखते हुए कार्य प्रारूप के बारे में विभिन्न सुझाव/टिप्पणियां/विचार प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को ड्राफ्ट कंपनी विधेयक, 1997 के उपबंधों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है। कंपनी विधेयक, 1997 को संसद में चालू सत्र में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है।

हस्तशिल्प डिजाइन केन्द्र

652. श्री डी॰ पी॰ यादव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने हस्तशिल्प डिजाइन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के और अधिक केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयारा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इन पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में कोई भी डिजाइन केन्द्र नहीं चल रहा है, और न ही भविष्य में ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है क्योंकि नई दिल्ली में ओखला स्थित क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी क्षेत्र में कारीगरों की डिजाइन विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

पटसन उद्योग का विकास

653. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जून, 1997 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" नई दिल्ली में "जूट द ऑक्सक्यूअर राइजिज फ्रॉम द एशिज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार पटसन के नए तरीकों का विकास करके रुग्ण उद्योग

को पुनर्जीवित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कार्यक्रम पर किस तरह से निगरानी कर रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने यू० एन० डी० पी० से 23 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा सरकार से समान अंशदान की सहायता से एक राष्ट्रीय पटसन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पटसन क्षेत्र में विविधीकरण को सुकर बनाना तथा देशी यंत्रों के विकास के द्वारा अनुसंधान एवं विकास क्षमता को सुदृढ़ करने तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, बाजार संवर्द्धन तथा निर्यातों की वृद्धि के लिए आधारी संरचनात्मक सहायता उपलब्ध करना है।

(ग) एक अंतर-मंत्रालयीय समूह द्वारा गठित कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड यू० एन० डी० पी० पटसन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करता है। वित्त, कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग से प्रतिनिधियों के साथ सचिव (वस्त्र) द्वारा समूह का नेतृत्व किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक संचालन समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समन्वय तथा निरीक्षण के लिए जिम्मेवार है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज का आयात

654. श्री हरिन पाठक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) सरकार का स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से अखबारी कागज के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान इम्पैक्स नीति के मौजूदा प्रावधानों के अनुसरण में, अखबारी कागज के आयात की अनुमति वास्तविक उपभोक्ता शर्त पर उनको दी जाती है जिनके पास भारतीय समाचार पत्र पंजीयक (आर० एन० आई०) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र हो।

कपड़ा मिलें

655. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राजस्थान और गुजरात में सूती, पोलिस्टर, सिंथैटिक और ऊनी मिलों के स्थानों सहित उनकी संख्या क्या है तथा उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना कपड़ा निर्मित किया गया है; और

(ख) इन राज्यों की वस्त्र मिलों जो बंद हो गई थी, को दोबारा चालू करने के लिए किए जा रहे प्रयास क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) एक विवरण-संलग्न है।

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके कार्यघालन की जांच करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए, यथा उपयुक्त योजनाएं तैयार करने तथा मंजूर करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) की स्थापना की है।

विवरण

कपड़ा विनिर्माण में किसी प्रकार के फाइबर 1 यार्न का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मिलें विभिन्न प्रकार के यार्न का उपयोग कर रही हैं।

31.3.1997 की स्थिति अनुसार, राजस्थान और गुजरात राज्य में सूती/मानव-निर्मित फाइबर मिश्रित वस्त्र मिलों, बुनाई एककों तथा ऊनी एककों की संख्या नीचे दी गई है :

31.3.97 की स्थिति अनुसार मिलों की संख्या

	राजस्थान	गुजरात
सूती/मानव-निर्मित फाइबर मिश्रित मिलें	7	88
सूती बुनाई एकक	8	35
ऊनी एकक	1	4

ये मिलें मुख्य रूप से राजस्थान में उदयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा तथा बांसवाड़ा में अवस्थित हैं। गुजरात के मामले में, मिलें मुख्य रूप से सुरेन्द्र नगर, सूरत, भड़ौच, साबरकांथा, वलसाड़, भावनगर, जामनगर, सौराष्ट्र, कच्छ, कैम्बे, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, मेहसना, बड़ौदा, खेड़ा, कालोल, नवसारी इत्यादि में अवस्थित है।

विगत दो वर्षों के दौरान, सूती/मानव-निर्मित फाइबर मिश्रित वस्त्र मिलों तथा अन्य बुनाई एककों द्वारा निर्मित कपड़ा निम्नानुसार है :

कपड़ा उत्पादन ('000 वर्ग मी०)

राज्य	मिश्रित मिलें			बुनाई एकक		
	1994-95	1995-96	1996-97 (अप्रैल-सित०)*	1994-95	1995-96	1999-97 (अप्रैल-सित०)*
गुजरात	492518	451594	215392	रखा नहीं जाता है	78606	39303
राजस्थान	54682	57313	25623	रखा नहीं जाता है।	9850	4675

*अनंतिम

ऊनी मिलों द्वारा कपड़े का राज्यवार उत्पादन केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आनुषंगिक इकाइयां स्थापित करना

656. श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के अविभाजित जिले धेंकनाल में तेलचल, अनुगल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में नैलको, एम॰ सी॰ एल॰, एन॰ टी॰ पी॰ सी॰, एफ॰ सी॰ आई॰ जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने राज्य में आनुषंगिक अथवा छोटी इकाइयां स्थापित नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को यह सुझाव देने का है कि वे उड़ीसा में अपनी आनुषंगिक और छोटी इकाइयां स्थापित करें; अथवा यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) नालको, एम॰ सी॰ एल॰, एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ और एफ॰ सी॰ आई॰ ने उड़ीसा राज्य में कोई सहायक कंपनी/अनुप्रवाही एकक स्थापित नहीं किया है। हालांकि, कोयला कंपनियां सहायक कंपनियां स्थापित नहीं करती, परंतु एफ॰ सी॰ आई॰ एक रुग्ण कंपनी है तथा इसलिए सहायक कंपनी स्थापित करने का इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को कलपुर्जों को छोड़कर विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री की आपूर्ति के लिए सहायक एकक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तथा एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए सहायक कंपनी स्थापित करना वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं समझता। तथापि, नालको ने अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग के आधार पर उड़ीसा में अनुप्रवाही सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए कदम उठाने की पहल की है तथा यह अपनी कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहन देने की संभावना का पता लगा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

निर्यात के लक्ष्य

657. श्री नारायण अठावले : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में वर्ष 1996-97 के लिए विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पिछले दो वर्षों में उक्त कार्य निष्पादन की क्या स्थिति है, निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है;

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए हाल ही में प्रशासनिक प्रक्रियात्मक/संगठनात्मक उपायों सहित क्या सुधार किए गए हैं और निर्धारित लक्ष्यों पर इससे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निर्यात संवर्धन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्यात आशावादिता के बढ़ाने एवं प्रोत्साहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। वर्ष 1997-98 के बजट मे निर्यात लाभों पर आयकर से छूट के रूप में 80 एच॰ एच॰ सी॰ प्रावधान को पुन: बहाल किया गया। वर्ष 1997-2002 की नई एक्जिम नीति में नीतियों और प्रक्रियाओं में काफी सरलीकरण किया गया तथा पहले की एक्जिम नीति की उपलब्धियों को मजबूत किया गया बाधा-रहित व्यापार वातावरण प्रदान करने के प्रयास किए गए। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन उपायों एवं पहले से ज्यादा वृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों एवं वस्तु बोर्डों के साथ अलग से चर्चाएं की। वाणिज्य मंडलों एवं फिओ जैसे शीर्ष निकायों द्वारा व्यापार और उद्योग के साथ बैठकें भी आयोजित की गई। वित्त, वस्त्र भूतल परिवहन मंत्रालयों के साथ निर्यात आशावादिता में सुधार करने के लिए तुरंत आवश्यक विशिष्ट उपायों पर ध्यान देने के लिए अंत:मंत्रालयी चर्चाएं की गई। निर्यात ऋण पर ब्याज को एक दशमलव अंतर कम कर दिया गया है। निर्यातकों के सामने आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों तथा निर्यातक प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। अंत:मंत्रालयी मुद्दों का समाधान करने एवं निर्यात प्रयासों को राष्ट्रीय प्राथमिकता थ्रस्ट देने के लिए निर्यात विकास बोर्ड की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) से (च) महाराष्ट्र सरकार ने खास-खास स्थानों पर निर्यात से संबंधित अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए तीन प्रस्ताव भेजे थे। सभी प्रस्तावों पर विचार करने के बाद संकटकालीन अवस्थापना संतुलन के बारे में वाणिज्य मंत्रालय की अधिकारी प्राप्त समिति के उरान-पनवल सड़क को केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी आधार पर पुनर्निर्माण करने के प्रस्ताव को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा थाने जिले के अंबरनाथ में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के समर्थन की भी स्वीकृति दे दी गई है। ई॰ पी॰ आई॰ पी॰ योजना में परियोजना की कुल लागत का 75% केन्द्रीय अनुदान के रूप देने का प्रस्ताव है। जिसमें जमीन की लागत शामिल नहीं होगी, जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए के अधीन होगा।

विवरण

लक्ष्य बनाम निष्पादन : 1995-96 एवं 1996-97 (मिलियन यू. एस. डॉलर)

	वस्तुएं	लक्ष्य	वास्तविक			पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट	
		1995-96	1996-97	1995-96	1996-97	1995-96	1996-97
(i)	बागान	802	833	799	679	–0.3	–18.5
(ii)	कृषि संबद्ध उत्पाद	1178	3879	4251	4505	1.7	16.1
(iii)	समुद्री-उत्पाद	1012	1215	1011	1122	–0.1	–7.7
(iv)	अभ्रक और खनिज	1184	1361	1175	1146	–0.8	–15.8
(v)	चमड़ा और विनिर्माण	1723	2000	1752	1554	1.7	–22.3
(vi)	रत्न और आभूषण	5275	6300	5275	4744	0.0	–24.7
(vii)	खेलकूद के सामान	73	84	74	79	1.0	–6.0
(viii)	रसायन और संबद्ध उत्पाद	3920	4500	3790	4071	–3.3	–9.5
(ix)	इंजीनियरी वस्तुएं	3619	4250	3607	3941	–0.3	–7.3
(x)	इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	728	950	751	850	3.2	–10.6
(xi)	हस्त जिनमें हस्तशिला और कालीन शामिल है	8500	13350	7469	7990	–12.1	–40.1
(xii)	अवशिष्ट सहित कपास	—	50	61	453		–805.2
(xiii)	पेट्रोलियम उत्पाद	400	500	454	482	13.4	–3.6
(xiv)	अन्य मदें	800	500	503	431	–37.1	–13.8
(xv)	योग	30712	38259	31831	33106	3.6	–13.5

टिप्पणी : वर्ष 1994-95 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। किंतु, इस वर्ष के दौरान 25% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यापार और उद्योग को प्रेरित किया गया।

स्रोत: डी. जी. सी. आई. कलकत्ता

[हिन्दी]

मुद्रा स्फीति के आकलन के लिए नई प्रक्रिया

658. श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थोक मूल्य सूचकांक जो कि अव्यावहारिक हो गया है, के आधार पर मूल्य वृद्धि दर के आकलन की वर्तमान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति दर के आकलन संबंधी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय की जांच हेतु किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग ने दिनांक 18 जून, 1993 की अधिसूचना के तहत जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप-कुलपति, प्रो॰ वाई॰ के॰ अलघ की अध्यक्षता में 1981-82 को आधार मानकर थोक मूल्य सूचकांक की विद्यमान शृंखलाओं को अद्यतन करने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की थी जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1981-82 से हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया जा सके। प्रो॰ वाई॰ के॰ अलघ के केन्द्र सरकार में शामिल होने के बाद, प्रो॰ एस॰ आर॰ हाशिम, सदस्य, योजना आयोग को 23.9.1996 से कार्य दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आशा है कि विशेषज्ञ दल चालू वर्ष के अंत तक अपना विश्लेषणात्मक कार्य पूरा कर सकेगा।

मतदान प्रतिशत

659. श्री हंसराज अहीर : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आम चुनावों में कम मतदान के प्रतिशत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मतदान को अनिवार्य बनाने हेतु कोई कानून बनाने के संबंध में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मतदान के प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : (क) वर्ष 1989, 1991 और 1996 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचनों में मतदान का प्रतिशत क्रमशः 61.95, 56.73 और 57.94 था। भारत निर्वाचन आयोग का यह अभिमत है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों और कतिपय अन्य लोकतांत्रिक देशों में मतदान के प्रतिशत की तुलना में, भारत में मतदान का प्रतिशत अच्छा है।

(ख) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिर भी, निर्वाचन आयोग ने 1994 से राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान आरंभ किया है, जिसका प्रमुख प्रयोजन मत देने के अधिकार और उसके अबाध और निष्पक्ष प्रयोग की महत्ता के बारे में साधारण जागरूकता को सुधारना है।

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी

660. डॉ॰ राम कृष्ण कुसमरिया : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1995-96 और 1996-97 में विभिन्न कोयला खानों से कितना कोयला निकाला गया;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को कोयले पर कितनी राशि की रायल्टी दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सरकार को उपर्युक्त अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन पर कितनी राशि की रायल्टी दी गई और उसकी दरें क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के विभिन्न कोयला खानों से 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान हुए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

1995-96	1996-97 (अनंतिम)
79.76	83.28

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकार को प्रदत्त रायल्टी की राशि तथा रायल्टी की दर नीचे दर्शाई गई है :

(करोड़ रुपए में)

	1995-96	1996-97
मध्य प्रदेश	666.77	684.14
बिहार	658.33	682.77

दिनांक 11.10.94 से यथा-संशोधित विभिन्न ग्रेडों के कोयले की रायल्टी की दर नीचे दर्शाई गई है :

कोयला समूह	11.10.94 से रायल्टी की दर (रुपए प्रति टन)
1	2
समूह-I (कोककर कोयला इस्पात ग्रेड-I, II, वाशरी ग्रेड-I)	195.00
समूह-II (कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-II, III, अर्द्ध-कोककर I, II, अकोककर 'ए', 'बी')	135.00

1	2
समूह-III	
(कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-IV, अकोककर 'सी'	95.00
समूह-IV	
(अकोककर 'डी', 'ई')	70.00
समूह-V	
(अकोककर 'एफ', 'जी')	50.00
समूह-VI	
(आंध्र प्रदेश कोयला)	75.00

कागज उद्योग संबंधी नीति

661. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग से अपने उत्पादों के विपणन के लिए घरेलू कागज मिलों के बीच नीतिपरक तालमेल के लिए अनुरोध किया है ताकि महंगे और प्रतिकूल परिवहन से बचा जा सके तथा माल की सुपुर्दगी में आने वाली कीमत को कम किया जा सके;

(ख) क्या सरकार कागज उद्योग को उचित मूल्य पर पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कागज उद्योग को उक्त नीति से कहां तक सहायता मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अधिक उत्पादन लागत की स्वदेशी कागज उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाला अकेला सबसे बड़ा कारक है। सरकार ने उद्योग को परिवहन संबंधी नीतिपरक तालमेलों और उनके उत्पादों को बेचने सहित लागत कम करने के सभी विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी है।

(ख) से (घ) कृषि अपशिष्ट और रद्दी कागज जैसे गैर-परंपरागत कच्चे माल की कमी नहीं है। तथापि, बड़े उद्योगों द्वारा संचालित बागान नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के लिए एक आदर्श तथा लागत प्रभावी समाधान सिद्ध होंगे।

मिस्र के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन

662. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिस्र की सामाजिक निधि के साथ विकास के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने मिस्र के विकास के लिए सामाजिक निधि (एस. एफ. डी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन एक हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक एस. एफ. डी. को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा;

—समाज के कमजोर वर्गों के लिए, मिस्र में, बैंकिंग माध्यमों के जरिए सक्षम ऋण वितरण तंत्र का विकास।

—प्रशिक्षण संबंधी उपयुक्त आधारभूत सुविधा का निर्माण करना और इजिप्शियन-बैंक के कर्मचारियों को अपेक्षित कौशलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

अब तक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मिस्र में पांच-पांच दिन की तीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और एस. एफ. डी. के तत्वाधान में मिस्र में वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए स्टेट बैंक ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में ग्रामीण और विकास बैंकिंग पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

कर्नाटक में कटे-फटे करेंसी नोट

663. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में 1 रु. 2 रु. और 5 रु. के अधिकार कटे-फटे करेंसी नोट प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंक इन कटे-फटे नोटों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक ने इन कटे-फटे नोटों के बदले सिक्के देने हेतु कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में बैंकों को कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए सिक्के कब तक दे दिए जाएंगे; और

(ङ) कर्नाटक में 1 रु., 2 रु. और 5 रु. मूल्य वर्ग के कटे-फटे नोटों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। 1 रु., 2 रु. और 5 रु. के छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई बंद होने से तथा अनुपयुक्त नोटों को प्रचलन से हटा लेने से प्रचलन में इन नोटों की मात्रा में कमी आई है।

(ख) सभी बैंकों को इन छोटे मूल्यवर्ग के गंदे नोटों को बदलने

हेतु निर्बाध रूप से स्वीकार करने के निर्देश दिये गये हैं। करेंसी तिजोरियां रखने वाली शाखाओं को भी भा० रि० बैंक नोट वापसी नियम के तहत कटे-फटे नोटों के संबंध में दावों पर शुल्क के निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस संबंध में आम जनता से प्राप्त शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाता है।

(ग) और (घ) छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई बंद करने के सरकार के निर्णय के मद्देनजर इन मूल्यवर्ग के सिक्कों की अधिक मात्रा में आपूर्ति करने के प्रबंध किये गये हैं।

(ङ) 31 मई, 1997 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में 2 रु० और 5 रु० मूल्यवर्ग के मैले-कुचैले नोटों का अनुमानित मूल्य क्रमश: 48,63,27,994 रु० तथा 3,92,47,190 रु० था। केवल कर्नाटक में प्रचलन में 1 रु० के नोटों के मूल्य का पता लगाया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का पुनर्गठन

664. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड ने निगम के पुनर्गठन के संबंध में अध्ययन करने और तदनुसार अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु परामर्शदाताओं की सेवाएं ली हैं;

(ख) क्या परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने सूचित किया है कि परामर्शदाताओं द्वारा की गई सिफारिशों में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे, चालू व्यापार की रणनीति, नए व्यापार में प्रवेश के लिए रणनीति, व्यापार प्रक्रिया की पुनर्संरचना, संगठनात्मक पुनर्गठन तथा सूचना तकनीक, शामिल हैं। परामर्शदाताओं द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया था कुछ संशोधनों के साथ आई० एफ० सी० आई० के निदेशक मंडल द्वारा उनको अनुमोदित किया गया था। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परामर्शदाताओं की मुख्य सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं।

लुगदी का आयात

665. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने टन लुगदी का आयात किया;

(ख) क्या चालू वर्ष में लुगदी का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विगत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी०) द्वारा (एच० पी० सी० की सहायिका हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड सहित) किया गया लुगदी का आयात निम्नानुसार है :

(मी० टन० में)

1994-95	1995-96	1996-97
21439	14172	14468

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की नौगांव और कछार पेपर मिलों के लिए लुगदी के आयात का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एच० पी० सी० की सहायिक हिन्दुस्तावन न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने चालू वर्ष के दौरान अभी तक 5000 मी० टन० लुगदी के आयात आदेशों को अंतिम रूप दे दिया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी

666. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी लि० 1992 से हानि उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो हानि के कारणों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैबिनेट ने इस कंपनी हेतु कोई पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनी के वित्तीय पुनर्संरचना के ब्यौरा सहित उक्त पैकेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या मजदूर संघों और अधिकारी संघों ने कंपनी के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना पेश की है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार के दृष्टिकोण के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। हानियों के ब्यौरे और उसके कारण निम्नलिखित हैं :

हानियों के ब्यौरे :

1992-93 117.31 करोड़ रुपए

1993-94 58.81 करोड़ रुपए

1994-95 56.86 करोड़ रुपए

1995-96 70.88 करोड़ रुपए

1996-97 89.05 करोड़ रुपए (अनंतिम)

हानियों के कारण :

1. लघु निर्माताओं एवं आयातकों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने में असमर्थता।

2. मैगनैटिक टेप प्लांट, ऑटोमैटिक फोटो बूथ्स में घटिया निवेश।

3. नई परियोजना में अधिक समय और अधिक लागत।

4. निधियों का पुराने संयंत्र से नए संयंत्र में परिवर्तन।

5. अत्यधिक ऋणों पर भारी ब्याज भार।

6. अधिक उपरिव्यय और जनशक्ति लागतें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स अधिकारी संघ द्वारा एक पुनरुद्धार योजना प्रचालन एजेंसी (आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰) को प्रस्तुत की गई थी। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा 26.6.97 को आयोजित अपनी बैठक में इस पर चर्चा की गई थी और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

महिला प्रधान क्षेत्रीय योजना

667. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संगठन के अंतर्गत अप्रैल, 1974 से "महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना" लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत एक समान नियमों और प्रक्रिया का पालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों जैसे एजेंटों की नियुक्ति, एस॰ एल॰ ए॰ ए॰ एस-5 तथा कमीशन दस्तावेजों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को देशभर में एक समान नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत संचालित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अप्रैल, 1972 में शुरू की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। सरकार का देश भर में समरूप नियमों और कार्यविधियों के अंतर्गत उक्त योजना को सतत् संचालित करने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क

668. श्री जी॰ वेंकट स्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दूरसंचार उपकरणों पर सीमाशुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को घरेलू विनिर्माण उद्योग के लिए मानित दर्जे सहित विशेष रियायत देने हेतु दूरसंचार विभाग से कोई पत्र प्राप्त हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क लगाने से पूर्व विभाग के अनुरोध पर विचार किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सरकार ने विनिर्दिष्ट टेलीकॉम उपस्करों पर मूल सीमा शुल्क को घटा कर 20% कर दिया है और उन्हें दिनांक 2.6.97 की अधिसूचना सं॰ 51/97-सीमाशुल्क द्वारा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई है। रियायती शुल्क लाभ तभी उपलब्ध हैं जब ऐसे उपस्करों का आयात ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें दूर संचार विभाग द्वारा बुनियादी टेलीकॉम सेवा, सेल्युलर मोबाइल सेवा, पेंजिंग सेवा और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया हो।

(ग) से (च) वित्त मंत्रालय को दूर-संचार विभाग से ये सिफारिशें प्राप्त हुई हैं/थीं कि रियायती सीमा शुल्क का लाभ केवल उन्हीं उपस्करों को दिया जाए जिन्हें इस समय देश में विनिर्मित नहीं किया जाता है और ऐसे उपस्करों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियों/संघटकों पर सीमा शुल्क को भी घटा कर शून्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि उनका स्थानीय रूप से विनिर्माण करने के कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। वैकल्पिक तौर पर, देश में विनिर्मित उपस्करों को उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सकती है और इन उपस्करों के स्वदेशी विनिर्माताओं को मान्य निर्यातक की पदवी दी जा सकती है। इसके अलावा, रियायती सीमा शुल्क की सुविधा केवल उन कंपनियों को दी जा सकती है जिन्हें दूर-संचार विभाग द्वारा विधिवत् रूप से लाइसेंस दिये गये हैं।

इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। तदनुसार, दिनांक 2.6.97 की अधिसूचना सं॰ 51/97-सी॰ शु॰ में सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट टेलीकॉम

उपस्करों पर मूल सीमा शुल्क को घटा कर 20% कर दिया गया था। इन उपस्करों को अतिरिक्त सीमा शुल्क से भी छूट दी गई थी। उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट टेलीकॉम उपस्करों की कच्ची सामग्रियों/संघटकों पर सीमा शुल्क घटाने के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में "इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर"

669. **डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम-काकीनाडा को "इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योगों को येलेस नहर से 15 एम॰ जी॰ डी॰ पानी की आपूर्ति करने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु कोई प्रबंध किए जा रहे हैं;

(घ) क्या बुनियादी सुविधाओं के लिए परवदा में 3500 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक उद्यान का भी विकास किया जा रहा है;

(ङ) क्या विशाखापत्तनम-काकीनाडा को "इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर" के रूप में विकसित करने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) विशाखापत्तनम-काकीनाडा को इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर, या परवदा में औद्योगिक उद्यान के रूप में विकसित करने की उद्योग मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय और तकनीकी विकास केन्द्र

670. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में क्षेत्रीय और तकनीकी विकास केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी की शिकार महिलाएं भी इस केन्द्र द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का लाभ उठा रही हैं और वहां पर नए डिजाइनों और तकनीकों का विकास किया जा रहा है;

(ख) क्या इस केन्द्र को भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) भोपाल स्थित क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, भोपाल गैस दुर्घटना काण्ड की शिकार महिलाओं सहित कारीगरों के लिए नई डिजाइनों व तकनीकों को विकसित करने तथा इनके प्रचार-प्रसार में संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

671. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितना व्यापार घाटा हुआ;

(ख) यह पूर्व वर्ष 1995-96 की तुलना में कितना अधिक था और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान व्यापार घाटे में कमी करने हेतु कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) डी॰ जी॰ आई॰ एण्ड एस॰ के आंकड़ों के अनुसार, व्यापार घाटा 1995-96 में 4881 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1996-97 में 5442 मिलियन अमरीकी डालर था। हालांकि 1996-97 में आयात वृद्धि में भी गिरावट आई, यह गिरावट निर्यात के लिए अधिक तीव्र थी। आयातों के अधिक विस्तृत आधार के साथ-साथ वृद्धि दरों की इस असमता के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़कर 1996-97 में 561 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। निर्यातों की वृद्धि दर में कमी आंशिक रूप विश्व व्यापार की वृद्धि में समग्र गिरावट और कुछ क्षेत्र विशेष कारणों की वजह से थी।

(ग) और (घ) व्यापार घाटे को कम करने की कुंजी निर्यात वृद्धि को बढ़ाने मे निहित है। सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन संबंधी उपाय नीतिगत और संवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से निरंतर किए जा रहे हैं। इनमें निर्यात आयात नीति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना, निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास करना शामिल है। निर्यात संवर्धन उद्योग, व्यापार और अन्य निर्यात संवर्धनात्मक संस्थाओं से पारस्परिक व्यवहार पर आधारित निरंतर जारी रहने वाली गतिविधि है।

विकास दर

672. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद के रूप में वर्ष 1996-97 की विकास दर 6.8 प्रतिशत आंकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दर गत वर्ष की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के रूप में विकास दर की प्रतिशतता कम होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी औद्योगिक उत्पादन में गिरावट ऊंची ब्याज दरों तथा निर्यात में कमी पर चिंता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी॰ एस॰ ओ॰) सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि के अनुमान व्यक्त करता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1997-98 की प्रथम छःमाही के लिए अपनी मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा करते हुए यह संकेत दिया है कि 1996-97 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। यह जुलाई, 1997 में सी॰ एस॰ ओ॰ द्वारा जारी वर्ष 1996-97 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के संशोधित अनुमान से मेल खाता है। 1996-97 के लिए वृद्धि दर 1995-96 में दर्ज की गई 7.1 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है। 1995-96 और 1996-97 में वृद्धि दरों का सेक्टर वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1997-98 की पहली छमाही के लिए अपनी मौद्रिक और ऋण नीति में अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वृद्धि के धीमे होने के बारे में उल्लेख किया है। ब्याज दर ढांचे के संबंध में नीति में विभिन्न मुद्रा बाजार लिखितों पर ब्याज दरों की सामान्य गिरावट का उल्लेख किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर से कमी की भी घोषणा की है। नीति में निर्यातों में सुधार करने की सुदृढ़ आवश्यकता और विकास की गति को बनाए रखने के लिए आयातों को सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। सरकार ने उत्पादन और निर्यातों को बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में सुधार करने के लिए 1997-98 के बजट में विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में आयकर, निगम कर, उत्पाद और सीमा शुल्कों में कमी और उनका युक्ति-युक्त-करण शामिल है।

विवरण

1980-81 की कीमतों पर वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए आर्थिक गतिविधि के रूप में उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें।

(प्रतिशत में)

उद्योग	1995-96*	1996-97**
1	2	3
1. कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	—0.1	5.7
2. खनन और उत्खनन	7.0	1.0
3. विनिर्माण	13.6	8.1
4. बिजली, गैस और जल आपूर्ति	9.1	3.8
5. निर्माण	5.3	5.5
6. व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	13.3	8.7
7. वित्तपोषण, बीमा, अचल संपदा और व्यापार सेवाएं	4.0	6.9
8. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.2	5.3
उपादान लागत पर कुल सकल घरेलू उत्पाद	7.1	6.8

* त्वरित अनुमान

** संशोधित (जुलाई 1997 अद्यतन) अनुमान

[हिन्दी]

कोटा स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

673. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के अधिकारी क्रयादेश (ऑर्डर) प्राप्त करने के लिए विदेशों का दौरान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों का दौरा किया और अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कितने क्रयादेश (ऑर्डर) प्राप्त किए; और

(ग) इन विदेश यात्राओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों में इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के किसी भी अधिकारी ने क्रयादेशों की प्राप्ति के लिए विदेश का दौरा नहीं किया है। तथापि, निर्यात आदेशों के प्रति आपूर्त्तित प्रणालियों को चालू करने/उनको पूरा करने के लिए तथा विस्तृत इंजीनियरी, साफ्टवेयर के विकास, डिजाइन को अंतिम रूप देने, तकनीकी सहयोग करारों पर विचार-विमर्श करने और जर्मनी, जापान, यू॰ एस॰ ए॰ तथा उक्रेन आदि में अपने विदेशी सहयोगियों के कार्यस्थलों पर प्रशिक्षण हेतु उनके अधिकारियों ने दौरे किए हैं।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में निवेश

674. श्री संदीपान थोरात : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक कंपनी-वार ठेके पर कितने प्रमुख निर्माण कार्य कराए गए और इसके लिए कितना भुगतान किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी-वार कोल इंडिया लिमिटेड के लिए किए गए कार्य हेतु पांच शीर्ष ठेका फर्मों द्वारा प्राप्त भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदारीकरण के दौर में कम लागत वाली उत्पादन संबंधी संशोधित नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अधिक से अधिक नई खानों को ठेकेदारों को सौंपने पर विचार कर रही है ताकि निवेश पर बेहतर लाभ सुनिश्चित किया जा सके और भारी स्थापना प्रभारों एवं विभागीय जनशक्ति की तैनाती संबंधी देयताओं में कटौती करके प्रतिस्पर्धात्मक बना जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जूट पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : महोदय, मैं जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 284 (अ) जो 31 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 905 (अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰-2177/97]

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया) : महोदय, मैं निम्नलिखति पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰-2178/97]

(3) (एक) खेलकूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेलकूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰-2179/97]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰-2180/97]

(ख) (एक) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰-2181/97]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय

नारायण प्रसाद निषाद) : महोदय, मैं श्री सतपाल महाराज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का॰ आ॰ 347 (अ) जो 25 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰ आ॰ 348 (अ) जो 25 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰ आ॰ 406 (अ) जो 21 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰ आ॰ 407 (अ) जो 21 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰ आ॰ 412 (अ) जो 27 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰ आ॰ 413 (अ) जो 27 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰ आ॰ 459 (अ) जो 25 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰ आ॰ 460 (अ) जो 25 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरें निर्धारित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰-2182/97]

अपराह्न 12.1½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की चौथे सत्र के दौरान आयोजित पांचवीं से नौवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.2 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति 'वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की मांगें' संबंधी अपने चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं ग्रेटर मुंबई नगर

निगम की स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन डॉ॰ राम बरोत तथा अन्य चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं जिसमें गुटका और पान मसाला के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 28 जुलाई, 1997 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. सरकारी निवास-स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश 1997 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और सरकारी निवास-स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।
3. कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में तटरक्षक (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार और पारित करना।
5. जे॰ सी॰ एम॰ योजना के अंतर्गत 1991 की सी॰ ए॰ संदर्भ संख्या 1 में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए अधिनिर्णय को अस्वीकृत किए जाने से संबंधित संकल्प पर चर्चा।
6. वर्ष 1997-98 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।
7. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।
8. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निजी सुरक्षा गार्ड और एजेंसियां (विनियमन) विधेयक, 1994 पर विचार और पारित करना।
9. नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002 के दृष्टिकोण पत्र से संबंधित प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद को सम्मिलित किया जाए :

लद्दाख स्वशासी पर्वतीय विकास परिषद् के कार्यकरण में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सहयोग न करना।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये :

1. शासकीय सेवा में रहते हुए यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को शीघ्र ही अनुकंपा दी जानी चाहिए, यदि मृतक के आश्रित को दो माह में नियुक्त नहीं दी जाती है तो उसके परिवार को जीवनयापन करने के लिए मृतक के वेतन का 50 प्रतिशत भत्ते के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि परिवार के समक्ष उत्पन्न संकट से बचा जा सके।
2. मध्य रेलवे के झांसी मंडल में अनुकंपा के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनको नियुक्ति दिए जाने तक वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता उनके परिवार के जीवनयापन के लिए जाया जाए।

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :

1. ग्रामीण विद्युतीकरण में बड़े पैमाने पर हुए घपले पर चर्चा।
2. कोयला उद्योग को निजी क्षेत्र में लाने के सवाल पर चर्चा।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. बिहार के सीतामढ़ी जिला में भीषण बाढ़ एवं वर्षा के कारण जिला के सभी प्रमुख सड़क, पुल क्षतिग्रस्त हो जाने एवं जान-माल के भारी नुकसान होने के कारण उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा।
2. प्रधान मंत्री रोजगार योजना में हो रही भारी अनियमितता के कारण बेरोजगार युवकों को ही रही कठिनाई के निदान पर चर्चा।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :

देश में अत्यंत वर्षा के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है एवं पशुओं की हानि करोड़ों रुपयों की हुई है। गुजरात और बिहार में दशा अत्यंत दयनीय रही।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में राज्य सरकारों से सम्पर्क कर राज्य सरकारों को जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनका सामना करने में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की मदद करे।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं।

1. देश के पर्वतीय, दुर्गम व खाद्यान्न के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अतिरिक्त भंडार व खाद्यान्न के वितरण की केन्द्रीय व्यवस्था तत्काल प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता।

2. भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों की सुनवाई व शीघ्र निर्णय हेतु देश में विशेष अदालतें गठित किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने हमें वचन दिया था कि "महिला आरक्षण विधेयक" को 29 जुलाई, 1997 की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाएगा।

अपराह्न 12.09 बजे

प्रसारण विधेयक, 1997 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन-समय बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा प्रसारण विधेयक, 1997 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय शीतकालीन सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रसारण विधेयक, 1997 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय शीतकालीन सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से प्रस्ताव है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

सरकारी निवास स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) विधेयक*

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू) : मुझे केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना पारी किए गए कतिपय आबंटनों को विधिमान्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमतति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना पारी किए गए कतिपय आबंटनों को विधिमान्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, मुझे इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने पर कड़ी आपत्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि सभा अनेक कारणों से इस विधेयक को पारित करने में सक्षम नहीं है। संसद के पिछले सत्र में इस बात पर सहमति हुई थी कि कतिपय आबंटितियों को आंबटित आवास जिसे बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के द्वारा रद्द कर दिया गया था को विधिमान्य बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया जाए। परंतु ऐसा केवल टाइप-III, IV और कर्मचारियों की निम्नतम श्रेणियों तक ही समिति था लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा इसका लाभ टाइप VII, VIII और उच्चतम श्रेणियों को भी दे दिया गया। इस पर सभा में सहमति नहीं हुई थी।

दूसरे, इस विधेयक को "दोषसिद्ध अपराधी (मुक्ति और रिहाई) अधिनियम कहा जाना चाहिए। उक्त शीर्षक मेरे द्वारा सुझाए गए शीर्षक को मृदु शब्दों में प्रस्तुत करने का तरीका है। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। यह कार्यपालिका द्वारा तानाशाहीपूर्वक और मनमाने ढंग से लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है कि पीड़ित व्यक्तियों ने न्यायालयों में जनहित याचिकाएं दायर कर दी हैं। अब उनकी शिकायतों का कुछ हद तक निवारण कर दिया गया है और इस तथ्य को नकारना इस सभा के लिए पूर्णतः अनुचित और अनौचित्यपूर्ण होगा। अतः ऐसा निवेदन है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे आपकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे यह मालूम नहीं है कि उक्त सूचना अध्यक्ष महोदय को मिली है अथवा नहीं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : इसके लिए सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है कि यह सभा इस विधेयक को पारित करने में सक्षम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आपको इस विषय पर कुछ कहना है ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस तरह के एतराजात माननीय सदस्य ने उठाए हैं, वैसे एतराजात बिल के इंट्रोडक्शन के समय पर नहीं उठाए जा सकते क्योंकि इंट्रोडक्शन की मुखालफत केवल लैजिस्लेटिव कम्पीटैंस के लिहाज से की जा सकती है। मैं समझती हूं कि यह पार्लियामेंट पूरी तरह कम्पीटैंट है। मंत्री महोदय ने बिल को इंट्रोडक्शन के लिए रखा है, आप उसे इन्ट्रोड्यूस कराइए। जिस वक्त यह बिल कंसीडरेशन स्टेज पर आएगा, उस समय माननीय सदस्य यदि कोई आपत्ति उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, हमें भी इस बिल के संबंध में जो कुछ कहना होगा, उस स्टेज पर कहेंगे। उसके बाद सरकार बिल पर निर्णय लेगी। लेकिन बिल इंट्रोडक्शन की स्टेज पर, लैजिस्लेटिव कम्पीटैंस के अलावा किसी दूसरे इस्यू पर बिल का विरोध नहीं किया जा सकता। अत: आप बिल को इंट्रोड्यूज कराने का कार्य कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : दरअसल, इन्होंने अपनी बात की शुरुआत इसी तरह की थी कि यह हाउस कम्पीटैंट नहीं है लेकिन बाद में कुछ और चीजें कह दीं।

[अनुवाद]

डॉ. उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना पारी किए गए कतिपय आबंटनों को विधिमान्य बनाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सरकारी निवास स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू) : महोदय, मैं सरकारी निवास स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्य) अध्यादेश, 1997 के द्वारा तत्काल कानून बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 585, 1994 पर अपने 23 दिसंबर 1996 के निर्णय और आदेश में यह निर्देश दिया कि जिन लोगों को 1991-95 के दौरान टाइप-III और उससे ऊपर की श्रेणी का सरकारी निवास बिना पारी आबंटित हुआ उन्हें निवास से बेदखल होना पड़ेगा यदि उनकी प्राथमिकता सूची की तिथि तक आबंटन न हुआ हो। यह आदेश अपवाद स्वरूप उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका नाम गलती से शामिल हो गया था या जिन्हें चिकित्सा आधार पर निवास आबंटित किया गया था। जिन लोगों पर यह आदेश लागू होता है उन्हें बिना पारी आवास रखने की अवधि की बढ़ी हुई लाइसेंस फीस देनी होगी जो कि सामान्य लाइसेंस फीस का दोगुना या मामले के अनुसार तीन गुना होगी। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि नोटिस के दो माह के भीतर बढ़ी हुई लाइसेंस फीस जमा कराने के पश्चात् जहां लागू होता वैकल्पिक तौर पर निचली श्रेणी का आवास उपलब्ध कराया जायें। न्यायालय ने विशिष्ट अवधि में ऐसे लोगों की संशोधित सूची बनाने का आदेश दिया जिन्हें बिना बारी निवास आबंटित किया गया हो और जिन्हें बेदखल किया जाना हो। वैकल्पिक निवास में स्थानांतरित किया जाना हो और जिन्हें बढ़ी हुई लाइसेंस फीस चुकानी हो। यह कार्य 23 फरवरी, 1997 से दो माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था और बिना पारी के आबंटियों जिन्हें बेदखल किया जाना था। जिन्हें बढ़ी हुई लाइसेंस फीस का भुगतान करना था उन्हें इसके तीस दिन के भीतर व्यक्तिगत नोटिस दिए जाने थे जिसमें उन्हें आदेश दिया जाना था कि वह नोटिस के 90 दिन के भीतर निवास को खाली कर दें। चूंकि इन नोटिसों को 16 मार्च, 1997 से 22 मार्च, 1997 के बीच जारी किया जाना था। बेदखली 23 जून, 1997 के बाद शुरू होनी थी।

2. नोटिस जारी होने के संदर्भ में विभिन्न वर्गों जिसमें सभी राजनैतिक दलों के नेता भी शामिल हैं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का निवेदन किया गया। जिससे आबंटियों को बेदखली से बचाया जा सके। इस संदर्भ में संसद में सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक 15 मई, 1997 को आयोजित हुई थी जिसमें एकमत से यह तय किया गया कि ऐसे आबंटियों को बेदखली से बचाया जाना चाहिए।

3. चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और बेदखली की तिथि 23 जून, 1997 नजदीक थी अतः इस पर तुंरत कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक था। राष्ट्रपति ने 21 जून, 1997 को संहर्ष सरकारी निवास स्थान बिना पारी आबंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश 1997 (आदेश सं॰ 14 1997) को लागू किया।

अपराह्न 12.14 1/2 बजे

कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : महोदय, मुझे कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

महोदय, मैं इसके साथ इस विधेयक से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पण भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.15 बजे

नियम 184 के अंतर्गत चर्चा

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15 पर विचार करेंगे-24 अक्तूबर, 1997 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव अब नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव में परिवर्तित हो गया है, श्री तारिक अनवर अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया था कि कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, भष्टाचार के मामले में, हम किसी कीमत पर भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह बात कल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पं॰ जवाहर लाल नेहरू से लेकर अब तक की यह परंपरा है। कांग्रेस शासन में भी जब कोई किसी मंत्री के ऊपर, मुख्य मंत्री के ऊपर, कभी किसी गवर्नर के ऊपर कोई आरोप लगा है, तो उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कल कहा था, उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलग्न है। पहले भ्रष्टाचार करना फिर इस्तीफा देना क्या ठीक है ? यह ठीक है कि इस्तीफा देने का काम हुआ है और होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि भ्रष्टाचार क्यों होता है ?

श्री तारिक अनवर : उपाध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने कड़े मन से ही सही, लेकिन यह तो स्वीकार किया है कि इस्तीफे दिए गए हैं। ऐसे इस्तीफा देने वाले सबसे ज्यादा कांग्रेसी निकले हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : आप भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ रही है।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस ने अपने मुख्य मंत्रियों, अपने मंत्रियों और यहां तक कि जो पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उनको भी, जब भी उनके ऊपर आरोप लगे, इल्जाम लगाए गए, तब उन्होंने अपने पदों से इस्तीफे दिए। यह हमारी कांग्रेस का आदर्श है। आपको याद होगा कि नरसिंहराव जी ने भी इस्तीफा दिया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, यह बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, क्योंकि एक तरफ तो ये मांग कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, उनके ऊपर चार्जशीट लागू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर जो चार्जशीट लगी, उनको हटाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उन्होंने तो पूरे जीवन चुनाव न लड़ने के लिए कहा है।

श्री तारिक अनवर : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन सी॰ बी॰ आई॰ के द्वारा लालू यादव जी को चार्जशीट किया गया, उसी दिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया और हमने साफ-साफ शब्दों में तथा हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सीता राम केसरी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी स्तरों पर यह मांग की कि लालू जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस इस बात को मानती है।...*(व्यवधान)* कांग्रेस का हमेशा यह आदर्श रहा है।...*(व्यवधान)* हमने हमेशा मूल्यों की बात की है। हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है जो भी सार्वजनिक जीवन में

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खण्ड-2 दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

हैं, उन सबकी छवि साफ सुथरी होना चाहिए। किसी तरक का हमारे ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए इसलिए कांग्रेस ने हमेशा यहां तक कि अभी पिछले दिनों जब हवाला कांड में हमारे मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी थी, उन पर केवल आरोप थे तब भी हमारे मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लालू जी को समर्थन देने की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 में लालू जी को मुख्य मंत्री बनाने में हमने समर्थन नहीं दिया था, वह आपने दिया था और हमने उसका विरोध किया।...*(व्यवधान)* कांग्रेस ने 1990 से लेकर आज तक लालू जी के विरोध में आवाज उठाई और आज भी हम उठाते हैं। आज भी हमारा यह मानना है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : इसलिए आपने लालू जी की सरकार को बचाया है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : आवाज उठाते-उठाते खत्म हो गई बिहार से।

श्री तारिक अनवर : लालू जी जब 1990 में मुख्य मंत्री बने तब हमारे जैसे लोग भी खुश हुए थे। हमको भी यह लगा कि श्री जय प्रकाश की संपूर्ण क्रांति से निकला हुआ नौजवान बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार की गरीबी दूर करने के लिए, बिहार के विकास में एक योगदान करेगा लेकिन हमें निराशा हुई और हमने पांच साल ही नहीं बल्कि जब से वे मुख्य मंत्री हैं तब से लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनकी आलोचना कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी आज जो बात कर रही है, जिन्होंने हमेशा उनको समर्थन दिया, आज वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती।...*(व्यवधान)* जो हकीकत है, वही हम कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक निवेदन है कि छोटी-मोटी टोका-टाकी तो कभी-कभार चल सकती है लेकिन लगातार नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : हम सही बोल रहे हैं इसलिए आपको तकलीफ हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमें उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार के बारे मे इन्होंने जो बात कही है, वह राजनीति से प्रेरित नहीं होगी क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा आज एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर हम सब लोगों को जो भी सावर्जनिक जीवन में हैं, चाहे किसी भी दल से हों, उनको सोचना होगा, उनको विचार करना होगा। आखिर जो जनता हमें यहां भेजती है, वह कुछ उम्मीद लगाती है, कुछ हमसे आशा करती है और अगर हम दागदार हों, हम आरोपित हों तो हम कैसे एक स्वच्छ और साफ सुथरी सरकार दे सकते हैं। मैं ताज्जुब करता हूं, पुरोहित जी यहां नहीं है, पुरोहित जी ने अपने उप मुख्य मंत्री श्री मुंडे जी के खिलाफ आरोप लगाया था।...*(व्यवधान)* उसके बारे में श्री अटल जी ने कोई चर्चा नहीं की। राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : राजस्थान में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : आपकी पार्टी के मैम्बर हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : आपके राजस्थान में आरोप ही आरोप हैं।...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : आपके एम॰ पी॰ ने यह बोला है। ...*(व्यवधान)* आप क्या बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपके एम॰ पी॰ ने ही चार्जशीट लगाई है।...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : मुझे एक बात और स्पष्ट करनी है। कल बड़े जोरदार ढंग से श्री वाजपेयी जी ने आर्टिकल 356 की वकालत की। मुझे याद आ रहा है 6 दिसम्बर, 1992 के दिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उस समय जब देश के मौलिक संविधान पर, धर्म निरपेक्षता पर हमला हुआ, जब इन्होंने वादा खिलाफी की और उसके खिलाफ जब केन्द्र सरकार ने आर्टिकल 356 के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाप्त किया तो इन्होंने जोरदार ढंग से उसका विरोध ही नहीं किया बल्कि अदालत का दरवाजा भी खटखटया। हमें खुशी है कि आज इनकी आंख खुल गई, आज इनको यह अहसास हो गया कि कांग्रेस के राज में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सही होता रहा है, गलत नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वाक्य का निरंतर उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वाक्य में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा पहले ही कह चुका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस बात को अटल जी ने कल ही कह दिया था लेकिन वही बात आज हो रही है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहार वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जो कल वहां हुआ था, शायद वह आज यहां हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह गलत है। आप बोल दीजिए कि

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

ऐसा नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : निडर जी, आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गई।...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : जैसा मैंने कहा कि इस मोशन के पीछे नीयत क्या है, यह देखना होगा। यदि सही मायने में यह मोशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि इसमें सिर्फ राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति है तो हमें विचार करना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कांग्रेस हर कीमत पर इस बात का विरोध कर रही है और हमने हर स्तर पर यह मांग की है कि लालू जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में ऐसा सोचना गलत है। साथ ही हम यह भी मानते हैं, कल अटल जी ने कहा कि आपने बिहार में क्या किया, आप लालू जी की सरकार को गिरा सकते थे। यह बात सही है कि हम वहां तटस्थ रहे। लेकिन उसका कारण यह था कि एक तरफ हमारे सामने भ्रष्टाचार था और दूसरी तरफ साम्प्रदायिकता थी। हम जहां हर कीमत पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं वहीं साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्त ताकतो से लड़ने का भी हमारा संकल्प है। हम किसी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि उसका लाभ इस देश की फिरकापरस्त ताकतें उठाएं। इसलिए हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ था, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात से सदन के सामने यह स्पष्ट हो चुका होगा कि कांग्रेस ने हमेशा, जैसा मैंने कहा इतिहास साक्षी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि स्थगन प्रस्ताव के बजाय नियम 1984 के अंतर्गत चर्चा के रूप में आज हम इस मुद्दे पर प्रक्रियात्मक रूप से अधिक वास्तविक रूप में विचार कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर संदेह नहीं कर रहा हूं।

महोदय, अब जबकि हम अपने राष्ट्रीय जीवन की महत्वपूर्ण घटना आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो इस अवसर पर यह अत्यंत चिंता की बात है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और यह हमारे वर्तमान राष्ट्रीय जीवन के लिए खतरा बन गया है। आज, माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम प्रसारण में हमारे जीवन के दो प्रासंगिक और कटु पहलुओं का उल्लेख किया गया है।

उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है जिसे हर हालत में बनाए रखना है और जिस पर काफी प्रहार किया जा रहा है। और दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज के भाषण में वे इस बात का उल्लेख करना नहीं भूल सके। आपकी अनुमति से मैं यह उद्धृत करना चाहता हूं।

"26 जनवरी 1948 को शहीद होने से ठीक कुछ दिन पूर्व गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का उल्लेख किया था और यह कहा कि ऐसे मामलों पर मतभेद जाहिर करना अपराध है। गांधी जी द्वारा भ्रष्टाचार की चेतावनी पूर्ण भविष्यवाणी किए जाने के बाद से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है; हिंसा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त होती जा रही है और मूल्य जिन्हें हमने सदियों से संजोया हुआ था आज नष्ट होने के कगार पर हैं।"

इसलिए, उन्होंने व्यापक रूप से फैल रहे भ्रष्टाचार पर ठीक ही दुख व्यक्त किया था। यह अब साबित हो रहा है। जब से यह मानसून सत्र प्रारंभ हुआ है यही वह मुद्दा है जो हमें निरंतर उत्तेजित कर रहा है।

अपनी पार्टी की ओर से बोलते हुए, हमने सदैव सार्वजनिक जीवन में सच्चाई और नैतिकता पर जोर दिया है। इसीलिए, जब मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तत्काल चर्चा करना चाहते हैं जो हमारी राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहा है।

महोदय, यहां प्रश्न यह है कि बिहार में क्या हो रहा है। यद्यपि प्रस्ताव में किसी के नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी है। अब प्रश्न यह है कि बिहार के वर्तमान मुख्य मंत्री को क्या करना चाहिए ? मेरी यह राय है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस मुद्दे पर उन सभी को एक हो जाना चाहिए जो यह सोचते हैं कि चाहे जो भी हो निर्दोषता को झलक मिलनी चाहिए ? व्यक्ति विशेष से सुसम्य न्यायशास्त्र व्यवस्था के सुस्थापित सिद्धांत पर अर्थात् निर्दोषिता पर संदेह नहीं होना चाहिए। पहले, जब भी कभी ऐसे अवसर आए, मैंने सभा में कहा है कि मैं उन लोगों में हूं जो उसे निर्दोष मानता है। लेकिन राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर कुछ ऐसे व्यक्ति आसीन हैं जो अपने आपको शक के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं। यह संदेह किए जाने से भी कुछ अधिक गंभीर है और इस दृष्टि से कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी॰ बी॰ आई॰) को अभी अनेक क्षेत्रों में अपनी दक्षता और क्षमता दिखानी है कि उन्होंने उस मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जिसके खिलाफ न केवल जांच की जा रही है बल्कि मुकदमा चलाया जाना लगभग तय है। कल मुकदमे की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट अथवा नामित न्यायाधीश ने यह स्वीकार किया था और उन्होंने आरोप पत्र को संज्ञान में लिया था। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अनुसार यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है। बिहार के माननीय राज्यपाल ने भी इसे प्रथम दृष्टया मामला माना था। इसलिए, मामले की गंभीरता को देखते-हुए उसे अपने खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र के न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना मुख्य मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। यदि वह निर्दोष है जैसा कि वह कहते हैं कि हमें अपनी न्यायिक प्रणाली पर पूरा विश्वास है कि वह निर्दोष साबित होंगे। न कि दोषी और वे और अधिक स्वच्छ छवि के साथ पुनः मुख्य मंत्री के पद पर आसीन होंगे। यह दुर्भाग्य है कि इसमें से अनेक लोगों द्वारा दिया गया यह अच्छा सुझाव श्री

लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार नहीं किया था। उनकी इस खराब हुई छवि से हम उनके दुश्मन नहीं हो जाएंगे। कम से कम मैं तो नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी मित्रतापूर्ण सलाह पर ध्यान नहीं दिया।

आज, स्थिति यह है कि सारा देश उत्तेजित है। रेडियो, टी॰ वी॰, समाचारपत्र और पत्रिकाओं तथा लोगों की चर्चा में भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा और कोई मुद्दा है ही नहीं। "क्या देश में इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है सभी भ्रष्ट हैं" जो लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या यही सही है। न्यायपालिका अब सभी संसद सदस्यों की भर्त्सना कर रही है। यदि आप कृपया सभी बातों पर ध्यान दें तो मैं नहीं जानता कि आगे संसद का क्या होगा। मैं जानता हूं कि मेरा समय पूरा होने वाला है। लेकिन अगली पीढ़ी के युवा लोग आने वाले हैं। यहां उपस्थित संसद के प्रत्येक सदस्य तथा जो यहां आने वाले हैं उनके भ्रष्ट और बेकार होने की यह चेतावनी है।

इसीलिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के सभी मामलों में दखल दे रही है। हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं। संभावित कारण यह है कि हम काम नहीं करते हैं, हम भ्रष्ट हैं, प्रशासन भ्रष्ट है और राजनेता भ्रष्ट हैं। यह बात अब लोगों, सामान्य लोगों और उन लोगों के दिमाग में घर कर गई है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि यही वह देश है जिसमें भ्रष्टाचार सबसे अधिक है। हम जानते हैं कि यहां भ्रष्टाचार है। यह बात न केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार के बारे में सभी कह रहे हैं। लेकिन एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बजाय हम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वाद विवाद में इसका उपयोग कर रहे हैं।

अब प्रतिस्पर्धा यह है कि राजनेताओं में सबसे अधिक भ्रष्ट कौन है ? क्या इससे समस्या का समाधान होगा, यदि हम सच्चाई की ओर जाएं कि कौन पार्टी सबसे अधिक भ्रष्ट है, कौन पार्टी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे कम जागरूक है ? यदि इस तरह की बातें की जाती हैं तो मैं नहीं समझता कि हम इसका कैसे समाधान कर पाएंगे। कभी-कभी यह हमारी राजनीतिक रूप से मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि मेरा कोई विरोधी है तो मैं उसे भ्रष्टाचार का दोषी मानता हूं। यह मेरी मदद कर सकता है लेकिन यह राजनीतिक की मदद नहीं कर सकता। यह सारे देश की मदद नहीं कर सकता। यह भविष्य की मदद नहीं कर सकता। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसीलिए, यह मुद्दा ठीक ही उठाया गया है, सार्वजनिक जीवन में सच्चाई, नैतिकता और वैधता के महत्व को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए, हम यह कहते रहे हैं कि यही वह देश है जहां अत्यधिक संभावनाएं हैं; यही वह देश में जहां अत्यधिक संसाधन हैं और यही वह देश है जिसे हम वर्तमान और भविष्य के संबंध में अत्यधिक संभावना वाला देश कह सकते हैं। लेकिन हमें कभी उपलब्धि प्राप्त होती ही नहीं है। हम उपलब्धि हासिल न करने वाले बन गए हैं। मुझे लगता है कि हम ज्यादा दिन तक इस तरह बने नहीं रह सकते। आज हमारे पास कोई राष्ट्रीय कार्यसूची नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि यह ऐसी कुछ चीजें हैं जहां हमें पार्टी राजनीति के ऊपर उठना चाहिए। लेकिन आज हमें जनसंख्या समस्या अथवा गरीबी की समस्या जैसे मामलों और साक्षरता, बाल सुरक्षा और महिलाओं पर अत्याचार जैसी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मुश्किल से समय मिलता है। इसलिए, मेरी विनम्रतापूर्वक अपील है कि हमें कुछ करना चाहिए। हां, देश में ऐसे अनेक मुद्दे हैं। हम उन्हें एकदम राजनीतिक, रूप दे देते हैं पक्षपातपूर्ण बना देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यहां अनेक मुद्दे हैं। अनेक मुद्दों पर हममें बुनियादी मतभेद हैं। जहां तक धर्म निरपेक्षता का प्रश्न है। जहां तक हमारा संबंध है हम उससे समझौता नहीं कर सकते। यहां कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके बारे में मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हम अपने विरोधी पार्टी के मित्रों के विचारों से, उनके तर्कों से कभी सहमत नहीं हो सकते। यहां कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से एक से अधिक पार्टियां सहमत हो सकती हैं। इसलिए शायद राष्ट्रीय एजेन्डा तैयार करने का समय आ गया है। मैं अत्यंत विनीत भाव से यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने देश के लिए किसी न किसी प्रकार का राष्ट्रीय एजेन्डा तैयार करने का समय आ पहुंचा है।

आज हम बिहार में घट रही घटनाओं की बात कर रहे हैं। बिहार में घट रही घटनाएं राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। आप बिहार विधान सभा को ही देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। आप जानना चाहते हैं वहां क्या हुआ ?...*(व्यवधान)* मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन इसकी खबर एक स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पत्रिका में छपा है कि जब मामले पर बिहार विधान सभा में चर्चा की जा रही थी तो कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की धोती और कुर्ता खींचने की कोशिश की। मैं उस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आप 28 जुलाई, 1997 के "इंडिया टुडे" के पृष्ठ संख्या 44 पर इसका विस्तृत ब्यौरा देख सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ सदस्यों ने उनके हाथों को काट खाया। यह कोई भी हो सकता है, क्या आपको इस पर लज्जा महसूस नहीं होती ? मेरा ख्याल है कि अध्यक्ष महोदय की धोती कुर्ता की घटना गुजरात की अंतिम घटना थी। लेकिन बिहार में नेताओं की धोती कुर्ता खींच जाना आम बात है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुंबई-उत्तर) : आपके उपदेश का कोई अर्थ नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मेरे आग्रह से भाजपा को कष्ट पहुंचा है तो मैं मौन रहूंगा।

इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। अब हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि क्या किया जाना है। मेरा सवाल अपने आप से भी है कि इसका हल क्या है ? जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है मित्रतापूर्ण सलाह और अच्छे सुझावों के अलावा राज्यपाल को कतिपय शक्तियां प्राप्त हैं। कल जब मैंने दखल दिया था तो श्री वाजपेयी जी को भी कष्ट पहुंचा होगा। मैंने कहा था कि : "जहां तक राज्य सरकारों की बात है तो आप अनुच्छेद 356 को लागू करने की बात करते हैं। परंतु

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

यदि ऐसा केन्द्र में होता तो क्या होता ? आप क्या करते ?" इस देश में एक समय ऐसा आया जब उनमें से आधे से अधिक को भ्रष्टाचार के आरोप में केन्द्र से त्याग पत्र देना पड़ा था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर सर्वाधिक गंभीर प्रकृति के आरोप थे अथवा आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तब आपने क्या किया ? मैं उन लोगों में एक हूं जो कदापि यह विश्वास नहीं करते कि केन्द्रीय मंत्री स्वतः ही ज्यादा समझदार और देश भक्त होते हैं अथवा केन्द्र सरकार स्वतः ही अधिक देश भक्त और समझदार होती हैं और इसीलिए केन्द्र सरकार कभी गलत कर ही नहीं सकती। मैं यह आशा कदापि नहीं करता कि इस दुनिया में न्यायपालिका, विधायिका अथवा कार्यपालिका से कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए यदि केन्द्र गलती करे तो तब क्या होगा ? क्या इसका कोई हल है? केन्द्र सरकार किसके क्षेत्राधिकार में आएगी ? हमें याद दिलाया जा रहा है कि हम अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं इसीलिए न्यायपालिका दखल दे रही है। क्या न्यायपालिका केन्द्र प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है ? वे रह-रहकर इसमें दखल देते जा रहे हैं और वे प्रशासन कई तरह से अपने हाथ में ले रही है। विधि सम्मत आपत्तियों के अलावा भी मुझे कुछ व्यक्तिगत आपत्तियां हैं। लेकिन केन्द्रीय प्रशासन की बागडोर कौन संभालेगा ? अन्य ताकतों का नाम लेने तक से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेष भारत में जो कुछ हो रहा है वहीं पूरे उपमहाद्वीप में हो रहा है। यहां तक कि एशिया अथवा अफ्रीका में भी हो रहा है। क्या आप न्यायपालिका का वैसा ही प्रभुत्व यहां पर भी देखना पसंद करेंगे ? इसलिए इस मामले का हल अनुच्छेद 356 को लागू करना नहीं है और न ही प्राधिकारी की राय कोई हल है। इस समस्या का हल यह है कि सिद्धांत बनाकर इसकी जड़ पर प्रहार किया जाए। सिद्धांत नियमों और विनियमों को शक्ति प्रदान करते हैं। सिद्धांत वह चीज है जो किसी शक्ति व्यक्ति पर आक्षेप या आरोप लगाए जाने की स्थिति में उसे पदावनत किया जा सकता है और सही ढंग से जांच पड़ताल की जा सकती है। उसे विधि सम्मत अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का अवसर दिया जाए। इसलिए मैं ऐसे प्रस्ताव अर्थात् "बिहार की हाल की घटनाओं पर केन्द्र सरकार की ढुल-मुल नीति" का अब भी समर्थन करता हूं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री से पूछता हूं कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए थी ?

यह अनुच्छेद 356 का लगाया जाना था अथवा राज्यपाल के द्वारा मुख्य मंत्री को हटाने का नैतिक दबाव डाला जाना था। प्रधान मंत्री का कहना है कि उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि संयुक्त मोर्चा के मेरे दल का निश्चित दृष्टिकोण है। सख्त रवैया इस मायने में है कि हम जनता दल को लगातार बाहर से समर्थन देने वालों और उसे कमजोर करने वालों का विरोध करते रहे हैं। क्योंकि वे अपने नेता बिहार के मुख्य मंत्री जिन पर गंभीर आरोप हैं, का समर्थन कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर दृढ़ हैं। लोगों का कहना है कि हम संयुक्त मोर्चा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तो संयुक्त मोर्चा के गठन के लिए लड़ने वालों में से एक हैं। हमारी पार्टी सी॰ एम॰ पी॰ का अंग रही है जिसके बिना इस देश में धर्म निरपेक्ष प्रशासन कायम नहीं रह सकता, और धर्म निरपेक्ष सरकार और सत्यनिष्ठ प्रशासन भी कायम नहीं रहेगा। धर्म निरपेक्षता के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, और न ही भ्रष्टाचार से कोई समझौता किया जा सकता है। अतः ये मौलिक मुद्दे हैं और इसलिए हमने ऐसा दृढ़ रुख अपनाया है।

लेकिन अनुच्छेद 356 को लगाना ही इसका हल नहीं हो सकता। अतः इस राष्ट्र के लिए, राजनेताओं के लिए तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अब वह समय आ गया है जब उन्हें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूढ़ने का प्रयास करना है। मेरे पास इस समस्या का रेडीमेड हल नहीं है। मेरे पास उतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं दूसरों को सलाह दूं अपितु यह वह मुद्दा है जिससे हल करने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा।

इस देश में काले धन की समस्या से निपटने के लिए अनेक सुझाव दिए जा रहे हैं। हर कोई यह कहता है कि काले धन पर कोई नियंत्रण होने के बजाय इसका प्रसार बढ़ता जा रहा है। एक दिन मैंने वित्त मंत्री महोदय को दूरदर्शन पर यह कहते हुए सुना कि काले धन के सही-सही आंकड़े बताना अत्यंत दुष्कर है लेकिन 1980 की रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़े तो उससे भी भयानक हैं। अतः इसी का यह परिणाम है। इस समस्या का क्या समाधान है ? जब तक सभी पार्टियां और इस देश के बारे में सही सोच रखने वाले प्रत्येक नागरिक एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं खोज लेता है और तत्संबंधी निर्णय नहीं ले लेता है तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता।

अपराह्न 12.46 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

मेरी दूसरी पीड़ा यह है कि यहां शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपना महत्व खोता जा रहा है। संविधान में उल्लिखित महत्वपूर्ण पंक्तियां अपनी अस्मिता खोती जा रही हैं और आज अन्य एजेंसियों तथा संगठनों को यह कहकर आमंत्रित कर रहे हैं कि वे उन क्षेत्रों में प्रवेश करें जिनमें प्रवेश करने से उन्हें भय लगता है। यहां तक कि भारत के पिछले मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अहमदी ने कहा था कि "अस्थायी तौर पर हमने आक्रामक भूमिका को अपना लिया है।" श्री चन्द्रशेखर जी ने इसके लिए "न्यायपालिका द्वारा आक्रामक भूमिका" शब्द का प्रयोग किया था। तब उन्होंने कहा था कि "मुझे आशा है कि यह अस्थायी है।" आपने यह भूमिका क्यों अदा की ? इस सबका कारण विधायिका और संसद सदस्यों की निष्क्रियता है। इसीलिए देश में चतुर्दिक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमें इसे नियंत्रित करना होगा। मैं सदैव यह कहता रहा हूं कि वह दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि उच्चतम न्यायालय के उस न्यायधीश को जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया जिस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए थी। वह दिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था जिसके कारण प्रत्येक आदमी ने अपने-अपने ढंग से अलग-अलग विचार व्यक्त किए थे। और आज

उसी कार्य को भ्रष्टाचार सहमति के रूप में लिया जा रहा है।

श्री तारिक अनवर जी का यह कहना ठीक नहीं है कि "मैं दूध का धुला हुआ हूं।" हालांकि जनसाधारण को यह विश्वास होना चाहिए कि आप दूध के धुले हुए हैं। अतः यह कार्य हम केवल अपने कार्यों, आचरण और अपने कतिपय सिद्धांतों के प्रति वचनबद्धता दर्शाकर ही कर सकते हैं।

इसलिए, महोदय, ऐसा नहीं है कि सभा में यह चर्चा बहुत जल्दी हुई है। मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता, बल्कि मैं आशा करता हूं कि सदन के इस वाद-विवाद से सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे।

अब तक इस मामले में, मैं केन्द्र सरकार में कोई दोष नहीं पाता क्योंकि केन्द्र सरकार के एक मंत्री से इस्तीफा देने को कहा गया था, जो उन्होंने दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सिफारिश या अनुरोध किया है तथा वर्तमान मुख्य मंत्री को भी उन्होंने सलाह दी है। मुझे पता नहीं है कि वहां अब मुख्य मंत्री हैं या नहीं। मुझे अब भी ये आशा है कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो अब दे देंगे। मुझे यकीन है कि खुद उनकी पार्टी में भी मुख्य मंत्रियों की कोई कमी नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : आज भी बोले हैं कि हम त्यागपत्र नहीं देंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह समय आत्ममंथन का है जो किया ही जाना चाहिए। हमें इस मामले पर अवश्य गौर करना चाहिए।

मैं निराशा का वातावरण नहीं बनाना चाहता। मेरी ये मंशा नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कोई भविष्य नहीं है। इस देश का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। भविष्य है। मैं यह नहीं कह रहा कि हम स्थिति को बदल नहीं सकते। मेरी यह मंशा नहीं है। समय आ गया है कि हम सावधानी तथा गंभीरता से इस पर गौर करें। मैं कहता हूं कि हमें खुशी है कि हमारे देश में कई नेता हैं जो इस मामले में नेतृत्व कर सकते हैं। यही समय है कि नेतृत्व प्रदान किया जाये, नेतृत्व उपलब्ध हो। मैं निराशा का ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहता कि इस देश में हर एक व्यक्ति दुष्ट है। देश में हर एक व्यक्ति दुष्ट नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ लोग व्यवस्था का इस हद तक दुरुपयोग कर रहे हैं कि संवैधानिक मर्यादा की या तो अनदेखी की जा रही है, या उस पर विवाद हो रहा है या उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

मैंने देखा कि पटना उच्च न्यायालय के निर्णय, जो कि प्रत्येक समाचार-पत्र का मुख्य समाचार है, के बाद श्री वाजपेयी का कल का भाषण तीसरा समाचार बन गया है। मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि आज प्रधानमंत्री के भाषण का अधिक प्रचार हुआ या श्री वाजपेयी के भाषण का। पटना उच्च न्यायालय का निर्णय हर समाचार-पत्र की एक महत्वपूर्ण खबर है। इसमें भी फेरबदल होना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भ्रष्ट है, बल्कि कुछ हद तक भ्रष्टाचार जरूर है। इस मामले को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः, जैसा कि मैंने कहा, इस स्थिति में हमें देश के एक तंत्र, द्वारा दूसरे तंत्र के अधिकार क्षेत्र में दखल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे असंतुलन पैदा होगा। मेरे विचार से ये देश के लिए अच्छा नहीं है।

हमें अपने कार्यक्षेत्रों में कई काम करने हैं। कुछ मुद्दों पर संसद कई कारणों से चर्चा नहीं कर सकती। प्रशासन में कम से कम समय के घटक तथा अनुशासन की कमी के बारे में आरोप जरूर हैं। इस देश में कई लोगों के लिए समय की कोई कीमत नहीं है। इस देश के लोगों ने बहुत इंतजार किया है। आज भी हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें लोगों पर ध्यान देना है तथा आर्थिक उत्थान के लिए उनकी सेवा करनी है। इस देश का युवा अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

न्यायपालिका को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। न्यायपालिका के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई लापरवाही होने पर कानूनन न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ ही, ऐसा आभास भी नहीं होना चाहिए कि जिस किसी पर भी कोई आरोप हो वो अनिवार्यतः दोषी ही हो। यह तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं बिहार के मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे अपने खिलाफ शुरू हुई कार्रवाइयों के लिए उपस्थित रहें। सामान्य स्थिति फिर से बहाल हो। यह संदेश भिजवा दिया जाए। इस संदेश को समर्थन मिलना चाहिए। हम इस मामले में समझौता नहीं कर सकते। यही समय है जब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 लागू करे। लोक सभा तथा भारतीय संसद के विवेकानुसार संदेश भेजा जाता है कि "आप दोषी हों या न हों, कृपया अपने पद की गरिमा को आंच न आने दें; आप कृपया इस्तीफा दे दें ताकि तनाव कम हो। देश तथा राज्य संबंधी मामलों को अपनी सामान्य ढंग से चलने दिया जाए।"

यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए; सांविधिक नैतिकता सर्वोच्च रहनी चाहिए। इसलिए जैसा कि हमने कहा है, मैं श्री लालू प्रसाद यादव से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस्तीफा दे दें।...*(व्यवधान)* मैं विवादास्पद मुद्दों से बचने की कोशिश करता रहा हूं। आप दबाव डालें तो बात अलग है। ये आप पर निर्भर है कि मुझे उत्तेजित करें या न करें। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ मुद्दों के बारे में हम मुद्दे के मूल का निराकरण करने के बजाय वाद-विवाद में बाजी मारने की कोशिशों में लगे हैं। वास्तव में बात यही है।

हमें आज सभा में यह संकल्प करना चाहिए कि हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों से समझौता नहीं करेगा। साथ ही, हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से अपने संविधान की अवमानना करने की अनुमति नहीं देंगे।

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। कल सभा ने यह निर्णय किया था कि विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव में बदल दिया जाए।

सभापति महोदय : इसे उक्त प्रस्ताव में बदल दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र : महोदय, इस प्रस्ताव की भाषा स्थगन प्रस्ताव के लिए उपयुक्त थी क्योंकि इस बात का निर्णय होना था कि सभा स्थगित की जाए जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की निंदा थी। नियम 191 में कहा गया, "अध्यक्ष नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन, यथास्थिति, निश्चित समय पर मूल प्रश्न पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखेगा।"...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र : मैं जानना चाहता हूं कि सभा से किस बात के निर्णय की अपेक्षा है क्योंकि इसमें कहा गया है कि "बिहार में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।" हमें क्या निर्णय करना है ? हम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे या विपक्ष में ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल सभा ने निर्णय लिया था कि इसे नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के रूप में बदल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र : मैं सहमत हूं। लेकिन इसकी भाषा को नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुकूल बनाया जाना चाहिए था।...*(व्यवधान)* सभा किस मुद्दे पर अपना निर्णय देगी ? हम किस मुद्दे पर मतदान करेंगे ? हम इस बारे में चर्चा करेंगे या इस पर निर्णय लेंगे ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये निर्णय पहले ही हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र : महोदय, कृपया प्रस्ताव पढ़िए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इसका मतलब हाउस डिसकस नहीं कर सकता। ऐसी साजिश चलती रहती है। कल भी इस पर डेढ़ घंटे बर्बाद किए गए और आज भी बर्बाद किए जा रहे हैं। ऐसा करके डिबेट का टाइम कट किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री उपेन्द्र, इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है। कृपया औरों को भी बोलने दीजिए। इसे सभा की सहमति से नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के रूप में बदले जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री उपेन्द्र जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री उपेन्द्र जी, आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसका निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। सभा की सहमति से कल ये निर्णय लिया गया था कि स्थगन प्रस्ताव को नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव में बदल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र : हम किस मुद्दे पर मतदान करेंगे ?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : ये निर्णय मतदान के समय लिया जाएगा। आप वाद-विवाद का समय बर्बाद कर रहे हैं ? आप वाद-विवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री उपेन्द्र जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

हम वाद-विवाद जारी रखेंगे। आज भोजनावकाश नहीं होगा क्योंकि हमें इसे 3.30 म॰ प॰ तक समाप्त करना है ताकि गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा की जा सके।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं अपने माननीय सहयोगी सोमनाथ चटर्जी की बात से बहुत अंश तक सहमत हूं कि यह चर्चा पर इस रूप में यहां नहीं लायी जानी चाहिए और इस संबंध में मैंने उस समय भी आपत्ति की थी कि चर्चा का विषय अस्पष्ट है। विषय कुछ है और चर्चा कुछ है। अगर भ्रष्टाचार के बारे में ही चर्चा करनी थी तो स्पष्ट रूप से धारा 356 को बिहार में लगाने की बात होनी चाहिए थी जिसका अनुमोदन विरोधी दल के नेता ने किया। उसके लिए स्पष्ट रूप से प्रस्ताव आना चाहिए था। अगर उनकी यही मंशा है तो इस रूप में चर्चा लाने से आप एक भानुमती का पिटारा खोल रहे हैं जिसमें सभी राज्य आ जाएंगे और इस तरह से सभी राज्यों की चर्चा इसी तरह से यहां पर होने की बात होगी। यह एक ऐसी परंपरा कायम की गई है जो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी। सभी

राज्यों में संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकारें हैं। वहां स्टैचुटरी बॉडी है, विधायिका है। विधान सभाओं और विधान मंडलों में जो कुछ हो रहा है, उसकी चर्चा अगर हम यहां करते हैं तो यह संवैधानिक प्रावधानों को भंग करना होगा, संविधान के विरोध में जाना होगा। अगर हम संविधान के विरोध में इस सर्वोच्च सदन में जाएं तो यह कैसी परंपरा स्थापित करने का उदाहरण हम देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ?

सभापति जी, भ्रष्टाचार के और भी मामले उठते हैं। यह ठीक है कि सी॰ बी॰ आई॰ ने बिहार के मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है लेकिन बहुत से माध्यमों ने बहुत जगह बहुत लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है जिसकी चर्चा अन्य नेताओं ने की है। इनमें राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, असम है, और भी बहुत से राज्य हैं। क्या सबकी चर्चा यहां होगी और जो उदाहरण हम यहां दे रहे हैं, उसमें तो ये सभी लपेट में आ जाएंगे। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं था कि चर्चा इस रूप में हो। चर्चा किसी और रूप में होनी चाहिए थी। जहां तक सरकार के फेल्योर का सवाल माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया, हम समझते हैं कि उसका माकूल जवाब हमारे प्रधान मंत्री ने दे ही दिया है। उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना उन्हीं बातों का दोहराना होगा। मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं।

आज साल भर से समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ, एक मुख्य मंत्री के खिलाफ माहौला बनाया गया है। लालू यादव जी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया है। मामला अभी कोर्ट में आने वाला है। इन माध्यमों से डेढ़ साल में इनका ट्रायल किया और एक आदमी को दोषी घोषित कर दिया जिसका मामला अभी न्यायालय ने टेक अप भी नहीं किया है। माननीय नेता विरोधी दल ने हमारी पार्टी में क्या उथल-पुथल हुई, उसकी चर्चा की। मैं अटल जी का बहुत सम्मान करता हूं और मेरे मन में इनके लिए बहुत आदर-सम्मान है। आप हमारे माननीय नेता भी रहे हैं जब हम जनता पार्टी में थे। आज भी हम सदन के बाहर आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते रहते हैं, परंतु क्या इस बात को उठाना यहां जरूरी था ?

आप अपने घर को ही ठीक नहीं कर पाते हैं, आपने गुजरात में देख ही लिया है। आपके प्रयासों के बावजूद भी वहां आप अपनी पार्टी की उथल-पुथल को रोक नहीं सके। तो आपको क्या अधिकार है कि आप हमारी पार्टी के बारे में इस सर्वोच्च सदन में चर्चा करें। मैं समझता हूं कि आपने अपने भाषण से हमारे मन में जो आपके लिए सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाई है। आपके सामने-खरी-खरी बातें करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु मैं विवश हूं क्योंकि आपने चर्चा उठा दी है।

कल मेरे ख्याल से माननीय नेता, विरोधी दल ने ही चर्चा की और लोकमत और लोक-लाज दोनों को जोड़ा। तो क्या कुछ लोगों के मत को ही लोकमत कह देंगे ? विधान सभा में जो चुने हुए विधायक हैं, जो कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनका मत बिल्कुल बेकार है। आप 10,15 या 20 आदमी जो विधान सभा में उपस्थित हैं, क्या वहीं लोकमत का प्रतिनिधित्व करते हैं...*(व्यवधान)* हम भी सारे लोकमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम इसका दावा भी नहीं करते हैं कि हम सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु यह दावा कर रहे हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हमारे लिए आपके मानदंड कुछ और हैं और अपने लिए आपके मानदंड कुछ और हैं..*(व्यवधान)* आप 15-20 आदमी अपने को पूरे राज्य का प्रतिनिधि मान लेते हैं और जितने विधायक हैं उनको आप समझ लेते हैं कि वे किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे इसी बात का आश्चर्य है।...*(व्यवधान)*

मुझे अंत में यह कहना है कि क्या स्टेचुटरी बॉडी को इस तरह से नकारने का आप तरीका निकाल लेंगे। सी॰ बी॰ आई॰ ने आरोप लगाया है, ठीक है, सी॰ बी॰ आई॰ जांच करने वाली संस्था है। जिस तरह से पुलिस है, उसी तरह से सी॰ बी॰ आई॰ है। परंतु क्या पुलिस के आरोप को आप सही मान लेते हैं, क्या उसका कोर्ट में फैसला नहीं होता है और अगर यही आरोप सही मान लिया जाए या दूसरों के द्वारा लगाये हुए आरोप को सही मान लिया जाए तो किसके खिलाफ आरोप नहीं हैं। इस संसद में कितने लोग हैं जिनके खिलाफ किसी न किसी माध्यम से आरोप न लगा हो। कल ही की बात है, इसी सदन में एक अशोभनीय घटना हुई और मुझे उसका खेद है कि एक माननीय सदस्य के विरुद्ध कुछ अखबारों में अनाप-शनाप अनर्गल बातें आईं। तो क्या हम उस आरोप को भी सच मान लेंगे। बहुत से लोग इस तरह से आरोप लगाते हैं। आप सी॰ बी॰ आई॰ की चर्चा करते हैं, किस सी॰ बी॰ आई॰ की चर्चा करते हैं, जिस सी॰ बी॰ आई॰ ने इस सदन के हमारे बहुत से माननीय नेता थे और हैं, जिनके खिलाफ आरोप लगाये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : जो सी॰ बी॰ आई॰ आपके प्रधान मंत्री के अधीन है, वही जांच कर रही है।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : उन आरोपों को कोर्ट ने बिल्कुल सही नहीं माना, उसकी धज्जियां उड़ा दीं। कल भी कुछ फैसले आये हैं। अब आप बताइये कि क्या सी॰ बी॰ आई॰ के आरोप को आधार मानकर हम सारे फैसले कर लें। आखिर कोर्ट की भी तो कुछ जिम्मेदारी और कार्य है। आप खुद कोर्ट के कार्य को करना चाहते हैं, मीडिया को यह कार्य करने के लिए आप उत्साहित करते हैं। इस प्रकार कोई अच्छी परंपरा तो कायम हो नहीं रही है। सभापति महोदय, इन आरोपों को मान करके मुझे तो आश्चर्य हैं कि हमारे सम्मानित सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी ने न्यायपालिका की भूमिका का उल्लेख किया। उनके अनुसार, चीफ जस्टिस ने कहा है कि न्यायपालिका ने अग्रेसिव रोल अख्तयार कर लिया है। मेरा कहना है कि इसकी कहीं-न-कहीं, कोई-न-कोई जो सीमा-रेखा या लक्ष्मण रेखा है, उसे भी पार कर दिया जाता है। क्या यह जरूरी है कि जो कोर्ट मौनिटरिंग करे, वहीं आदेश भी पारित करे ? मैं किसी की आलोचना के उद्देश्य से ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं कि जो संस्था आरोप लगाए वही फैसला भी दे। अगर ऐसा ही करना है फिर कोर्ट की क्या जरूरत है।...*(व्यवधान)* जो बातें 5-10 मिनट में नहीं कही जा सकतीं, वे सारी जिन्दगी में नहीं कही जा सकती। मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता।

[प्रो॰ अजित कुमार मेहता]

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जनता की आकांक्षाओं, जनता के मत को अगर कुछ संस्थाओं के द्वारा इस तरह नकार दिया जाएगा तो देश में जनतंत्र चल नहीं सकता। मैं यहां ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 4 या 5 दिन पहले बिहार के मुख्य मंत्री विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर चुके हैं। यहां कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों को बाहर निकाल दिया, एक क्षण के लिए मैं इसे मान भी लेता हूं लेकिन विधान सभा में उनके पक्ष में कितने वोट पड़े, आप उनकी गिनती कर लीजिए। यदि सभी विरोधी दलों के सदस्य उस समय उपस्थित रहते तो क्या उन्हें विश्वास-मत प्राप्त करने से रोक सकते थे — नहीं। आप तमाम विरोधी दलों के सदस्यों की गिनती कर लीजिए, जिनमें समता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस को भी मैं शामिल कर लेता हूं, उनकी टोटल संख्या कितनी थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जन-समर्थन प्राप्त है, लोकमत उसके पक्ष में है, एक संस्था द्वारा उसके खिलाफ आरोप लगाने का मतलब मैं समझता हूं कि आरोप लगाने वाली संस्था में कुछ निहित-स्वार्थ के लोग बैठे हैं, जिनका बाहर के लोगों से संपर्क है और उनकी कन्नाइवैंस से, वे काम कर रहे हैं। सी॰ बी॰ आई॰ के डायरेक्टर वे व्यक्ति हैं जो एक पूर्व प्रधानमंत्री के सान्निध्य में रहकर काम करते थे, उसमें एक एडीशनल डायरेक्टर ऐसे हैं, जिनकी देख-रेख में यह जांच चल रही हैं, जो पश्चिम बंगाल के एक मुख्य मंत्री के सान्निध्य में रहकर काम कर चुके हैं — ऐसी स्थिति में क्या मैं यह न मान लूं...*(व्यवधान)* जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठिये।

सभापति महोदय : मेहता जी, आप अंतिम बात कह रहे थे, अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : मेरा कहना है कि क्या इनमें कन्नाइवैंस नहीं हो सकती। इस कारण अगर एक सांवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को काम करना असंभव हो जाए, अगर ऐसी कोई संस्था उसे आरोपित करना प्रारंभ कर दे तो क्या वह काम करना बंद कर दे ?. ..*(व्यवधान)*

आप मुझे बोलने देना चाहते हैं या नहीं ? मुझे समाप्त तो करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : मेरा कहना है कि अगर इस तरह की परंपरा देश में चलती रही तो एक दिन यहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यदि लोकतांत्रिक ढंग से, लोकमत द्वारा चुने हुए किसी सांवैधानिक व्यक्ति या संस्था पर ऐसे गंभीर आरोप, कोई ब्यूरोक्रेटिक संस्था या सरकारी एजेंसी लगाती है, उनके आधार पर, जब तक उनकी कोर्ट के द्वारा संपुष्टि न हो जाए, उस सांवैधानिक संस्था या व्यक्ति के कार्यकलापों पर प्रश्न-चिन्ह लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, विपक्ष के नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव पर सी॰ बी॰ आई॰ ने चारा घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उस आरोप के बाद में बिहार के गवर्नर ने भी उनको सहमति दे दी। तब यह मामला न्यायालय में गया। जब मामला न्यायालय में गया, तो बिहार के मुख्य मंत्री ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए, तो पटना उच्च न्यायालय ने भी उनको एंटीसिपेटरी बेल देने से इंकार किया। जब ऐसी स्थिति बन गई है और जो बिहार राज्य के प्रशासन के प्रमुख हैं, जिनके हाथ में पूरे राज्य की बागडोर है, यदि उनके ऊपर ही आरोप लग जाते हैं और जब गवर्नर उनके ऊपर केस चलाने की परमीशन दे देते हैं और हाइकोर्ट बेल देने से इंकार कर देता है और जब ऐसे समय में यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है कि इस विषय में चर्चा इस सदन नहीं हो, तो फिर कहां पर होगी ?

सभापति जी, इस विषय की चर्चा में मुझ से पूर्व जिन वक्ताओं ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए, उनमें से लगभग सभी वक्ताओं ने अपने भाषणों में यह कहा है कि लालू प्रसाद जी को अपने पद से हटना चाहिए, किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया, और जब यहां पर श्री मेहता बोल रहे थे, तब मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि उन्होंने सी॰ बी॰ आई॰ पर ही आरोप लगा दिया। सी॰ बी॰ आई॰ के डायरेक्टर पर आरोप लगा दिया और ये तो सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हैं, तो इन्होंने ऐसा आरोप कैसे लगा दिया। जब कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस सदन में साफ-साफ कहा था कि जिस सी॰ बी॰ आई॰ ने श्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगाया है, उसके प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री हैं और आज जब मेहता जी सी॰ बी॰ आई॰ पर आरोप लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से तो ये सीधे-सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि सी॰ बी॰ आई॰ उनके अधीन है। उसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से मेहता जी, आप तो अपने प्रधान मंत्री के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, कल विपक्ष के नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब काम रोको प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके भाषण के बीच में सत्ता पक्ष के माननीय सांसदों द्वारा व्यवधान खड़ा किया जाता रहा, उनकी टोका-टोकी चलती रही, उन्हें बोलने से रोकने का प्रयास जारी रहा और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। विपक्ष के नेता को जब संसद में बोलने तक नहीं दिया जाता है, उनको रोका जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में क्या होता होगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महाराष्ट्र में क्या होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : महाराष्ट्र में क्या होता है, वह हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र देश के लिए एक आदर्श है। हम आपको

बताएंगे कि महाराष्ट्र में क्या होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गीते जी, आप अपना बाकी भाषण सोमवार को करें। अब आप कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

चूंकि इस विषय पर वाद-विवाद सोमवार को भी जारी रहेगा अत: यदि सदस्यगण सहमत हों तो हम भोजनावकाश कर लें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां,

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक 2.20 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.24 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.24 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या 22/97-के. उ. शु. (एन. टी.) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सिल्ली और छड़ों का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी की वार्षिक क्षमता के आधार पर इन सिल्लियों और छड़ों पर उत्पाद शुल्क संग्रहण के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 23/97- के. उ. शु. (एन. टी.) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विनिर्दिष्ट उत्पादों का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी के उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर ऐसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के संग्रहण के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) इंडक्शन फरनेस वार्षिक क्षमता अवधारण नियम, 1997, जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 24/97-के. उ. शु. (एन. टी.) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) हॉट रीरोलिंग स्टील मिल वार्षिक क्षमता अवधारण नियम, 1997, जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25/97- के. उ. शु. (एन. टी.) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना संख्या 26/97- के. उ. शु. (एन. टी.) जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय संदत्त शुल्क पर प्रत्यय की अनुमति न देने के उद्देश्य से 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94- के. उ. शु. (एन. टी.) में संशोधन करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1997, जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 27/97- के. उ. शु. (एन. टी.) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना संख्या 42/97- के. उ. शु., जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय गैर-मिश्रधातु इस्पात की विनिर्दिष्ट सिल्लियों और छड़ों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क वार्षिक उत्पादन क्षमता पर 750 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 43/97- के. उ. शु., जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय गैर-मिश्रधातु इस्पात के विनिर्दिष्ट हॉट रीरोल्ड उत्पादों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क वार्षिक क्षमता पर 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 44/97- के. उ. शु., जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 16/97- के. उ. शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना संख्या 45/97- के. उ. शु., जो 25 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 27 जून, 1997 की अधिसूचना संख्या 38/97- के. उ. शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल. टी. 2185 ए/97]

अपराह्न 2.25 बजे

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति—जारी

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष जी, कल जब विपक्ष के नेता काम रोको प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उनको यहां पर बोलने से हर वक्त रोकने की कोशिश की गई। बार-बार टोका-टाकी हो रही थी। एक घंटे के समय तक उन्होंने अपने विचार यहां प्रकट किए लेकिन एक घंटे में से एक मिनट ही मुश्किल से विपक्ष के नेता सही तौर पर बोल पाये। इस सदन के अंदर जब विपक्ष के नेता को

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

बोलने से रोका जाता है तो आप अंदाजा लगाइये कि बिहार में क्या स्थिति होगी।

हमने अखबारों में पढ़ा कि रेल मंत्री जी की गाड़ी पर हमला हुआ, जनता दल के अध्यक्ष श्री शरद यादव की गाड़ी पर हमला हुआ, पप्पू यादव पर हमला हुआ। यह स्थिति पूरे राज्य में है। आज पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक अलग-सी स्थिति पूरे राज्य में बन गई है।

कुछ दिन पहले मैं एक कमेटी के टूर पर कलकत्ता गया हुआ था। मैं आसाम जाकर आया, हिमाचल प्रदेश होकर आया। जब मैं कलकत्ता गया था तो वहां पर यह सुनाई दिया कि यहां जितने भी मजदूर हैं, सब बिहारी हैं। आसाम में भी यही सुनाई दिया कि यहां सब मजदूर बिहारी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यही सुनाई दिया। महाराष्ट्र के विदर्भ में जितनी भी कोयला खानें हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर भी बिहारी हैं। आज देश के हर बड़े राज्य में, हर बड़े शहर में काम करने वाला मजदूर बिहारी है। इसका मतलब यह है कि बिहारी जनता बिहार में नहीं रहना चाहती है, वह मजदूरी करने के लिए हर जगह जा रही है। जब एक राज्य की जनता लाखों की संख्या में मजदूरी करती है तो यह किसी राज्य के लिए गर्व की बात नहीं है। आज की स्थिति तो उससे भी ज्यादा बुरी है। राज्य का प्रमुख, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, वह अपने को बचाने के लिए पूरी सरकार की ताकत लगाएगा। वहां पर विकास कैसे होगा। वहां पर लोगों की सुनवाई कौन करेगा। ऐसी विचित्र स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसलिए जब इस विषय के बारे में चर्चा हो रही थी तो हर नेता ने यही कहा कि ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिए।

जब हमने अपने कांग्रेस के साथी श्री तारिक अनवर का भाषण सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया और न ही करना चाहती है। लेकिन आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, आप इस देश का पूरा इतिहास देखिए, पिछले 5-7 सालों में जितने भी घोटाले हुए हैं, वे कांग्रेस के राज में हुए हैं और आज ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने यहां श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण सुना। वे आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। सारा सदन प्रार्थना कर रहा है। हम यहां पर गणतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र पर चर्चा करते हैं। यह इस देश का सर्वश्रेष्ठ सदन है। इस सदन से जो विचार जाएगा वह गणतंत्र का विचार होगा। यदि सदन यह चाहता है कि उच्च पद पर काम करने वाले व्यक्ति पर कोई आरोप हो, चाहे वह मुख्य मंत्री ही हो, तो उसे पद से हट जाना चाहिए। यदि यह सदन की राय है तो यह गणतंत्र की राय है। इसके अलावा गणतंत्र की राय और क्या हो सकती है। लेकिन उसे भी नहीं माना जाता है। जब ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है तो यह सवाल उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आगे क्या करने वाले हैं उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। सी॰ बी॰ आई॰ मेरे अंडर आता है, सी॰ बी॰ आई॰ ने चार्जशीट लगाई है। हमने अपना काम पूरा किया है। केन्द्र के जो एक मंत्री उसमें शामिल थे, उनको हमने हटा दिया है।

यह आज तक इस देश की परंपरा थी। जिस परंपरा और मूल्यों की चर्चा यहां पर हमारे विपक्ष के नेता ने की। जब किसी भी बड़े मंत्री या मुख्य मंत्री पर इल्ज़ाम लगते थे तो वे स्वयं पद से हट जाते थे। यहां हमारे सामने एक उदाहरण अंतुले जी का है। वे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। यहां पर पूछा गया कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र तो इस देश के लिए एक आदर्श है। जब अंतुले जी पर इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। कोर्ट से छूट गए और आज सम्मान के साथ इस सदन में बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, महीने-दो महीने पहले की बात है, महाराष्ट्र में वहां के मंत्री पर इल्ज़ाम लगाया गया। एक सामाजिक सेवक ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तुरंत महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने उन दोनों मंत्रियों को अपने पद से हटाया। पुराणिक समिति वहां पर बिठाई गई। जब पुराणिक समिति ने भी यह रिपोर्ट दी कि प्रथम दृष्टया ये मंत्री दोषी दिखाई देते हैं तो उनको मंत्री पद से भी हटाया गया। वहां पर तुरंत इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि कोर्ट के अंदर मामला गया नहीं है, गवर्नमेंट ने समिति फोर्म की है, लेकिन उसको वहां पर हटाया गया। महाराष्ट्र एक आदर्श राज्य है और इसलिए महाराष्ट्र के खिलाफ जब यहां पर बोलते हैं तो यह आदर्श सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, यह आदर्श देश का होना चाहिए। यहां पर आडवाणी जी का जिक्र किया जाता है, जो हवाला रैकेट में छूट गये, कल उनका यहां पर जिक्र किया गया है। लालू प्रसाद को, यदि ये मुख्य मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो बेहतर यही होगा कि वे पद से हट जायें। कौन मुख्य मंत्री बनेगा, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। किसे मुख्य मंत्री बनायें, वह भी हमें देखना नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, मुख्य मंत्री को जमानत नहीं मिल रही है। आज सुनाई दिया, अब सुनाई दिया कि मुख्य मंत्री के खिलाफ वारण्ट निकला है, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो क्या होगा ? बिहार देश के बाहर नहीं है। बिहार इसी देश का एक अंग है। बिहार इस गणतंत्र में आता है और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो यह विषय इस सदन में आयेगा, नहीं तो कहां पर आयेगा ? वह चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन के रूप में हो, चाहे 184 के रूप में हो, चर्चा तो इसी सदन में होगी। इस देश के हित में, गणतंत्र के हित में, कानून और व्यवस्था के हित में, लॉ एण्ड ऑर्डर के हित में इसी सदन में चर्चा होगी। आज विरोध यहां पर किया जाता है। महाराष्ट्र के बारे में बार-बार जिक्र किया जाता है। कोई ऐसा काम महाराष्ट्र में नहीं हुआ या महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं किया, जिसके ऊपर आज उंगली उठा सकें। कोई भी काम हो,

आप बताइये, आप उठाइये,...*(व्यवधान)* दलित के रूप में कोई भी दंगा आज ढाई साल हो गये, महाराष्ट्र के अंदर सेना और भाजपा शासन है, ढाई साल में एक भी जातीय दंगा नहीं हुआ, न हिन्दू मुस्लिम हुआ, न हिन्दू दलित हुआ। एक भी जातीय दंगा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* आप बता दीजिए। एक भी दंगा नहीं हुआ, जो हुआ वह इंसीडेंट है। जो हुआ वह हादसा है और उसके ऊपर भी आज एक जज की समिति बनाई है, जो सिटिंग जज है। वे उसके ऊपर...*(व्यवधान)* वह तो पुलिस पर एक हादसा था, वह कोई दंगा नहीं था, वह प्री-प्लांट नहीं था। जो सत्य है, वह बाहर आयेगा। सिटिंग जज को बिठाया गया है, वह आपके सामने, समाज के सामने, देश के सामने आने वाला है। लेकिन जब भ्रष्टाचार का आरोप होता है, मुख्य मंत्री पर होता है, उनके साथ काम करने वाले अन्य साथ मंत्रियों पर होता है और इसके बावजूद भी यदि मुख्य मंत्री अपने पद से नहीं हटना चाहते हैं तो क्या किया जाये, यह सबसे बड़ी समस्या है और इसका जवाब इस देश को देना है। यह सर्वोच्च सभागृह ही इस सवाल का जवाब दे सकता है और इसका जवाब हमारे प्रधान मंत्री ही दे सकते हैं, इसलिए जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, आज जो पूरे देश की चिंता का विषय है और वह व्यक्ति जो आज पूरे देश के सामने समस्या का स्वरूप बनकर खड़ा हो गया है, मैं एक वर्ष पहले उसी क्षेत्र से आया हूं, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था।

आज सब कार्य स्थगन का प्रस्ताव वाजपेयी जी द्वारा लाया गया और साथ-साथ मैंने भी कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया तो इस चिंता के सामने और जब विपक्ष के नेता का भाषण हुआ तो प्रधान मंत्री उठकर तुरंत जवाब देने लगे और तत्क्षण मैं सोचता रहा। मुझे एक तरफ बिहार का चित्र, एक तरफ पूरे बिहार का दृश्य और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य यहां पर सुनने को मिलता रहा और जिस प्रकार से भार के प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। ऐसा लगा कि यहां कोई संत चला आया है, कोई महात्मा चला आया है और उसके ऊपर देश की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह सब की अंतरात्मा को पुकार-पुकार सच्चाई की बात की शुरुआत करायेगा। उन्होंने कई बातें कहीं और उनकी शुरुआत जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने दो-तीन बातें बड़े स्पष्ट रूप से कही थीं। उन्होंने कहा कि :

[अनुवाद]

मैं बदले की भावना से कार्य नहीं करूंगा। मैं निष्पक्ष रहूंगा। मैं भ्रष्ट व्यक्तियों को दण्ड दूंगा। और उनको बार-बार दोहराते रहे।

[हिन्दी]

और कल वे इस बात का भी क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि बिहार में जो सी॰ बी॰ आई॰ ने किया, सी॰ बी॰ आई॰ किसकी जांच एजेंसी है।

सी॰ बी॰ आई॰ ने आरोप पत्र दाखिल किया और उन्होंने दावे के साथ कहा कि सी॰ बी॰ आई॰ किसकी एजेंसी है। सी॰ बी॰ आई॰ प्रधान मंत्री के कार्यालय से चलती है, तो मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इतने जोरदार शब्दों में जब वे कह रहे थे तो उस दिन क्या हुआ जब सी॰ बी॰ आई॰ का एक पदाधिकारी हाई कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहता है कि पूरे पटना शहर में चारों तरफ हथियारों से लैस लोग घूम रहे हैं और सी॰ बी॰ आई॰ के अधिकारियों की जान लिए जाने का खतरा है। प्रधानमंत्री जी आप किस तरह की सुरक्षा अपने अधिकारियों को देंगे ? हाई कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी और इसकी सूचना उन्होंने केन्द्र सरकार को भेजी। इस संदर्भ में हाई कोर्ट की टिप्पणी को मैं प्रधान मंत्री के कान में पहुंचा देना चाहूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा :

[अनुवाद]

इस मामले को दबाए जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं तथा हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे।

[हिन्दी]

देश की खुफिया एजेंसी इन तक संवाद पहुंचाती है। हाई कोर्ट का जज कह रहा है :

[अनुवाद]

इस जांच को दबाए जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी आप उस कार्यालय के मालिक भी हैं। एक तरफ हाई कोर्ट को जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है इस बात को कहने के लिए कि इस काम को केन्द्र से विवाद पैदा किया जा रहा है। आप स्वच्छ हैं, आपकी चिंता देश के सामने है। आपने बड़े-बड़े शेक्सपीयराना अंदाज में कहना शुरू कर दिया, मैंने शेक्सपीयर को पढ़ा है, वही स्टाइल, वही तल्खी में प्रधानमंत्री जी कहते चले जा रहे थे। जब इतनी ही सच्चाई आपमें थी तो बेचारे जोगिन्द्र सिंह का क्या कसूर था, उन्हीं के समय में आरोप पत्र दाखिल हुआ था, चलने देते। एक तरफ आपकी कार्यावधि में आपके विभाग में आपने नया सी॰ बी॰ आई॰ निदेशक पदस्थापित किया, जिसका नाम शर्मा है। उन्होंने आते ही पहला वक्तव्य दिया कि मैं राजनीतिज्ञों पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा। इसके पीछे क्या मंतव्य था, इसके पीछे क्या सोच थी, इसके पीछे क्या निष्ठा थी ? प्रधान मंत्री ने कितनी ही ऐसी बातें और भी कहीं। इस देश में जहां 90 करोड़ लोग रहते हैं और इस देश का प्रधान मंत्री इस कोने में खड़ा होकर बिलखता रहे, कलपता रहे और रोता रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बिहार का मुख्य मंत्री आज रात यह घोषणा कर दे कि बिहार इस गणतंत्र से बाहर है तो क्या इसी तरह से आप रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे ? बगल में होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, केबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें वे कहते हैं कि धारा 356 नहीं लगाएंगे। रोज खुफिया संवाद प्राप्त होता है। यू॰

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

एफ॰ बैठी हुई है, 14 दलों की सरकार बैठी हुई है, एक-एक व्यक्ति उसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। सोमनाथ जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की। आज इस देश में यह स्थिति हो गई कि चोर-लुटेरों, हत्यारों के सामने देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग यहां खड़े होकर निवेदन करें। जैसे घर में सब कुछ लुट गया हो। फिर उस पर देश चलाने की बात कर रहे हैं, प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं।

अभी तो यह सिर्फ 950 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसके अलावा अलकतरा का 450 करोड़ रुपए का घोटाला है, दवा का 300 करोड़ रुपए का घोटाला है, शिक्षा घोटाला 350 करोड़ रुपए का है, मैं कहां से शुरू करूं, कहां अंत करूं, समझ में नहीं आता। क्या हम उस बिहार की कल्पना कर रहे हैं ? पिछले साल भर से सदन में जब भी कोई विकास का मुद्दा आता है तो बिहार सामने आता है। बिहार में पिछड़ापन हो, पैसे का अभाव हो, चर्चा में आता है। प्रधान मंत्री जी इस वक्त सदन में मौजूद नहीं हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था, प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है।

[हिन्दी]

यह क्या होता है ? एक माननीय सदस्य, एक माननीय विधायक, आज एक नहीं तीन-तीन विधायक जो बिहार विधान सभा में हैं, वे जेल में बंद हैं। उसी आरोप में दूसरा व्यक्ति उस राज्य में वहां की सत्ता में बैठा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : किस पार्टी के हैं ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : आप और हम सब लोग हैं, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता तो संविधान की रक्षा करने की है। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आडवाणी जी ने सी॰ बी॰ आई॰ के बारे में क्या कहा था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मि॰ यादव, हर चीज पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से जवाब आ जाएगा, वह दे देंगे।

श्री राम कृपाल यादव : वह तो मैं दूंगा ही।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री राम कृपाल यादव : जब मैं बोलूं तो ये लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, कामन-मिनिमम-प्रोग्राम के तहत जब संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई और उसमें सभी राज्यों के मुख्य मंत्री आए कि धारा 356 का उपयोग कब करेंगे ? धारा 356 का उपयोग तब करेंगे, जब टैरेरिज्म का प्रभाव बढ़ेगा। धारा 356 का प्रयोग तब करेंगे, जब सैक्युलरिज्म पर खतरा आएगा। आज भारत के राष्ट्रपति जी शपथ ले रहे थे। सोमनाथ जी ने भी उसको पढ़ा और मैंने भी सोचा था कि मैं भी उस चीज को कहूंगा। मैं उसको कोट करना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा।

[अनुवाद]

उन्होंने गांधी जी, द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पहले कहे गए वक्तव्य को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना आपराधिक है। क्या हम इसे भारत के प्रधान मंत्री के मामले में अपना सकते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जो राज्य का मुख्य मंत्री है तथा जिस पर पूर्णतः भ्रष्ट होने का आरोप है। क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा उस वक्त जो कुछ भी कहा गया उसका आज यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति को दूर रखकर संरक्षण प्रदान किया जाना भी आपराधिक है। यही मेरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

कल प्रधान मंत्री ने वाजपेयी जी के बारे में संबोधन में कहा कि उन्होंने राज्यपाल के विषय के बारे में चर्चा करके गलत किया। मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। संविधान की धारा 159 में राज्यपाल संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ लेता है और धारा 164 के तहत मंत्री परिषद् का पद गवर्नर के प्लैज़र पर कार्य करता है। जब चार्जशीट की स्वीकृति देनी थी, तो गवर्नर तीस दिन तक संबंधित कागजों को पढ़ते रहे। संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने कहा कि चार्जशीट पेश की जाए। क्या उस समय उनका प्लैज़र समाप्त नहीं हो गया था? क्या राज्य के गवर्नर की यह भूमिका नहीं बनती है, जब उन्होंने यह पाया कि वे चार्जशीट देने के योग्य हैं और उस परिस्थिति में मंत्री परिषद् के बने रहने का क्या औचित्य है ? इसकी चर्चा सदन में की जाए, तो प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है और विपक्ष के नेता को गवर्नर की चर्चा यहां पर नहीं करनी चाहिए थी। आज बिहार के लिए यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज वारण्ट इश्यू हो चुका है और केन्द्रीय सरकार यहां बैठी हुई सब बातें सुन रही है। चर्चा में हम लोग इस बात को बार-बार कह रहे हैं कि बिहार के मुख्य मंत्री कुर्सी पर बैठे हुए गिरफ्तार किए जायें। अगर इतनी सी बात है, तो सोमनाथ जी कहते हैं कि हम किसी प्रकार से भी संविधान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उधर बिहार में डी॰ जी॰ पी॰ को पिछले नौ महीने में तीन बार एक्सटैंशन दिया जाता है और मुख्य मंत्री बार-बार डी॰ जी॰ को बुलाकर कहते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कि अगले तीन महीने का विस्तार मैं दे रहा हूं, अगर केन्द्र का बल मेरे दरवाजे घुसेगा, तो गोली चलाओगे ? वह कहता है—हुजूर, मैं तैयार हूं, आप तीन महीने की मौहलत तो दीजिए। अगर फौज घुस गई, तो बिहार की फौज लगाकर के उसको ठड़ा दूंगा। क्या प्रधान मंत्री जी उस वक्त का

इंतजार कर रहे हैं ? गृह मंत्री भूल गए, बिहार का बी॰ एम॰ पी-I का गोरखा जवान बिहार भवन जे॰ एन॰ यू॰ के छात्रों पर अनाधिकृत रूप से गोली चला सकता है, यहीं दिल्ली की धरती पर आपसे छः किलोमीटर की दूरी पर गोली चला सकता है, तो बिहार तो यहां से एक हजार किलोमीटर की दूरी पर है और मुख्य मंत्री की सुरक्षा करने के लिए वहां तो डी॰ जी॰ भी बैठा हुआ है, जिसको तीन-तीन महीने के विस्तार दिया जाता है। गिरफ्तारी का समय आ रहा है और उनकी फौज तैयार है। यह है आपकी व्यवस्था, आपकी सोच और आपका नियंत्रण। बिहार पूरे भारत का कलेजा है और वहां पर गड्ढा खोदा जा रहा है। पूरे भारत को जोड़ने वाला बिहार है। बिहार शरीर का एक मुख्य भाग है। उसको बंद करना चाह रहे हैं। उसके संचार को रोकना चाह रहे हैं। अगर उस जगह खून का संचार नहीं हुआ, तो वह भारतवर्ष से टूट जाएगा और जो लोग कामन-मिनिमम-प्रोग्राम डिसइन्टीग्रेशन लेकर चलते हैं, वे उसके जिम्मेदार होंगे।

गृह मंत्री जी सदन में हैं और रेल मंत्री जी उनके बगल में बैठते हैं।

इन्होंने एक बार इसी सदन में कहा था कि 17 गोलियां चलीं और आपको कुछ नहीं हुआ। राम विलास जी लौट आए उन पर बम चला, कुछ नहीं हुआ। आप भूल गए, उनको उस दिन चिंता थी। आज केन्द्र का मंत्री बिहार में जाता है। स्थिति वही है बिहार में जब केन्द्र का मंत्री जाता है तो आर॰ पी॰ एफ॰ को इंस्ट्रक्शंस देता है कि मेरी सुरक्षा करो। बिहार का डी॰ जी॰ कहता है कि राम विलास जी आ रहे हैं, मुख्य मंत्री जी क्या करूं-"तो लगा दो अपनी फौज अलग से, हो जाए युद्ध देख लेंगे।" कहते थे कैसे गोली चली। बिहार में कैसे होता है। संविधान के रक्षक मंत्री जी यहां बैठे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कथित तीन-तीन मंत्री यहां बैठे हैं। अगर बिहार के मुख्य मंत्री को संविधान का इतना ज्ञान होता है और उनके प्रतिनिधियों को इतना ज्ञान होता तो भारत सरकार की एक मंत्री लोकसभा के बाहर खड़ी होकर नारा न लगाती। आज से तीन दिन के भीतर, पिछले दो दिनों में अखबारों में छपा था कि बिहार की एक मंत्री इसी सरकार में रहते रोड़ पर खड़ी होकर नारे लगा रही थी। ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे और भारत सरकार बैठ कर देख रही है कि किस प्रकार से बिहार में संविधान की रक्षा हो, सोचना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चे के लोगों को सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या-क्या घोषणा की, किस तरह से यह देश को चला रहे हैं।

महोदय, यहां सोमनाथ जी नहीं हैं, निवेदन करते-करते थक गए। मैं जानता हूं प्रधान मंत्री जी के साथ भी दिक्कत है। मुझे उस दिन का भी पता है, मैं जानता हूं अब वहां के सदस्य चीखेंगे जिस तरह से बिहार भवन में अपनी सदस्यता के लिए, अपनी राज्यसभा में जाने के लिए बेचारे मंत्री जी खड़े थे। सब जानते हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है और मैं भी जानता हूं। वह बिलखते हैं जैसे परिवार का बच्चा बेकार हो जाए, खराब हो जाए, नालायक हो जाए तो दुख होता है। वह दुनिया के सामने कह चुके हैं कि मेरा बेटा नालायक हो चुका है तो जाने दीजिए जेल, शायद आपका भी भविष्य और उसका भी भविष्य उसी से जुड़ा हुआ है। क्यों रोक रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ? घबराहट सी पैदा हो जाती है। मैं जानता हूं कि विपक्ष के लोग बैठे हैं, संयुक्त मोर्चे में चिंता होती है, बात करते हैं लेकिन घबराहट होती है कि चुनाव लड़ने जाना है। बिहार के मुख्य मंत्री के बिना संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसकी चिंता भी उनको बार-बार सताती रहती है। सब तरफ से भाषण हुए हैं, भाषणों का सिलसिला चलता रहता है, चर्चाएं चलती रहती हैं।

महोदय, मैं कुछ और बिन्दु आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस वाले हमारे बगल में बैठे हैं, इसमें बड़े मित्र बैठते हैं। ये लोग समय-समय पर कुछ मुद्दों पर हमें समर्थन भी देते हैं। मैं जानता हूं जब सरकार बनी तो शुरुआत यह थी यहां बैठेंगे लेकिन ये आहिस्ते-आहिस्ते खिसक कर वहां चले जाएंगे, ये न वहां पहुंच पाए, न इधर पहुंच पाए और बीच में 30 मार्च को अटक गए। पता नहीं क्या कारण था, क्या नहीं था। पूरे देश को झकझोर दिया, एक-एक पाया, खंभा हिला दिया और सरकार गिरा दी क्यों, मात्र जो एक व्यक्ति बेचारा कोने में बैठा था, बेचारे देवेगोड़ा साहब इस समय यहां नहीं हैं। सब तरसते-बिलखते रहे। उसने अपने राज में घोटाला नहीं किया था, उसने ऐसा कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं किया था। कुछ लोगों को कठिनाई हो रही थी, यहां की और बिहार के मुख्य मंत्री की साझेदारी थी इसलिए वे बेचारे चले गए। उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ जोगिन्दर सिंह को कह दिया था कि जाओ ईमानदारी से काम करो। उनको हटा दिया। आज बगल में बैठे हुए हमारे कांग्रेसी ये घोषणा करते हैं कि लालू को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज राष्ट्रीय हित का सवाल है, पूरे देश के हित का सवाल है, आज शाम को कह दो कि लालू को हटाओ, नहीं तो हम शाम को समर्थन वापस लेंगे। इससे घबराहट हो जाती है, परेशानी हो जाती है। आप एक बार चुनौती देकर देखो, राष्ट्रीय हित की वजह से वह चुनौती देकर देखो, फिर आपकी छवि उभरेगी। आप यहां बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे और बाकी बीच में कहीं नजर नहीं आएंगे।

महोदय, बिहार में सरकार विश्वास मत लेने गई। कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, आपको भी चिंता होनी चाहिए, बहुत बड़ी पार्टी है। मैं सदन के सामने बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस सदन में रहती तो 29 में से 20 भाजपा के और समता के साथ सदन में साथ देने के लिए तैयार थे। और 19 दल थे जनता दल के साथ जाने को और इनका अपना अस्तित्व बचा हुआ था। लेकिन भाग खड़े हुए। सदन के सचेतक ने कहा, बाहर रहेंगे। यह सच्चाई है कांग्रेस की बिहार में और आज आप उनको मुद्दा बना रहे हैं। आपका अस्तित्व कहां है ? उधर बेचारे झारखंडी जो पहले यहां पर कई बैठते थे। इस बार बेचारा एक जीतकर आया और वह भी साल भर जेल में रहा। फिर उन गरीब लोगों की इन लोगों ने व्यवस्था कर दी है। इस बार भी कुछ दे दिया है, इस बार भी कुछ ले लिया है और फिर एक बार उनको जेल भिजवा दिया है। मुझे चिंता है उनकी। वे बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। देश के प्रति उनका दायित्व रहता है, वे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये लोग मिल-जुलकर उनकी मासूमियत का लाभ उठाते हैं

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

और बार-बार उनको जेल में भिजवाने की व्यवस्था करते रहते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वहां पर इस बार विश्वास-मत प्राप्त किया गया, उसे पूरे देश को देखना होगा। किस प्रकार से उन लोगों के साथ हुआ। कहा गया कि तुमको हैलीकोप्टर दे देंगे। उन्होंने कभी हैलीकोप्टर नहीं देखा। कहा, जहाज दे देंगे, जहाज मिलेगा। कहा कि बना दो पूरा एक झारखंड राज्य और आहिस्ता से एक क्लॉज जोड़ दिया उसमें कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल से भी उसमें थोड़ा-थोड़ा लेना होगा। एक तरह से दे दिया झारखंड और हवा में बना दिया राज्य का मुख्य मंत्री...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : ये ज्यादा टाइम ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी पार्टी का टाइम ले रहे हैं। आप चुप बैठ जाइये प्लीज। प्लीज बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, तारिक जी अभी यहां नहीं है। यहां पर बड़ा अच्छा उनका वक्तव्य रहा। वे बार-बार कहते रहे कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें बेईमान का साथ नहीं देना चाहिए। वे राज्य के अध्यक्ष रहे और अभी अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं। वे यह कहकर चले गये, लेकिन एक बात के लिए उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे अंत में इनको एक बार चुनौती दे दें कि इस बार अपना रास्ता सुलझा लें। आज संयुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है। सब लोग शाम को बैठेंगे और एक डेट और तय कर देंगे, क्योंकि जो आदमी तय करेगा वही दक्षिण में पहुंचकर कुछ विपरीत बयान दे देगा। कोई उत्तर में चला जाएगा और विपरीत बयान दे देगा। कैसी हास्यास्पद स्थिति है यह ? हमारे जनता दल के चिंतक बैठे हैं। जब वे बोलते हैं तो सदन में चिंता-ही-चिंता उत्पन्न होती है। अभी शायद माननीय शरद यादव जी किसी दुनिया में डूबे हुए हैं। चिंता-ही-चिंता इनके चेहरे पर है। मुझे चिंता उन राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों की भी है जिनको लगता होगा कि कहीं जल्दी इस्तीफा दे देते तो हम यहां बने रह जाते।...*(व्यवधान)*

खाद्य और उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत ?

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : रूल ही बता रहे हैं। नियम के तहत यह स्पष्ट है कि कोई भी माननीय सदस्य अप्रासंगिक वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे और किसी भी पार्टी पर लांछन नहीं लगा देंगे और कोई मंत्री सदन में बैठे हों तो उनके संबंध में अनावश्यक जिद नहीं करेंगे। यह घोषित नियम है, परंपरा है, मान्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप कौन से रूल के तहत बोल रहे हैं। यह बताइये।

श्री राम कृपाल यादव : रूल के तहत ही बोल रहे हैं। जब विषयांतर हो तो बोलना ही पड़ेगा। यह तो परम्परा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, जो इस एक सप्ताह की सदन की कार्यवाही से अवगत हैं उन्हें पता है कि विषय क्या है। उन्हें इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री रूडी कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य के मन में जो आए वह बोलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप संसद के एक माननीय सदस्य है। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

आप कैबिनेट में हैं, आप बैठ जाइये।

श्री राम कृपाल यादव : यहां तो विषयांतर हो रहा है, हम क्यों चुप बैठें ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : क्यों बैठ जाएं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, अब बैठ जाइये। सिट डाउन नाउ।

श्री राम कृपाल यादव : क्यों सिट डाउन सर, आप हमें निकालिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे मजबूर न करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप हम लोगों को यहां से निकालिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपने स्थान पर बैठना होगा। यह अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप हम लोगों को यहां से पहले निकालिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया सीमा का उल्लंघन न करें। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जेना जी। इनकी पार्टी का लीडर कौन है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब बैठिए। आपकी बात हो गई है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सीमा का उल्लंघन न करें। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप रूल कोट कर रहे हैं। आपने पहले अपनी बात कह दी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं नियमावली देखकर कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं तथा मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बात पहले कह चुके हैं। अब रूल पढ़ रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं आसन को चुनौती नहीं देना चाहता। नियम कहने का मुझे भी अधिकार है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने पहले पूछा तो आपने बताया नहीं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं फिर रिकवैस्ट करता हूं कि आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी, अब आप कनक्लूड करिए।

श्री राजीव प्रताप रुडी : महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी बात सुनकर इनके मन को बहुत पीड़ा पहुंच रही है। मेरी चिंता पूरे सदन के साथ है। हम आजादी के पचासवें वर्ष में प्रवेश होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि बिहार के साथ क्या-क्या कठिनाइयां हैं ? मैं भी बिहार से आता हूं। वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उनको वहां मोक्ष मिला। महावीर को वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु गोविन्द सिंह जी ने सिख धर्म की शुरुआत वहीं से की लेकिन एक भी बिहारी ने बुद्धिस्ट धर्म को नहीं अपनाया, एक बिहारी महावीर नहीं बना, एक बिहारी सिख नहीं बना। जहां भगवान जन्म ले चुके हैं वहां हमारे प्रधान मंत्री की अपील से क्या होगा ? जब भगवान ने हम जैसे लोगों पर कृपा नहीं की तो हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की कृपा से कैसे वह राज्य चलेगा ? मैं यह समझ नहीं सकता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, बीच में टीका-टिप्पणी हो जाती है तो भाषांतर हो जाता है। मैं आज चिंतित हूं। हम आज आजादी के पचासवें वर्ष में प्रवेश होने जा रहे हैं। मैं बिहार की रक्षा के लिए, मान-मर्यादा के लिए और प्रतिष्ठा के लिए अपनी एक-एक ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में बिहार एक हास्य का विषय बन गया है। जहां से पूरे विश्व का इतिहास जाना जाता है, जहां से प्रजातंत्र की कहानी जानी जाती है, वह आज मजाक का विषय बन गया है। मुझे ये सब देखकर पीड़ा होती है। जब हम ट्रेन में जाते हैं और सड़कों पर घूमते हैं तो सब बिहार की तरफ इशारा करते हैं। बिहार की आज जो हालत है, उसके लिए मात्र यही सरकार जिम्मेदार नहीं है। वहां लोग मारे जा रहे हैं, वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और वहां हथियार प्रवेश कर रहे हैं। वहां सरकार के पास धन नहीं है। वहां आज जो परिस्थिति है, मैं भी उससे चिंतित हूं। बिहार को अलग-थलग करके देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिहार को वर्तमान परिस्थिति से उबारना होगा। मैं लोगों से, यहां बैठे मंत्रियों और लोग सभा के सभी

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने दिन-रात इस महानुभाव से यह आग्रह किया कि इस्तीफा दे दो। इन्द्रजीत गुप्त जी ने कभी इंदौर में और कभी दिल्ली में कहा कि इस्तीफा दे दो लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब निर्णय का समय आता है तो धारा 356 की विशेष बातें कहनी शुरू कर दी जाती हैं। आप कहते हैं कि हम अपनी लिमिट क्रांस नहीं करेंगे। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि संविधान को फिर से लिखना पड़ेगा। जब बिहार के मुख्य मंत्री को सी॰ बी॰ आई॰ के लोग गिरफ्तार करने जा रहे हों तो संविधान को फिर से लिखना पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी अवलिम्ब आज और अभी की जाए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष जी, बिहार के एम॰ एल॰ एज़ को वहां के मुख्य मंत्री ने एक-एक सोने की घड़ी दी है....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पिनाकी मिश्र को बुलाया है, आपको नहीं बोला है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उपाध्यक्ष जी, जिन-जिन एम॰ एल॰ एज़ ने लिया है और उनमें ये भी हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता द्वारा रखे प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरे वरिष्ठ साथी, श्री तारिक अनवर ने पहले ही मेरे दल का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है।

यह सभा में बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में किसी व्यक्ति के पक्ष में वकालत नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले में मुख्य अपराधी मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव की वकालत नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले ही कार्यकारिणी समिति, अथवा यों कहिये कि संचालन समिति में स्पष्ट कर दिया था। और अब मेरे माननीय मित्र श्री तारिक अनवर ने इस सदन में यह बात स्पष्ट की है। कांग्रेस पार्टी की अपनी यह स्पष्ट स्थिति है कि बिहार में मामला बहुत आगे बढ़ गया है और अब यह उचित है कि मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता द्वारा उठाये गये विषय में तथ्य है कि और मैं समझता हूं कि हमें इस मामले पर सभा में चर्चा करनी चाहिए। ये मामले विशेषकर दो पहलुओं में विभक्त हैं—वैधानिक और संवैधानिक पहलू और नैतिक पहलू, जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से संबंधित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह हमेशा आरोप लगाते हैं कि पार्टी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी बहुधा दोहरी भाषा और मानदण्ड अपनाती है। जनता को दिखाने के लिए उसके अलग दांत हैं और अपने अस्तित्व और राजनीति के आधारभूत तर्कसम्मत कार्य के लिए उसके भीतर के दांत और हैं। परंतु हमने विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी, को हमेशा इस आरोप से मुक्त रखा है मैं समझता हूं, कुल मिलाकर किसी ने भी उन पर दोषारोपण नहीं किया है। व्यक्तिगत तौर पर सभी ने कहा है कि वह एक अनुपम राजनयिक हैं जिनका सार्वजनिक जीवन अपने अनेक समकालिक नेताओं से काफी ऊपर है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी कारण कल विपक्ष के माननीय नेता द्वारा व्यक्त किये गये विचार पर मुझे आश्चर्य हुआ।

मैं समझता हूं कि अपनी पार्टी की राजनीति तथा पार्टी के आंतरिक दबाव पर उन्हें स्थगन प्रस्ताव लाने के लिये बाध्य किया गया था। इस प्रस्ताव के गुण-दोषों पर टिप्पणी नहीं कर मैं यह कहना चाहता हूं कि वे स्थगन प्रस्ताव जिसे कि नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव में परिवर्तित किया गया प्रस्तुत करने में असहज महसूज कर रहे थे। यह ठीक ही हुआ जैसा कि श्री चटर्जी ने भी कल उल्लेख किया था, आरंभ में, उनके लिए इस प्रस्ताव के लिये समर्थन जुटाना असंभव था कि केंद्र सरकार को कुछ कार्य करना था, इसने यह नहीं किया, अतः सभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया। यह विवादित प्रश्न था परंतु अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी। इसलिए हमें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। परंतु, स्थगन प्रस्ताव लाने की एक गलती को छिपाने के लिये उन्होंने दो-एक त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव लाकर दूसरी गलतियां करते गए और मैं सोचता हूं कि यदि यह प्रस्ताव विपक्ष के नेता की तरफ से न आया होता, तो वास्तव में यह भ्रामक होता।

पहले, उन्होंने यह कहा कि धारा 356 का प्रयोग कर उस सरकार को जिसने दो दिन या एक सप्ताह अथवा दस दिन पूर्व बिहार विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, बर्खास्त किया जाये। यह उनका पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव यह था कि यदि माननीय राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट नहीं देते कि राज्य में कानून और व्यवस्था ठप्प हो गई है, तो यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस संबंध में राज्यपाल से प्रतिवेदन मांगे। ये दोनों प्रस्ताव संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और अनुच्छेद 356 के विनिर्माण और उसके कार्यान्वयन के मूल सिद्धांतों का भी पूरी तरह उल्लंघन करते हैं।

जैसा कि पिछले पचास वर्षों में देखा गया, इस सभा में ये मामले उठाये गये हैं और उन पर चर्चा हुई है। परंतु मुझे सबसे अधिक दुःख इस बात का है कि जब हम सभा में कांग्रेस पार्टी की सीटों पर, सत्ता पक्ष पर बैठते थे, तो हमने वर्षों तक विपक्ष के नेता और अन्य दलों के अन्य नेताओं द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस की निन्दा और बदनाम करते हुए सुना। परंतु जब भी गैर-कांग्रेसी दल सत्ता में आई। चाहे वह 1977 में जब 16 राज्य सरकारों को केन्द्र में उस दल की सरकार ने एक साथ बर्खास्त किया, या 1989 में हो अथवा 1996 में हो, हमने देखा है कि पिछले 50 वर्ष जब हम सत्ता में थे तो उसकी तुलना में गैर-कांग्रेसी सरकार ने अनुच्छेद 356 का उपयोग अधिक बार किया है। मैं कुछ जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि

जब आदमी को स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखना पड़े तब तो उसे वास्तविक कष्ट का ज्ञान होता है।

श्री वाजपेयी क्या यह भूल गये कि गुजरात में एक वर्ष पूर्व क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कथित रूप से वहां विश्वास का मत प्राप्त कर लिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने लगभग एक सप्ताह तक सभा को चलने नहीं दिया। सरकार ने प्रतिवेदन भेजा कि वहां कानून और व्यवस्था खराब हो गई है। इस वजह से सरकार को बर्खास्त किया गया। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर जो हो-हल्ला मचाया गया था, उसे आप भूल गये ? भाजपा किस मुंह से इस सभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में यह कहती है कि अनुच्छेद 356 का कभी दुरुपयोग हो सकता है, कभी सदुपयोग हो सकता है। परिस्थिति बदल सकती है और इसे लागू करने की परिस्थितियां भी भिन्न हो सकती हैं ?

यह मामला है जो लिखित रूप से केन्द्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है। आप राज्यपाल से रिपोर्ट नहीं मांग सकते। अत: सभी दृष्टिकोणों से, मैं सोचता हूं कि कल विपक्ष के नेता ने इन दो प्रस्तावों को लाने में भारी गलती की है—पहला प्रस्ताव था कि जिस सरकार ने एक सप्ताह या दस दिन पूर्व अपना बहुमत प्राप्त किया उसे अनुच्छेद 356 के द्वारा बर्खास्त किया जाये। वे कहते हैं कि ऐसा करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा प्रस्ताव यह है कि यदि राज्यपाल से रिपोर्ट नहीं आती है तो यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे। बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से हम इन प्रस्तावों से बिल्कुल असहमत हैं क्योंकि भविष्य में इन प्रस्तावों के घातक परिणाम होंगे।

महोदय, मैं नैतिक पहलू का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नैतिक पहलू क्या है ? सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी ही एक पहलू होती है। एक बात पर कोई प्रश्न नहीं है। मैं संबद्ध व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। जहां तक प्रचार माध्यम, राजनीति का प्रश्न है। आज बिहार के मुख्य मंत्री अत्यंत निन्दनीय व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए उन्हें स्वयं को दोषी मानना चाहिए। मैं समझता हूं कि विगत के कई वर्षों में सार्वजनिक कार्यों, अपने समकालिकों और अपने साथियों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। उनका बुरा व्यवहार हमने भी देखा है। मैं सोचता हूं कि इसी वजह से उनके प्रति सहानुभूति कम हो गई है।

हमें याद है, दो माह पूर्व मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। मंत्रिमंडल में काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक-दो मंत्री ऐसे थे जो अत्यंत ईमानदार थे और उन्हें ईमानदार समझा भी जाता था। परंतु बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा कि वह उनका चेहरा नहीं देखना चाहते और उन्हें मंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया। श्री यादव यहां हैं मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इन तथ्यों को जानता है उन्होंने गत कई वर्षों से इसी आचार-संहिता का प्रदर्शन किया है। नौकरशाहों ने आकर हमें बताया है कि जब वे अपने कक्ष में बैठे होते हैं तो केवल एक कुर्सी उनके लिए होती है और दूसरी कुर्सी 30-40 फुट दूरी पर होती है। मुख्य सचिव अथवा पुलिस महानिदशेक हो जो कोई उनके पास आता है, उसे उनके सामने खड़े होकर आदेश लेने पड़ते हैं। ऐसा आचरण तो मध्यकालीन सम्राट करते थे। कदाचित उनका ऐसा करना गलत था। इसी कारण यहां उनके प्रति सहानुभूति काफी कम है।

मैं कल बड़ी दिलचस्पी के साथ श्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री के बीच हो रही नोंक-झोंक को सुन रहा था। उनमें से एक यह कह रहे थे "वह आपके संरक्षक थे वह आपके मित्र थे" दूसरे कह रहे थे "मुझे उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत आपको है।" इस सभा के अनेक सदस्यों ने किसी-न-किसी समय बिहार के मुख्य मंत्री से मदद ली है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिये मैं किसी खास व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। परंतु जब उन लोगों ने यह पाया कि उनका राजनीतिक चुनाव क्षेत्र सुविधाजनक नहीं है, तो वे बिहार चले गए हैं ताकि वे वहां से जीत सकें। शायद यही कारण है कि बिहार के मुख्य मंत्री आज काफी क्रुद्ध व्यक्ति हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आपने कहा कि किसी-न-किसी व्यक्ति ने मुख्य मंत्री से पैसा प्राप्त किया है, यह सारे व्यक्तियों को आप इसमें कैसे डाल सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्र : मैं सारे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। इसलिए मुख्य मंत्री थोड़े नाराज हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : यह वस्तुत: उस पूरे मामले से अलग बात है क्योंकि इसमें कानूनी और संवैधानिक पहलू यह है कि क्या वह दबंग व्यक्ति हैं अथवा यह उनका व्यवहार असह्य है अथवा उन्होंने अपने समकालिकों के साथ बड़े अच्छे ढंग से बर्ताव किया है। यह बात वस्तुत: न यहां है न वहां है यह कोई कारण नहीं है। आप उनका चेहरा पसंद नहीं करते, आप जनता के बीच उनके भाषण करने का तरीका पसंद नहीं करते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उनकी सरकार बर्खास्त कर दें।

दूसरा मामला कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, एक साधारण विचार है। कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। परंतु कुछ मौलिक प्रश्न हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए कि यह पूरा मामला किस प्रकार उठा। कांग्रेस की तरफ से, हम यह महसूस करते हैं कि इस सभा में इसे स्पष्ट करना आवश्यक है क्योंकि कानाफूसी व्यक्तिगत बातचीत में इनसे अनेक मामले उठते हैं। परंतु लोक सभा में इन मामलों को नहीं उठा पाते।

वे मामले क्या हैं ? जैसा कि विपक्ष के माननीय नेता ने कहा है, ये मुद्दे बहुत साधारण हैं कि जिसके विरुद्ध आरोप-लगे, उसे त्यागपत्र देना चाहिए। इस प्रस्ताव पर मुझे बहुत थोड़ी आपत्ति है। श्री मदन लाल खुराना नौवीं लोक सभा में सदस्य थे। अब वे सदस्य नहीं हैं। यदि

[श्री पिनाकी मिश्र]

उन्होंने कल इस मामले पर अपने माननीय नेता के विचार सुने तो उन्हें इस पर गंभीर आपत्ति हुई होती।

दो वर्ष पूर्व, इन सज्जन पर एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दो वर्ष बाद, इन्होंने मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आज उन्हें आरोप मुक्त किया गया। परंतु उन्हें मुख्य मंत्री का पद वापस नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी में शायद यह विवाद का विषय बना हुआ था उनके पास यह एक गंभीर समस्या है। उनकी दिल्ली में एक राज्य सरकार है जिनका संभवतः गुजरात का हश्र होगा। उनका क्या दोष था ? आज इस तरह के प्रस्ताव में यह कठिनाई है कि पहले आरोप पत्र पर न्यायालय में इस तरह रद्द नहीं होते थे। आज अब आरोप पत्र न्यायालय में लाए जाते हैं तो वे रद्द हो जाते हैं। आरोप पत्र इस प्रकार लाए जाते हैं जिस पर हमें कड़ी आपत्ति होती है। इस विशिष्ट मामले में जिसमें बिहार में मुख्य मंत्री शामिल हैं, रविवार को एक कार्यालय खोला जाता है तथा निदेशक न्यायालय लगाना है। निदेशक पूरी मीडिया को बुलाता है और कहता है कि मैं मुख्य मंत्री पर आरोप पत्र दाखिल करने जा रहा हूं। आज निदेशक को हटा दिया गया है। आधा दर्जन पत्रिकाओं में पूरे सप्ताह यह समाचार छपा कि गत एक वर्ष के दौरान माननीय निदेशक को दो बार हटाए जाने पर विचार किया गया था। जब भी निदेशक को अपने पद से हटाया जाना था, तब उन्होंने राजनीतिक मार्ग अपनाया।

इस सभा को याद है कि आठ महीने पूर्व हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, उनके द्वारा एकाएक बोफोर्स मामले को उठाने पर कड़ी आपत्ति प्रकट की थी। वे जेनेवा चले गए। एकाएक वे पूरे विश्व को एक बक्से भर दस्तावेज के साथ कैमरे में नजर आए। वह शहर वापस आते हैं। इन दस्तावेजों से हमें क्या मिला है। ये दस्तावेज पहले प्रेस को लीक किए गए। ये दस्तावेज प्रेस में छपे हैं तथा अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस बात पर निंदा की है कि यदि ये दस्तावेज संसद के सदस्यों के लिए नहीं हैं तो ये प्रेस तक कैसे गए। मैं नहीं समझ सका कि किस प्रकार एक गंभीर जांच के कार्य के लिए जिम्मेदार निदेशक एकाएक इस देश में फिल्म स्टार की तरह व्यवहार करने लगे। वे प्रतिदिन टेलीविजन पर आते हैं। उनकी निजी जिंदगी की चर्चा शुरू हो जाती है कि उन्हें क्या खाने में पसंद है। उनका पसंदीदा रेस्त्रां क्या है। आज हम यह महसूस करते हैं कि पिछले एक वर्ष से वे निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सब कुछ एक किताब के लिए कर रहे थे जिसे वे लाखों डॉलर में बेचने की सोच रहे हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले एक साल से जिस प्रकार कार्य किया, क्या यही तरीका है ? आप उनके लिए आंसू बहाते हैं। ये सब ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर हमें दलगत भावनाओं को छोड़कर निर्णय करना है क्योंकि आप यदि किसी बात पर दृढ़ हैं तो अंत तक दृढ़ रहें।

आज यह एक व्यक्ति को प्रभावित करता है कल यह राजनीतिक के अन्य वर्ग को प्रभावित करेगा। अतएव, मैं किसी व्यक्तिगत या पार्टी मसले पर नहीं हूं। मैं ऐसे मसले पर हूं जो मूलभूत महत्व का है। तथा आरोप पत्र की गंभीरता, मेरे विचार में कम की गई है। आरोप पत्र की गंभीरता आज वह नहीं है जो कल थी। आज हर मामले में जैसा कि हवाला मामले या सेंट किट्स मामले में—आज हमारे नेता श्री नरसिंह राव को लेकर गत एक वर्ष के दौरान काफी शोर मचाए गए थे। दो मामले में उनको बरी किया गया है। क्या कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक इस बात पर विश्वास कर सकता है कि श्री नरसिंह राव ने एक अनिवासी भारतीय से 1,00,000 डॉलर की धोखाधड़ी की होगी ? क्या इस देश में इसके बारे में कोई गंभीरतापूर्वक विचार कर सकता है ? क्या यह इतनी गंभीर बात है कि कोई यह चुनाव के दौरान भाषण में कहे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में उनके खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया था ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने आरोप पत्र में यह लिखा कि उन्होंने कुछ पत्रों की जालसाजी की। श्री वी॰ पी॰ सिंह ने यह विश्वास नहीं किया कि उन्होंने पत्रों की जालसाजी की होगी लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वास्तव में यह विश्वास किया कि उन्होंने पत्रों की जालसाजी की होगी। ये कैसे मामले नहीं हैं जिसे इतनी आसानी से निपटाया जा सके।

अतएव, ये मामले हैं जिन पर सभा अवश्य विचार करे। श्री चन्द्रशेखर ने कई बार, इस मामले पर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। आज श्री चटर्जी ने भी कहा तथा उनको सद्बुद्धि आई है। अर्थात् ऐसा में विनोदपूर्वक में कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार इसी तरह की समस्या का सामना कर रही है। बंगाल में खाता घोटाला सामने आया है। एक विचारधारा बनी है जो कि इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाना चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी के विचार अचानक बदल गए। आज उन्होंने अपने पिछले विचार थोड़े बदल गए। उन्होंने पहले कहा था कि आपको सत्ता अवश्य छोड़नी चाहिए। आप अवश्य त्यागपत्र दें। सब कुछ समाप्त हो गया है। अब वे कहते हैं "नहीं नहीं।" अब हमें ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना चाहिए। सभी लोग मिलकर हल खोजें। निःसंदेह वे ही ठीक कहते हैं लेकिन इस बात को हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

मेरे मित्र ने उदाहरण के तौर पर श्री अंतुले के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 16 वर्ष वे राजनीति से बाहर रहे। हां वे 16 वर्ष तक राजनीतिक से बाहर रहे। अंत में उन्हें उच्चतम न्यायालय ने बरी किया। सार्वजनिक जीवन के 16 वर्ष उन्हें कौन लौटायेगा? क्या आज उन्हें कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के 16 वर्ष लौटाने जा रहा है ? इसे अवश्य किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : आप सिर्फ पालिटीशियन्स के बारे में ही क्यों सोचते हैं। देश में और कितने लोग इसके सफर हैं। उनके बारे में भी सोचिए।

श्री पिनाकी मिश्र : मैं आपको बताता हूं कि मैं पालिटीशियन्स के बारे में ही क्यों सोचता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वह हमारे सदस्य

की बातों में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

श्री पिनाकी मिश्र : मैं अपने मित्र को बताऊंगा कि मैं राजनीतिज्ञों के बारे में इतना ज्यादा चिंतित क्यों हूं। यह इसलिए क्योंकि हमने एक विशेष नीति अपनी ली है। हमने इस देश में प्रजातंत्र की वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। यह बिल्कुल ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, सभा के सभी वर्गों को जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है बिना किसी अपवाद के अपनी आवाज अवश्य उठानी चाहिए। लेकिन हमें वैसा नहीं होना चाहिए जैसा कि लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत के बारे में कहा कि वहां "नीति की प्रचुरता" है। यह कहता है, "भारत अचानक अब नीति की प्रचुरता से ग्रस्त है।" अतः हर आदमी यह कह रहा है कि मैंने तुम्हें पकड़ा, मैंने तुम्हें पकड़ा। 'यह इस देश में अजीब बात नहीं है।

ब्रिटेन में हाल के हुए चुनाव में कंजरवेटिव सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हार गई। अमेरिका में पुनर्चुनाव हुए हैं। राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, जहां से बुरे घोटाले में फंसे हैं। जापान तथा दक्षिण कोरिया में ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में जेल तक गए हैं। भारत में यह अनोखी बात नहीं है। जिसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। मेरे सहयोगी सही हैं जब वे कहते हैं कि राजनीतिज्ञों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। क्या इस व्यवस्था का कोई विकल्प है ? इसलिए मैंने यह सवाल पूछा है। दूसरे देशों में वैकल्पिक रास्ता अपनाया गया है। उदाहरण के तौर पर जायर का लें। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को लें। क्या उन्होंने कोई बेहतर विकास किया है ? राष्ट्रपति मोबुतू ने जायर में जब सत्ता संभाली तो देश भ्रष्टाचार के कगार पर था। निर्वाचित राष्ट्रपति को हटा दिया गया तथा उनकी हत्या कर दी गई। 35 वर्षों में उन्होंने जायर को समाप्त कर दिया। दस वर्षों के हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमने अनुभव किया है कि वहां के सैनिक नेताओं ने वहां क्या किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप एक संपूर्ण वर्ग के लोगों को तथा समूची राजनीतिक परिदृश्य को घृणित मसझ कर अछूत घोषित कर दें, तो आप के लिए यह अत्यंत कठिन हो जायेगा क्योंकि आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिसे अपना सकें।

अतएव यह आवश्यक है जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने आज शांत भाव से कहा, "इसके बदले कि हम वाद-विवाद का मुद्दा बनाएं—यह मुद्दा ऐसा है जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है, हमें इस मुद्दे पर वास्तव में आत्म निरीक्षण करना है हमें एक जुट होकर सोचना है और राष्ट्रीय आम सहमति, तथा इससे किस प्रकार निपटा जाये यह सुनिश्चित करना है। "मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमने प्रजातंत्र का मार्ग जो चुना था वही सही मार्ग है और इससे इस सभा में बैठा कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता है। इस सभा में कोई भी व्यक्ति मैं जो कह रहा हूं उससे इंकर नहीं कर सकता।

आज निचले स्तर से लेकर पंचायत स्तर तथा नामित स्तर से लेकर जिला परिषद् स्तर तक चुनाव होते हैं। जहां क्या होता है ? जब भी चुनाव होते हैं, प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक चुनाव में पैसा खर्च होता है। अतएव, एक बार जब आप जिला परिषद् ने सदस्य बनते हैं, पंचायत सदस्य बनते हैं, नामित सदस्य बनते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो आप पैसे खर्च करते हैं। उन्हें वह पैसा वसूल करना होता है। यही जीवन का कटु सत्य है। क्या कोई संसद सदस्य दलगत नीति को छोड़ते हुए इस बात से इंकार कर सकता है। मैं पहली बार संसद सदस्य बना हूं। गत एक वर्ष के दौरान, मेरे ऊपर चुनाव का अनेक बार खतरा आया। पहले, हमें पंचायत चुनाव कराते थे, तब नामित चुनाव कराये, तब इन पदों के अध्यक्ष पद क़ा चुनाव हुआ, तब परिषद् के चुनाव हुए, तब जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव हुआ। और अब नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद नगरपालिका के अध्यक्षों का चुनाव होगा। वह कुछ असाधारण बात है गत एक वर्ष के दौरान, प्रत्येक डेढ़ महीने, पर चुनाव हुए हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ये क्या उस पर चर्चा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : कृपया उन्हें बोलने दीजिए, महोदय।

श्री पिनाकी मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता इसे याद रखेंगे क्योंकि विदेश विभाग में उन्हें ऐसा विस्तृत अनुभव था।

1950 के दशक में अमेरिका में, 'मैकार्थवाद' था, जे॰ एड्गर हूवर एफ॰ बी॰ आई॰ के प्रमुख थे तथा अमरीका में सरकार के अंदर समानांतर सरकार चल रही थी। लगभग पन्द्रह से बीस वर्षों तक, सरकार के अंदर सरकार चलती रही तथा इसका नतीजा यह निकला कि उन पर आरोप लगाया गया कि एड्गर हूवर स्वयं राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या में शामिल थे, तथा यह आरोप ऐसा है जिसकी संभावना से अब तक इंकार नहीं किया गया।

अतएव, इस प्रकार के संगठनों का सरकार के अंदर सरकार बनाने की पूरी संभावना है तथा यह ऐसा है जिसे किसी हालत में संभव नहीं होने देना चाहिए। यह ऐसा है जिसे कार्यपालिका—जैसा कि इस सभा के सभी वर्गों को कहा—यह सुनिश्चित करने के लिए यह कष्ट उठाए कि ऐसा न हो।

यहां मैं एक प्रस्ताव की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। आपराधिक न्याय शास्त्र का यह मूल सिद्धांत है कि एक बार जांच पूरी हो जाती है और आरोप पत्र दायर हो जाता है, जमानत मिलने का अधिकार बन जाता है। जमानत मिलनी चाहिए न कि जेल। मुझे अचानक सभा के कुछ लोगों द्वारा यह सुनने को मिलता है कि बिहार के मुख्य मंत्री को जेल नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आज अदालत में एक

[श्री पिनाकी मिश्र]

प्रस्ताव ला रहा है कि वे उनसे न्यायिक हिरासत में पूछताछ करना चाहते हैं। मुझे यह प्रस्ताव बिल्कुल अनुचित लगता है। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के पहले ही सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। उन्हें पहले ही उनको हिरासत में लेना चाहिए था। उन्होंने उन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मैं यह नहीं समझा पा रहा हूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो किस प्रकार उनकी जमानत का विरोध करेगा। परंतु हममें से कोई भी इस पर ध्यान देना नहीं चाहता है।...*(व्यवधान)* इसमें कोई एक नहीं। मैंने शुरू में ही कहा था कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पिनाकी मिश्र, आप कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री पिनाकी मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो अंतिम मुद्दा उठाना चाहता हूं वह इस प्रकार है। इस मामले में प्रधानमंत्री की जो भूमिका रही है वह कुछ खेदजनक है। यह मैं उनकी अनुपस्थिति में कह रहा हूं और मैं बड़े खेद के साथ यह कहता हूं। अब केन्द्र सरकार उपहास का पत्र बन गई है। एक राष्ट्रीय दैनिक में एक कार्टून छपा था जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रधान मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 'सफेद बाल वाले और गले में चश्मा लटकाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक पत्रकार कहता है "वह अब बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं।" मैं तो यह जरूर कहूंगा कि यदि इस मामले में उनका कोई विशेष दृष्टिकोण हो, तो इसे दृढ़ता और असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कहना चाहिए। पूरे मामले में ढील देने और इस पर टाल-मटोल करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि दस या बीस सांसदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इतनी बड़ी संख्या में दृढ़ता के साथ कांग्रेस के सांसद प्रधान मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि वे क्यों इस मामले पर इतने परेशान हैं।

इस मामले के जिन प्रस्तावों पर उन्होंने कल चर्चा की वे संतोषजनक हैं। मैं सोचता हूं कि वे सही प्रस्ताव हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है, "अनुच्छे 356 पर सरकार का दृष्टिकोण यह है और मैं समझता हूं कि हमने उनके दृष्टिकोण को सही समझा है और दूसरे विषय के संबंध में और राज्यपाल की राय मांगने के बारे में वह कहते हैं, "ऐसा कुछ नहीं है जिसे किया जाना चाहिए।' परंतु, मेरा यह मानना है कि पूरे प्रकरण में संयुक्त मोर्चा और प्रधान मंत्री का रवैया प्रशंसनीय नहीं रहा है क्योंकि वे और अधिक स्पष्ट तौर पर अपनी राय व्यक्त कर सकते थे।

इन्हीं शब्दों के साथ, विपक्ष के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं और बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.24 बजे

[हिन्दी]

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गैर-हाजिरी में, माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी ने यह कहा कि बनवारी लाल पुरोहित ने श्री गोपी नाथ मुंडे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यह बिल्कुल मिथ्या है,...* मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : "मिथ्या" ठीक है। दूसरे शब्द का इस्तेमाल न करें। वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राजेश रंजन को बोलने के लिए कहा है। कृपया आप उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.25 बजे

[हिन्दी]

नियम 184 के अंतर्गत चर्चा

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति—जारी

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष जी, पिछले दो रोज से पूरा देश और सदन बिहार की ओर आकृष्ट है। आजादी के 50 वर्ष के नजदीक हम लोग पहुंचे हैं और बिहार आजादी के 50 वर्ष पीछे जा रहा है। बिहार में न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका, तीनों अभूतपूर्व टकराव की स्थिति में बैठी हुई हैं। मैं कार्यपालिका की बात पहले कहना चाहता हूं। वहां गवर्नर के घर के आगे बिहार सरकार के सभी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और सभी विधायक हाथ में लाठी और भाला लेकर नारे लगाने का काम कर रहे थे; कलैक्टर के सामने, बिहार सरकार के एस॰ एस॰ पी॰ के सामने हाथ में तलवार लेकर प्रधान मंत्री को गाली-गलौज़ देने का काम कर रहे थे। तब तक राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना था। जनता दल एक था। देश के इतिहास में पहली दफा किसी मंत्री ने अपने प्रधान मंत्री को गाली-गलौज़ देने का काम किया और गवर्नर के घर के आगे बिहार के मंत्रियों ने तलवार और भाला लेकर प्रदर्शन किया। न्यायपालिका के आगे पूरी फौज खड़ी है और लालू यंग इंडिया बैनर के तहत आत्महत्या और फांसी...*(व्यवधान)* लगाने की बात कहकर धमकी दी जा रही हैं औरतें हाथ में तलवार लेकर सड़कों पर जा रही हैं। अब महिलाएं क्यों तलवार लेकर जा रही हैं ?

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : औरतें झांसी की रानी हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : झांसी की रानी बनना ठीक है श्रीमती कान्ति सिंह जी आप बन जायें तो ज्यादा बेहतर होगा लेकिन औरतें पटना में क्यों तलवार लेकर जा रही हैं ? श्री यू. एन. विश्वास की गर्दन काट दी जायेगी। संयुक्त निदेशक का गला काट दिया जायेगा। सी. बी. आई. जिनके हाथ में यह केस शुरू से लेकर अंत तक चल रहा है, वहां चौक पर उनके पुतले जलाए गए। अब आप न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्थिति देख लीजिए। स्थिति यह है कि कार्यपालिका विधायपालिका की बात मानने के लिए बाधित है। न्यायपालिका की बात कार्यपालिका मानने को तैयार नहीं है। वहां के डी. जी., वहां के कलैक्टर, वहां के एस. एस. पी. मुख्य मंत्री के अलावा और किसी की बात नहीं मानते। न्यायपालिका जो कहती है, वह कार्यपालिका नहीं मान रही। विधान सभा के सदन में लाल सेना द्वारा मुरेसा काण्ड किया गया। जब विधान सभा के स्पीकर से प्रेस के द्वारा पूछा गया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका बयान है। जब उनसे पूछा गया कि यह कौन-सी फोर्स है तो विधान सभा के स्पीकर ने यह जवाब दिया कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज है कि हम कौन सी फोर्स लायेंगे और कौन सी रखेंगे। यह आपको देखने की जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज से सुरक्षा मिलेगी, वही हम फोर्स लायेंगे। वह फोर्स किसकी है ? वह फोर्स विधान परिषद् के एक सदस्य जो मुख्य मंत्री जी के साले *(व्यवधान)...** की हैं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में फोटो भी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात ही कह रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह नाम रिकॉर्ड से निकाल दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं किसी पर कोई ऐलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने जो कुछ कहा, उस सबको मैं यहां रख रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा था कि श्री लाल सेना के द्वारा जिसका नेतृत्व श्री लालू यादव के साले, जो उस हाउस के मैम्बर नहीं थे, विधान परिषद् के मैम्बर थे, वे उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब विधायपालिका का नेतृत्व कौन कर रहा है ?...*(व्यवधान)*

न्यायपालिका का नेतृत्व लालू एंड इंडिया और कार्यपालिका में नेतृत्व कर रहे हैं पूरे मंत्री तलवार और भाला लेकर।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े तीन बज गए हैं, अब प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस शुरू होगा। आप सोमवार को कंटीन्यू कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (इडुकी) : इस पर चर्चा करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि बिहार के मुख्य मंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, बिहार के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : मैं श्री वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिहार के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। यह खबर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया ने दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ हुआ है। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हाउस के सामने प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस है। उस पर यदि कुछ कहना है तो कहिये

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं कब बोलूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को बोलिये।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) वन (संरक्षण) संशोध न विधयेक

(धारा 2 में संशोधन)*

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 1/2 बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 217 में संशोधन)*

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(तीन) अनिवार्य बंध्यीकरण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु कुटुम्ब सन्नियम को बढ़ावा देने हेतु अनिवार्य बंध्यीकरण और उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लघु कुटुम्ब सन्नियम को बढ़ावा देने हेतु अनिवार्य बंध्यीकरण और उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.34 1/2 बजे

(चार) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक

(अनुसूची में संशोधन)*

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यपाल जैन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(पांच) मिर्च उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंदूर) : प्रस्ताव करता हूं कि मिर्च उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मिर्च उत्पादक के संरक्षण और कल्याण हेतु प्रावधान के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 1/2 बजे

[अनुवाद]

(छ:) तम्बाकू उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक*

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंदूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तम्बाकू उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू उत्पादकों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु व्यवस्था करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(सात) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा का गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 1/2 बजे

(आठ) उत्तराखंड राज्य विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(नौ) विदर्भ राज्य विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अंडर रूल 72 में इसका विरोध करता हूं।. ..*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : बिल जब आयेगा, तब देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इंट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध आप किस बिना कर कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन का काम-काज नियम से चलता है और यह जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल है, कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट का, विदर्भ राज्य की निर्मिती का, इस पर रूल 68 लागू होता है। रूल 68 कहता है :

[अनुवाद]

"किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार किए जाने की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के राष्ट्रपति के आदेश को संबद्ध मंत्री द्वारा लिखित रूप में महासचिव को पहुंचाया जाएगा।"

[हिन्दी]

राइटिंग की कापी मेरे पास आई हुई है और दूसरा इसके साथ में रूल 348 आएगा।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

नियम 348 में कहा गया है :

"राष्ट्रपति की प्रत्येक मंजूरी या सिफारिश मंत्री द्वारा महासचिव को निम्नलिखित रूप में संसूचित की जाएगी :

"राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक प्रस्ताव, अनुदान की मांग या संशोधन की विषय वस्तु से सूचित किए जाने के बाद विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने या संशोधन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी पूर्व मंजूरी प्रदान करता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : ये राष्ट्रपति जी से अपनी अनुमति लाये हैं। इसे राष्ट्रपति जी ने एप्रूव किया है और इसमें नोटिस दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह जो पूरे नियम के हिसाब से नोटिस भी भेजा है और राष्ट्रपति जी की इसको परमीशन आ गई।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वतर्मान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मै विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 7 जुलाई को अध्यक्ष जी को इसी बिल के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि यह बड़ा संवदेनशील मामला है और उत्तरांचल राज्य की स्थापना की घोषणा संयुक्त मोर्चा सरकार ने और उसके समर्थक दलों की ओर से भी बार-बार की जाती रही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ अत: हम लोग मजबूर होकर इसे प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के माध्यम से यहां लेकर आए हैं इसलिए सारे नियमों को निलंवित करते हुए इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। अपवादस्वरूप इस पर चर्चा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गई।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.40 1/2 बजे

(दस) उत्तरांचल राज्य विधेयक*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके उत्तरांचल राज्य की स्थापना करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(ग्यारह) वनांचल राज्य विधेयक*

[हिन्दी]

श्री आर. एल. पी. वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान बिहार राज्य का पुनर्गठन करके वनांचल राज्य की स्थापना तथा तत्संबंधी मामलों के बारे में उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्यमान बिहार राज्य का पुनर्गठन करके वनांचल राज्य की स्थापना तथा तत्संबंधी मामलों के बारे में उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री आर. एल. पी. वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.411/2 बजे

(बारह) महाराष्ट्र पुनर्गठन विधेयक*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण और उससे संबद्ध विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(तेरह) भारतीय सरकारी क्षेत्र उद्यम विकास बैंक विधेयक*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (नालंदा) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.43 बजे

(चौदह) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक

(धारा 1 में संशोधन, आदि)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(पन्द्रह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, (नयी धारा 8ख का अंत:स्थापन)*

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता है।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.45 बजे

(सोलह) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा 376 में संशोधन)।*

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 1/2 बजे

(सत्रह) मंत्रियों, संसद सदस्यों और लोक सेवकों की आस्तियों की जांच संबंधी विधेयक,*

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों, संसद सदस्यों और लोक सेवकों की आस्तियों की जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों, संसद सदस्यों और लोकसेवकों की आस्तियों की जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.46 बजे

[अनुवाद]

(अठारह) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, (नई धारा 4 का अंत:स्थापन)।*

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र गौरव व अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक,. 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.461/2 बजे

[अनुवाद]

(उन्नीस) विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय निषेध विधेयक*

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाह समारोह पर अत्यधिक और अनावश्यक व्यय का निषेध करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय निषेध विधेयक और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.47 बजे

[अनुवाद]

(बीस) मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक*

श्री जी. ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल सेवकों द्वारा आस्तियों की

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

घोषणा करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सिविल सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

[अनुवाद]

(इक्कीस) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विशाखापत्तनम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ (नागरकुर्नूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले बिधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 1/2 बजे

[अनुवाद]

(बाइस) महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्तुत करता हूं कि अनन्यत: महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों और उससे संबद्ध विषयों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनन्यत: महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के मामले और उससे संबद्ध विषयों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.49 बजे

(तेइस) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों और उनसे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : पहले भी बैलेट में मेरा नाम पहले-नंबर पर आया था, अध्यक्ष जी, ने प्राइवेट मैम्बर बिल पर विचार करने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। पिछली बार समय बढ़ाने के कारण मेरा विधेयक विचार के लिए नहीं आ पाया था। इस बार भी मेरा विधेयक—भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अपराध समाप्त करने के लिए—बैलेट में पहले नंबर पर आया है। अब अगर समय बढ़ता रहा तो मेरा नंबर फिर नहीं आएगा।...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो समय तय है वही समय रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस में एक बार तय हुआ था कि एक विधेयक पर ज्यादा समय न दिय जाए ताकि दूसरे विधेयक भी आ सकें।।

(व्यवधान)

श्री अमर पाल सिंह : मेरा अनुरोध है कि जो और विधेयक

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.97 में प्रकाशित।

आए हुए हैं उन सबके साथ भी न्याय हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद ही तो हो पाएगा।

अपराह्न 3.51 बजे

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44, आदि का लोप)—जारी

[अनुवाद]

श्री आई॰ डी॰ स्वामी (करनाल) : पिछली बार हम समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस विषय पर प्रेस तथा सभा के बारह और अंदर काफी वाद-विवाद हो चुका है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इन 50 वर्षों में भी हम संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए निर्देश का पालन क्यों नहीं कर पाए हैं। इस वर्ष जब हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो इस अवसर पर देश की एकता तथा अखण्डता बनाए रखने के लिए हमें यह सोचना होगा कि समान सिविल संहिता लागू की जाए अथवा नहीं। इस समय सभा के समक्ष एक विधेयक है जिसमें देश में समान सिविल संहिता लागू करने की मांग की गई है।

संविधान निर्माताओं द्वारा पथ दिखाने के लिए एक दिशा के रूप में समान सिविल संहिता प्रदान की गई थी। निःसंदेह यह औचित्यपूर्ण नहीं है परंतु नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए उतने ही मौलिक हैं जितने कि मौलिक अधिकार यदि हम इस प्रश्न के संबंध में संविधान सभा के वाद-विवाद का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि उस समय के॰ एम॰ मुंशी, अनन्तशयनम आयंगर तथा अन्य निष्ठावान व्यक्तियों ने बार-बार यह आश्वासन दिया था कि उनके सामने मुद्दा यह था कि क्या हम अपनी स्वीय विधियों को इस प्रकार समेकित और एकीकृत करने जा रहे हैं जिससे कि यथासमय संपूर्ण देश एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष बन सके। हम सदैव धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन मूल बात यह है कि हम धर्म को वैयक्तिक कानूनों, सामाजिक संबंधों से पृथक रखना चाहते हैं या पक्षकारों के उन अधिकारों से उन्हें जोड़ना नहीं चाहते जिनका संबंध उत्तराधिकार, विवाह आदि से है। इन सभी का धर्म से क्या संबंध है ? लेकिन कुल मिलाकर एक हौवा सदैव खड़ा किया जाता है कि समान सिविल संहिता के लागू हो जाने से जनता की धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप होगा। इससे एक विशेष समुदाय के रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप होगा।

सामाजिक संबंधों में कतिपय रीति-रिवाजों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो इसमें अंतर्ग्रस्त हो। उदाहरण के लिए हिन्दू कानून को ही लीजिए। यदि हम मनु, याज्ञवलक्य तथा अन्य मनीषियों के धमदिशों को देखें तो हम हिन्दू कानून के उपबंधों को तत्कालीन धमदिशों के विपरीत पायेंगे लेकिन फिर भी हिन्दू कानून बनाया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किया गया। हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम पारित किया गया। यह हौवा कभी भी खड़ा नहीं किया गया कि हमें संबंधित व्यक्तियों या समुदाय से परामर्श करना चाहिए अथवा यह पता लगाना चाहिए कि देश इसके लिए तैयार है या नहीं। परंतु अब जब भी समान सिविल संहिता का प्रश्न उठाया जाता है तो आप सदैव हमें परामर्श करने, प्रतीक्षा करने अथवा धीमी गीति से कार्य करने के लिए कहते हैं। इन 50 वर्षों में हमने इतनी धीमी गति से कार्य किया है कि हम देश के नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में दिए गए समादेश को भी लगभग भूल गए हैं, आखिरकार, हमारा एक प्रगतिशील समाज है। हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जब हमें सभी तरीकों से राष्ट्र को एकजुट करना होगा लेकिन ऐसा करते समय हमें किसी की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना होगा।

समान सिविल संहिता किसी की भी धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है, यह किसी भी अवस्था में संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए की गई व्यवस्था के आड़े नहीं आती है। हमारी स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष के और हमारे संविधान जिसमें हमें एक निर्देश दिया गया था और एक रास्ता दिखाया गया था को अंगीकृत किए जाने के 47 वर्ष बाद हमें दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि सामाजिक संबंधों, विवाह, उत्तराधिकार और वंशानुगत सम्पत्ति प्राप्ति के अधिकार के मामले धार्मिक मामले बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता होती है।

इस कार्य के लिए हमें एक धर्मनिरपेक्ष कानून की आवश्यकता है। हम सदैव धर्मनिरपेक्षता की शेखी बघारते हैं और कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता का सदैव समर्थन करते हैं। परंतु अभी तक इन मामलों में जहां तक धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए जाने का संबंध है हम हमेशा कहते हैं 'नहीं' हमें धीमे चलना चाहिए, हमें जनता से परामर्श करना चाहिए, हमें इसके बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके महत्व पर संविधान के अनुच्छेद 44 में भी जोर दिया गया था। हमें और अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। हम पहले ही 50 वर्ष का समय गंवा चुके हैं। हमें प्रगतिशील और सुधारात्मक कानून में धार्मिक प्रथाओं को लाने वाले अलगाववादी दृष्टिकोण को छोड़ना होगा। जितनी जल्दी हम ऐसा करेंगे देश के लिए वह उतना ही अच्छा होगा, और ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि नीति निर्देशक तत्व हम पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार-बार यह कहा है कि यदि हम इस देश की अखण्डता का सम्मान करना चाहते हैं, यदि हम इस देश की एकता को बचाए रखना चाहते हैं, यदि हम इस संपूर्ण देश को बचाना चाहते हैं तो हमें समान सिविल संहिता लागू करनी होगी, जिसका उत्तरदायित्व हम पर संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा डाला गया था। यह प्रवृत्ति ब्रिटिश शासन के द्वारा पैदा की गई थी कि वैयक्तिक कानून धर्म का एक हिस्सा है। ब्रिटिश शासकों और ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा विशेष अलगाववादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया था। परंतु अब समय आ गया है जब हमें वह सब भूलना होगा कि जो ब्रिटिश शासक हमें बताते रहे हैं और ब्रिटिश न्यायालय जिसका समर्थन करते रहे हैं।

वास्तव में, यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अनेक

परिवर्तन किए थे जो **शारियत** के खिलाफ थे। यद्यपि, वह इस देश में **मुस्लिम सल्तनत** स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था लेकिन उसमें देश की एकता, धर्मसुधार और महिलाओं तथा अन्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए कतिपय परिवर्तन करने की निर्भीकता और साहस था। उस समय दिल्ली के काज़ी ने उनमें से कुछ निर्देशों का विरोध किया था। उनमें से कुछ निर्देशों का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली के **काज़ी** को दिया गया उत्तर निम्न प्रकार है :

"मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं। मैं इस देश पर उसकी भलाई के लिए शासन कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी अज्ञानता और मेरे इरादों के लिए परमात्मा मुझे माफ कर देगा जब उसे ऐसा लगेगा कि मैंने **शरियत** के अनुसार कार्य नहीं किया है।" यदि अलाउद्दीन खिलजी उस स्वर्णिम प्राचीन काल में ऐसा कह सकता है तो अब यह कैसे संभव है कि यह देश केवल इस झूठी दलील पर कि—यह किसी धर्म अथवा धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप करता है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है, एक समान सिविल संहिता बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार न हो ? हमें इस दृष्टिकोण, अलगाववादी दृष्टिकोण को छोड़ना होगा जिसे ब्रिटिश शासकों और ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा बढ़ावा दिया गया था।

मैं इस संबंध में कुछ उदाहरण दूंगा कि अनेक अन्य देशों में क्या हो रहा है जिनमें नीति-निर्देशक तत्व नहीं हैं और जहां पर संविधान में भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है।

यहां तक कि संविधान सभा में विशेष प्रावधान के बारे में वाद-विवाद के दौरान स्वर्गीय के॰ एम॰ मुंशी के उस समय भी सभा को विश्वास दिलाया था कि उक्त प्रावधान के बारे में अनेक मंचों तथा समितियों में चर्चा की गई थी और सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था।

अपराह्न 4.00 बजे

उस समय संविधान सभा द्वारा किस प्रावधान को स्वीकार किया गया था ? प्रावधान यह था कि यदि अब तक की कोई धार्मिक प्रथा किसी धर्मनिरपेक्षता संबंधी कार्य में आड़े आती है अथवा सामाजिक सुधार या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बाधक बनती है तो संसद किसी अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना इसके बारे में कानून बना सकती है।

महोदय, प्रगतिशील मुस्लिम राष्ट्रों में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के वैयक्तिक कानूनों को इतना परमपावन माना गया है कि वहां सिविल संहिता का अधिनियम करने की आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण के लिए तुर्की, इटली और मिस्र को लें। इन देशों में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जब **शरियत** अधिनियम पास किया गया तो उस समय जो हुआ वह हमारे सामने है। जब केन्द्रीय विधानमंडल में **शरियत** अधिनियम का कतिपय अन्य कानून पास किए गए तो उस समय भी **खोजाओं** तथा **कुच्ची मेमन** ने इन पर अत्यंत असंतोष व्यक्त किया था लेकिन उन्हें अत्यंत अनिच्छा के साथ इन्हें मानना पड़ा। शरियत कानूनों में संशोधन करते समय इस देश मे भी ऐसा ही होता रहा है।

यूरोप में, अमरीका, इटली, जर्मनी और फ्रांस अथवा किसी भी अन्य देश में सिविल संहिता नहीं है। इन देशों में हिन्दू मुस्लिम कैथोलिक, ईसाई और यहूदी भी हैं परंतु उनके अलग-अलग वैयक्तिक कानून नहीं बनाए गए हैं और वहां कोई वैयक्तिक कानून नहीं हैं, ऐसे देश जिनमें सिविल संहिता लागू है जब वहां कोई व्यक्ति जाता है चाहे वह पाकिस्तान, भारत अथवा विश्व के किसी भी भाग से जाए प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को सिविल संहित को मानना ही पड़ता है परंतु इस देश में बहुत ही अजीब स्थिति है जहां पर हम प्रतिदिन, सुबह और शाम धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। ऐसा हम समान सिविल संहिता लागू करने के लिए करते हैं जबकि नीति-निर्देशक तत्वों में पहले से ही समान सिविल संहिता का प्रावधान है। इन 50 वर्षों के दौरान भी हम एक समान सिविल संहिता नहीं बना पाए हैं और किसी न किसी बहाने से अथवा किसी न किसी कारण से हम इस महत्वपूर्ण प्रावधान को टालते आ रहे हैं और हम सदैव संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाए गए मार्ग तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते आ रहे हैं। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने यह कहा था कि यदि राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखना है तो हमें संपूर्ण देश में समान सिविल संहिता लागू करनी होगी। यदि अन्य राष्ट्रों में वहां रहने वाले सभी धार्मिक लोग अपनी सिविल संहिता का पालन कर सकते हैं, समान सिविल संहिता लागू कर सकते हैं, सिविल संहिता स्वीकार कर सकते हैं, तो हम अपने देश में एक समान सिविल संहिता क्यों नहीं स्वीकार कर सकते ?

तथापि, मुद्दा यह है कि क्या हम वैयक्तिक, कानून को इस तरीके से समेकित, एकीकृत करने जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में जीवन शैली एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष बन सके। केवल यही स्थिति उपयुक्त है। आखिरकार, हमारा प्रगतिशील समाज है और हमें किसी न किसी भी अवस्था में इन कानूनों को समेकित करना होगा।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जो सदन के समक्ष आया है, उसका पूरे मन से समर्थन किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं भगवान शंकर रावत जी द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें उन्होंने कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही है। मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई है।

महोदय, मैं आपको याद दिला दूं कि जब देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी डांट लगायी थी और पूछा था कि यह कानून अब तक क्यों नहीं बनाया ? देवेगौड़ा जी चले गए। इफ और बट की नीति आ गई लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं बना। वह बनता बहुत आवश्यक है। हमें आजाद हुए पचास साल हो गए लेकिन वह

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

अभी तक नहीं बन पाया जबकि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी ऐसा कहा गया है। इस पर देश चला नहीं। अगर इस पर देश चलेगा तो वह निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है।

लेकिन आज भारत की आजादी के 50 वर्ष बीतने के बाद भी हम उन नीति निर्देशक सिद्धांतों पर नहीं चले हैं। आज सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, एकरूपता के नाते समस्त नागरिकों के लिए बिना भेदभाव किये कॉमन सिविल कोड बनना आवश्यक है। जब हमारे देश की दंडसंहिता एक है तो उसमें मुसलमानों या ईसाइयों के लिए अलग न होकर सारे भारतवासियों के लिए एक कॉमन सिविल कोड होना भी जरूरी है। साथ ही हमारे देश का एक ध्वज है, एक ही संविधान है और एक राष्ट्रीय आदर्श है तो इसके लिए एक कॉमन सिविल कोड भी आवश्यक है। हालांकि सरकार ने देरी की है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उसे निर्णय करना चाहिए कि सारे देश के लिए एक ही कॉमन सिविल कोड हो।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, सदन में 'समान सिविल संहिता' नामक गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा की जानी है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत अर्थात् राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अध्याय चार में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी बातों के साथ-साथ, इस अनुच्छेद में, यह भी शामिल है कि राज्य देश में 'समान सिविल संहिता' को लागू करने का प्रयास करेगा।

अपराह्न 4.06 बजे

(श्री पी० सी० चाक्को *पीठासीन हुए)*

इस प्रकार से, इस अध्याय के अनुसार राज्य को अन्य कई बातों के संबंध में प्रयास करना चाहिए। उन्हें सभी नागरिकों, आदि को नि:शुल्क शिक्षा और रोजगार प्रदान करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मूल अधिकारों की भांति, यह वाद योग्य नहीं है और हमारे संविधान निर्माता यह प्रावधान करते समय हमारी स्थिति से पूर्णरूप से जागरूक थे, इसलिए उन्होंने इन्हें मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में शामिल करने की बजाए अध्याय चार में शामिल किया। राज्यों को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए।

महोदय, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम किन बातों पर अधिक बल दें। हमारा देश जो संकटकाल के दौर से गुजर रहा है, को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ? चाहे वह आर्थिक विकास का मामला हो अथवा **रोटी, कपड़ा और मकान** का मामला हो अथवा 'समान सिविल कोड' जैसा कोई मामला हो ? इन सभी विषयों पर सदन में एक चर्चा करने की आवश्यकता है।

जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश अद्वितीय है। यह एक बहुत बड़ा देश है, यह कई द्वीपों और उपमहाद्वीपों में बंटा हुआ है। यह मात्र एक देश नहीं है अपितु यह एक बहुभाषीय, बहुधर्मों, बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र अथवा देश अथवा समान है।

महोदय, इस समय यदि आप यह देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से कई लोग मर रहे हैं तो आप यह भी पाएंगे कि देश के विभिन्न भागों में वर्षा न होने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।

हमारे देश में जहां एक ओर बाढ़ आ रही है, दूसरी ओर वर्षा न होने की वजह से सूखा पड़ रहा है।

भिन्न-भिन्न स्थानों पर, कुछ लोग भिन्न-भिन्न पोशाकें पहनते हैं। उनकी संस्कृति भिन्न है लेकिन संस्कृति में समानता है। इस प्रकार हमारे इस देश में विभिन्नताएं हैं। इस कारण हम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। यह हमारी पहली चिंता है।

गांधी जी के समय में, गांधी जी यह कहा करते थे कि जब किसी मामले में कोई विवाद खड़ा हो अथवा आपके दिमाग में कोई संघर्ष हो तो आप अपने विवेक पर विश्वास करें। उस समस्या पर बार-बार विचार करें और अपने विवेक से पूछे कि इससे देश के सबसे गरीब लोगों को कितना नुकसान अथवा फायदा होगा। यदि आपका विवेक आपको इस बात की अनुमति देता है कि आपके निर्णय से देश के सबसे गरीब लोगों को पहुंचेगा तो आप वह निर्णय ले सकते हैं।

आज, जब कभी भी कोई विवादग्रस्त विषय हमारे सामने आता है, हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। अवश्य ही यह एक विवादाग्रस्त प्रश्न है। और जब यह हमारे सम्मुख आया है, तो हम यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश में सम्मुख महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है ? यह एकता और अखण्डता है। हमें यह प्रश्न पूछना पड़ता है कि हम जो कुछ कहते हैं, क्या हम कुछेक मामलों का निपटान करने के लिए यह कर रहे हैं क्या इससे हमारी एकता को मजबूती मिलेगी अथवा वह कमजोर होगी। यदि हम इस विधेयक के संबंध में आज यह प्रश्न पूछें तो इस संबंध में उत्तर वही होगा, मेरे विचार में प्रस्ताव का उत्तर भी यही होगा कि इससे एकता मजबूत होने की बजाए कमजोर होगी। अत: इस पृष्ठभूमि में, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, इसके साथ-साथ गलत प्रचार करने का अभियान भी चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे देश में विभिन्न-धर्म पनप रहे हैं। हमारा सह-अस्तित्व है। हमें समाज में सह-अस्तित्व की भावना प्रतिपादित करनी है। सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए। घृणा की भावना को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हमें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि भाई चारे और मित्रता की भावना फले-फूले। घृणा को फैलाकर, हम एकता को मजबूती प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि के आधार पर, मैं यह कहना चाहूंगा कि गलत सूचना को फैलाने का अभियान चल रहा है।

महोदय, इस विधेयक को सदन में लाने का लक्ष्य अथवा उद्देश्य

भी यही है। मैं इस विधेयक के साथ जुड़े उद्देश्य को जान चुका हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि इस तरह की कोई शर्त विभिन्न समुदायों और धर्मों पर थोप दी जाती है तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? यह न तो वांछनीय होगा और न ही सराहनीय होगा।

अत: गलत प्रचार करने का अभियान चल रहा है। गलत प्रचार करने का अभियान क्या है ? कुछेक धर्मों में बहु-विवाह की अनुमति दी गई और इसका प्रचलन भी खुले तौर पर चल रहा है। लोगों को तीसरा-चौथा विवाह करने की स्वतंत्रता है।

भारत में 'महिलाओं की स्थिति' संबंधी समिति की रिपोर्ट सन् 1974 में प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में आदिवासी समुदायों में बहुविवाह दर 15.25 प्रतिशत है। बौद्ध-धर्मावलम्बियों में यह 7.97 प्रतिशत, जैन-धर्मावलम्बियों में 6.72 प्रतिशत, हिन्दुओं में 5.8 प्रतिशत और मुसलमानों में 5.7 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस्लाम धर्म में बहुविवाह का प्रतिशत सबसे कम है।

अत: हमें गलत प्रचार करने का अभियान नहीं चलाना चाहिए जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों में घृणा फैलती है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व में आदिवासी मुखियाओं, जमींदारों और राजे-महाराजों की दूसरी-तीसरी पत्नियां होती थीं। लेकिन अब समय बदल रहा है, इतिहास के परिवर्तन का दौर चल रहा है और समाज में बदलाव आ रहा है। अब ऐसी नई अर्थव्यवस्था के साथ, यदि हम लोगों को सही प्रकार की शिक्षा दें तो कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं करेगा यद्यपि धर्म उन्हें इसकी अनुमति देता है। अत: बहु-विवाह का प्रचलन समाप्त होना चाहिए।

मैं लंबा भाषणा नहीं देना चाहता हूं। मैं कल राष्ट्र के नाम संबोधित डॉ० शंकर दयाल शर्मा, पदमुक्त राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषणा का केवल एक अंश उद्धृत करना चाहूंगा :

"धर्मनिरपेक्षवाद—सभी धर्मों का एक समान आदर करना, हमारा राष्ट्रीय मत है। वास्तव में यह हमारे राष्ट्रत्व की भावना है। यह वर्षों से हमारी प्रकृति रही है। यह सभी धर्मों का संदेश है।

हमारे सभ्यता को मजबूती प्रदान करने में सहनशीलता और देश की विविधता के प्रति सम्मान का योगदान रहा है। यह हमारा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, शांति का दृष्टिकोण, प्यार और भाईचारे की भावना रही है जिसने इस सभ्यता को टिकाऊ और महान् बनाया है।"

आज पुन: हमारे नए राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायण ने भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बातें कही उन्हें मैं उद्धृत करता हूं :

"हमारे संविधान में लोकतंत्र प्रणाली को अपनाते हुए धर्मनिरपेक्षवाद, सभी धर्मों और आस्थाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। गांधी जी कहा करते थे कि "सच्चा लोकतंत्र वह है जिसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है।" अत: हमें लोगों की गरीबी, अज्ञानता और रोगों का उन्मूलन करने की दिशा में प्रयास करने में जुट जाना चाहिए।"

अत: हमें इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं एक समान सिविल कोड के खिलाफ हूं। तथापि, उसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। हमें समाज को बदलना होगा। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें शिक्षा का विकास हो सके और लोगों के दिलो-दिमाग में परिवर्तन लाया जा सके जिसका उत्तरदायित्व सभी धार्मिक नेताओं, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर है। अत: इसे हमें किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि इस विधेयक का अब कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं रहा है इसलिए इस विधेयक के प्रस्तावक को इस पर मतदान कराने आदि के लिए जोर नहीं देना चाहिए। उन्हें इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। इसके बजाए हमें इसके लिए सामाजिक दायरे में रहकर प्रयास करना चाहिए और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंतर्गत हमारे संवैधानिक परंतुक में भी किया गया है।

सभापति महोदय : हमने इस विधेयक पर चर्चा के लिए निर्धारित समय-सीमाओं चार मिनट अधिक चर्चा की है। अभी दो और वक्ता बोलने के लिए शेष हैं और माननीय मंत्री महोदय भी अभी यहां बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इससे पहले हमें इस विधेयक पर चर्चा करने का समय बढ़ाना होगा। अत: जब तक हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी कर लेते तब तक हम चर्चा जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के बाद मेरा विधेयक लगा हुआ है। पिछले सत्र में भी मेरा बिल लगा हुआ था, लेकिन इसका टाइम बढ़ने के कारण मेरा बिल पिछले सत्र में भी नहीं आ सका। अब आप इसका आज भी और टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यदि इस बिल का टाइम बढ़ाया गया, तो मेरा बिल आज भी नहीं आ पाएगा। हमें सिर्फ दो दिन यानी आज का 25 जुलाई और 8 अगस्त के दिन ही इनके प्रस्तुत करने के लिए निश्चित किए गए हैं। इसलिए मैं तो समय बढ़ाने का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इस संबंध में कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने समस्या यह है कि हमें इस विधेयक पर चर्चा पूरी करनी है।

(व्यवधान)

अभी दो और वक्ता तथा माननीय मंत्री महोदय का बोलना शेष है। अत: हम तब तक चर्चा पूरी कर लेंगे। हम सभी सहयोग देंगे और अगले विषय पर चर्चा करेंगे। अब माननीय मंत्री महोदय अपने विचार व्यक्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी दो और वक्ता बोलने के लिए शेष हैं। वे मंत्री महोदय के बोलने के बाद बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुंबई-दक्षिण) : सभापति जी, मिनिस्टर साहब बाद में बोलेंगे या पहले बोलेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अंत में, इस विषय पर श्री भगवान शंकर रावत बोलेंगे। अत: मंत्री महोदय अब बोल सकते हैं और उसके बाद दो सदस्य बोल सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी॰ खलप) : सभापति महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर काफी लंबा वाद-विवाद हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? केवल दो ही सदस्यों को भाषण देना है। क्या आप इनमें से प्रत्येक के पांच मिनट के भाषण को नहीं सुन सकते ?

श्री रमाकांत डी॰ खलप : कृपया प्रत्येक को दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।

सभापति महोदय : मंत्री के भाषण के बाद, अन्य वक्ता भाग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद केवल विधेयक प्रस्तुतकर्ता ही उत्तर दे सकता है। कृपया श्री ब्रिज भूषण तिवारी को कुछ मिनटों में अपनी बात कह लेने दें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आपने इस मामले में पिछली बैठक में नया कनेन्शन कायम किया है। मैंने कहा कि शायद कोई नया कनेन्शन आप कायम करते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, मैं कोई परंपरा नहीं बनाना चाहता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली बार यह अनिवार्य था।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति जी, रावत साहब जो विधेयक लाये हैं, मैं उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक एक तो समय के अनुकूल नहीं है और दूसरा आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब निदेशक सिद्धांतों का हवाला दिया जाता था और जिस समय संविधान बना था तो संविधान में इसका प्रावधान निदेशक सिद्धांतों में किया गया था। उस समय देश का जो वातावरण था, उस वातावरण को देखते हुए यह इच्छा और संकल्प था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे, एक ऐसा समाज बनायेंगे जहां किसी प्रकार का कोई कानूनी भेदभाव नहीं होगा और तब से 50 वर्ष बीत गये। मैं ऐसा मानता हूं कि हम काफी आगे बढ़े और एक ही ऐसा वातावरण देश में बन रहा था जब सब लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं थोपा जायेगा क्योंकि यह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। जब कोई कानून आप बनायें और उस कानून के साथ जन सहमति नहीं होती है तो इस कानून का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत से कानून हमने बनाये हैं। शारदा एक्ट है और भी बहुत से ऐसे कानून हैं जिसके पीछे जन सहमति न होने के कारण उन कानूनों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि जिस कॉमन सिविल कोड की बात की जाती है, उस कॉमन सिविल कोड में काफी बदलाव आया है। हम काफी आगे की तरफ बढ़े हैं। आज आप जानते हैं कि जो एवीडेंस एक्ट है, वह एक है। आई॰ पी॰ सी॰ एक्ट एक है और उसी के साथ-साथ प्रापर्टी एक्ट एक है। शादी के बारे में भी एक है। बहुत सी शादियां अपनी रीति-रिवाजों के हिसाब से होती हैं और उसके लिए यह भी कानून है कि जो सिविल मैरिज एक्ट है जिसके तहत कोई भी चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर उस विधि से शादी करना चाहता है तो वह शादी कर सकता है। इसलिए उसमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत ही लाजिमी हो। बात असल में यह है कि आज हम अगर सचमुच अपने इस लोकतंत्र को सजीव बनाना चाहते हैं, जीवंत बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं तो देश के अंदर हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और ऐसा वातावरण केवल बोली से नहीं बनेगा। वह वातावरण आचरण से बनेगा तथा सारे वर्गों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि यह देश हमारा है और देश में हम साझीदार हैं। अगर अल्पसंख्यक के मन में या जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके मन में यह विश्वास जगता है, यह भय पैदा किया जाता है कि कोई हमको दबाना चाहता है तो यह बात अच्छे मन से कही जाये तो भी उसका असर गलत होगा।

मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की जो घटना हुई और 6 दिसंबर के बाद देश में जो एक वातावरण बना और देश के अंदर ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियां पैदा हुईं। मैं कोई इल्जाम के तौर पर, आरोप के तौर पर नहीं कहना चाहता। मगर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इस दर्शन में विश्वास करते हैं, जो इन नीतियों में, विचारों में विश्वास करते हैं, जो अपने आचरण से यह दिखाना चाहते हैं कि वे एक राष्ट्र की बात, एक भाषा की बात, एक धर्म की बात और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दुष्प्रचार पूरे देश में करते हैं, कहीं आबादी बढ़ने के सवाल पर, कहीं बाहर से लोग जो आते हैं इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीस, उनके सवाल को लेकर, कभी

भाषा के सवाल को लेकर और कभी 370 के कानून के सवाल को लेकर और उसी प्रकार से यह सिविल कोड, ये कुछ ऐसे घिसे-पिटे मुद्दे हैं जिनको बार-बार उठाकर कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह नहीं देखा जाता कि आज का रैलेवैंस क्या है, आज की परिस्थिति क्या है। यह सही है कि यदि औरतों के अधिकार के बारे में बात चले तो अपने देश में बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं, मैं पढ़ रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ के लोग इसके खिलाफ हैं कि यदि औरतों को विशेष अधिकार दे दिया जाता है या औरतों को रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो यह हमारी परंपरा के, हमारे रीति-रिवाजों के खिलाफ है, हम इसमें विश्वास नहीं करते।...*(व्यवधान)*

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी परिवार हैं जो मातृ प्रधान हैं।

श्री बृज भूषण तिवारी : आपकी बात सौ फीसदी सही है, ऐसा भी है। परंतु बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके यहां आई॰ पी॰ सी॰ भी लागू नहीं होता, वे अपने कानून-कायदे लागू करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अपना देश विभिन्न समूहों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का है, उसमें ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों में यह चेतना जागृत हो और वे स्वयं ऐसी सहमति का वातावरण बनाएं जिससे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

आप जानते हैं कि जब हिन्दू कोड बिल पास हुआ था तो कितना ज्यादा हल्ला मचाया गया था। मुझे याद है उस जमाने में बहुत से लोग जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या बहुत से पुरातन ख्याल के लोग बहुत नारा लगाते थे कि यदि लड़की को अधिकार मिल जाएगा तो अदालतों के कटघरों में भाई-बहन, जो बहुत पवित्र रिश्ता है, खड़े होंगे। और भी तमाम प्रकार की आपत्तियां उस समय जाहिर की गईं। परंतु आप देखते हैं कि धीरे-धीरे यह परिवर्तन हो रहा है। चार शादियों का भी जो हल्ला मचाया जाता है, उसके बारे में भी अभी आंकड़े आपको दिखाए गए हैं। आज जैसे-जैसे शिक्षा से जागृति पैदा हो रही है, उससे बहुत से मुस्लिम देशों की औरतों ने अपने अधिकारों को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाए हैं। जैसे-जैसे लोगों में चेतना जागृत होगी, वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे और एक ऐसी सहमति सा वातावरण बनेगा जब किसी प्रकार की अलगाववादी धाराएं खत्म होंगी। ऐसी स्थिति में हम ऐसे कानून बना सकते हैं जिसमें सबको अधिकार और सम्मान मिले।

मैं उन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुंबई-दक्षिण) : सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत ने यह जो बिल यहां पर प्रस्तावित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हूं। आने वाले कुछ ही दिनों पश्चात् इस राष्ट्रीय आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने के अवसर के लिए सज्य हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर इस बिल को यहां पर लाना और प्रस्तावित बिल को पारित करना देश की आजादी की स्वर्ण जयंती के लिए गौरवमयी बात होगी। इसका एक ही कारण है कि भारतीय संविधान में हमने धर्मनिरपेक्षता के स्वीकृत उद्देश्य को मान्यता दी गई है।

जब कभी भी इस बिल के ऊपर या इस विषय के ऊपर विचार करने का मौका आता है, तब हर समय दूसरे दलों की तरफ से इस प्रकार से बात उठाई जाती है कि यह समय उसके लिए ठीक नहीं है। जब कभी भी इस बिल के बारे में चर्चा करने का अवसर आता है तो ज्यादा से ज्यादा समय तुष्टीकरण की नीति अपनाकर, भेदभाव की नीति को अपनाकर इस देश की अखंडता के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया जाता है। यह राष्ट्रीय हित में होगा कि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाये। क्योंकि जब यह संविधान बना, उसके पश्चात् भी कई बार संविधान बनाने वाले लोगों ने भी इस बात को सिर्फ कुछ ही समय के लिए रखने के लिए कहा था। उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में इस प्रकार से आदेश दिया था कि तुरंत इस विषय के बारे में चिंता करनी आवश्यक होगी। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है।

एक नारी के नाते, एक महिला के नाते, एक स्त्री के नाते मैं बताना चाहती हूं कि मुंबई की वह घटना है कि जहां पर अचानक एक युवक की मृत्यु हो गई तो उसक मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति का जो अधिकार था, उसकी माता को और पत्नी को आधा-आधा मिल गया। उसके पश्चात् कानूनी तौर पर वह मिलने के पश्चात् कुछ दिन के पश्चात् उन्हीं के पड़ौस में रहने वाली एक ईसाई महिला थी। उसके घर में भी इसी प्रकार की बात हुई तो उसको ऐसा लगा कि जैसे इसकी मां को पैसा मिला, वैसे ही मुझे भी मिल जायेगा और मेरा जीवन भर उदर निर्वाह करने की दृष्टि से मुझे कुछ राहत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर पसर्नल लॉ और पसर्नल कानून बीच में आया।

मैं यह कहना चाहती हूं कि जो ईसाई समाज के लोग, जो पारसी समाज के लोग, सारे धर्म के लोग जिस राष्ट्रीय प्रवाह के साथ चलना चाहते हैं, उनको राष्ट्रीय प्रवाह के साथ चलने के लिए यदि समान नागरिक संहिता बन जाती है तो उसमें राष्ट्रीयता उभरकर आयेगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि आज तक इस विषय को टाला गया, तुष्टीकरण की नीति को लेकर टाला गया। माननीय मंत्री महोदय श्री खलप जी यहां पर उपस्थित हैं और श्री खलप जी को पता है, हमारे सारे संसद सदस्यों को भी पता है कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। यह सौभाग्य की बात है कि जब आप गोवा से आये हुए हमारे श्री खलप जी मंत्री हैं तो गोवा में कि प्रकार से लोगों को न्याय मिलता है, इसकी अधिक बात बताते हुए वह हमारे इस बिल के ऊपर समर्थन मांगेंगे और इस बिल को पारित करने के लिए हमें सहयोग करेंगे।

उसके साथ एक और बात भी मैं बताना चाहती हूं कि यह राष्ट्रीय हित में है, अभी जो मेरे मित्र तिवारी जी यहां बता रहे थे कि हम किसी के ऊपर यह कानून थोपना चाहते हैं। मैं तिवारी जी को भी यह कहना चाहती हूं कि कोई भी कानून हम किसी के ऊपर थोपना

[श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता]

नहीं चाहते। जो हिन्दू कानून में अच्छी बात होगी, उसको लेंगे, जो मुसलमान कानून में अच्छी बात होगी, उसको हम अपनाएंगे, महिलाओं को न्याय देने के लिए जो ईसाई कानून में अच्छी बात होगी। उसको हम अपनाएंगे। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाये और सारे पसर्नल लॉज़ की स्टडी करके जिसके अच्छे कानून हैं, उसको स्वीकार करके समान नागरिक कानून बनाये जायें।

मैं यहां पर कबूल करना चाहूंगी, जिससे मुझे दु:ख है कि हिन्दू समाज में यह कानून रहा कि एक पत्नीव्रत होगा, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से और दु:ख से कहना पड़ता है कि जब कभी किसी एक हिन्दू पुरुष को दूसरा विवाह करने की इच्छा होती है तो वह अपने आपको मुसलमान बनाकर फिर दूसरा विवाह करने के लिए आगे बढ़ता है। यह बात भी गलत है, जो समाज की गलत चीजें हैं, हिन्दू समाज की भी गलत चीजें हैं, उनको भी हम निकालना चाहते हैं। इसमें कोई हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इस प्रकार की बात करने के लिए हम यहां पर खड़े नहीं हुए।

धर्मनिरपेक्षता यदि हमने देश में मानी है तो धर्मनिरपेक्षता के साथ में समान नागरिक संहिता महिलाओं की दृष्टि से होनी चाहिए। महिलाओं की कोई जाति और धर्म के आधार पर जाति नहीं होती। महिला आखिर में महिला होती है और सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह समान नागरिक संहिता ज्यादा उपयुक्त होगी। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए हम आग्रही भूमिका के कारण आज बिल के लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों को आग्रह करेंगे कि भगवान शंकर रावत जी ने जो यहां पर बिल रखा है, उसको आप सब समर्थन दें, क्योंकि आजादी के इस स्वर्ण जयंती के अवसर के ऊपर हम देश की महिलाओं को और देश के नागरिकों को बिल्कुल सामाजिक न्याय प्रदान कर सकें, उसकी आज आवश्यकता है। खलप जी को बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए अधिक कुछ बात न कहते हुए मैं एक विश्वास व्यक्त करना चाहूंगी।

खलप जी भी इस बिल को समर्थन दें। अब वह घड़ी आ गई है अगर इस समय इस बिल को पारित नहीं किया तो फिर कभी वह समय भी नहीं आ सकता। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जहां महिलाओं के लिए आरक्षण की बात चल रही है, जहां महिलाओं के विकास की चर्चा चल रही है, ऐसे समय में उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आप भगवान शंकर रावत जी द्वारा आग्रहपूर्वक रखे गए समान सिविल कोर्ड बिल को समर्थन देने में सहयोग दें।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री रमाकांत डी. खलप : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर इस सभा में एक बहुत लंबा वाद-विवाद हुआ और कई सदस्यों द्वारा मिली-जुली प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। मेरी राय में इस सदन में लगभग प्रत्येक सदस्य ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि इस महान् देश में यदि ऐसा संभव हो तो कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी पर लागू हो। तथापि अनेक वक्ताओं ने यह कहा है कि देश की परिस्थितियों के अन्दर इस तरह के कानून की संभावना नगण्य है। हमारा एक विशाल देश है। हमारा एक ऐसा देश है जिसमें कई धर्मों और प्रत्येक धर्म में कई पंथों, विश्वासों और मत शामिल होते हैं। हमारे देश में प्रत्येक समूहों और उप-समूहों में से प्रत्येक की विवाहों, स्वीय कानूनों, विरासत आदि से संबंधित अपनी अलग-अलग परम्पराओं और व्यवस्थाओं इन सभी विभिन्न विचारधाराओं का सामंजस्य कैसे किया जा सकता है यही मुख्य प्रश्न है। नि:संदेह हमारा संविधान यह कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान सिविलि संहिता सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा। यह राज्य को दिया गया एक आदेश है। लेकिन पिछले 50 वर्षों को इतिहास हमें यह बताता है कि यह संभव नहीं हो पाया है और बार-बार हमारे नेताओं ने ऐसा कहा है कि धार्मिक समुदायों को आपस में साथ-साथ बैठना चाहिए और जहां तक स्वीयी कानून का संबंध है एक आम राय बनानी चाहिए।

महोदय, गोवा की बात की गई है। जी हां, गोवा में एक समान सिविल संहिता है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। जब यह संहिता बनाई गयी थी, तब इसमें बचाव संबंधी खंड भी था। उस समय एक विशेष कानून भी बनाया गया था कि हिन्दू निवासी के रीति-रिवाजों की भी रक्षा की जाएगी। अत: वास्तव में गोवा में कोई समान सिविल संहिता नहीं है। रीति-रिवाजों की सुरक्षा की गयी है। लेकिन हुआ यह है कि गोवा में कई वर्षों से हिन्दू समुदाय यह भूल गया है कि कोई बचाव संबंधी प्रावधान नाम की कोई चीज है और सभी समान सिविलि संहिता का अनुपालन करते हैं।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गोवा में इस संहिता को कब बनाया गया था और गोवा में उन दिनों क्या स्थिति हुई थी। आप भारत में पुर्तगालियों के उपनिवेशिक शासन को अंग्रेजों के उपनिवेशिक शासन के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसमे कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही विदेशी थे। दोनों ने ही हमारी जनता पर राज किया था चाहे वह गोवा में हो या शेष भारत में। पुर्तगाली अपनी उपनिवेशिक शक्ति का प्रयोग करने में अंग्रेजों की तुलना में अधिक अत्याचारी थे। उन्होंने यह प्रयास किया कि जो भी कानून वे बनाएं सभी उसका अनुपालन करें। यह एक कड़ी थी जिससे निज़ात पाना गोवा वासियों के लिए कठिन था। हमें यह याद रखना चाहिए कि गोवा 450 वर्षों तक पुर्तगाली शासन और पुर्तगाली कड़ी आधीन रहा। इसीलिए गोवा में जो भी रहा था जो भी वहां का मूल निवासी था या पुर्तगाली प्रजा था सभी ने इस कानून का अनुपालन किया।

गोवावासी दोहरी प्रणाली का पालन करते रहे। वे पंजीयक के कार्यालय के अपने विवाह को पंजीकृत करवाते थे। वास्तव में यह एक सिविल विवाह होता था जिसे वे पंजीकृत कराते थे, लेकिन इसके धार्मिक रूप में उन्होंने सिविल कानून को कभी स्वीकार नहीं किया। वे पुन: अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विवाह करते थे। हिन्दू प्रथा

के अनुसार विवाह करता था। "सप्तपदी" अभी भी महत्वपूर्ण है। जब स्वयं मैंने विवाह किया, वास्तव में मैंने दो बार विवाह किया। मेरा अभिप्राय है कि मैंने एक ही लड़की से शादी की।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप अपना अनुभव बता रहे हो या दूसरों का ?

श्री रमाकांत डी० खलप : अपना तथा दूसरे दोनों के अनुभव को हम सिविल रजिस्ट्रार के कार्यालय गये और हमारा विवाह हुआ। विवाह को गवाहों के समक्ष सिविल रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया गया। उस विशेष घटना के फोटो भी हैं। यद्यपि हमने कानून के अतंर्गत पंजीकरण करवाया था। फिर भी हमने अपने आपको पति-पत्नी नहीं माना। हम वापस गये और हमारा विवाह हमारी हिन्दू धार्मिक रीति-रिवाजों के अंतर्गत किया गया। जब सप्तपदी पूरी हुई तभी हम पति-पत्नी बने। वहां यही प्रथा मुसलमानों में भी प्रचलित थी। वे भी उप-पंजीयक के कार्यालय जाते हैं, अपनी शादी को पंजीकृत कराते हैं और बाद में अलग-अलग निकाह की रस्म अदा करते हैं। जब तक निकाह की रस्म अदा नहीं हो जाती तब तक तो पति और पत्नी नहीं बनते हैं। यही प्रथा ईसाइयों में प्रचलित है। वे भी उप-पंजीयक के कार्यालय में जाते हैं और इसके पश्चात् वे गिरजाघर जाते हैं जहां वे एक दूसरे के प्रति वचन लेते हैं और फिर वे पति-पत्नी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए वास्तव में गोवा में जो स्थिति है उसे आप शेष भारत में बनी हुई स्थिति से तुलना नहीं कर सकते हैं।

सरला मुदगल के मामले में जिसका जिक्र कई वक्ताओं द्वारा किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने हमें एक हलफनामे को दाखिल करने का निर्देश दिया और हमें न्यायालय को तथा न्यायालय के जरिए देश को उन कदमों के बारे में अवगत कराने को कहा गया जो सरकार अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिये गये निदेशों को कार्यान्वित करने में उठायेगी। हमने एक हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में, हमारे पास अपने देश की स्थिति का बयान करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमने न्यायालय को बताया कि सभी प्रयास किये जा रहे थे—विभिन्न कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की सांहिता बनाई जा रही है। कानून की कई धाराओं की पहले ही सांहिता बनाई जा चुकी थी। हमने एक सांहिता बनाने की संभावना जाहिर की। हमने धीरे-धीरे कई अधिनियमनों को प्रस्तुत करने की संभावना जाहिर की। जब यह चल रहा हमने इस देश के उन हजारों व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त किया जो समान सिविल सांहिता के इस सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं।

इसलिए, हमारे इस देश में जहां विभिन्न विचारधाराओं में इस देश पर राज होता है; जहां भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के पास प्रगति के लिए अपना एक कार्यक्रम है; जहां भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय के पास समस्याओं के अपने-अपने हल हैं; जहां विभिन्न दर्शनिक विचार व्याप्त है और जहां एक धर्म में भी कोई एकरूपता नहीं है; जहां तक उनके अपने विश्वासों का संबंध है, उस देश में हम एक समान सिविल संहिता कैसे बना सकते हैं ?

अब हिन्दू धर्म को ही ले लीजिए। हिन्दू धर्म प्रथाओं, रीति-रिवाजों और रूढ़ियों का एक विभिन्न चित्रपट प्रस्तुत करता है। मुसलमानों में भी ऐसे कई संप्रदाय और उप-संप्रदाय हैं जो अपने विभिन्न रीति विधानों को मानते हैं। फिर हम सिखों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को देखें। ईसाइयों में भी कई उप-संप्रदाय हैं।

अत: जब तक हम इन सभी लोगों में एक आम सोच पैदा नहीं करेंगे, तब तक इसमें कठिनाई रहेगी। विद्वान माननीय सदस्य श्री रावत ने पूछा है, 'क्या ऐसा आश्वासन इस सभा को दिया जा सकता है कि ऐसा किया जाएगा तथा इस प्रकार का कोई विधेयक लाया जायेगा ?' मेरा उन्हें यह कहना है कि ऐसा आश्वासन संविधान में अंतर्विष्ट है।

अनुच्छेद 44 के अनुसार इस देश के लोगों से यह वादा किया गया है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन अंतत: क्या गया गया है ? क्या राज्य का अर्थ संयुक्त मोर्चा सरकार है ? क्या राज्य का अर्थ भारतीय जनता पार्टी है हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई धर्म है ? राज्य का अर्थ हम सबसे है, सभी राजनीतिक दलों, धर्मों, वर्गों आदि से है। जब ये सभी एक मत हों तभी इसे राज्य का मत कहा जा सकता है और तभी समान नागरिक संहिता को लाया जा सकेगा। यदि इस संबंध में मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा, ठीक है इसे कल ही ले आएं। लेकिन यह कोई तानाशाही शासन नहीं है। गोवा में तानाशाही शासन था।

इसलिए तानाशाह जो भी विधान या कानून चाहते उसे लागू कर देते हैं और वे कानून ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे यहां हैं। वहां हमारी तरह स्वतंत्र वाद-विवाद नहीं हो पाता था। उस समय शासक जो विधान चाहता था। उसे लागू कर देता था। वे यह आदेश दे देते थे कि वह कानून अगले दिन से लागू हो जाएगा। या तो आप उसे स्वीकार कर लें अन्यथा राज्य छोड़कर चले जाएं। अनेक गोवा वासियों ने ऐसा ही किया। बड़ी संख्या में लोग गोवा छोड़कर चले गए। कई कारणों से लोग गोवा छोड़ कर गए।

एक कारण धार्मिक उत्पीड़न था। एक अन्य कारण था कि ऐसे कानून का लोगों के विश्वास के विरुद्ध लागू किया जाना। मैं नहीं जानता कि गोवा से पलायन के वास्तव में क्या कारण थे। अत: हमें उन दिनों की स्थिति की तुलना आज की स्थिति से नहीं करनी चाहिए। हम अपनी आज़ादी की 50वीं साल गिराह मना रहे हैं। इस वर्ष यदि हम एक हो सके और इस विषय पर आम सहमति बना सकें तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर उपलब्धि कोई नहीं होगी। हम यह चमत्कार कैसे कर सकते हैं ? यह कोई असंभव कार्य नही है। अत: मैं अपने देशवासियों तथा इस माननीय सभा के सदस्यों से अपील करता हूं कि हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ें।

मैं प्रत्येक व्यक्ति से अपील करता हूं कि हम एकजुट हो, आपस में सहमत हों और आम सहमति से यह निर्णय लें कि हमारे जीवन आपसी संबंधों तथा हमारे वैयक्तिक कानूनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हों। यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हम इस संबंध में कुछ हासिल कर लेंगे। तभी इस देश में समान नागरिक संहिता की प्राप्ति संभव होगी। मैं अपने माननीय मित्रों आप सबसे तथा अन्य सदस्यों से

[श्री रमाकांत डी॰ खलप]

अनुरोध करता हूं कि हम यह अभियान आगे बढ़ाएं और जनता के बीच विश्वास जगाएं तथा उनसे कहें, कि "देशवासियो, आइए हम एकजुट हों तथा विरासत तथा विवाह जैसे वैयक्तिक कानूनों के बारे में एक सामान्य विचारधारा बनाएं जिसका भावी पीढ़ियां अनुकरण कर सकें।"

मैं श्री भगवान शंकर रावत से अनुरोध करता हूं कि इन कारणों को देखते हुए वह कृपया अपना संशोधन विधेयक वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मंत्री जी जाना चाहें तो चले जाएं। मुझे मालूम है कि उनको जल्दी है। मैं कह चुका हूं कि वचनबद्ध हूं लेकिन मैं पांच-दस मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात कह कर ही इनकी बात से सहमति जाहिर करूंगा।

महोदय, सदन में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मुझे कष्ट इस बात का है कि शायद हम लोग सेक्यूलरिज़्म का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बहुत विद्वान हैं, अगर डिक्शनरी में सेक्यूलरिज़्म का अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ है धर्मविहीनता और उस धमविहीनता, एंटी रिलीजियसनेस के कारण ही इस देश की दुर्गति हुई है। आज सारा देश यह ढूंढ़ता फिर रहा है कि एथिक्स लाइए, जिससे कि सामाजिक जीवन के अंदर नैतिक मानदंडों को प्रतिष्ठापित किया जा सके।

भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, समाज में अनीति बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है। सेक्युलरिज्म का अर्थ सर्वधर्म-समभाव नहीं है। यह अर्थ बनाना होगा। नहीं बनाएंगे तो सेक्युलरिज्म से सर्वधर्म-समभाव नहीं होता है, यही मैं कहना चाहता हूं। मेरे देश को आज धर्म-सापेक्षता की आवश्यकता है। मैं एक बिंदु की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। अभी माननीय मंत्री जी ने पुर्तगाल की बात कही थी और कहा था कि ब्रिटिश राज बड़ा सरल था, उतना कूल नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, कि वेस्ट मिनिस्टर ऐबी की प्रणाली को ही हमने यहां इनहैरिट किया है। इंग्लैंड के अंदर भी इस प्रणाली के तहत विभिन्न माइनोरिटीज के लिए कोई अलग सिविल-कोड नहीं बना हुआ है, एक ही यूनीफार्म सिविल कोड है। जो कॉमन-वैल्थ नेशन्स हैं, जो कभी ब्रिटिश ताज के अधीन रहे हैं वहां भी कॉमन सिविल कोड के अलावा दूसरा कोई जातीय आधार पर कोड नहीं है। इसके अलावा भी मैंने विश्व भर के अधिकांश देशों की सामाजिक प्रणाली का अध्ययन किया है। मुझे भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा दिखाई नहीं दिया जहां धर्मों के आधार पर सिविल कोड बना है। इंग्लैंड और अमरीका का मैंने अध्ययन किया, यूरोपीय देशों का अध्ययन किया, जिनको हम आइडियली धर्म-निरपेक्ष देश कहते हैं और जिनकी चर्च में भी श्रद्धा है और उसके बाद भी वे धर्म-निरपेक्ष देश हैं, लेकिन मजहब के आधार पर उन्हें अलग-अलग सिविल कोड नहीं दिया गया है। मेरे दोस्त ने अभी कहा कि अगर यूनीफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि विश्व के किसी भी देश में इस आधार पर साम्प्रदायिक तनाव नहीं हुआ है। साम्प्रदायिक तनाव को लोग वोटों की राजनीति और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए पैदा करते हैं।

अभी मंत्री जी ने कहा है कि 50 वर्ष बीत गये। अपनी इच्छा से करने की बात उन्होंने कही। स्पेशल एन्डेवर शब्द उन्होंने कहा। लेकिन जब इच्छा-शक्ति नहीं होगी तो कानून की किताब में बहुत सी बातें रखी रह जाएंगी और वे पूरी नहीं होंगी। मैं समझता हूं कि सरकार ने इच्छा-शक्ति के अभाव में सारे मसले को टाला। इसीलिए सुप्रीम-कोर्ट को भी सरकार ने एक एफीडेविट देकर ठेंगा दिखा दिया। हमने भी बड़े प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम-कोर्ट में एफीडेविट क्यों दिया गया। सरकार बताए कि उसने कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए।

अभी हमारे एक मित्र रटा-रटाया गाना गा गये। तिवारी जी चले गये, मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता था। वे 6 दिसम्बर 1992 से चलकर भटकते हुए यहां आ पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसी में विश्वास करती है। हमारी नीतियों में स्पष्टता है। हम यह नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के गले पर छुरा चलाएं, उन्हें दबाएं, साम्प्रदायिक और जातीय उन्माद पैदा करें, जिससे आज समूचा आगरा और उत्तर प्रदेश जल रहा है। श्रीमान् तिवारी जी की पार्टी के लोग जला रहे हैं। वे कहते हैं कि हम दलितों का रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो दलितों के लिए दूसरी भाषा बोलते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेताओं के भाषणों को संकलित कर लिया जाए तो पता चलेगा कि एक भाषण की भाषा दूसरे भाषण से उल्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। अगर मेरे कोई समाजवादी मित्र यहां बैठे हों तो मेरे आरोप को गलत बता दें। यही कारण है कि अभी परसों ही आगरा में एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई और उनके बहन-भाई घायल हो गये। मेरे समाजवादी मित्र जश्न मना रहे थे और मुसलमानों में जाकर उसको प्रेरित कर रहे थे कि भाइयो, हमारी सेहराबंदी तो कर दो, हमने कितना अच्छा काम किया है कि जाटवों को दबाया और हमने तुम्हारी तारीफ की है। समाजवादी पार्टी के लोग देहातों के अंदर, गांव-गांव में वायलेंट हो गये हैं।

उन्होंने एक-एक अनुसूचित जाति के लोगों और जाटवों की चुन-चुन कर गांवों से निकाल देने की धमकी दी है। यह क्या स्थिति है ? भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, उसे पूरा करती है। वह कहती है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासन नहीं चलना चाहिए, धर्म सापेक्षता के हिसाब से शासन चलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हमने कुछ कहा है तो उसे पूरा करके भी दिखाया है और हम उसका आचरण में पालन कर रहे हैं।

समान नागरिक संहिता के बारे में बड़ी भारी गलतफहमी लोगों

ने पैदा करने की कोशिश की है। समान नागरिक संहिता का अर्थ यह नहीं कि हिन्दू नागरिक संहिता हो। उसका अर्थ है कि सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हों, उन सब का कॉलैक्शन करके फिर आचार संहिता बनाई जाए।

मैं महिलाओं के उत्पीड़न की बात कहना चाहता हूं कि बहुत शोर-शराबा हुआ कि 33 परसैंट महिलाओं को आरक्षण देंगे तो महिलाओं का उद्धार हो जाएगा। महिलाओं का उद्धार आरक्षण से नहीं, सामाजिक सोच में क्रांति लाने से और बदलाव लाने से होगा। मैंने पिछली बार जब इस बिल पर बहस इनीशियेट की थी तब विस्तार से बताया था कि किस प्रकार ईसाई, मुस्लिम और हिन्दू महिलाओं का उत्पीड़न होता है ? मुझे इसका कोई जवाब नहीं किया जा सका। उत्पीड़न रोकने के लिए सामाजिक क्रांति लानी होगी, समाज के नजरिये में परिवर्तन लाना होगा, कुरीतियां दूर करनी होंगी, तब जाकर महिलाओं का उद्धार होगा। महिलाओं के उद्धार के लिए कॉमन सिविल कोड की बात हमारे संविधान के निर्माताओं ने कही थी। मैं उसी बात को आज फिर कहना चाहता हूं।

दूरदर्शन पर 'आंखों देखी' नाम से एक सीरियल आता है। मैंने उसमें खलप जी को देखा। वह मैंने खलप जी को रैफर भी किया था। उसमें खलप जी गोवा के कॉमन सिविल कोड की बात को अपहोल्ड कर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि दो बातें नहीं चलेंगी। आज एक तरफ गोवा के कॉमन सिविल कोड की वकालत करो और यहां दूसरी भाषा बोलो। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि शादी दो बार नहीं, तीन बार भी करनी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देश से कुरीतियां मिटाने के लिए सामाजिक समझौता करने की आवश्यकता होगी तो वह भी हम करेंगे। मैं खलप जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा भी कोई इंटैरिम पीरियड हो सकता है जिस में कॉमन सिविल कोड के हिसाब से भी शादी हो और उसके बाद अगर कुछ लोग यह महसूस करें कि अभी शादी पूरी नहीं हुई तो अपनी भावना को पूरा करने के लिए पुराने रीति-रिवाज चल रहे हैं, वे उनको भी पूरा करें लेकिन अंततोगत्वा समाज को एक सूत्र में पिरोना होगा और जोड़ना होगा।

यहां माइनॉरिटी, मैजोरटी की बात कही गई। अमेरिका में जिन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, उनका परसेंटिज़ भारत की माइनॉरिटी से ज्यादा है लेकिन वे कॉमन सिविल कोड से गवर्न होते हैं। मैं अन्य देशों की भी बात कहना चाहता हूं और मैंने अनेक देशों में देखा भी है कि वहां माइनॉरिटीज का परसैंटेज हमारे यहां से अधिक है लेकिन उसके बाद भी माइनॉरिटीज के लिए अलग सिविल कोड नहीं है। मेरी पीड़ा यह है कि हमने इसमें कोई प्रयास नहीं किया, आधा-अधूरा प्रयास भी नहीं किया। हम शुरू से यह सोचते रहे कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू हो गया और लोगों में भावनात्मक एकता जग गई तो वोट के सौदागर राजनीतिज्ञ अपने वोट का सौदा नहीं कर सकेंगे। वोट कमोडिटी को खरीदने के लिए समाज में जो इस तरह की नफरत की आग और ज्वाला पैदा करना चाहते हैं, सब कम्युनिटीज़ में अलगाव रखना चाहते हैं, इससे उनके मनसूबे पूरे नहीं होंगे। यही कारण है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सका जबकि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात के लिए आग्रह किया था, आदेश दिया था, जिसे मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि यह लागू होना चाहिए। खैर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह प्रयास करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वह ईमानदारी से प्रयास करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपील की है...*(व्यवधान)* मैं भारत सरकार के मंत्री की बात कह रहा हूं। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

यहां पर अलघ साहब बैठे हुए हैं, वे कितना 'अलख' जगा पायेंगे, यह देखने की बात है। यदि 'अलख' जगा देंगे तो मैं उनका अभिनन्दन करूंगा। आज समाज के लोगों की आवश्यकता है कि इस तरह के परिवर्तन का अलख जगे, जो अंधेरा या कुहासा छाया हुआ है, वह दूर हो जिससे इस समाज को आलोकित कर सकें, प्रकाशमान कर सकें तथा समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, उन्हें दूर कर सकें। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ईमानदारी, नेक नियत से आश्वासन देने का काम करेगी। चूंकि पिछले 50 साल से यह नहीं किया गया था, इसलिए मेरी कुंठा थी मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां पर हमारे अनेक मित्रों ने भी इस बात को कहा कि इस बिल की भावना अच्छी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को अच्छे स्वरूप में लिया है लेकिन जिन लोगों के मन में कुछ शंकायें थीं, मैंने उनका निवारण करने की कोशिश की है। सभापति महोदय, इतिहास साक्षी है कि हमेशा सद्भाव, समरसता से समाज को चलाया जाता है। यदि एक सा व्यवहार किया जाता है तो समाज में परिवर्तन अच्छे आते हैं लेकिन जब उसमें विभेद किये जाते हैं तो उसके परिणाम खराब होते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस बिल को वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1996 (अनुच्छेद 44 आदि का लोप) में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

विधेयक स्वीकृत हुआ।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.02 बजे

भिक्षा-वृत्ति उत्सादन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगली मद सं॰ 37 अर्थात् भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 1996 पर विचार करेंगे। चूंकि डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी इसके लिए खड़े हुए थे। चूंकि अब वह सभा में उपस्थित नहीं

हैं, अतः मेरे विचार से हमें अगले वक्ता बुलाना चाहिए। श्री पृथ्वीराज दा० चह्वाण अपनी बात कहेंगे।

श्री पृथ्वीराज दा० चह्वाण (कराड़) : धन्यवाद, सभापति महोदय, मेरे मित्र डॉ० रेड्डी ने भिक्षावृत्ति जो वस्तुतः निर्धनता से जुड़ी है, को समाप्त करने संबंधी गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत किया है। यह अच्छे उद्देश्य वाला और सार्थक विधेयक है। परंतु इसका कार्यान्वयन अत्यंत कठिन है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि कतिपय कोष स्थापित किए जाएं और भिक्षावृत्ति कानून द्वारा ही समाप्त हो सकती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

जैसा कि मैंने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है, परंतु व्यावहारिक रूप से इसे लागू करना बहुत कठिन है। अगर गरीबी दूर करने के लिए हम जो उपाय करेंगे उनसे भिक्षावृत्ति के कारण भी अपने आप दूर हो जायेंगे। जब आप अत्यधिक गरीबी के कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनमें लोगों को छोटे बच्चों को और महिलाओं को विशेषकर महानगरों में सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो पायेंगे कि इसका मुख्य कारण देश में व्याप्त गरीबी ही है जो आजादी के 50 वर्षों के बाद भी समाप्त नहीं हुई है।

महोदय, योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। लोग गरीब हैं, उन्हें दो जून का भोजन भी नहीं मिल पाता। दूसरा कारण यह है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और अर्द्ध रोजगार हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज हमारी आबादी का 50 प्रतिशत निरक्षर है।

यह बहुत दुःखद स्थिति है कि आजादी के 50 वर्षों के बाद भी यह देश निरक्षरता को समाप्त अथवा उन्मूलन नहीं कर सका है। शिक्षा के बिना किसी ऐसी कुशलता का विकास नहीं किया जा सकता जिसकी मांग बाजार में हो सके। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति श्रम बाज़ार का हिस्सा नहीं बन सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मौसमी रोजगार उसे मिलता है वह उसी से गुजर-बसर करता है। परंतु अधिकांश समय उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है, वे अपना पेट भी नहीं भर पाते हैं।

इतना अधिक नुकसान होने; प्राकृतिक आपदाओं का एक और कारण हैं। वर्षा न होने, सूखे की स्थिति आने और बाढ़ के कारण हुई बरबादी के कारण लोगों को काम की तलाश में, भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। हम रेलवे स्टेशन के नजदीक बड़ी संख्या में लोगों को देखते हैं जो उन स्थानों से आए हैं जहां बाढ़ा से बरबादी हुई है, जहां सूखा पड़ा है, जहां वर्षा नहीं हुई है और जहां खेती करने के लिए मजदूरों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नजदीक के महानगरीय शहरों में आकर बस गए हैं उनके पास और कोई विकल्प नहीं रहा है कि वे जिंदा रहने के लिए भीख मांग कर गुजारा करें।

कुछ और भी सामाजिक कारण हैं। यदि हम देश की धार्मिक आस्थाओं पर अपनी दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हिन्दू धर्म में भाग्य की संकल्पना कर्म से की गई कि मनुष्य को अपने पूर्व पापों के लिए उन्हें भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है; वह अपने भाग्य को ही कोसता रहता है। देश के कुछेक भागों में भी भीख मांगने को, दर-दर जाकर भीख मांगने को कुछ धार्मिक ग्रंथों में बढ़-चढ़ कर वर्णित किया गया है।

विधवाओं की स्थिति भी बहुत शोचनीय है। हम सब जानते हैं कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जीवित रहने के लिए और दो वक्त का खाना पाने के लिए उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। इस विधेयक के उद्देश्यों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि शहरों में विशेष रूप से कुछ संगठित ग्रुप हैं जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं। बच्चों का अपहरण किया जाता है, कभी-कभी उन्हें अपंग कर दिया जाता है, और उन्हें शहरों की गलियों में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है।

जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार देश में शायद दस लाख से भी अधिक भिखारी हैं लेकिन वास्तव में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने लोगों को मजबूरन भीख मांगने के लिए बाध्य होना पड़ता है क्योंकि उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अतः यदि हम भीख मांगने की इस प्रक्रिया को वास्तव में खत्म करना चाहते हैं, तो हमें उन कारणों का उन्मूलन करना होगा जिनकी वजह से लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

सर्वप्रथम, हमें देश में शिक्षा पर समुचित ध्यान देना होगा। हमें यथासंभव शत-प्रतिशत साक्षरता स्तर प्राप्त करनी होगी। जब हमारे यहां कोई भी निरक्षर नहीं बचेगा तब ही हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के बारे में सोच सकते हैं। तब हम कतिपय व्यावसायिक कलाएं सिखाये जाने पर विचार कर सकते हैं जिनका बाजार में उपयोग हो सके। हम उन्हें कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे वे या तो अपना लघु उद्यम स्थापित कर सकते हैं। अथवा अपने आप को संगठित क्षेत्र के रोजगार हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्षों के पश्चात् भी हम निरक्षता उन्मूलन में असफल रहे हैं। एक के बाद एक आयोगों तथा विशेषज्ञों द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई है। इसमें से कोठारी आयोग महत्वपूर्ण है जिसने 1964 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमें देश के सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। लेकिन आज भी हम 3.5 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं कर रहे हैं। देश में हुए सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन में यह कहा गया था कि भारत शिक्षा पर नौवीं योजना के अंत तक इतना धन व्यय करेगा।

जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं, हम भिक्षावृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं, हम गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हैं, यदि हम अत्यधिक वंचन की स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं तथा यदि हम अपने देशवासियों का अच्छा जीवन-यापन चाहते हैं। तब हमें एक राष्ट्र के रूप में यदि संभव हो सके तो इस शताब्दी के अंत तक कम समय में निरक्षरता के उन्मूलन का संकल्प करना होगा। देश के कई

भाग में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी योजनाएं राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जैसी कई योजनाएं अच्छी तरह कार्य कर रही हैं। सभापति महोदय, आपके राज्य में विशेष रूप से इन योजनाओं से काफी प्रभाव पड़ा है। लेकिन कई अन्य राज्यों, विशेषकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में योजनाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। साक्षरता का स्तर, विशेषकर महिला साक्षरता में, अत्यंत निम्न है। यह गरीबी का का मुख्य कारण है।

हमें ज्ञान के स्थान पर डिग्री आधारित हमारी शिक्षा प्रणाली में पूर्णरूप से परिवर्तन करना होगा। हमें इस प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यावसायिक बनाना होगा ताकि लोग बी॰ ए॰, बी॰ कॉम तथा मानविकी के अन्य विषयों में डिग्रियां प्राप्त करने के लिए आकर्षित नहीं है। क्योंकि इससे व्यावसायिक कुशलता प्राप्त नहीं होती है बल्कि यह डिग्री मात्र है जिसका रोजगार-बाजार में कोई मूल्य नहीं है। यदि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, लाकर व्यावसायिक शिक्षा की ओर लक्षित करते हैं तब मेरा विश्वास है कि अत्यधिक गरीबी की समस्या का काफी हद तक उन्मूलन किया जा सकता है।

अगला मुद्दा महिलाओं को शक्तियां प्रदान किए जाने से संबंधित हैं। गत दस वर्षों के दौरान एक व्यापक जागरूकता यह आयी है कि जब तक कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, उन्हें राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि महिलाओं को शक्तियां प्रदान नहीं की जाती है, उन्हें शिक्षित नही किया जाता है, जब तक कि उनके बोझ में कमी नहीं की जाती है। इस समाज में प्रगति नहीं हो सकती है। देश में किसी प्रकार की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है। हमने इस संसद में महिलाओं की शक्तियां प्रदान किए जाने हेतु कदम उठाए हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने का सुझाव देते समय यह महान् विचार स्वर्गीय राजीव गांधी के मन में था। इस संसद द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया है तथा हम निम्नतर स्तर पर इसके प्रभाव को महसूस करने लगे हैं। महिलाओं की शक्तियां प्रदान किए जाने से, उनकी आर्थिक दशा में सुधार आने से, अत्यधिक गरीबी जिससे अंततः भिक्षावृत्ति होती है, की समस्या में काफी हद तक कमी आयेगी।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि हमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना होगा। संविधान में यह व्यवस्था है कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के दौरान 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। लेकिन हम इस लक्ष्य प्राप्ति के निकट कहीं नहीं है। इस सरकार द्वारा एक यह पहल की गई है कि यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना चाहती है। इसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन केवल ऊंचे आदर्शों के बारे में कहना भी पर्याप्त नहीं होगा। व्यावहारिक दृष्टि से हमें यह देखना होगा कि सभी बच्चे प्राथमिक तथा माध्यमिक चरण पर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि इन्हें बाल श्रम अथवा बाल भिक्षावृत्ति में किसी संगठित गिरोह अथवा माता-पिता जिन्हें अपने जीवन-यापन हेतु बच्चों से भिक्षावृत्ति कराने की आवश्यकता है, द्वारा बलवत नहीं शामिल किया जाए।

महोदय, देश में एक सामाजिक सुरक्षा नेट बनाए जाने की भी आवश्यकता है ताकि व्यक्तियों के वृद्ध होने और अपने जीविकोपार्जन के असमर्थ होने की स्थिति में उन्हें कोई वृद्धावस्था पैंशन, संरक्षण और सुविधा प्राप्त हो सके।

संगठित तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा नेट की अवधारणा है। पेंशन, उपादान, भविष्य निधि संबंधी योजनाएं हैं लेकिन कृषि मजदूरी के लिए क्या व्यवस्था है ? स्थिति यह है कि उन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उनके लिए कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। अतः इस देश में एक सुरक्षा नेट तैयार करना होगा। इसमें अत्यधिक धन का व्यय होगा, सुरक्षा नेट, अथवा किसी प्रकार की सामाजिक बीमा योजना अथवा वृद्धावस्था बीमा योजना, जिसमें सभी बातें तथा ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों आदिवासी क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के सभी व्यक्ति शामिल हैं को तैयार करने हेतु अत्यधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। यदि हम वृद्ध व्यक्तियों हेतु आवासों का निर्माण कर सकें तब मुझे विश्वास है कि भिक्षावृत्ति की आवश्यकता उन परिस्थितियों में नहीं रहेगी जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है अथवा जब उसके बच्चों द्वारा उसकी देखभाल नहीं की जाती है अथवा जब उन्हें बेघर कर दिया जाता है और वे भिक्षावृत्ति हेतु मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए अत्यंत राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा धन की आवश्यकता होगी, सिर्फ इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता के इच्छाजनित इस विश्वास कि हम भिक्षावृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं से कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा।

मैं डॉ॰ सुब्बारामी रेड्डी को उनके द्वारा लाए गए इस गैर सरकारी विधेयक जिसका उद्देश्य प्रशंसनीय है के लिए बधाई देता हूं परंतु भिक्षावृत्ति का एक केंद्रीय विधान द्वारा उन्मूलन किया जाना अव्यावहारिक होगा। भिक्षावृत्ति को विधिबहिष्कृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि आपको गरीबी का उन्मूलन करना पड़ेगा। हमें गरीबी से मुक्ति पानी होगी। हमें गरीबी को समाप्त करना होगा। इसके बाद ही भिक्षावृत्ति की कुप्रथा चाहे यह गिरोहों द्वारा कराया जाता हो चाहे सड़कों पर बाल भिक्षावृत्ति का मामला हो, चाहे वह शहरी अथवा ग्रामीण व्यक्ति अथवा कृषि श्रमिक हो, इसे समाप्त किया जा सकता है। वे जीवित रहने हेतु भिक्षावृत्ति अपनाते हैं ताकि उन्हें दोनों वक्त का भोजन मिल सके क्योंकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट के अभाव में अब कोई कार्य नहीं मिल सकता है। इसे तभी समाप्त किया जा सकता है जब देश वर्तमान में व्याप्त इस भीषण गरीबी से छुटकारा पा सके।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य से इसमें व्यापक परिवर्तन किए जाने का अनुरोध करता हूं। इस विधेयक में व्याप्त एकमात्र प्रावधान अपने आप में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ, मैं डॉ॰ रेड्डी द्वारा देश में भिक्षावृत्ति की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराये जाने हेतु उन्हें बधाई देता हूं। मैं सरकार से ग्रामीण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट जैसे कतिपय मुद्दों पर विचार किए जाने का अनुरोध करता हूं। सरकार

[श्री पृथ्वीराज दा० चह्वाण]

कृषि मजदूर संबंधी एक विधेयक ला रही जो एक स्वागत योग्य कदम है, उन्हें इस ग्रामीण आबादी को किसी प्रकार की एक सामाजिक सुरक्षा नेट अथवा संरक्षण प्रदान करना होगा तथा ऐसा किए जाने के पश्चात् ही हम वास्तव में आत्मविश्वास के साथ 21वीं सदी में कदम रख सकते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रधानमंत्री मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं यहां संयोगवश उपस्थित हूं। मेरे मित्र ने कृषि मजदूर विधेयक के संबंध में उल्लेख किया है। मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं। हम वास्तव में इस मुद्दे पर कुछ समय से विचार कर रहे हैं।

यह भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक खेदजनक टिप्पणी है कि सौभाग्य अथवा दुर्भाग्श्वश राज्य सरकारों द्वारा इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की गई है। हमने उन्हें दो बार याद दिलाया। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जहां तक केंद्र सरकार का प्रश्न है जैसा कि आपने सुझाया, हम कृषि श्रमिक की पीड़ा को समझते तथा मानते हैं। यह संयोग की बात है कि मैं इस सदन में इस, वक्त मौजूद हूं जब मैंने अपने मित्र को यह कहते हुए पाया। मैं भी यह अनुभव करता हूं कि हमारे समाज के निम्नतम वर्गों में कृषि श्रमिक तथा भूमिहीन श्रमिक ही आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें सुरक्षा नेटवर्क की आवश्यकता है तथा उन्हें यह दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार इस मामले पर विचार कर रही है—यह हमारे विचाराधीन है। मैं इस सभा में सभी सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि वे राज्य सरकारों को मनाने तथा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि अंततः हम जो भी कानून इस परिप्रेक्ष्य में बनायेंगे वह राज्य सरकारों को ही लागू करना पड़ेगा और मैं सोचता हूं चूंकि हम सभी इस मामले पर चिंतित हैं यदि हम अपना प्रभाव संबंधित राज्य सरकारों पर डालने की कोशिश करें—मैं किसी दल पर दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं किसी दल को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाई जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सरकार इस मुद्दे पर अत्यंत संवेदी है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सुरक्षा के अलावा और कौन-कौन सी सहायता दी जायेगी ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कृषि श्रमिक विधेयक के संबंध में है। हमें प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, माननीय प्रधान मंत्री।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी द्वारा प्रस्तावित भिक्षावृत्ति का उत्सादन विधेयक, 1996 का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। वह बुराई भिक्षा मांगने की है और आज हमारे दुर्भाग्य से आर्थिक और कुछ सामाजिक विषमता के कारण समाज में इस प्रकार के गिरोह पैदा हो गए हैं जो बच्चों का अपहरण करके, कई बार उनके हाथ-पैर काटकर, कई बार उनके ऊपर कोई विषैला पदार्थ जैसे तेजाब आदि छिड़ककर उनको अपंग बनाकर छोटी चार पहियों वाली गाड़ियों में बिठाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। उनके द्वारा दिनभर जितनी भी भीख आती है, वह उनको खाने के लिए नहीं देते अपितु गिरोह के इंचार्ज उसका फायदा उठाते हैं। इसके साथ-साथ बड़े चौराहों पर जहां गाड़ियों का काफिला रुकता है, वहां देखते हैं कि कोई महिला, पुरुष, बच्चा अथवा गोदी में किसी छोटे बालक को लिए हुए हाथ फैलाकर या गाड़ी को साफ करने के नाम पर कहते हैं कि बाबूजी कुछ दे दो, चाहे वह बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे चौराहा हो, चाहे भीड़-भाड़ वाला स्थान हो। हो सकता है कि वे अकालजन्य परिस्थितियों के कारण भीख मांगने को मजबूर हुए हों, हो सकता है कि सामाजिक विषमताओं के कारण समाज से बहिष्कृत होकर उन्हें इस प्रकार के दुर्दिनों का सामना करना पड़े अथवा हो सकता है कि आर्थिक विषमताओं के कारण ऐसा कोई रोजगार या मजदूरी प्राप्त नहीं हुई इसीलिए उनको घर-बार छोड़कर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सबके लिए समाज उत्तरदायी है। जब हम अपने को कल्याणकारी राज्य कहते हैं तो कल्याणकारी शासन का भी दायित्व है कि वे इस प्रकार की प्रवृत्तियों को पनपने न दें। लेकिन दुर्भाग्य से आज कई प्रोफैशनल बैगर्स भी हो गए हैं। समाचार पत्रों में जब भिखारियों के मरने के समाचार आते हैं और उसके बाद जब उनकी पोटली आदि देखते हैं तो उसमें हजारों रुपए मिलते हैं जो उन्होंने भीख मांगकर इकट्ठे किए हैं और अपने ऊपर भी खर्च नहीं किए। भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है जिसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, उत्सादन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति समाज के लिए एक अभिशाप है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई पैदा कर दी गई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाल लोग इस प्रकार की परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिनके लिए कवि ने लिखा :

"श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं,

मां की छाती से चिपक, सिसक सिसक रह जाते हैं।"

एक तरफ तो कुत्तों को दूध मिल रहा है, केक खाने को मिल रहा है और दूसरी तरफ भूख से बच्चे बिलबिलाते हैं। जब मां-बाप उनकी भूख को सहन नहीं कर पाते तो मजबूर होकर या तो उन बच्चों को भीख मांगने के लिए किसी के हाथ सौंप देते हैं अथवा स्वयं उनकी खातिर भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। वे मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक कर रह जाते हैं। ऐसी भी विषमताएं समाज में पैदा होती हैं।

"बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्"

भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। यह भूख भीख के लिए इंसान को मजबूर कर देती है। आखिर भूख की परिस्थिति क्यों पैदा होती

हैं, उन परिस्थितियों में हमें जाना चाहिए। ताकि आर्थिक विषमता दूर हो, सामाजिक विषमता दूर हो, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर मुंह को भोजन, यह सारा अगर हम मुहैया करा सकें और रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान, इस समस्या का निराकरण कर सकें तो शायद यह भिक्षावृत्ति पैदा नहीं होगी। भिक्षावृत्ति सभी जगह है।...*(व्यवधान)* माननीय पायलट साहब कुछ फरमा रहे हैं, वे इस बात को जानते हैं। कई ऐसी जातियां हैं, मैं जातियों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन उनका व्यवसाय ही भीख मांगना हो गया है। वे सवेरे-सवेरे गांवों के अंदर झोली लेकर, जरायमपेशा उनको कह सकते हैं, पहले उनको इस प्रकार से क्रिमिनल ट्राइब्स वगैरह कहा जाता था या कुछ इस प्रकार की जातियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भीख मांगना उनका व्यवसाय हो गया है। हमारे गांवों के अंदर चाहे वे कंजर जाति के कहलाते हैं अथवा इस प्रकार के सांसी जाति के कहलाते हैं, मैं नाम लेने के लिए क्षमाप्रार्थी हूं, लेकिन यह सामाजिक कुरीति है। इस सामाजिक कुरीति का उच्छेदन अवश्य किया जाना चाहिए और इसलिए डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी साहब ने जो यह बिल रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस बिल की तीन-चार विशेषताएं हैं। एक तो यह बिल जो है, इसमें सरकार के ऊपर कल्याणकारी शासन होने के नाते, वैलफेयर स्टेट होने के नाते दायित्व बहुत अधिक आ जाता है। एक तो हर जिले के अंदर रिसीविंग सैंटर्स होंगे, जहां पर इस प्रकार के भीख मांगने वाले बालक हों, बालिका हों, बुजुर्ग हों या किसी भी उम्र के लोग हों, अनकटे हुए हों, पंगु हों या अपाहिज हों, जहां भी वे भीख मांगते हुए दिखेंगे, उन सब को पुलिस पकड़ेगी। पुलिस को उन्हें पकड़ने का अधिकार होगा या जो समाजसेवी लोग हैं, वे भी ऐसे लोगों को पकड़कर उन रिसीविंग सैंटर्स के ऊपर ले जायेंगे, वहां उनको रखा जायेगा। एक तरह गिरफ्तारी की स्थिति में ही समझ लीजिए, वहां उनको रखा जायेगा और वहां रखने के लिए कौन से काम वे कर सकते हैं, उनके पुनर्वास की पुनर्वास की व्यवस्था करने की उन रिसीविंग सैंटर्स के ऊपर व्यवस्था की जायेगी और सरकार के द्वारा यह व्यवस्था होगी। सरकार हर जिले के अंदर ऐसी स्कीमें बनाएगी, ऐसी योजनाएं बनाएगी, ऐसे काम खोलेगी, ऐसे धन्धे प्रारंभ करेगी, जिससे वे भिखारी, जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं, वे भीख मांगना छोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास करे, उस कार्य को सीखें, उस व्यवसाय को सीखें, उस रोजगार को सीखें और जितनी उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कमाकर कर सकें। इसलिए उनको स्वावलंबी बनाने का उन रिसीविंग सैंटर्स में प्रयास किया जायेगा।

इसके अंदर एक और प्रावधान है कि अगर कोई जो जबरदस्ती भिक्षावृत्ति करायेगा, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि समाज के अंदर ऐसे गिरोह पैदा हो गये हैं, जो बच्चों को चुराकर उनसे भीख मंगवाते हैं।...*(व्यवधान)* मैं वहीं तो बात कह रहा हूं। चेन्नितला साहब कुछ कह रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : शॉर्ट करो, नैक्स्ट बिल भी है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मैं शॉर्ट कर रहा हूं लेकिन अपनी बात तो पूरी कहूंगा, जो इस बिल के अंदर है। इस बिल के सारे बिंदु तो आ जाने चाहिए।

ऐसे भीख मंगवाने वाले जो गिरोह हैं, जो बच्चों को चुराकर, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर दण्ड का प्रावधान भी किया गया है, जो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रयास है, ताकि ऐसे जो अपराधी गिरोह इंसानों की जिंदगियों के साथ, मासूम जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर 500 रुपये जुर्माने का अधिरोपण भी है। पहले तो उनको चेतावनी दी जायेगी कि वे ऐसा प्रयास नहीं करें और उसके बाद उन पर यह किया जायेगा।

इसी के साथ-साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की बात भी है और भिखारियों के लिए कल्याण निधि भी स्थापित की जायेगी। भिखारी कल्याण निधि में सरकार अपना अंशदान कन्सोलिडेटिड फंड से करेगी और उसके साथ में राज्य सरकारें भी अपना अंशदान देंगी। भिखारी कल्याण निधि या भिक्षुक कल्याण निधि में से भिक्षुकों के लिए कल्याण के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, उनके भोजनादि के लिए व्यवस्था की जायेगी। इसके बारे में नियम वगैरह भी बनाये जायेंगे, पुनर्वास के नियम वगैरह भी बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, शिथिलांग हैं, निराश्रित हैं, ऐसे लोगों को खाने की सामग्री, सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के भी व्यवस्था की जायेगी, ताकि वे लोग भिक्षा की ओर प्रवृत्त नहीं हों।

अभी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भी तब हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है, जब बड़े-बड़े चौराहों के ऊपर मोटरगाड़ियों के काफिले रुकते हैं और गरीब माताएं, गरीब बच्चे, गरीब बहनें, गरीब बेटियां एकदम हाथ फैलाये हुए और बच्चों को गोदी में लिए हुए हमारे समाने हाथ फैलाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, हम सब के लिए यह सम्मानजनक नहीं है।

इसलिए भिक्षावृत्ति का उन्मूलन करने के लिए कल्याण निधि बनाने का प्रावधान किया गया है, मैं समझता कि यह अच्छा प्रावधान है। इसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं आएगा। 1971 में सेंसेस की गई थी कि देश में भिखारियों की संख्या कितनी है, उसमें लगभग दस लाख भिखारियों की पहचान की गई थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भिक्षुक कल्याण केन्द्र संचालित हैं, उनमें इनको रखकर इन्हें सुधारने का भी प्रयास किया गया। लेकिन जैसा कहा जाता है—माले मुफ्त-दिल बेरहम। यानि अगर मुफ्त का मिल जाए तो दिल बेरहम हो जाता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि—मुफ्त का मिले रे माल, कुण कमावे लाल। इसका मतलब यह है कि अगर मुफ्त में ही खाने को मिल जाए तो फिर मेहनत कौन करे। ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि भिखारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है।

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

एक कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य है, हमारे समाज का यह कर्त्तव्य है, सक्षम लोगों का यह कर्त्तव्य है, समाज सेवी संस्थाओं का कर्त्तव्य है, दान-दाताओं का कर्त्तव्य है और इन्सानियत के नाते हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम इस भिक्षावृत्ति के पाप को, सामाजिक बुराई को रोकने के लिए प्रयत्न करें। जिससे यह समाज में न पनपे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जहां इस बिल का समर्थन करता हूं वहीं एक बात और कहना चाहता हूं। भिक्षावृत्ति के विषय पर हमारे कवियों ने भी लिखा है :

"मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख।

मांगन से मरण भला, यह सतगुरु की सीख।।"

यह सतगुरुओं की शिक्षा है कि मांगना मौत के समान है। इसलिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। समाज हमेशा प्रयत्न करता रहा है, हमारे संत-महात्मा भी यह प्रयत्न करते रहे, लेकिन देखा जाए तो इसे पीछे मूल रूप से प्राचीन काल में यह धर्म से जुड़ी हुई चीज थी। व्यक्ति में त्याग की प्रवृत्ति आए, व्यक्ति में अहंकार की भावना न हो इसलिए ब्रह्मचारी का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो उसके बाद वह मांगने के लिए निकलता था। समाज का कर्त्तव्य है कि वह उस ब्रह्मचारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसके भोजन की, शिक्षा, अध्ययन की व्यवस्था करे, जैसे गुरुकली व्यवस्था में यह प्रावधान था। लेकिन आज इसका संकट दूसरे रूप में आ खड़ा हुआ है।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : फिर भी आप लोगों ने धीरेंद्र ब्रह्मचारी को कितनी ही गालियां दीं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : ऐसी बात नहीं है। अब तो यह बुराई हो गई है। एक संन्यासी, महात्मा, साधु आपके द्वारा पर हाथ फैलाए आता है। उसने सारे संसार को छोड़ दिया, सारे संसार की इच्छाओं को पुत्रेषणा, वितेषणा आदि को त्याग दिया, चाहे वह पादरी बन गया या संन्यासी बन गया, वह समाज के कल्याण के लिए जुट गया। वह समाज को सतमार्ग पर चलाने का कार्य करता है, समाज का धर्म की राह दिखाता है और समाज में शास्त्रों की शिक्षा का प्रचार करता है। अगर वह साधु-संत या महात्मा किसी के द्वार पर आकर हाथ फैलाता है तो वह धर्म है।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : इसीलिए सबसे ज्यादा दुखी चंद्रास्वामी को किया गया।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : वह आप लोगों को ज्यादा मालूम है, क्योंकि आपके नजदीक ज्यादा थे। जो मूल उद्गम था वह बहुत अच्छा था। इसमें कबीर ने लिखा है :

"विरह कमंडल कर लिया, वैरागी दो नैन

मांगे दरस मधुकरी छके रहे दिन-रैन।"

इसका मतलब है कि विरह रूपी कमंडल हाथ में ले लिया और दोनों आंखों में वैराग्य ले लिया, यानि माया से मुक्त होकर मांगे दरस मधुकरी, यानि उस प्रियतम परमपिता परमात्मा की दर्शनरूपी भिक्षा छके रहे दिन-रैन, यानि वह उसी में छका रहना चाहता है। वह आत्मा-परमात्मा के मिलन की बात अलग थी, लेकिन आज की जो भिक्षा है वह एक सामाजिक बुराई है, एक आर्थिक विषमता है और उसके निवारण के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है। इसमे खर्च भी मुश्किल से एक-दो करोड़ रुपये का आएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुब्बारामी रेड्डी जी को बधाई देता हूं कि वे सामाजिक बुराई को दूर करने वाला यह बिल लेकर यहां आए हैं। कल्याण मंत्री जी आ गए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए वे विचार करें और जो आजकल पेशेवर भिखमंगे पैदा हो गए हैं, बच्चों को चुराकर उनसे भीख मंगाते हैं और उनके मुख पर तेजाब वगैरह डालकर उनको दयनीय और असहनीय हालत में बनाकर उनसे भीख मंगाते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए और भिक्षुक कल्याण निधि की स्थापना करने और भिक्षुक कल्याण केन्द्र की स्थावना करने के लिए उचित कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथ्तला : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री रेड्डी जी को एक अति महत्वपूर्ण विधेयक इस सभा के माध्यम से देश के सम्मुख लाने के लिए बधाई देता हूं। हम अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह बात अत्यंत दुखदायी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने जो लक्ष्य बनाए थे उन्हें आज तक हम प्राप्त नहीं कर सके। तब हमारा नारा था, 'रोटी, कपड़ा और मकान' जिसने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को आकर्षित किया। आज हम इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं। फिर अभी तक हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके जिसके कई कारण हैं। मैं उन सबकी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उनमें से एक प्रमुख कारण है भीख मांगने वालों की तायदाद में वृद्धि।

भिखारी सभी जगह मौजूद हैं, यहां तब तक पश्चिमी देशो में भी भिखारी हैं। विकसित देशों में भी भीख मांगने वाले लोग हैं। हमारा देश विकासशील है अतः इस समस्या से जूझना अवश्यमभावी है। सभ्य समाज के नाते हमारा कर्त्तव्य है कि भीख मांगने की समस्या को हल करने की पुरजोर कोशिश करें।

हमारे माननीय सहयोगी श्री चह्वाण जी ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे हमें इसी समस्या से जूझना चाहिए। हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिए जो लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं।

मैं समझता हूं कि गरीबी ही इस समस्र्या की जड़ है। जब किसी गरीब की रोज़ी-रोटी का कोई और चारा नहीं रहता तो वह भीख मांगना शुरू कर देता है। इसलिए भीख मांगने की समस्या को गरीबी हटाकर ही हल किया जा सकता है। गरीबी हटाने के लिए हमारे यहां कई कार्यक्रम है। जवाहर रोजगार योजना पर इस साल करीब 8,000 करोड़

रुपये खर्च किये जा रहे हैं। लेकिन लोक लेखा समिति की एक बैठक में पता चला कि पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और योजनाओं से अपेक्षित लक्ष्य भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं हुए। भारत जैसा निर्धन देश क्या हर साल 8,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर सकता है ? असल में इस योजना का सारा पैसा बिचौलियों को जा रहा है।

हमारे देश में कई समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या हमने गंभीरता से कोई प्रयास किए हैं ? एक अन्य समस्या है, अर्ध-बेरोजगारी की समस्या। ये समस्याएं ही भीख मांगने की बुराई की जड़ हैं। अगर हमें भीख मांगने की समस्या को हल करना है तो पहले उन समस्याओं को हल करना होगा। जो इस बुराई की जड़ हैं। आदमी का आत्म-सम्मान उसे भीख नहीं मांगने देता। कोई व्यक्ति तभी भीख मांगता है जब इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं रहता। अत: मैं कहूंगा कि परिस्थितियां ही आदमी को भीख मांगने के लिए मजबूर करती हैं। अगर भारी बाढ़ आ जाए तो लोग दूसरे स्थानों को जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही, सूखे की स्थिति में भी लोग अन्य स्थानों को जाने लगते हैं। यदि किसी वर्ष फसल खराब हो जाए और किसान के पास रोज़ी-रोटी का कोई अन्य साधन न रहे तो वह इसकी तलाश में दूसरे स्थानों की ओर चला जाता है। और अगर उसे रोज़गार के पर्याप्त अवसर न मिले तो वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है, हमारे कई गांवों में ऐसा हो रहा है।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे संगठित गिरोह हैं जो बच्चों को अगुवा करके अंधा बना देते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। ये संगठित गिरोह हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में भिखारियों की संख्या थी 10 लाख, इन सबसे पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे माननीय साथियों ने सही कहा कि भीख मांगने के मूल कारणों का पता लगार उन्हें दूर किया जाना चाहिए। साथ ही, भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे भीख मांगने की गतिविधियों में संलग्न लोगों का पुनर्वास संभव हो। इस संबंध में हमें जागरूकता लानी होगी। लोगों में जागरूकता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा का प्रसार।

आज़ादी के पचासवें साल में भी हमारे देश की आधी जनसंख्या के लिए समुचित शिक्षा सुलभ नहीं है। अशिक्षा हमारे विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। महिलाओं की अशिक्षा एक गंभीर समस्या है जिसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कई करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में अशिक्षा को दूर करने के लिए क्या इस रुपए का सही इस्तेमाल हो रहा है ? क्या इन समस्याओं को गंभीरता और प्रभावपूर्ण ढंग से हल करने, लोगों को शिक्षित करने, देश में साक्षरता बढ़ाने, गरीबी दूर करने तथा देश मं जागरुकता लाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है ताकि भीख मांगने की कुरीति विद्यमान ही न रहे ?

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले बाल श्रम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि यह देश के विभिन्न भागों में विद्यमान है। कालीन-उद्योग तथा माचिस की फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों का बेईमान लोगों द्वारा जो शोषण होता है उससे हम सभी परिचित हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इस तरह का शोषण हमारे देश में मौजूद है। अपनी युवा पीढ़ी का भीख मांगना कोई भी देश सहन नहीं कर सकता। कोई भी सभ्य देश इसकी अनुमति नहीं दे सकता। न कोई सभ्य समाज ही इसे सहन कर सकता है।

इस गंभीर मुद्दे को सभा के समक्ष रखने के लिए मैं डॉ॰ सुब्बारामी रेड्डी जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, कल्याणकारी राज्य के कल्याण मंत्री अभी यहीं थे, कहीं चले गए होंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह कुछ समय बाद आ रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझसे अनुमति ली थी।

[हिन्दी]

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : महोदय, एक ऐसा विधेयक, जिसका समाज के उस वर्ग से सीधा संबंध है, जो अत्यंत गरीब है या जो अभावों में पलता है उसकी गरीबी और अभावों का सहारा लेकर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसको व्यवसाय बना लिया है। उन मासूम बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके उन्हें या तो पंगु बना दिया जाता है, दृष्टिहीन बना दिया जाता है और उनके जरिए भिक्षावृत्ति का कार्य करवाया जाता है। यह एक सामाजिक अपराध है, सामाजिक बुराई है। इस बुराई को रोकने की दृष्टि से जो भी संभव उपाए हो सकते हैं उन्हें निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए ठीक से एक तंत्र स्थापित किया जाए। इसमें केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी उत्तरदायित्व है। यह बात सही है कि इस वृत्ति को दूर करने की दृष्टि से कई उपाय किए लेकिन वे उपाए निष्प्रभावी हैं, जब तक कि इसके लिए कोई अच्छा, सुदृढ़ तंत्र स्थापित नहीं किया जाता।

महोदय, अभी मेरे मित्र रमेश चेन्नित्तला जी कह रहे थे भिक्षावृत्ति में मूल रूप से अशिक्षा भी एक कारण है। और अशिक्षित महिलाओं में जो बालिकाएं हैं उनमें भी अशिक्षा मुख्य रूप से है। उनमें बेरोजगारी है, बेकारी है। आज जब हम अपनी आजादी की स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं। तब भी देश के अंदर 60 प्रतिशत के लगभग लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमारे समाज के लोगों की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। जब तक लोगों में सामाजिक चेतना नहीं होगी तब तक हम उन्हें योजना के तहत पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कि हम एक

[डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय]

निश्चित रोजगार योजनाएं लाएं, गारंटी रोजगार स्कीम स्थापित करें, या कोई और योजना लाएं लेकिन तब हम इन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक कि समाज में चेतना नहीं होगी। जब तक समाज की भागीदारी उनमें नहीं होगी तब तक ऐसी कोई स्कीम सफल नहीं होगी।

जैसा अभी भाई रासा सिंह रावत जी ने कहा कि पुराने जमाने में भिक्षा-वृत्ति के प्रति लोगों में एक भावना थी, क्योंकि वह भिक्षावृत्ति नहीं थी। अपने दायित्व को निभाने की एक वृत्ति थी। व्यवस्था थी लोग सोचते थे कि अगर कोई अपंग है, अपाहिज है, निराश्रित है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पीछे एक सामाजिक भावना थी। लेकिन आज इसे दूसरे रूप में लिया जा रहा है। अपराधिक लोग एक संगठन के रूप में भिक्षावृत्ति को चला रहे हैं। जो लोग अपराध जगत में निवास करते हैं एक तो वे हैं तथा दूसरे वे हैं जो भिक्षावृत्ति करवाने वाले हैं। इन दोनों ही किस्म के लोगों ने गिरोह बना रखे हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को भी इस बारे में सजग होना चाहिए। इसके बारे में जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया है, उसमें आर्थिक-आर्थिक प्रावधान है उसमें कुछ उपाय सुझाए गए हैं कि राज्य सरकारें इस बारे में क्या करें ? किस प्रकार से वे पैसा व्यय करें। केन्द्र सरकार अपने कंसोलिडेटिड फंड से कितनी राशि व्यय करे।

मान्यवर, आज इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। साथ ही किसानों का मंडी में जो माल बिकता है उस माल के साथ-साथ इस भिक्षावृत्ति के लिए या निराश्रितों के लिए एक अंशदान दिया जाता है, एक करारोपण व्यवस्था की हुई है। लेकिन उसका भी सदुपयोग नहीं होता है। वह करारोपण उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचता है जो उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस बुराई को दूर करने की आवश्यकता है। जो गिरोह बने हुए हैं उनकी समाप्ति के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए।

मैं उन धाराओं की तरफ नहीं जाना चाहता जिनका उल्लेख भाई रासा सिंह रावत जी ने किया है। मान्यवर, कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। अगर इस विधेयक में कोई कमी है तो उसको दूर करें और उसे सर्वानुमति से पारित करें। हमें इस बुराई को दूर करना है चाहे हम निराश्रितों के लिए आश्रम बनाकर इसे दूर करें, या बच्चों के लिए आवास दे करके दूर करें या जिलों में इनके लिए केन्द्र बना कर इसे दूर करें। लेकिन हमें इस बुराई को दूर करना है। हमें उन व्यक्तियों की पहचान करनी है जो गिरोह बनाकर इस बुराई में संलग्न हैं। उनको हमें दंडित करना है। लेकिन हम उन लोगों की सहायता करें जो सहायता के पात्र हैं।

हम एक कल्याणकारी राज्य में बैठे हुए हैं और हमारे सामने निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं। हमें चाहिए कि इन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ें। हमने अभी तक चाहे अपना दायित्व न निभाया हो लेकिन हम अब अपना दायित्व निभाएं, अगर हम मनुष्य और पशु में भेद करना चाहते हैं तो जिनको जीवन जीना है उनकी सहायता करके, उनको जीवन जीने देने में हम सहायक बनें। अन्यथा बहुत से लोग आज पशुवत जीने को विवश हैं लेकिन जो अपराधिक वृत्ति में लगे हुए लोग हैं, जो बच्चों को उठा ले जाते हैं और उन्हें भिक्षावृत्ति में प्रवृत्त करते हैं। उन्हें दंडित करें। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का एक अच्छा तंत्र स्थापित किया जाए और अच्छी मशीनरी स्थापित की जाए। मैं उन बिंदुओं को दोहराना नहीं चाहता हूं जिनका उल्लेख हुआ है।

इस विधेयक में कोई कमी हो तो एक समेकित विधेयक ला करके इस सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है। आज इस बुराई को दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। कुछ विधेयक बहुत अच्छे लगते हैं पर व्यावहारिक दृष्टि से उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। असल में वो हमारी परिस्थितियों के अनुसार क्रियान्वयन योग्य नहीं होते। मैं समझता हूं कि यह विधेयक भी उसी श्रेणी का है। यह पहली बार नहीं है कि हम ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हों। जहां तक मेरी जानकारी है करीब 18 ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां भीख मांगने जैसी बुराई को दूर करने के लिए कानून मौजूद हैं। लेकिन उनका क्या फायदा है ? क्या भारत के किसी भी भाग में भीख मांगना बंद हुआ है ? ये जो पहले से पारित कानून हैं, ये केवल हमारी सांविधिक पुस्तकों तक ही सीमित हैं। वास्तव में उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्रियान्वयन योग्य हैं ही नहीं।

जब मैं भीख मांगने की बुराई की बात करता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। एक बार गांधी जी पुरी गए। पुरी दो बातों के लिए मशहूर है। वहां विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। और वहां बड़े सुंदर समुद्र तट भी है। पुरी में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने बहुत से भिखारी हैं जो हमेशा वहां रहते हैं। असल में, अपनी जीविका के लिए भीख मांगने हेतु ये भिखारी धार्मिक स्थलों को ही चुनते हैं।

इस बात का विशेष महत्व है क्योंकि धार्मिक स्थलों पर धार्मिक मनोवृत्ति वाले लोग जाते हैं जो मंदिरों, तीर्थस्थानों तथा धार्मिक स्थालों आदि में 'दर्शन' के बाद दान देते हैं। उन्हें भिखारियों की गरीबी का अहसास होने लगता है।

गांधी जी को निर्धनता ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बस एक लंगोट भर पहनने का निर्णय ले लिया। पुरी में मंदिर के सामने भिखारियों को देखकर उन्होंने सोचा कि जिस देश में इतनी अधिक निर्धनता है, जहां लोग एक वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते वहां अच्छे और पूरे वस्त्र धारण करने का क्या प्रयोजन हो सकता है ? यही उनके निर्णय का आधार था।

महोदय, यह आज की बात नहीं है अपितु 1920 में भी ऐसा

प्रयास किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने भी मुंबई में भिक्षावृत्ति समाप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने भी यह समझ लिया था कि जहां विदेशी पयर्टक आते हैं। वहां इस भिक्षावृत्ति एक बड़ा अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी ऐसा हुआ था।

कुल मिलाकर सच्चाई की बात तो यह है कि आज भिक्षावृत्ति का जो स्वरूप है वह उन्हें रास नहीं आता है। निस्संदेह भिक्षावृत्ति अत्यधिक गरीबी का परिणाम है। कुल भिखारियों में से लगभग 90-95 प्रतिशत भिखारी गरीबी से पैदा हुए परिस्थितियों के अंतर्गत भिक्षावृत्ति अपनाते हैं। कई बार वे वृद्धावस्था के कारण भी भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं। माता-पिता उनकी परवाह नहीं करते हैं। वे अत्यंत गरीब लोग होते हैं। कृषि मजदूरों के पास कोई परिसंपत्ति नहीं होती है जिससे कि जरूरत पड़ने पर वे इस पर निर्भर रह सकें। उनके पुत्र और पुत्रियां उनकी देखभाल नहीं करते हैं। इसलिए वे भिक्षावृत्ति अपनाने को विवश हो जाते हैं। साथ ही कुछ बच्चे अत्यधिक गरीब परिवारों से होते हैं।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : सभापति महोदय, इसका समय पूरा हो गया है। मुझे अपना रैजोल्यूशन मूव करने दीजिए क्योंकि पांच मिनट बाकी रह गये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम यह नहीं कर सकते हैं। हमें यह विधेयक पूरा करना है।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल पांच मिनट रह गये हैं, मेरा वित्त मूव करवा सकते हैं। यह बिल भी चलता रहेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के आबंटित समय दो घंटे हैं। हमने अभी आधा समय भी नहीं लिया है। अतः हम उन्हें बोलने की अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : ऐसे बच्चे बड़े गरीब परिवारों के होते हैं तथा माता-पिता भी उनको खिला-पिला नहीं सकते हैं। बहुत से मामलों में वे भी भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। कुछेक मामलों में बिचौलिए, दलाल तथा अवांछित लोग होते हैं, मुझे कहना चाहिए कि ऐसे कुछ समान-विरोधी लोग होते हैं जो इन चीजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे हज अवधि आदि के दौरान इन बच्चों को विशेषकर सऊदी अरब जैसे देशों को भेज रहे हैं। वे इनको वही छोड़ आते हैं।

मुझे कुछ अत्यधिक चौंकाने वाली रिपोर्टें मिली हैं। कुछ ऐसे गिरोह हैं जिनकी इस व्यवसाय से लगभग 20 करोड़ रुपए आय होती है। माननीय मंत्री जी इस मामले की छानबीन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा गिरोह है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मेरी विशेष प्रार्थना है कि इनका दो मिनट के लिए कर दें।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह ऐसी बात है जिसे अत्यधिक सावधानीपूर्वक देखा जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को निपटाये बगैर हम यह कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : आपकी कृपा होगी यदि मेरा बिल मूव करवा दें, नहीं तो लैप्स हो जायेगा। मैंने सुबह भी प्रार्थना की थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यपगत नहीं होगा। यह यथावत् रहेगा। आप इसकी चिंता न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह 8 अगस्त के लिए बैलट में आ गया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन गिरोहबाजों को इन बाल भिखारियों से एक वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है।

मैं दिनांक 20 मार्च, 1997 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "न्यू देहली चाइल्ड-ऑपरेट्र्स अर्निंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का जिक्र करना चाहूंगा। यह समाचार अत्यधिक चौंकाने वाला तथा अत्यधिक बैचेन करने वाला है। कृपया देखिए कि घपला चल रहा है और वे बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। यह धंधा चल रहा है।

अनेकों अनेक विधेयक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे पास

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

अनेकों अनेक अच्छे विधेयक हैं। भारत में विधेयकों की कमी नहीं है। लेकिन वास्तव में तात्कालिक स्थिति के कारण कई बार कार्यान्वयन बहुत विलम्बित होता है। बालश्रम के बारे में आपका क्या ख्याल है। दहेज-विरोधी अधिनियम आदि के बारे में आपका क्या ख्याल है ? भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय में इस भिक्षावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक योजना है। लेकिन वित्तीय प्रावधान क्या है ? तीन अथवा चार वर्ष पूर्व 20 लाख रुपए वार्षिक तौर पर दिए गये थे। यह राशि कतिपय व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने के लिए कतिपय राज्यों को दी जाती है। तो एक वर्ष में एक करोड़ रुपया आबंटित किया जाता है। लेकिन वह राशि भी खर्च नहीं की गई है। कतिपय राज्यों को वह राशि भी नहीं की गई है। तथापि, कतिपय राज्यों ने धन तो ले लिया है लेकिन उन्होंने उस धनराशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया है। कार्य के प्रति उनका नजरिया उदासीन है। इस समस्या के निराकरण में ईमानदारी तथा गंभीरता होनी चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं लंबा भाषण देना नहीं चाहता हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समस्या का निराकरण गरीबी की समस्या के निराकरण से किया जा सकता है। इसलिए ऐसा किया जा सकता है। तथापि, सामाजिक जागृति पैदा की जानी चाहिए। सभी प्रकार के परिवारों से संबंध रखने वाले सभी ग्रुपों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब तक गरीब बच्चों के लिए बोर्डिंग, रहन-सहन आदि की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक ये गरीब परिवार अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज सकते हैं। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए।

दूसरे, यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का लाभ देते हैं और यदि वर्षभर में हमारे पास एक के बाद एक फसलें होती हैं तो वह फसल ही अधिसंख्य लोगों को काम में नियोजित रखती है। तब अशिक्षित युवकों को उनके अपने क्षेत्रों में उनके घरों के नजदीक रोजगार मिल सकता है।

तीसरे, गरीबी के कारण लोगों की बुढ़ापे में उनके बच्चों द्वारा देखभाल नहीं की जाती है। इसलिए इन गरीब लोगों के लिए वृद्धाश्रम होने चाहिए तथा बच्चों के लिए अनाथालय भी होने चाहिए। इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए तथा राज्यों को कुछ सहायता दी जानी चाहिए..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना वक्तव्य समाप्त कर रहे हैं अथवा क्या आप कुछ और समय लेंगे ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं, महोदय...*(व्यवधान)* मुझे कुछ और मुद्दे पेश करने हैं लेकिन आज मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।

अपराह्न 6.01 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

नागालैण्ड शान्ति वार्ता

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, इस सम्माननीय सभा को नागालैण्ड में विद्रोह के इतिहास की जानकारी है।

विभिन्न नागा ग्रुपों का आपस में तथा राज्य प्राधिकारियों के बीच हुई भाई-भाई की हत्या संबंधी मुठभेड़ों के कारण जनजीवन की हानि हुई है, लोक व्यवस्था बिगड़ी है तथा राज्य का आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है। लोक हिंसा से तंग आ गए हैं तथा वे शांति चाहते हैं।

पदधारण करने के तुरंत पश्चात् मैंने पूर्वोत्तर में नागालैण्ड तथा अन्य राज्यों का दौरा किया था। मैंने अपराध जाति के तत्वों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता करने की सरकार की मंशा दोहराई थी। नागालैण्ड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् के इसाक-मुलवाह ग्रुप के साथ हुई वार्त्ताओं में 1 अगस्त, 1997 से तीन महीने के लिए अब युद्धविराम करने तथा राजनैतिक स्तरों पर चर्चाएं शुरू करने की सहमति हो गई है।

सरकार उन अन्य विद्रोही नागा ग्रुपों के सम्पर्क में भी है जो अपनी गतिविधियां समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नागालैण्ड तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थायी शान्ति बहाल करने के लिए उठाये जा रहे सकारात्मक कदमों के लिए प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नागालैण्ड सरकार तथा एन॰ एस॰ सी॰ एन॰ के नेता को बधाई देता हूं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मैं आपकी उन भावनाओं में सहभागी होता हूं जो आपने माननीय प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्त की है। लेकिन मैं यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसे चैनल पहले भी खुले थे। हम जिनके चैनलों के सम्पर्क में थे उनके संबंध में इनमें से कुछेक लोगों की यह भावना थी कि अनुवर्ती कार्यवाही में कोई ईमानदारी नहीं बरती गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें अब इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सकारात्मक मुद्दा है तथा मैं समझता हूं कि हमें इस पर नहीं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : इसलिए, प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इसे ईमानदारी से करें। अत्यंत सकारात्मक कदम के लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री जी आज आपके शासन के दौरान दो विशेष चीजें हैं। पहले, आपने नागालैण्ड के विषय में बड़ा शुभ समाचार दिया

है दूसरे, आपने बड़ा ठेस पहुंचाने वाला समाचार दिया है। छः बजे बिहार सरकार शपथ ले रही है यह बात प्रजातंत्र के लिए ठेस पहुंचाने वाली है। मैं समझता हूं कि इससे प्रत्येक जनतांत्रिक व्यक्ति को ठेस पहुंची है। इसलिए मैंने भी यही सोचा था कि मैं यहां बात कहूं।

[हिन्दी]

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, वह काफी उत्साहवर्धक है और निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान की दिशा में अग्रसर होगा नागाओं में जो अविश्वास की भावना थी उसके कारण वे अपने आपको हमसे दूर समझते थे। मुझे वहां जाने का अवसर मिला है। वे कहते हैं कि आप भारतीय हैं। वे समझते हैं कि हम भारतीय हैं और वे दूसरे हैं। मैं समझता हूं कि कई इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका अध्ययन करने पर यह भी पता लगा कि इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी वह तैयार नहीं है। हमने कहा कि रेल लाइनें आ जाएं तो उनका विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं, ठीक हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वंयं वहां प्रयास किया था और उसके बारे में बैठकर समझौता हुआ है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं उसके प्रति प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। नागा लोगों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई व्यवस्था जारी रहेगी तथा सभी संबंधित लोग इस सहमति का सम्मान करेंगे और इस सहमति से शान्ति का प्रसार होगा।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : मैं माननीय प्रधान मंत्री को पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए उठाये गये कदम के लिए बधाई देता हूं। हाल ही में सप्ताहों में असम में बहुत सी हत्याएं हुई हैं। बहुत सारे सैन्य और अर्ध सैनिक कर्मियों तथा असैनिक अधिकारियों की भी हत्याएं हुई हैं। मेरा माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन तथा आग्रह है कि वे असम में भी वैसी ही शुरुआत करें ताकि शांति बहाल हो और लोग शांतिपूर्वक सांस ले सकें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 28 जुलाई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28, 1997/6 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।